



अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

International Financial
Services Centres Authority

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2022-23

सीमाओं से परे
जुड़ते बाज़ार, बनते भविष्य

Beyond Borders
Bridging Markets, Building Futures



वार्षिक रिपोर्ट

२०२२-२३

यह रिपोर्ट भारत के राजपत्र में २८ फरवरी, २०२२ को अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां और विवरण और अन्य विशिष्टियां) नियम, २०२२ में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप है।



Injeti Srinivas
Chairperson



सचिव,
भारत सरकार,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली - 110 001

410/आईएफएससीए/ईपीए/एआर/2021-22

जुलाई 6, 2023

प्रिय महोदय,

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 19(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खंड 3 उप-खंड (i) में, 28 फरवरी, 2022 को अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां तथा विवरण और अन्य विशिष्टियां) नियम, 2022 में निर्धारित किए गए प्रारूप में, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति अग्रोषित कर रहा हूँ।

भवदीय,

(इंजेती श्रीनिवास)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

The Secretary,
Government of India,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance, North Block,
New Delhi - 110 001

410/IFSCA/EPA/AR/2021-22
July 6, 2023

Dear Sir,

In accordance with the provisions of Section 19(2) of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, I forward herewith a copy of the Annual Report of the International Financial Services Centres Authority for the year ended March 31, 2023, in the format prescribed in the International Financial Services Centres Authority (Annual Report and Returns and Statements and Other Particulars) Rules, 2022, notified on February 28, 2022, in Part II Section 3 Sub-section (i) of the Gazette of India Extraordinary.

Yours faithfully,

(Injeti Srinivas)
Encl.: As above

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

Second & Third Floor, PRAGYA Tower, Block 15, Zone 1, Road 1C, GIFT SEZ, GIFT City,
Gandhinagar-382 355, Gujarat, India. P: +91 79 6180 9800



खंड - क



लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) की स्थापना २७ अप्रैल, २०२० को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, २०१९ के अधीन एकीकृत वित्तीय नियामक के रूप में की गई। इसका मुख्यालय गुजरात में गुजरात इंटरनेशनल फाइनांस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में स्थित है।

आईएफएससीए (इसके पश्चात "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) का मुख्य उद्देश्य, व्यवसाय को सरल बनाने (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) पर आधारित विश्व स्तरीय वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने के अधिदेश के साथ भारत में स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससीज) में वित्तीय सेवाओं को विकसित और विनियमित करना और भारत में आईएफएससी को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए पसंदीदा वैश्विक गंतव्य स्थल बनाने के लिए सर्वोत्तम श्रेणी का नियामक तंत्र प्रदान करना है।

एक एकीकृत वित्तीय नियामक के रूप में, जिसके पास अन्य संबंधित गतिविधियों सहित बैंकिंग, पूंजी बाजार, बीमा और पेंशन फंड को विनियमित करने की शक्ति है, जिसे घरेलू भारत में क्रमशः आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए द्वारा विनियमित किया जा रहा है, आईएफएससीए भारत में आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। वर्तमान में, गिफ्ट आईएफएससी भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है।

विज़न

क्षेत्रीय और वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में सेवा करने के अलावा, आईएफएससी को विश्व स्तर का नियामक वातावरण प्रदान करना और भारत के आर्थिक विकास पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित करते हुए इसे प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करना।

मिशन

आईएफएससी को व्यवसाय-समर्थक वातावरण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, बीमा और पूंजी बाजार के कार्यकलापों के लिए सुविधा और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करना जो प्रगतिशील नियामक वास्तुकला, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी फ्रेमवर्क और प्रतिभाशाली वित्तीय वृत्तियों से विधिवत रूप से समर्थित हो और भारतीय अर्थव्यवस्था और क्षेत्र दोनों की समग्र रूप से सेवा करे।

लक्ष्य और उद्देश्य

१. प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्राधिकारों के साथ सुदृढ़ वैश्विक संबंध विकसित करना
२. देश में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं का सुदृढ़ आधार के विकास को सुकर बनाना।
३. आईएफएससी को भारत में और भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह का प्रमुख प्रवेश द्वार बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करना।
४. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए क्षेत्रीय/वैश्विक केंद्र के रूप में उभरना।
५. सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप सुदृढ़ विनियम और पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी के साथ अत्याधुनिक एकीकृत नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करना।



अध्यक्ष का वक्तव्य

गिफ्ट आईएफएससी को पसंदीदा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में वर्ष २०२२-२३ आईएफएससीए के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इस वर्ष के दौरान भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन, एनएसई आईएफएससी - एसजीएक्स कनेक्ट का शुभारंभ और आईएफएससीए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखना सहित अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने में सफलता मिली।



श्री इंजेती श्रीनिवास
अध्यक्ष

भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, जो विश्व उत्पादन का लगभग २५% हिस्सा है। आईआईबीएक्स भारत में सोने के मूल्य में पारदर्शिता लाते हुए कुशल मूल्य खोज को सुविधाजनक बनाएगा और सोने के वित्तीयकरण को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस पहल से भारत वैश्विक बुलियन बाजार में अपना उचित स्थान प्राप्त करने और सत्यनिष्ठा और गुणवत्ता के साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखला की सेवा करने के लिए सशक्त बनने में सफल होगा।

निकट भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है, इस बात को ध्यान में रखते हुए एनएसई आईएफएससी - एसजीएक्स कनेक्ट का शुभारंभ वैश्विक निवेशकों को भारत के विकास की कहानी में अपना योगदान देने के लिए सुदृढ़ मार्ग प्रशस्त करेगा। यह व्युत्पन्न बाजारों में चलनिधि को सघन करेगा और आईएफएससी में वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। मेरा विश्वास है कि भविष्य में कनेक्ट, विभिन्न अन्य उत्पादों और सेवाओं के लिए पूंजी गलियारे के रूप में उभरने की क्षमता रखता है।

आईएफएससीए ने निधि प्रबंधन कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नियामक फ्रेमवर्क तैयार किया है। वर्ष के दौरान, निधि प्रबंधकों ने बड़ी संख्या में उद्यम पूंजी, एंजेल, निजी इक्विटी, हेज निधि इत्यादि जैसी श्रेणियों में अपनी नई निधियां स्थापित करने के लिए आईएफएससी का चयन किया है। मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी पेंशन निधियां, सार्वभौम निधि सहित वैश्विक निवेशक समुदाय और अन्य संस्थागत निवेशकों ने गिफ्ट आईएफएससी में अपने कार्यकलापों का शुभारंभ कर दिया है। मुझे भरोसा है कि आईएफएससी अब निधि प्रबंधन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने के लिए पूर्णतः तैयार है।

आईएफएससीए ने विश्व भर में सीमा पार पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ अभितट पुनर्बीमा व्यवसाय के प्रयास में, आईएफएससी में स्थापित (पुनः)बीमाकर्ताओं के परिचालन और पर्यवेक्षी पहलुओं को समाविष्ट करते हुए व्यापक नियामक व्यवस्था तैयार की है। ये सिद्धांत-आधारित विनियम वैश्विक मानकों पर आधारित हैं और आईएफएससी में (पुनः)बीमा व्यवसाय को आकर्षित करने की आधारशिला रखेंगे।

माननीय प्रधान मंत्री जी के शब्दों में, "आईएफएससीए न केवल सक्षमकर्ता बनेगा बल्कि नवाचार को भी समर्थन प्रदान करेगा और विकासकारी अवसरों के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।" आज, भारत प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से डिजिटल भुगतान, के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में से एक है। फिनटेक के लिए आईएफएससीए का नियामक फ्रेमवर्क स्टार्ट-अप को अपनी प्रोत्साहन योजना द्वारा समर्थित नियामक/नवाचार सैंडबॉक्स के अधीन अभिनव समाधानों का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है। हमें दस से अधिक क्षेत्राधिकारों से आवेदन प्राप्त हुए हैं और पंद्रह से अधिक क्षेत्रों में हमने प्राधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें प्रेषण और भुगतान, एआई/एमएल और रेगटेक शीर्ष तीन के रूप में उभरे हैं।

आईएफएससीए ने विशेष रूप से विकासशील देशों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर अनुकूल नियामक वातावरण बनाकर वैश्विक सतत् पूंजी प्रवाह में तेजी लाने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आईएफएससी एक्सचेंजों पर १० बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक ईएसजी-लेबल वाली ऋण प्रतिभूतियों की सूची से संकेत मिलता है कि गिफ्ट आईएफएससी सतत् वित्त जुटाने के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। इसके अलावा, बैंकों द्वारा अनिवार्य सतत् ऋण देने और ईएसजी निधि की प्रकटीकरण व्यवस्था जैसी नई पहलों का उद्देश्य हरित और सतत् परियोजनाओं के लिए उत्पादों का व्यापक समूह तैयार करना है। आईएफएससीए चाहता है कि वह भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को नेट जीरो उत्सर्जन की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन जुटाने में, आईएफएससी को सतत् वित्त के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करके, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

गिफ्ट आईएफएससी में पारंपरिक वित्त से परे विभिन्न क्षेत्रों के लिए पसंदीदा केंद्र के रूप में उभरने और समृद्ध वित्तीय केंद्र में परिवर्तित करने की क्षमता है। आईएफएससीए ने इस दिशा में, शीर्ष रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को आईएफएससी में अपना अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने की अनुमति दी है। भारत के भीतर विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अपेक्षाकृत अधिक अवसरों के साथ छात्रों के लिए कम लागत के संदर्भ में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना भी अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव होने की उम्मीद है। इससे विश्व के सभी हिस्सों के छात्रों को आकर्षित करने से गिफ्ट आईएफएससी का अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीयकरण होगा। मुझे प्रसन्नता है कि डीकिन यूनिवर्सिटी, ओस्ट्रेलिया अपना शाखा परिसर स्थापित करके पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आईएफएससी, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र है, अंतरराष्ट्रीय निकायों और प्राधिकरणों के साथ सहयोग स्थापित करना अनिवार्य है। आईएफएससीए आईओएससीओ और आईएआईएस का सदस्य है, जो क्रमशः प्रतिभूति बाजार और बीमा बाजार के वैश्विक मानक निर्धारक निकाय हैं। आईएफएससीए ने वर्ष के दौरान आईओएससीओ एमएमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उसे १२५ से अधिक क्षेत्राधिकारों के नियामकों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और विभिन्न सीमा पार पहलों को लागू करने में सक्षम बनाता है। आईएफएससीए ने सूचना साझा करने और द्विपक्षीय सहयोग के लिए छः क्षेत्राधिकारों के नियामकों के साथ द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

वित्तीय सेवाओं के विकास और विनियमन के दोहरे अधिदेश को प्राप्त करने की दिशा में आईएफएससी को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक सुधार जारी हैं। आईएफएससीए में सर्वोत्तम श्रेणी की प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित सुदृढ़ नियामक और पर्यवेक्षी प्रणालियों को लागू करने की प्रक्रिया जारी है। केंद्रीय बजट २०२३-२४ में की गई घोषणाएं, जैसे रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल खिड़की आईटी प्रणाली और दोहरे नियमों से बचने के लिए एसईजेड अधिनियम के अधीन आईएफएससीए को अधिकार प्रदान करना, व्यापार करने में आसानी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होंगी।

आगे बढ़ते हुए, मेरा मानना है कि आईएफएससी, देश के अंदर और बाहर वैश्विक पूंजी प्रवाह के प्रवेश द्वार के रूप में उभरेगा।

प्राधिकरण के सदस्य (३१.०३.२०२३ की स्थिति के अनुसार)



श्री इंजेती श्रीनिवास
अध्यक्ष



श्री सुचींद्र मिश्रा
सदस्य



सुश्री सुरभि जैन
सदस्य



श्री सौरव सिन्हा
सदस्य



श्री सुजित प्रसाद
सदस्य



श्री अनंत गोपाल दास
सदस्य



डा. (सुश्री) ममता सूरी
सदस्य

प्राधिकरण का वरिष्ठ प्रबंधन
(३१.०३.२०२३ की स्थिति के अनुसार)

नाम	पदनाम
श्री प्रवीण त्रिवेदी	कार्यकारी निदेशक
श्री दीपेश शाह	कार्यकारी निदेशक
श्री कुमार रघुरामन	महाप्रबंधक
श्री सुप्रियो भट्टाचार्य	महाप्रबंधक
श्री कमलेश शर्मा	महाप्रबंधक
श्री आशुतोष शर्मा	महाप्रबंधक
श्री जोसेफ जोशी सी जे	महाप्रबंधक
श्री सत्यराज सी एम	महाप्रबंधक

विषय-वस्तु

क्रम संख्या	व्यष्टियां	पृष्ठ संख्या
क.	खंड - क	
	लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण	VII
	अध्यक्ष का वक्तव्य	IX
	प्राधिकरण के सदस्य	XI
	प्राधिकरण का वरिष्ठ प्रबंधन	XII
	विषय-वस्तु	XIII
	सारणियों की सूची	XIV
	आकृतियों की सूची	XVI
	बाक्स मदों की सूची	XVII
	चित्रों की सूची	XVIII
	संक्षेपाक्षर	XX
ख.	खंड ख: समीक्षाधीन वर्ष: सामान्य आर्थिक वातावरण का अवलोकन	
	I. वैश्विक आर्थिक मूल्यांकन और दृष्टिकोण	०२
	II. देशीय आर्थिक आकलन और संभावनाएं	०५
ग.	खंड ग: प्राधिकरण की नीतियां, कार्यक्रमों और कार्यकलापों की समीक्षा	
	१. बैंकिंग	१२
	२. वित्त कंपनियां	१८
	३. पूंजी बाजार	२४
	४. निधि प्रबंधन	३८
	५. अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज	४४
	६. फिनटेक हब	५२
	७. बीमा	६४
	८. वैश्विक इन हाउस केंद्र	७२
	९. सतत वित्त	७४
	१०. अनुषंगी सेवाएं	८४
	११. विमान लीजिंग	८८

क्रम संख्या	व्यष्टियां	पृष्ठ संख्या
	१२. विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थान	९०
	१३. सूचना प्राद्योगिकी	९४
	१४. विकासीय कार्यकलाप	९८
घ	खंड घ: प्राधिकरण के अर्ध-विधायी कार्य	११६
ङ	खंड ङ: निष्पादन मूल्यांकन	१२६
च	खंड च: निधियों के स्रोत और व्यय के प्रमुख क्षेत्र (वित्त वर्ष २०२२-२३)	१३०
छ	खंड छ: संगठनात्मक मामले	१३२

सारणियों की सूची

सारणी संख्या	व्यष्टियां	पृष्ठ संख्या
	बैंकिंग	
सारणी १.१	आईबीयू की संख्या	१४
सारणी १.२	आईबीयू में कुल आस्तियां (मिलियन यूएसडी में)	१४
सारणी १.३	सभी आईबीयू में कर्मचारियों की संख्या	१४
सारणी १.४	बकाया व्युत्पन्न अनुबंध	१६
	पूँजी बाजार	
सारणी ३.१	आईएफएससी में ट्रेडिंग सदस्य (३१ मार्च २०२३ की स्थिति के अनुसार)	२८
सारणी ३.२	आईएफएससी में समाशोधन सदस्य (३१ मार्च, २०२३ की स्थिति के अनुसार)	२८
सारणी ३.३	सूचकांक वायदा में अनुबंधों और कारोबार की संख्या	३०
सारणी ३.४	सूचकांक विकल्पो में अनुबंधों की संख्या और प्रीमियम कारोबार	३०
सारणी ३.५	आईएफएससी एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध पण्य व्युत्पन्न	३१
सारणी ३.६	स्वर्ण व्युत्पन्न में अनुबंधों की संख्या और प्रीमियम कारोबार	३१
सारणी ३.७	मुद्रा व्युत्पन्न	३१
सारणी ३.८	मुद्रा व्युत्पन्न में अनुबंधों की संख्या और प्रीमियम कारोबार	३१
सारणी ३.९	वित्त वर्ष २०२२-२३ में ऋण जारी करने की सूची	३२

सारणी संख्या	व्यष्टियां	पृष्ठ संख्या
	निधि प्रबंधन	
सारणी ४.१	३१ मार्च, २०२३ की स्थिति के अनुसार रजिस्ट्रीकृत एफएमई की संख्या	४२
सारणी ४.२	३१ मार्च २०२३ की स्थिति के अनुसार स्वीकृत योजनाओं की संख्या	४२
	अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज	
सारणी ५.१	गिफ्ट आईएफएससी में रजिस्ट्रीकृत बुलियन मार्केट मध्यस्थ	४८
	बीमा	
सारणी ७.१	आईएफएससी में परिचालित आईआईओ और आईआईआईओ की संख्या	६८
	सतत वित्त	
सारणी ९.१	ईएसजी कारकों से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताएं	७६
	अनुषंगी सेवाएं	
सारणी १०.१	३१ मार्च, २०२३ तक अनुषंगी सेवा एंटिटियों का कार्यकलाप-वार विभाजन	८५
	विकासीय कार्यकलाप	
सारणी १४.१	वित्त वर्ष २०२२-२३ में आईएफएससी के प्रमुख आउटरीच और सहभागिता कार्यकलाप	१०८
	प्राधिकरण के अर्ध-विधायी कार्य	
सारणी घ.१	विनियमों की सूची	११७
सारणी घ.२	अधिसूचनाओं की सूची	११९
सारणी घ.३	प्रमुख परिपत्रों/दिशानिर्देशों की सूची	१२०
	निधियों के स्रोत और व्यय के प्रमुख क्षेत्र (वित्त वर्ष २०२२-२३)	
सारणी च.१	वित्त वर्ष २०२२-२३ के लिए निधियों के स्रोत	१३०
सारणी च.२	वित्त वर्ष २०२२-२३ के लिए व्यय के स्रोत	१३०
	संगठनात्मक मामले	
सारणी छ.१	प्राधिकरण संरचना	१३२
सारणी छ.२	वित्त वर्ष २०२२-२३ में आयोजित आईएफएससी प्राधिकरण की बैठकें	१३३
सारणी छ.३	कर्मचारियों की संस्वीकृत एवं वास्तविक संख्याबल	१३४
सारणी छ.४	३१ मार्च, २०२३ को तक आईएफएससीए में सलाहकार	१३५
सारणी छ.५	प्रशिक्षण कार्यक्रम और वेबिनार	१३५
सारणी छ.६	वित्त वर्ष २०२२-२३ के दौरान आरटीआई आवेदनों की स्थिति	१३६

आकृतियों की सूची

आकृति नं.	व्यष्टियाँ	पृष्ठ संख्या
	बैंकिंग	
आकृति १.१	विभिन्न ऋण उत्पादों के अंतर्गत बकाया (मिलियन यूएसडी में)	१४
आकृति १.२	मिलियन अमेरिकी डॉलर में कारोबार (व्यवसाय की मात्रा)	१५
आकृति १.३	मिलियन अमेरिकी डॉलर में निवेश प्रोफाइल	१५
आकृति १.४	विभिन्न देशों में आईबीयू का एक्सपोजर	१६
	वित्त कंपनियाँ	
आकृति २.१	आईएफएससी में वित्त कंपनियों में वृद्धि	२१
	पूँजी बाजार	
आकृति ३.१	आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों का वर्ष-वार कारोबार (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	२९
आकृति ३.२	आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों का अनुबंध-वार कारोबार (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	३०
	अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज	
आकृति ५.१	आईआईबीएक्स पर व्यापार के लिए उपलब्ध उत्पाद	४६
	फिनटेक हब	
आकृति ६.१	अनुमत फिनटेक क्षेत्रों/कार्यकलापों की व्याख्यात्मक सूची	५४
आकृति ६.२	टेकफिन के संबंध में अनुषंगी कार्यकलापों में सहायता करने वाले संबद्ध क्षेत्रों/कार्यकलापों की व्याख्यात्मक सूची	५५
आकृति ६.३	एफई आवेदकों का उध्वाधर प्रसार	५६
	बीमा	
आकृति ७.१	आईआईआईओ का वर्गीकरण	६८
आकृति ७.२	आईआईओ द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित व्यवसाय	६९
आकृति ७.३	आईआईआईओ द्वारा किया गया व्यवसायिक लेनदेन	७०
	सतत् वित्त	
आकृति ९.१	२०२२ में हरित, सामाजिक, सतत् और अन्य लेबल वाले (जीएसएस+) बॉन्ड्स का वॉल्यूम	७४
आकृति ९.२	आईएफएससी एक्सचेंजों पर ईएसजी-लेबल वाली ऋण प्रतिभूतियों की संचयी सूचीबद्धता (बिलियन यूएसडी)	७८

बॉक्स मदों की सूची

बॉक्स	व्यष्टियां	पृष्ठ संख्या
	वित्त कंपनियाँ	
बॉक्स २.१	आईएफएससीए (वित्त कंपनी) (संशोधन) विनियम, २०२२ की मुख्य विशेषताएं	१९
बॉक्स २.२	‘पोत लीज के लिए रूपरेखा’ की मुख्य विशेषताएं	२०
	निधि प्रबंधन	
बॉक्स ४.१	आईएफएससी में एंजेल निधि के लिए नियामक फ्रेमवर्क	३९
बॉक्स ४.२	पूंजी बाजार उत्पादों और सेवाओं के वितरण के लिए नियामक फ्रेमवर्क	४१
	सतत वित्त	
बॉक्स ९.१	"पर्यावरणीय, सामाजिक या शासन (ईएसजी) योजनाओं के लिए निधि प्रबंधन एंटिटियों द्वारा प्रकटीकरण के फ्रेमवर्क" की मुख्य विशेषताएं	७७
	विमान लीजिंग	
बॉक्स ११.१	‘विमान लीज के लिए फ्रेमवर्क’ की मुख्य विशेषताएं	८८
	विदेशी विद्यालय और संस्थान	
बॉक्स १२.१	आईएफएससीए (अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केन्द्रों की स्थापना और संचालन) विनियम, २०२२ की मुख्य विशेषताएं	९१
	प्राधिकरण के अर्ध-विधायी कार्य	
बॉक्स घ.१	आईएफएससीए (धन शोधन निवारण, आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम और अपने ग्राहक को जानें) दिशानिर्देश, २०२२	१२३

चित्रों की सूची

चित्र संख्या	व्यष्टियां	पृष्ठ संख्या
	पूँजी बाजार	
चित्र ३.१	३ मार्च, २०२३ को इंडिया एक्ज़िम बैंक के १ बिलियन अमेरिकी डॉलर, १०-वर्षीय सततता बांड का सूचीबद्धता समारोह	३२
चित्र ३.२	आईओएससीओ एमएमओयु हस्ताक्षर समारोह के दौरान आईएफएससीए अध्यक्ष श्री इंजेती श्रीनिवास	३४
चित्र ३.३	श्री प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक, आईएफएससीए, विश्व निवेशक सप्ताह २०२२ के उद्घाटन घंटी बजाओ समारोह का आरंभ करते हुए	३४
चित्र ३.४	श्री दीपेश शाह, कार्यकारी निदेशक, आईएफएससीए आईओएससीओ विश्व निवेशक सप्ताह २०२२ के समापन समारोह में भाग लेते हुए	३५
	निधि प्रबंधन	
चित्र ४.१	श्री प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक, आईएफएससीए आईवीसीए कॉन्क्लेव २०२३ में फ़ायरसाइड चैट के दौरान	४३
	अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज	
चित्र ५.१	केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का गिफ्ट आईएफएससी में वॉल्ट ईकाई का दौरा	५०
चित्र ५.२	श्री कमलेश शर्मा, महाप्रबंधक आईएफएससीए १४वें अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण आर्थिक मंच पर	५१
	फिनटेक हब	
चित्र ६.१	श्री जोसेफ जोशी, सीटीओ, आईएफएससीए, आईएफएससीए की ओर से "आउटस्टैंडिंग नियू एशियन रेगुलेटरी एंड टेक्नॉलॉजिकल इनोवेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज" पुरस्कार प्राप्त करते हुए।	६२
	सतत् वित्त	
चित्र ९.१	सतत् वित्त संबंधी विशेषज्ञों की समिति ने अध्यक्ष, आईएफएससीए को रिपोर्ट सौंपी	७९
	विकासीय कार्यकलाप	
चित्र १४.१	अध्यक्ष, आईएफएससीए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री को डिजिटल गैलरी प्रस्तुति देते हुए	९९
चित्र १४.२	माननीय प्रधानमंत्री गिफ्ट आईएफएससी में सभा को संबोधित करते हुए	९९

चित्र संख्या	व्यष्टियां	पृष्ठ संख्या
चित्र १४.३	माननीय प्रधानमंत्री २९ जुलाई २०२२ को गिफ्ट आईएफएससी में विभिन्न पहलों का शुभारंभ करते हुए	१००
चित्र १४.४	माननीय प्रधानमंत्री एनएसई आईएफएससी-एसजीएक्स कनेक्ट का शुभारंभ करते हुए	१०२
चित्र १४.५	गिफ्ट आईएफएससी में सिंगापुर प्रतिनिध मंडल का दौरा	१०३
चित्र १४.६	अध्यक्ष, आईएफएससीए सिंगापुर उप प्रधान मंत्री को मोमेंटो प्रदान करते हुए	१०३
चित्र १४.७	११वीं भारत-अमेरिका वित्तीय नियामक वार्ता	१०४
चित्र १४.८	नैस्टैक बाजार साइट, न्यूयॉर्क में आईएफएससीए के प्रतिनिधि	१०५
चित्र १४.९	न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आईएफएससीए के प्रतिनिधि	१०५
चित्र १४.१०	आईएफएससीए के अध्यक्ष कुआलालंपुर, मलेशिया में ५वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण देते हुए	१०६
चित्र १४.११	श्री दीपेश शाह, कार्यकारी निदेशक कैनबरा में यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया सम्मेलन, २०२३ में	१०७
चित्र १४.१२	केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री गिफ्ट आईएफएससी के कामकाज की समीक्षा करते हुए	१०७
	संगठनात्मक मामले	
चित्र छ.१	आईएफएससीए में आईडीवाई २०२२ समारोह	१३७
चित्र छ.२	आईएफएससीए द्वारा 'हर घर तिरंगा' अभियान के भाग के रूप में आयोजित वॉकथॉन	१३८
चित्र छ.३	आईएफएससीए में 'हर घर तिरंगा' अभियान	१३८

इस रिपोर्ट में प्रयुक्त मानक शब्दरूप

रु : रुपये

लाख : सौ हजार

करोड़ : सौ लाख

मिलियन : दस लाख

बिलियन : हजार मिलियन/सौ करोड़

पूर्णांकन के कारण योग में अंतर हो सकते हैं और हो सकता है कि उनका जोड़ शत प्रतिशत तक न हो।

इस रिपोर्ट को इंटरनेट पर <https://www.ifsc.gov.in/> पर भी देखा जा सकता है।

संक्षेपाक्षर

एआईएफ	वैकल्पिक निवेश निधियां
एएलएम	परिसंपत्ति देयता प्रबंधन
एएमएल	धन शोधन निषेध
बीसीपी	व्यवसाय निरंतरता योजना
बीडीआर	बुलियन निक्षेपागार रसीद
सीडीडी	ग्राहक समुचित परिश्रम
सीडीएसएल	सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड
सीईपीए	व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता
सीएम	समाशोधन सदस्य
सीओबी	व्यवसाय का संचालन
सीआरएआर	पूंजी और जोखिम भारित आस्तियां अनुपात
डीबी	डिजिटल बैंक
डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीओएस	अंतरिक्ष विभाग
डीपी	निक्षेपागार भागीदारी
डीआर	आपदा बचाव
डीआरएस	आपदा बचाव स्थल
ईएमडीई	उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईएमई	उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं
ईएसजी	पर्यावरणीय, सामाजिक या शासन
ईटीएफ	एक्सचेंज में ट्रेड की गई निधियां
ईएक्सआईएम बैंक	भारतीय निर्यात-आयात बैंक
एफएक्यूज	क्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एफएटीएफ	वित्तीय कार्रवाई कृत्तिक बल
एफसी	वित्त कंपनियां
एफसीएफसी	स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा
एफसीवाई	विदेशी मुद्रा

एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफई	फिनटेक एंटीटी
एफएमई	निधि प्रबंधन एंटीटियां
एफपीआई	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
एफयू	वित्त इकाई
जीएओ	वैश्विक प्रशासनिक कार्यालय
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीआईसी	वैश्विक इन-हाउस केंद्र
जीएनपीए	सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां
जीआरसीटीसी	वैश्विक/क्षेत्रीय कारपोरेट कोषागार केंद्र
एचआरएमएस	मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
आईएसी	अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र
आईएआईएस	इंटरनेशनल एसोसिएशन ओफ इंश्योरेंस सुपरवाइज़र्स
आईबीसी	अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर
आईबीयू	आईएफएससी बैंकिंग इकाइयां
आईसीसी	आंतरिक शिकायत समिति
आईसीईजीएटीई	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे
आईडीवाई	अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
आईएफएससी	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
आईआईबीएच	इंडिया इंटरनेशनल बुलियन होल्डिंग आईएफएससी लिमिटेड
आईआईबीएच	इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड
आईआईडीआई	इंडिया इंटरनेशनल डिपॉजिटरी (आईएफएससी) लिमिटेड
आईआईआईओ	आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय
आईआईओ	आईएफएससी बीमा कार्यालय
ईंडिया आईसीसी	इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन (आईएफएससी) लिमिटेड
आईओआरएस	इंटर ओपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स
आईपीओ	आरंभिक सार्वजनिक पेशकश
आईआरटीजी	अंतर-नियामक तकनीकी समूह

आईटीएफएस	अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवाएँ
एलसीआर	चलनिधि व्याप्ति अनुपात
एलईएस	चलनिधि संवर्धन योजना
एलपीटीएम	सीमित प्रयोजन व्यापार सदस्य
एलआरएस	उदारीकृत प्रेषण योजना
एमएआर	मासिक कार्यकलाप रिपोर्ट
एमसीए	कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीएक्स	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एमडीआर	मासिक विकास रिपोर्ट
एमआईआई	बाजार अवसंरचना संस्थान
एमएल	धन शोधन
एमएमओयू	बहुपक्षीय समझौता-ज्ञापन
एमओसीए	नागर विमानन मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओयू	समझौता-ज्ञापन
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनडीबी	न्यू डेवलपमेंट बैंक
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र
एनआईसीसीएल	एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कोर्पोरेशन लिमिटेड
एनआईएसटी	राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
एनएलटी	वार्ताकृत बजे व्यापार
एनएसडीएल	नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड
एनएसई	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
ओईसी	अपतटीय शिक्षा केंद्र
पीसीएम	व्यावसायिक समाशोधन सदस्य
पीएमएलए	धन शोधन निवारण अधिनियम

पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
क्यूजे	अर्हक जौहरी
आरबीए	जोखिम-आधारित दृष्टिकोण
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरई	विनियमित एंटीटी
एसएएफएएल	पोत अधिग्रहण, वित्तपोषण और लीजिंग
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एसएमई	लघु और मध्यम उद्यम
एसओपी	मानक परिचालन प्रक्रिया
टीएम	ट्रेडिंग सदस्य
टीएमसीएम	ट्रेडिंग और समाशोधन सदस्य
टीआरक्यू	टैरिफ दर कोटा
टीएससीएम	ट्रेडिंग सह स्व समाशोधन सदस्य
यूआईजीडी	यूआई माल प्रेषण
यूएसडी	अमेरिकी डॉलर
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
वाइओवाई	वर्ष-दर-वर्ष



खंड - ख



वर्ष की समीक्षा

I. वैश्विक आर्थिक मूल्यांकन और दृष्टिकोण

२०२१-२२ वह वर्ष था जब वैश्विक वित्तीय तंत्र में कोविड-१९ महामारी के कठिन दौर के बाद सुदृढ़ वापसी देखने में आई। २०२०-२१ के दौरान -३.१ प्रतिशत की नकारात्मक वैश्विक जीडीपी विकास दर की तुलना में २०२१-२२ में वैश्विक विकास दर ५.९ प्रतिशत रही।

वर्ष २०२२-२३ में इस गति को आगे ले जाने से २०२०-२१ के दौरान विश्व के समक्ष आने वाली कठिनाइयों पर रोक लग सकती थी। हालांकि, चीन में महामारी के ताजा प्रकोप के साथ-साथ यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न भू-राजनीतिक तनाव और परिणामी आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण वस्तुओं और ऊर्जा के मूल्यों में वृद्धि हुई। घटते वैश्विक उत्पादन; प्रत्याशित से अधिक मुद्रास्फीति; जीवन-यापन लागत में वृद्धि का संकट; और कठिन वित्तीय परिस्थितियां, सभी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक दबाव डाला।

विशेष रूप से चीन के आशा से पूर्व फिर से खुलने, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं में कमी और ऊर्जा और खाद्य कीमतों में नरमी से बढ़े हुए मुद्रास्फीति के स्तर में सुधार के साथ वर्ष २०२३ में आशा की कुछ किरण दिखाई दी। इस तरह के रुझानों ने उद्योग और परिवार दोनों को प्रोत्साहित किया और मांग और आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा मिला। हालांकि, खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर, मुख्य मुद्रास्फीति की दर ऊंची बनी रही।

अनेक केंद्रीय बैंकों ने उच्च मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए अप्रत्याशित रूप से तीव्र और समकालिक मौद्रिक नीति को कड़ा किया। प्रणालीगत जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा की गई कठोर कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप बाजार की भावनाओं को कुछ सीमा तक आत्मसात किया गया। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक की आकस्मिक विफलताओं और यूरोप में वैश्विक रूप से व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक, क्रेडिट सुइस के पतन जैसी हाल की वित्तीय क्षेत्र की उथल-पुथल से, मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों को कड़ा करने और कमजोरी को सशक्त करके दोनों स्थितियों के बीच परस्पर क्रिया का अनपेक्षित परिणाम सामने आया है। अमेरिकी बैंकिंग क्षेत्र में अलग रूप में दिखाई देने वाली घटनाओं का कई अन्य बैंकों और वित्तीय बाजारों पर छुट-पुट प्रभाव पड़ा। इसलिए, इस बात को लेकर चिंता कि

क्या ऐसी घटनाएँ गहरी, छिपी हुई कमजोरियों को इंगित करती हैं, जो तंत्र-व्यापी संकट को बढ़ा सकती हैं, ने बाजार को परेशान करना जारी रखा। वर्ष के अंत में, मुद्रास्फीति उच्च बनी रही और कई अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बाजार में तंगी बनी रही।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बेसलाइन (यह मानते हुए कि हाल के वित्तीय क्षेत्र का तनाव निहित हैं) का अनुमान है की २०२२ में ३.४ प्रतिशत की तुलना में वैश्विक आर्थिक विकास दर २०२३ में घट कर २.८ प्रतिशत होगी, जो धीरे-धीरे बढ़ने और स्थिर होने के साथ २०२४ में ३.० प्रतिशत होगी। मध्यम अवधि का यह पूर्वानुमान कई दशकों में सबसे कम पूर्वानुमान है, जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (२०२२ में ४.० प्रतिशत से २०२३ में ३.९ प्रतिशत तक) की तुलना में उभरते बाजार और विकसित अर्थव्यवस्थाओं (२०२२ में २.७ प्रतिशत से २०२३ में १.३ प्रतिशत) के विकास में मंदी के अधिक व्यापक होने का अंदेशा है।^१

आउटलुक का यह भी अनुमान है कि आगे वित्तीय क्षेत्र के तनाव के मामले में, २०२३ में वैश्विक विकास दर लगभग २.५ प्रतिशत तक गिर सकती है, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि १ प्रतिशत से कम हो सकती है। पण्यों की गिरती कीमतों के कारण, वैश्विक शीर्षरेखा मुद्रास्फीति २०२२ में ८.७ प्रतिशत से गिरकर २०२३ में ७.० प्रतिशत रहने का अनुमान है, लेकिन प्रमुख मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे और गिरावट आने की संभावना है।^२

ऐसे परिदृश्य में, नए सिरे से भू-राजनीतिक तनाव, निरंतर या बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ब्याज दर में वृद्धि, या कोविड-१९ महामारी के पुनः अपना सिर उठाने के कारण उत्पन्न कोई भी बाधा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नई कठिनाई खड़ी कर सकती है। उभरते बाजारों को आगे ऋणग्रस्तता का सामना करना पड़ सकता है। भू-राजनीतिक तनावों के कारण वित्तीय विखंडन के साथ जुड़ी उच्च स्तर की अंतर्संबद्धता वित्तीय स्थिरता को जोखिम में डाल सकती है, जिससे चलनिधि, निधियों की लागत और परिणामी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

नीति निर्माताओं ने अपना कार्य निर्धारित कर लिया है और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य पर वापस लाने के प्रयास में संकीर्ण रास्ते पर चलना होगा। उन्हें भू-राजनीतिक तनावों से उत्पन्न जोखिमों को भी ध्यान में रखना होगा। सभी विकसित और विकासशील देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए सुदृढ़ और संकेंद्रित अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी अनिवार्य है।

वित्तीय बाजार निष्पादन

बैंकिंग उद्योग

मार्च २०२३ की बीआईएस त्रैमासिक समीक्षा के अनुसार, मुद्रास्फीति और नीतिगत उपायों दोनों ने वर्ष की शुरुआत में सहजता के संकेत दर्शाए हैं, जिससे वित्तीय बाजारों को न केवल वर्ष के बाद के हिस्से में ब्याज दर में वृद्धि के रुकने की उम्मीद से उत्साहित किया है, बल्कि २०२४ में ब्याज दर में कमी की भी आशा है। व्युत्क्रम जोखिम कम होने की धारणा के कारण विभिन्न ऋण प्रतिभूतियों के बीच क्रेडिट प्रसार कम हो गया। सामान्य तौर पर, जोखिम भरी आस्तियों में बाजार की इस अवधारणा के कारण लाभ देखा गया कि जोखिम में गिरावट आ रही है। मुद्रास्फीति में कमी और तत्पश्चात् विकास से बांड प्रतिफल में गिरावट आई। अमेरिकी डॉलर के विमूल्यन से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में आस्ति वृद्धि में मदद मिली।^३

^१ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल २०२३

^२ उक्त

^३ बीआईएस त्रैमासिक समीक्षा, मार्च २०२३

हालांकि, मुद्रास्फीति के उच्च होने और श्रम बाजार के तंग होने से, ब्याज दरों में गिरावट की प्रवृत्ति की आशावान बाजार भावनाएं अधिकांश केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी किए गए सतर्क संकेतों के अनुरूप नहीं थीं, जिन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि अल्पावधि में मौद्रिक नीति में कोई ढील दी जाएगी।

फरवरी २०२३ की शुरुआत में, हालांकि, अनुभवजन्य साक्ष्य के आलोक में, बाजार सहभागियों को नीतिगत उपायों की अपनी आशाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बाध्य किया गया। अमेरिकी डॉलर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और जोखिमपूर्ण परिसंपत्ति लाभ में कुछ उलटफेर हुआ।

ईएमई में वित्तीय स्थितियों ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं जैसे रुझानों का अनुसरण किया। जबकि बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट आई, अमेरिकी डॉलर के उतार-चढ़ाव के उत्तर में इक्विटी बाजारों में उतार-चढ़ाव आया। चीन में शून्य-कोविड नीति के आकस्मिक अंत से उसके इक्विटी बाजार में उछाल आया लेकिन यह देश में पोर्टफोलियो प्रवाह को पुनर्जीवित करने में विफल रहा। ऐसे प्रवाह न केवल अधिकांश अन्य ईएमई के मामले में स्थिर हुए बल्कि कुछ के लिए बढ़े भी।

मार्च, २०२२ की स्थिति से पूरी तरह से उलटफेर करते हुए, वैश्विक बैंकों के सीमा-पार दावों में २०२२ की चौथी तिमाही में कम बैंक ऋण और बैंकों के व्युत्पन्न और अन्य अवशिष्ट उपकरणों के बाजार मूल्य में गिरावट के कारण धन को वापस खींचने से १.४ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के डॉलर ऋण में ४ प्रतिशत की गिरावट आई।^४

बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष २५ वैश्विक बैंकों का कुल बाजार मूल्य भी २०२२ की तीसरी तिमाही के दौरान, ६.७ प्रतिशत तिमाही-दर-तिमाही घटकर, ३ ट्रिलियन हो गया। हालांकि, उच्च मुद्रास्फीति और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद, ये शीर्ष २५ वैश्विक बैंक २०२२ के दौरान क्रमशः १५.५ प्रतिशत और ५.८ प्रतिशत की आए और कुल आस्ति वृद्धि को प्रोत्साहित करने में सफल रहे।^५

पूंजी बाजार

मौद्रिक नीतियों के कड़े होने, यूक्रेन युद्ध और कोविड-१९ के दीर्घकालीन प्रभावों के साथ उच्च मुद्रास्फीति के प्रभाव को वैश्विक शेयर बाजारों में महसूस किया गया, जिसमें २०२१ की तुलना में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज (डब्ल्यूएफई) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार २०२२ के लिए, विश्व भर के शेयर बाजारों में २५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमी के बराबर शेयर बाजारों का बाजार पूंजीकरण २० प्रतिशत गिर गया। इसी समय के दौरान, किए गए कारोबार मूल्य में १० प्रतिशत की गिरावट आई है।^६

सकारात्मक पक्ष में, पण्य व्युत्पन्नों को छोड़कर, एक्सचेंज-व्यापार व्युत्पन्नों की मात्रा में वृद्धि जारी रही, संभवतः बाजार अनिश्चितता के प्रति बचाव के कारण विकल्पों में महत्वपूर्ण उछाल देखा गया।

पिछले छह वर्षों में उच्चतम वैश्विक मात्रा (४८.३२ बिलियन व्यापार) में परिवर्तन करते हुए वैश्विक मात्रा में लगभग ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्राथमिक बाजार में आईपीओ की संख्या में लगभग ५० प्रतिशत की गिरावट देखी गई जिसके परिणामस्वरूप इस माध्यम से जुटाई गई पूंजी में लगभग ६५ प्रतिशत की गिरावट आई। एक्सचेंज-व्यापार व्युत्पन्न अनुबंध,

^४ बीआईएस सांख्यिकीय रिलीज, अप्रैल २०२३

^५ ग्लोबल डेटा

^६ विश्व फेडरेशन एक्सचेंज- वित्त वर्ष २०२२- मार्केट हाइलाइट रिपोर्ट

जिसमें विकल्प और वायदा दोनों शामिल हैं, ने पिछले छह वर्षों में लगभग ३४.४ प्रतिशत-उच्चतम स्तर की छलांग लगाई। इक्विटी, मुद्रा और ईटीएफ व्युत्पन्नों की मात्रा क्रमशः ४८.४ प्रतिशत, ४८.२ प्रतिशत और ३६.९ प्रतिशत बढ़ी, जबकि ब्याज दर व्युत्पन्नों की मात्रा में ८.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। एकल स्टोक वायदा, स्टोक सूचकांक विकल्प, स्टोक सूचकांक वायदा, मुद्रा विकल्प, मुद्रा वायदा, पण्य विकल्प, ब्याज दर वायदा और ईटीएफ विकल्प पिछले छह वर्षों में मात्रा में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। दूसरी तरफ, पण्य व्युत्पन्न मात्रा (वायदा और विकल्प) में १४.५ प्रतिशत की गिरावट आई।^९

बीमा उद्योग

वैश्विक बीमा उद्योग के भविष्य के पथ को नई बाधाओं के साथ मिलकर कई अवसरों से संचालित होने की उम्मीद है। सरकारी सहायता प्राप्त स्वास्थ्य और सेवानिवृत्ति योजनाओं में धन की कमी होना और/या इन योजनाओं का अपर्याप्त सिद्ध होने के कारण, लोगों की बढ़ती संख्या यह महसूस कर रही है कि वे अपने भविष्य के स्वास्थ्य और सेवानिवृत्ति लागतों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इसी तरह, जलवायु से संबंधित प्रतिकूल घटनाओं और साइबर जोखिमों की प्रवृत्ति से संकेत मिलता है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं में काफी वृद्धि होने की संभावना है। ये विकास बीमा उद्योग के लिए कई अवसर प्रस्तुत करते हैं क्योंकि मानव जाति के सामने लगातार बढ़ते और अलग-अलग खतरों को देखते हुए अधिक से अधिक लोग अपनी मूल्यवान् आस्ति के साथ जीवन के लिए सुदृढ़ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस सुरक्षा अंतर में अरबों के लाभ के साथ १ ट्रिलियन अमेरिकी डोलर तक का राजस्व लाने की क्षमता है।

हालांकि, उच्च मुद्रास्फीति के प्रभाव, मौद्रिक नीतियों को कड़ा करना, यूरोप में भू-राजनीतिक तनाव और कोविड-१९ के प्रभाव बीमा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करते हैं। जबकि उद्योग पहले उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति से उभरा है, वर्तमान चुनौती अधिक कठिन लगती है। बीमाकर्ताओं को न केवल कम मांग बल्कि उच्चतर दावा लागतों का भी सामना करना पड़ता है। जबकि यूनिट-बद्ध पोलिसियों के संबंध में अधोपक्षीय जोखिम काफी सीमा तक पोलिसीधारकों द्वारा वहन किया जाता है, ग्राहकों की गारंटीशुदा आय वाले उत्पादों की ओर पलायन की संभावना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इंस्योरटेक बाजार से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से उद्योग को भी जूझना पड़ेगा।

प्रतिकूल भू-राजनीतिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए, बीमाकर्ताओं को राजनीतिक और व्यापार ऋण बीमा जोखिमों को कम करने के लिए सावधानी बरतनी होगी। ये कारक विशेष रूप से पार-राष्ट्रीय बीमा फर्मों के लिए प्रमुख चिंता का विषय होंगे और उन्हें अपने देशीय बाजारों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसी तरह, जलवायु परिवर्तन से प्रेरित घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के भविष्य में और अधिक निरंतर और गंभीर होने की संभावना के साथ, बीमाकर्ताओं को उच्च दावा लागतों के बढ़ने के अंदेश का सामना करना पड़ेगा।

ऐसे अनिश्चित परिदृश्य में, बीमाकर्ताओं को अपनी पेशकशों को और अधिक आकर्षक लेकिन व्यवहार्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और समाधानों में नवीनता लाने की आवश्यकता होगी। अधिक से अधिक लोगों के लिए बीमा को सुलभ बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी की संभावना का भी पता लगाना होगा।

^९ विश्व फेडरेशन एक्सचेंज- वित्त वर्ष २०२२- मार्केट हाइलाइट रिपोर्ट

II. घरेलू आर्थिक आकलन और संभावनाएं

सकल घरेलू उत्पाद

घरेलू अर्थव्यवस्था, कमजोर वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के बावजूद, वित्त वर्ष २०२३-२४ में सामान्य प्रवृत्ति को पार करने के लिए तैयार है। बहुपक्षीय अभिकरणों सहित विभिन्न संस्थानों ने आगामी वित्तीय वर्ष में भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भविष्यवाणी की है।

विश्व बैंक की विज्ञप्ति के अनुसार, विकास में कुछ नरमी के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक वातावरण में व्याप्त चुनौतियों का सामना करते हुए भी तन्यता प्रदर्शित किया है और इसके कई समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सुदृढ़ वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है। विश्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष २०२२-२३ की पहली तीन तिमाहियों के दौरान वर्ष-दर-वर्ष वास्तविक जीडीपी में ७.७ प्रतिशत की वृद्धि के साथ पूरे वर्ष के लिए कुल वृद्धि ६.९ प्रतिशत होगी। इसी तर्ज पर, एशियन डवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष २०२३-२४ में देशीय सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ६.४ प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

विश्व बैंक और एशियन डवलपमेंट बैंक के अनुमान घरेलू अनुमानों में भी परिलक्षित होते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान ने २०२२-२३ में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को ७.० प्रतिशत पर रखा। आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३ के अनुसार, वित्त वर्ष २०२४ में वास्तविक रूप से देशीय बेसलाइन जीडीपी वृद्धि ६.५ प्रतिशत रहने का अनुमान है।

भारतीय विकास अनुमान मुख्य रूप से ठोस व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों पर आधारित हैं, बढ़े हुए कैपेक्स द्वारा समर्थित निजी निवेश और केंद्र सरकार द्वारा किए गए नीतिगत उपायों को सुदृढ़ निजी खपत से उत्प्रेरित उत्पादन में वृद्धि, कारपोरेटों और बैंकों के तुलनपत्र को सुदृढ़ करना और अच्छी तरह से पूंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं।

मुद्रा स्फीति

यूरोप में भू-राजनीतिक संघर्ष और चीन में महामारी के पुनः फैलने के प्रभाव से जूझ रही अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक स्तर पर, उच्च मुद्रास्फीति बहुत हानिकारक सिद्ध हुई, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा और खाद्य बाजार की कीमतों में वृद्धि हुई। उम्मीद से अधिक बढ़जड़ी मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अधिकांश केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के हस्तक्षेप को प्रेरित किया।

भारत में, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई) में अगस्त २०२२ तक लगभग ७.० प्रतिशत पर स्थिर होने से पहले, अप्रैल २०२२ तक ७.८ प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। इसके बाद, दिसंबर २०२२ तक इसमें लगभग ५.७ प्रतिशत की गिरावट देखी गई।^६ खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि होने के कारण फरवरी २०२३ में इसमें वृद्धि हुई और फिर से यह ६.४ प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई।^७

डब्ल्युपीआई आधारित मुद्रास्फीति, जो पहले ही कोविड-१९ महामारी के दौरान निम्न स्तर से बढ़ना शुरू हो गई थी, वित्त वर्ष २०२२-२३ के दौरान रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण और अधिक तीव्र हो

^६ आर्थिक सर्वेक्षण

^७ आरबीआई एमपीसी रिपोर्ट, अप्रैल २०२३

गई। अप्रैल, २०२१ और सितंबर २०२२ के बीच यह वृद्धि बढ़कर दो अंकों में देखी गई और अंतरराष्ट्रीय पण्य की कीमतों में गिरावट और अनुकूल आधार प्रभावों के कारण मार्च २०२३ में यह कुछ कम होकर १.४ प्रतिशत हो गई।^{१०}

विश्व बैंक के अनुसार, हालांकि शीर्षरेखा मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है, फिर भी वैश्विक पण्य की कीमतों में कमी और देशीय मांग में कुछ कमी के बीच वित्त वर्ष २०२३-२४ में इसके औसतन ५.२ प्रतिशत तक गिरने का अनुमान है।

वित्तीय बाजार

बैंकिंग क्षेत्र

वर्षों से, आरबीआई और भारत सरकार द्वारा अपनाए गए फोकस सहित नीतिगत उपायों के परिणामस्वरूप आस्ति की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली तुलनपत्र तैयार हुआ। परिणामस्वरूप, बैंकों की जोखिम अवशोषण क्षमता में भी सुधार हुआ है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल गैर-निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) अनुपात मार्च २०२० में ८.२ प्रतिशत से घटकर सितंबर २०२२ में सात वर्ष के निचले स्तर ५.० प्रतिशत पर आ गया है। अधिक उत्साहजनक रूप से, शुद्ध गैर-निष्पादित आस्ति अनुपात (एनएनपीए) १० वर्ष के निचले स्तर १.३ प्रतिशत पर पहुंच गया है।

गृह ऋण की बढ़ी हुई मांग से, खुदरा ऋण ने एससीबी की पहले से ही स्वस्थ समग्र ऋण वृद्धि को भी पीछे छोड़ दिया है। ध्यान देने योग्य बात है कि बढ़ते आर्थिक कार्यकलापों से उत्प्रेरित, गैर-खाद्य बैंक ऋण दिसंबर २०२२^{११} में १५.३ प्रतिशत तक पहुंच गया, जो भविष्य में विकास की सकारात्मक उम्मीद को दर्शाता है।

वित्त वर्ष २०२१-२२ की तुलना में, एनबीएफसी ने बेहतर जीएनपीए और पूंजी की स्थिति (२७.४ प्रतिशत का सीआरएआर) के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। उनका फोकस क्षेत्र पिछले वित्त वर्ष के दौरान औद्योगिक क्षेत्र, खुदरा, सेवाओं और कृषि के साथ लगातार जारी था, जो कि क्रेडिट प्राप्तकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसके अलावा, सेवा क्षेत्र और व्यक्तिगत ऋणों में भी सुदृढ़ वृद्धि देखी गई।

सरकार द्वारा रियायती संस्थागत ऋण बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध कदम उठाने के कारण वित्तीय समावेशन को भी उचित महत्व मिला है, जैसा कि एमएसएमई को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जैसी पहलों से पता चलता है। सेवा क्षेत्र को भी एनबीएफसी, वाणिज्यिक भू-संपदा और व्यापार क्षेत्र को ऋण की वापसी से लाभ हुआ।

पूंजी बाजार

वित्त वर्ष २०२२-२३ में जहां वैश्विक पूंजी बाजारों को बड़े पैमाने पर भू-राजनीतिक तनाव, उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ा, वहीं घरेलू पूंजी बाजारों ने इस अवधि के दौरान अधिक तन्यता को प्रदर्शित किया।

प्राथमिक बाजारों में अप्रैल से नवंबर २०२२ के दौरान कार्यकलापों में तेजी देखी गई, इस अवधि के दौरान स्टोक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने वाली फर्मों की संख्या में ३७ प्रतिशत की वृद्धि हुई।^{१२} प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) में, पिछले

^{१०} आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

^{११} आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३

^{१२} उक्त

वित्त वर्ष की तुलना में निधि जुटाने की परिमात्रा कम हो गई है, हालांकि, सार्वजनिक प्रस्ताव के साथ आने वाली एसएमई की संख्या और उनके द्वारा जुटाई गई कुल राशि में बढ़ोतरी देखने में आई है।^{१३}

जबकि इस अवधि के दौरान प्राथमिक बाजार में ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमों की संख्या में ११ प्रतिशत की वृद्धि हुई, निधियों के मूल्य में ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह में अस्थिरता का अनुभव करने के बावजूद, द्वितीयक पूंजी बाजार में निफ्टी ५० और एस एंड पी बीएसई जैसे सूचकांक ने अप्रैल और दिसंबर २०२२ के बीच अपने साथियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। इस दौरान निफ्टी ५० ने ३.७ प्रतिशत का लाभ दिया। नवंबर २०२१ की तुलना में नवंबर २०२२ के अंत में एफपीआई के पास कुल आस्ति में ३.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई और दिसंबर २०२२ के अंत तक कुल एफपीआई प्रवाह सकारात्मक हो गया।

^{१४}

बीमा क्षेत्र

२०२१-२२ में भारत में जीवन और गैर-जीवन बीमा (एक वर्ष में कुल बीमा प्रीमियम और जीडीपी का अनुपात) दोनों का बीमा प्रसार ४.२ प्रतिशत था, जिसमें जीवन बीमा पैठ ३.२ प्रतिशत था जो उभरते बाजारों में देखी गई बीमा पैठ वैश्विक औसत से थोड़ा ऊपर थी, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी थी। यद्यपि, चूंकि बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए अधिकांश जीवन बीमा उत्पाद बचत/निवेश उत्पादों से जुड़े होते हैं, इसलिए ऐसे उत्पादों द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा या बीमा व्याप्ति अपेक्षाकृत कम होती है।^{१५}

गैर-जीवन बीमा खंड में, सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के भीतर और बाहर) में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि १०.८ प्रतिशत (वित्त वर्ष २०२१-२२ में) रही, जिसमें स्वास्थ्य और वाहन खंड प्रमुख संचालक रहे। यह मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उत्पाद नवाचारों, सुदृढ़ वितरण चैनलों और बढ़ती वित्तीय साक्षरता से समर्थित था।^{१६} वित्त वर्ष २०२१-२२ में गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का कुल दावा १.४ लाख करोड़ था। जीवन बीमा खंड में, वित्त वर्ष २०२१-२२ के दौरान प्रीमियम में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि १०.२ प्रतिशत थी। जीवन बीमा खंड में कुल प्रीमियम का ४५.५ प्रतिशत नए कारोबार से मिला।^{१७} वित्त वर्ष २०२१-२२ के दौरान जीवन बीमा क्षेत्र में भुगतान ५.०२ लाख करोड़ रहा, जिसमें मृत्यु दावों पर ८.३ प्रतिशत का भुगतान किया गया।^{१८}

भारत में बीमा सघनता (प्रीमियम से जनसंख्या/प्रति व्यक्ति) में तीव्र वृद्धि हुई है। जबकि जीवन बीमा घनत्व २००१-०२ में ९.१ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर २०२१-२२ में ६९ अमेरिकी डॉलर हो गया, इसी अवधि में गैर-जीवन बीमा घनत्व २.४ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर २२ अमेरिकी डॉलर हो गया है।

स्विस रे के अनुसार, कुल अमेरिकी डॉलर प्रीमियम मात्रा में १.९% की अनुमानित बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत सभी उभरते बाजारों में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।

इस वर्ष भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ भी देखा गया, जिसमें केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी, जिससे यह वैश्विक स्तर पर २०२२ का छठा सबसे बड़ा आईपीओ बन गया।

^{१३} आर्थिक सर्वेक्षण

^{१६} उक्त

^{१४} पीआईबी

^{१७} आईआरडीएआई वार्षिक रिपोर्ट २०२१-२२

^{१५} आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३

^{१८} उक्त

राज वित्तीय घटनाक्रम

भारत में राजकोषीय नीति को कमजोर लोगों को सुरक्षा प्रदान करने, मांग को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और सार्वजनिक निवेश और निरंतर संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से कुछ घरेलू आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार किया गया है।

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा, जो वित्त वर्ष २०२०-२१ के दौरान जीडीपी का ९.२ प्रतिशत था, वित्त वर्ष २०२१-२२ में जीडीपी का ६.७ प्रतिशत तक सीमित हो गया। वित्तीय लक्ष्य वित्त वर्ष २०२२-२३ में जीडीपी का ६.४ प्रतिशत रहा। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे में यह क्रमिक गिरावट, सरकार द्वारा परिकल्पित राजकोषीय प्रवाह पथ के अनुरूप, पिछले दो वर्षों में तेजी से राजस्व संग्रह द्वारा समर्थित सावधानीपूर्वक राजकोषीय प्रबंधन का परिणाम है।^{१९}

बाहरी क्षेत्र

भारत के बाहरी क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय व्यापार द्वारा मजबूती से समर्थन दिया गया है, जैसा कि वित्त वर्ष २०२१-२२ में ४२२.० बिलियन यूएसडी के सर्वकालिक उच्चवार्षिक व्यापारिक निर्यात से स्पष्ट है, हालांकि वैश्विक व्यापार में गिरावट के दुष्प्रभावों के कारण चालू वित्त वर्ष में कुछ मंदी देखी गई है।

वित्त वर्ष २०२२-२३ में भारत के समग्र निर्यात को (व्यापार और सेवाएं संयुक्त) वित्त वर्ष २०२१-२२ की तुलना में १३.८४ प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करने का अनुमान है। चूंकि वैश्विक मंदी के बीच भारत की घरेलू मांग स्थिर रही है, वित्त वर्ष २०२२-२३ में कुल आयात को वित्त वर्ष २०२१-२२ की तुलना में १७.३८ प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करने का अनुमान है। वित्त वर्ष २०२२-२३ की अवधि के लिए पण्य निर्यात वृद्धि वित्त वर्ष २०२१-२२ (४२२ बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में ६.०३ प्रतिशत (४४७.४६ बिलियन अमेरिकी डॉलर) पर प्रभावशाली बनी हुई है। सेवा निर्यात सुदृढ़ था हुआ है और वित्त वर्ष २०२२-२३ के दौरान वित्त वर्ष २०२१-२२ (२५४.५३ बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में २६.७९ प्रतिशत (३२२.७२ बिलियन अमेरिकी डॉलर) बढ़ने का अनुमान है।^{२०}

आरबीआई के अनुसार, भारत का चालू खाता घाटा एक वर्ष पहले के २२.२ बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का २.७ प्रतिशत) से घटकर २०२२-२३ की तीसरी तिमाही में १८.२ बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का २.२ प्रतिशत) हो गया, जिसमें माल व्यापार घाटे में संकुचन के साथ सुदृढ़ सेवाओं और निजी हस्तांतरण प्राप्तियों का योगदान था। सॉफ्टवेयर, व्यापार और यात्रा सेवाओं के बढ़ते निर्यात के कारण सेवा निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर २४.५ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। निवल सेवा प्राप्तियों में क्रमिक रूप से और वर्ष-दर-वर्ष दोनों आधार पर वृद्धि हुई।

अप्रैल-दिसंबर २०२२ के दौरान २१.७ बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध एफडीआई प्रवाह अप्रैल-दिसंबर २०२१ के दौरान २४.८ बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में कम था। पोर्टफोलियो निवेश ने अप्रैल-दिसंबर २०२२ के दौरान ३.५ बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किया जो एक वर्ष पहले १.६ बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-दिसंबर २०२२ के दौरान, विदेशी मुद्रा भंडार (शेष भुगतान के आधार पर) में १४.७ बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी हुई।^{२१}

^{१९} आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३

^{२०} पीआईडी

^{२१} आरबीआई



खंड – ग



बैंकिंग

यह खंड वित्त वर्ष २०२२-२३ के दौरान आईएफएससी में बैंकिंग और संबंधित सेवाओं के नियमन और बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए प्राधिकरण द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों की तस्वीर प्रस्तुत करता है।

आईएफएससीए (बैंकिंग) (तीसरा संशोधन)

विनियम, २०२२

आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियम, २०२० को आईएफएससीए (बैंकिंग) (तीसरा संशोधन) विनियम, २०२२ द्वारा संशोधित किया गया, जिसे ३० जून, २०२२ को अधिसूचित किया गया।

संशोधित विनियमों के अधीन प्रमुख परिवर्तन/परिवर्धन निम्नानुसार हैं:

- वैश्विक प्रशासनिक कार्यालयों (जीएओ) की स्थापना को संभव करने के लिए, विनियमन २ के उप-विनियम (१) में आवश्यक परिवर्धन करके "वैश्विक प्रशासनिक कार्यालय" या "जीएओ" और "समूह इकाइयां" शब्दों को परिभाषित किया गया।
- विनियम २ के उप-विनियम (१) के खंड (जे) में "मूल बैंक" की परिभाषा को नई परिभाषा से प्रतिस्थापित किया गया।
- "प्रतिनिधि कार्यालय" (आरओ) और "सहायता सेवाओं" की परिभाषाएँ विनियम २ के उप-विनियम (१) के अधीन अंतःस्थापित की गईं।
- विनियम ३ के उप-विनियम (९) को इस आशय से प्रतिस्थापित किया गया कि मूल बैंक प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट शर्तों के अधीन उपयुक्त तंत्र के अधीन आईएफएससी में अपना आरओ या जीएओ स्थापित कर सकता है।

आईएफएससीए बैंकिंग हस्त-पुस्तिका

हस्त-पुस्तिका १३ अगस्त, २०२१ को जारी की गई, (१२ नवंबर, २०२१ को संशोधित) और ०१ जनवरी, २०२२ से प्रभावी हो गई है।

६ जून, २०२२ से, हस्त-पुस्तिका में निम्नलिखित प्रमुख संशोधन किए गए:

- i. पूर्ण लाइसेंस जारी करने से पहले, कुछ परिस्थितियों में, प्राधिकरण द्वारा "सैद्धांतिक अनुमोदन" जारी करने के लिए सामान्य निदेशों (जीईएन) के लाइसेंसिंग मोड्यूल (एलआईबीयू) में उपबंध समाहित किया गया।
- ii. सामान्य निदेशों में "बैंकिंग से संबंधित प्रश्न उठाना" (क्वेस्ट) नामक नया मोड्यूल शामिल किया गया, जिसमें एक संरचित प्रक्रिया निर्धारित की गई, जिसके माध्यम से आईबीयू और अन्य इच्छुक पक्ष प्राधिकरण के साथ प्रश्न पूछ सकती हैं और प्राधिकरण द्वारा ऐसे प्रश्नों से निपटने की प्रक्रिया भी बताई गई है।
- iii. भारतीय और विदेशी बैंकों के आईबीयू पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, १९४९ के अधीन प्रतिबंधों की प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए व्यवसाय निदेशों के आचरण (सीओबी) के "क्रेडिट प्रदान करना" मोड्यूल (पीआरसीआर) में संशोधन किया गया।
- iv. वास्तविक और प्रत्याशित उल्लंघनों की रिपोर्टिंग के बारे में आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश (पीआरयू) के "विवेकपूर्ण रिपोर्टिंग, प्रकटीकरण और पर्यवेक्षण" मोड्यूल में मार्गदर्शन समाहित किया गया।

बाद में वर्ष में, आईएफएससीए बैंकिंग हैंडबुक के सीओबी निदेशों को १३ जुलाई, २०२२ से संशोधित किया गया और जीएओ स्थापित करने के लिए नया मोड्यूल अंतःस्थापित किया गया।

वैश्विक प्रशासनिक कार्यालय

वैश्विक प्रशासनिक कार्यालय (जीएओ) के रूप में अधिकृत वित्तीय संस्थान की नई श्रेणी को भारतीय या विदेशी बैंक द्वारा मूल बैंक की विदेशी शाखाओं (आईबीयू सहित) का प्रबंधन, प्रशासन और समन्वय करने और आईएफएससी के भीतर और बाहर की जाने वाली बैंकिंग कार्यकलापों के लिए "सहायता सेवाएँ" प्रदान करने के लिए स्थापित करने की अनुमति दी गई। आईबीयू के विपरीत, जीएओ आईएफएससी में बैंकिंग व्यवसाय नहीं करेगा। जीएओ को आईएफएससी में अवस्थित होने की अनुमति है, लेकिन आवेदक बैंक के आईबीयू या आरओ, यदि कोई हो, के समान या निकटवर्ती परिसर में नहीं (जब तक प्राधिकरण द्वारा ऐसी अनुमति नहीं दी जाती)।

जीएओ को निम्नलिखित कार्यकलाप करने की अनुमति है:

- i. आईएफएससी में या आईएफएससी के बाहर अपने मूल बैंक या उनकी एंटिटियों के किसी समूह के प्रबंधन, प्रशासन या समन्वय का संचालन करना।
- ii. आईएफएससी या आईएफएससी के बाहर अनुमत कार्यकलापों के निष्पादन के लिए अपने मूल बैंक या उनकी एंटिटियों के किसी समूह के लिए सहायता सेवाएँ प्रदान करना।

नए जीएओ ढांचे के तहत, भारतीय स्टेट बैंक ने गिफ्ट आईएफएससी में वैश्विक प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किया है।

प्रवृत्तियां और लेन-देन

आईएफएससी में बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में ३१ मार्च, २०२३ तक २० आईबीयू परिचालित थे। इसके अतिरिक्त, दो आईबीयू जिन्हें ३१ मार्च २०२३ से पहले लाइसेंस दिया गया है, का परिचालन वित्त वर्ष २०२२-२०२३ के दौरान आरंभ होने की आशा है।

सारणी १.१: आईबीयू की संख्या

व्यष्टियां	३१ मार्च, २०२२ तक	३१ मार्च, २०२३ तक
आईबीयू की संख्या	१५	२०

सारणी १.२ : आईबीयू में मिलियन यूएसडी में कुल आस्तियां


व्यष्टियां	३१ मार्च, २०२२ को बकाया	३१ मार्च, २०२३ को बकाया
कुल आस्तियां	२९,३८०.८२	३८,२८६.४१

सारणी १.३: आईबीयू में कुल आस्तियां (मिलियन)

व्यष्टियां	वित्त वर्ष २०२१-२२	वित्त वर्ष २०२२-२३
कर्मचारियों की संख्या	१६२	२७७


आईबीयू के लिए इंटरबैंक और इंटरब्रांच उधार, मध्यम अवधि नोट, बहुपक्षीय संस्थानों से उधार, खुदरा जमा आदि निधि जुटाने के स्रोत हैं। आईबीयू के क्रेडिट कार्यकलाप मोटे तौर पर ट्रेड वित्त और वाणिज्यिक ऋण के क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं।

३१ मार्च २०२३ की स्थिति के अनुसार आईएफएससी बैंकिंग का ग्राहक क्रेडिट २३.९४ बिलियन अमेरिकी डॉलर बना रहा और आईबीयू की कुल आस्ति का आकार ३८.२८ बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।




आकृति १.१: विभिन्न ऋण उत्पादों के अंतर्गत बकाया (मिलियन यूएसडी में)

कुल ग्राहक ऋण बकाया १८.४९ बिलियन (३१.०३.२०२२ की स्थिति के अनुसार) से २९.४७% बढ़कर २३.९४ बिलियन अमेरिकी डॉलर (३१.०३.२०२३ की स्थिति के अनुसार) हो गया है। आईएफएससीए के लिए बकाया ग्राहक ऋण में इस वृद्धि के लिए आईबीयू द्वारा वितरित वाणिज्यिक ऋणों में वृद्धि का सबसे बड़ा योगदान रहा है। आईएफएससीए में आईबीयू से भारतीय पीएसयू द्वारा बढ़ा हुआ उधार इस वृद्धि का एक और मुख्य योगदानकर्ता है।



आकृति १.२: मिलियन अमेरिकी डॉलर में कारोबार (व्यवसाय की मात्रा)

आईबीयू में कारोबार की मात्रा दोगुनी से अधिक हो गई है (वित्त वर्ष २१-२२ के दौरान १०६.९८ बिलियन यूएसडी से वित्त वर्ष २२-२३ के दौरान २५८.५९ बिलियन यूएसडी)। कुछ आईबीयू को उनके मूल बैंकों के लिए ट्रेजरी हब के रूप में नामित किए जाने के बाद अंतर बैंक/अंतर शाखा प्लेसमेंट इस वृद्धि में प्रमुख योगदान दे रहा है।




आकृति १.३: मिलियन अमेरिकी डॉलर में निवेश प्रोफाइल

आईबीयू एलसीआर के अनुरक्षण की विवेकपूर्ण आवश्यकता के अनुपालन के लिए कोषागार बिलों में निवेश कर रहे थे। हालाँकि, दिशानिर्देशों के अनुसार, आईबीयू को अपने मूल बैंक में एलसीआर बनाए रखने की अनुमति दी गई है। इसके परिणामस्वरूप, आईएफएससीए में आईबीयू में निवेश में कमी आई है।

सारणी १.४: बकाया ओवर द काउंटर व्युत्पन्न अनुबंध

व्युत्पन्न बकाया (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	३१ मार्च, २०२२ को बकाया	३१ मार्च, २०२३ को बकाया
गैर-वितरण योग्य व्युत्पन्न अनुबंध (एफसीवाई-आईएनआर) (एनडीएफ, एक्स-विनिमय और विकल्पों सहित)	२३४७८.५२	१४०९२.६७
एफसीवाई-एफसीवाई अग्रेषण	१६७३.००	३०८२.४४
एफसीवाई-एफसीवाई मुद्रा विनिमय	१३३३.६३	९५७.५६
एफसीवाई-एफसीवाई मुद्रा विकल्प	३१.१२	६०६.७०
आईएनआर ब्याज दर विनिमय (आईआरएस) (ओवरनाइट इंडेक्स्ड विनिमय (ओआईएस) सहित)	७२९३.३३	२५३४३.२९
एफसीवाई-एफसीवाई ब्याज दर विनिमय (आईआरएस) ओवरनाइट इंडेक्स्ड विनिमय (ओआईएस) सहित)	४४४१३.४०	६६९२४.२३
अन्य	११७१.९४	१.६२
कुल	७९३९४.९४	१११००८.५१

आईएफएससी में बकाया व्युत्पन्न अनुबंधों में ३९.८१% की वृद्धि हुई है। कुछ आईबीयू ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपना बाजार संचालन आरंभ कर दिया है, जबकि कुछ ने अपनी व्यावसायिक कार्यनीतियों के आधार पर अपने व्युत्पन्न ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप ३१ मार्च २०२३ तक आईएफएससी में आईबीयू में बकाया व्युत्पन्न अनुबंधों में समग्र वृद्धि हुई है।



आकृति १.४: विभिन्न देशों में आईबीयू का एक्सपोजर

आईएफएससी में आईबीयू का भारत में उत्पन्न होने वाली एंटिटियों के लिए सबसे अधिक एक्सपोजर (६६.७५%) है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका (१२.२८%) और यूनाइटेड किंगडम (५.७९%) का स्थान है। शीर्ष ५ देशों का आईबीयू के एक्सपोजर में ८९.९६% हिस्सा है।

वकालत और आउटरीच

एसआईबीओएस का दौरा, २०२२

एसआईबीओएस स्विफ्ट द्वारा आयोजित वैश्विक वित्तीय सेवा नेटवर्किंग कार्यक्रम है। वार्षिक सम्मेलन और प्रदर्शनी दुनिया भर के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के ८००० से अधिक अधिकारियों को जोड़ती है।

आईएफएससीए अधिकारियों की एक टीम ने १०-१३ अक्टूबर, २०२२ तक एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में आयोजित एसआईबीओएस २०२२ में भाग लिया। यात्रा का केंद्रबिंदु "गिफ्ट आईएफएससी में अवसर: भारत के लिए वित्तीय प्रवेश द्वार" नामक एक प्रस्तुति थी। आईएफएससी की अवधारणा और उनकी फर्मों के लिए अवसरों के बारे में अधिक जानने के लिए ४० से अधिक प्रतिभागियों ने प्रस्तुति में भाग लिया।

प्रस्तुति के अलावा, टीम ने बैंकिंग, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के वित्तीय संस्थानों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की।

अगले वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

१. डिजिटल बैंकों (डीबी) सहित आईएफएससी में बैंकिंग व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) मॉडल स्थापित करने के लिए फ्रेमवर्क जारी करना - डीबी की परिकल्पना जमा जारी करने, ऋण देने और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, १९४९ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पूरी श्रृंखला की पेशकश करने के लिए की गई है। हालाँकि, डीबी को मुख्य रूप से भौतिक शाखाओं के बजाय अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट और अन्य समान ऑनलाइन चैनलों का उपयोग करने की आशा है।
२. इक्विटी और कारपोरेट बॉन्ड के बारे में अपतटीय व्युत्पन्न लिखतें जारी करने, विदेशी बैंकों आदि के आईबीयू द्वारा अधिग्रहण वित्त का प्रावधान आदि जैसे कार्यकलापों की अनुमति देने के लिए बैंकिंग पुस्तिका में और संशोधन करना।
३. प्राधिकरण ने बैंकिंग विनियमन और विकास विभाग के अधीन भुगतान और निपटान प्रणाली का अलग प्रभाग बनाया है, जो आईएफएससी में सभी भुगतान और निपटान प्रणालियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने और पर्यवेक्षण करने के लिए प्राधिकरण, नीतियों को निर्धारित करने और दिशा निर्देशों को तैयार करने से संबंधित मामले देखता है। प्रभाग की योजना आईएफएससीए (भुगतान और निपटान प्रणाली) विनियम और आईएफएससीए (भुगतान सेवा) विनियम जारी करने और इनके अधीन भुगतान संबंधी प्रणालियों और/या सेवा प्रदाता के रूप में आईएफएससी में रजिस्ट्रीकृत होने और फिनटेक के लाइसेंसिंग/प्राधिकरण के लिए आवश्यक फ्रेमवर्क तैयार करने की है।



वित्त कंपनियां

वित्त कंपनियां/इकाइयां (एफसी/एफयू) आईएफएससी में गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन एंटीटियों को सार्वजनिक जमाराशि जुटाने के अपवाद के साथ, आईबीयू के लिए अधिकृत कार्यकलापों के समान कार्यकलाप करने की अनुमति है। यह एफसी/एफयू को वित्तीय सेवाओं के दायरे में आईबीयू द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पूरा करने की अनुमति देता है। उन्हें आईएफएससीए (वित्त कंपनी) विनियम, २०२१ (एफसी विनियम) द्वारा विनियमित किया जाता है, जो एफसी/एफयू के लिए दूसरों के बीच विशिष्ट विवेकपूर्ण, कारपोरेट प्रशासन और न्यूनतम स्वामित्व वाली निधि आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करता है।

विनियमों का प्राथमिक उद्देश्य एंटीटियों को गैर-बैंकिंग व्यवसाय करने के साथ-साथ उन एंटीटियों को नियामक नेट के अधीन लाना था जो किसी विशिष्ट विनियमन के अधीन कवर नहीं थीं। तदनुसार, एफसी विनियमों में एंटीटी आधारित और कार्यकलाप-आधारित दृष्टिकोण के संयोजन को अपनाया गया, जिसमें अनुमेय कार्यकलापों को मुख्य, गौण और विशेष कार्यकलापों में वर्गीकृत किया गया। इन कार्यकलापों को करने की इच्छुक एंटीटियां विवेकपूर्ण, कारपोरेट प्रशासन, पूंजी आवश्यकता और अन्य मानदंडों के विभिन्न स्तरों के अध्वधीन थीं।

तत्पश्चात, आईएफएससी में नियामक परिदृश्य विकसित किए जाने के कारण, एफसी विनियमों को आसान/सरल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, १ जुलाई, २०२२ को आईएफएससीए (संशोधन) विनियम, २०२२ जारी किए गए।

**बॉक्स २.१: आईएफएससीए (वित्त कंपनी) (संशोधन)
विनियम २०२२ की मुख्य विशेषताएं**

i) अनुमेय कार्यकलापों का पुनर्वर्गीकरण

संशोधित विनियमों में, कार्यकलापों की प्रकृति और विनियमों की प्रयोज्यता को देखते हुए पूर्ववर्ती विशिष्ट कार्यकलापों को मुख्य कार्यकलापों में शामिल किया गया है।

ii) एफसी/एफयू के लिए रजिस्ट्रीकरण आवश्यकताएं

स्पष्टता समावेशन के उद्देश्य से यह व्याख्या समाहित की गई कि प्राधिकरण द्वारा जारी या अधिसूचित किसी अन्य फ्रेमवर्क या विनियमों के अधीन विशिष्ट कार्यकलाप के लिए रजिस्ट्रीकरण या प्राधिकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली इकाई को उन कार्यकलापों को करने के लिए नए रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

iii) जीआरसीटीसी के लिए शाखागत मार्ग

वैश्विक/क्षेत्रीय कारपोरेट निक्षेपागार केंद्र आमतौर पर बड़े समूह द्वारा स्थापित किए जाते हैं। एंटीटी के लिए अपने परिचालन को समेकित करने की आवश्यकता है ताकि अनेक क्षेत्राधिकारों में रखी गई निधियों का लाभ प्राप्त किया जा सके इसके अलावा, उद्योग के फीडबैक के आधार पर यह महसूस किया गया कि ऐसी एंटीटियां अपने मूल के तुलनपत्र का लाभ उठाना चाहेंगी। इसलिए, जीआरसीटीसी को मुख्य कार्यकलाप होने के बावजूद शाखा के रूप में स्थापित करने में सक्षम किया गया।

iv) पूंजी समावेशिता:

अन्य विनियमों में अपनाए गए सिद्धांतों के अनुरूप मूल और/या गौण कार्यकलापों के संयोजन का प्रदर्शन करने वाली एंटीटियों के लिए पूंजी समावेशन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। तदनुसार, एफसी विनियमों के अधीन कई अनुमत कार्यकलापों को करने वाली एंटीटी को प्रत्येक व्यक्तिगत कार्यकलाप के लिए निर्धारित न्यूनतम स्वामित्व वाली निधि/निवल मूल्य में से जो भी अधिक हो, उसे बनाए रखना होगा।

v) गौण कार्यकलापों को संचालित करने के लिए एफसी/एफयू द्वारा निवेश की अनुमति देना:

इसने एफसी/एफयू को अपने सामान्य व्यवसाय संचालन के हिस्से के रूप में चलनिधि और तुलनपत्र प्रबंधन के उद्देश्य से निवेश कार्यकलाप शुरू करने की अनुमति दी, भले ही वे गैर-प्रमुख कार्यकलाप कर रहे हों।

विमान लीजिंग

१८ मई, २०२२ को विमान लीजिंग के लिए संशोधित फ्रेमवर्क जारी किया गया। उक्त फ्रेमवर्क से आईएफएससी में 'विमान ग्राउंड सपोर्ट उपस्कर' को लीज पर देना संभव हो पाया। इसने विमान और विमान ग्राउंड सपोर्ट उपस्कर की वित्तीय लीज और/या परिचालन और वित्तीय लीज के संकर के लिए विनियामक आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट किया। इसके अलावा, इसने आस्ति प्रबंधन सहायता सेवाएं प्रदान करने के दायरे को विस्तृत किया ताकि इसे पृथक प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना एंटीटी या इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा लीज पर दी गई आस्ति तक बढ़ाया जा सके।

पोत लीजिंग

१६ अगस्त, २०२२ को प्राधिकरण द्वारा 'पोत लीज के लिए फ्रेमवर्क' जारी किया गया। यह २८ अक्टूबर, २०२१ को प्रकाशित पोत अधिग्रहण, वित्त पोषण और लीजिंग (एसएएफएल) समिति की रिपोर्ट के सुझावों और तत्पश्चात १० जनवरी, २०२२ की अधिसूचना पर आधारित है जिससे आईएफएससी में वित्तीय उत्पाद के रूप में पोत लीजिंग संभव हुआ। उद्योग से प्राप्त फीडबैक के आधार पर इस फ्रेमवर्क को २२ मार्च, २०२३ को संशोधित किया गया था।

बॉक्स २.२: 'पोत लीज के लिए रूपरेखा' की मुख्य विशेषताएं

- i) फ्रेमवर्क एंटीटी को एफसी/एफयू के रूप में स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करके आईएफएससी में पोत लीजधारी बनने में सक्षम बनाता है। यह एंटीटी को पोतों और महासागर पोतों के इंजनों सहित पोतों और/या महासागर पोतों के परिचालन लीज, वित्तीय लीज और/या परिचालन और वित्तीय लीज के संकर को परिचालन करने में सक्षम बनाता है।
- ii) 'समुद्री पोत' की पहचान करने के उद्देश्य से व्यापक परिभाषा अपनाई गई है, जो एसएएफएल रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप है, और इसमें पोत (अर्थात्, पानी के ऊपर या पानी के नीचे), कोई भी जलयान, जो अपने स्वयं के प्रणोदन द्वारा नेविगेशन में उपयोग किया जाता है या उपयोग करने में सक्षम है), नावें, नौकायन पोत, मछली पकड़ने के पोत, पनडुब्बी, अर्ध-पनडुब्बी, हाइड्रोफोइल, उभयचर शिल्प, मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग इकाइयाँ, अंतरदेशीय पोत और तटीय पोत शामिल हैं, लेकिन मछली पकड़ने या नौकायन शिल्प शामिल नहीं हैं।
- iii) लीज पर देने के कार्यकलापों के अलावा, आईएफएससी में पोत लीजदार आईएफएससी में एंटीटी या उसके किसी समूह की एंटीटी के स्वामित्व वाली या लीज पर दी गई आस्ति के लिए आस्ति प्रबंधन सहायता सेवाएं प्रदान कर सकता है। इसके अलावा, आईएफएससी में नौपरिवहन पारिस्थितिकी को बढ़ाने के लिए, फ्रेमवर्क समुद्री यात्रा चार्टर अनुबंध, मालभागा अनुबंध, नौपरिवहन पूल में रोजगार और पोतों के रोजगार से संबंधित अन्य कानूनी वाणिज्यिक लेनदेन को भी सक्षम बनाता है।
- iv) आईएफएससी में पोत लीजधारी से अपेक्षा है कि वह परिचालन लीज के लिए ०.२ मिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्तीय लीज के लिए और/या परिचालन और वित्तीय लीज के हाइब्रिड के लिए ३ मिलियन अमेरिकी डॉलर की न्यूनतम निधि बनाए रखे।
- v) लीजिंग कार्यकलापों में कार्यरत सभी एंटीटियों को केवाईसी, एएमएल और कारपोरेट सुशासन की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए, जैसा कि एफसी विनियमों में निर्धारित किया गया है, भले ही वे किसी भी प्रकार की लीज लेते हैं।

सतत और सततता से जुड़ी उधारी

‘वित्तीय सस्थानों द्वारा सतत और सततता से जुड़ी उधारी के लिए मार्गदर्शी फ्रेमवर्क’ २६ अप्रैल, २०२२ को जारी किया गया। फ्रेमवर्क के अनुसार, बोर्ड द्वारा आईएफएससी में आईबीयू और एफसी/ एफयू के लिए हरित/ सामाजिक/ सतत/ सततता से जुड़ी उधारी के लिए ३१ मार्च, २०२३ तक अनुमोदित नीति विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, १ अप्रैल, २०२३ से, आईबीयू और एफसी/ एफयू जो अनुमत कार्यकलाप के रूप में उधार देने में संलग्न हैं, उन्हें अपने सकल ऋणों और अग्रिमों का कम से कम पांच प्रतिशत निदेशित हरित/ सामाजिक/ सतत/ सततता से जुड़े क्षेत्रों/ सुविधाओं के लिए निर्देशित करना आवश्यक है।


आईटीएफएस मंच

प्राधिकरण ने ९ जुलाई, २०२१ को आईएफएससी में व्यापार वित्त सेवाएं प्रदान करने के लिए 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्तपोषण सेवा मंच (आईटीएफएस) की स्थापना के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। आईटीएफएस मंच अपने तरह का पहला विनियमित मंच है जो बोली प्रणाली के माध्यम से दुनिया भर के निर्यातकों/आयातकों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर डिजिटल रूप से व्यापार वित्त सेवाएं प्रदान करता है। व्यापार वित्तपोषण सेवाओं में आयात लेनदारी लेखा क्रय, निर्यात लेनदारी लेखा क्रय, प्रतिलोम लेनदारी लेखा क्रय, अपवर्तन, बीमा/क्रेडिट गारंटी आदि शामिल हैं।

प्रवृत्तियां और लेन-देन

आईएफएससी विभिन्न कार्यकलापों के लिए वित्त कंपनियों (एफसी) की स्थापना में रुचि रखने वाली एंटीटियों की बढ़ती संख्या को आकर्षित कर रहा है, जिसमें उधार देना, लेनदारी लेखा क्रय और अपवर्तन, विमानों, पोतों को लीज पर देना आदि शामिल हैं। इनमें केवल राष्ट्रीय एंटीटियों ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रम और अंतरराष्ट्रीय एंटीटियां भी शामिल हैं।

वित्त वर्ष २०२२-२३ में, आईएफएससी में विमान परिचालन लीज के लिए तेरह एफसी को और पोत लीज कार्यकलापों के लिए दो एफसी को और नियामक सैंडबॉक्स में अपना लाइव परीक्षण शुरू करने के लिए चार एंटीटियों को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त दो एंटीटियों को आईएफएससी में एफसी के रूप में मुख्य कार्यकलाप संचालित करने के लिए अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है। निम्नलिखित चित्र आईएफएससी में रजिस्ट्रीकृत वित्त कंपनियों (विमान लीज, पोत लीज, आईटीएफएस एंटीटियों सहित) में वृद्धि को रेखांकित करता है।



चित्र २.१: आईएफएससी में वित्त कंपनियों में वृद्धि

उपरोक्त के अलावा, आईएफएससीए ने दो संस्थाओं को वित्त कंपनी स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

वकालत और आउटरीच

आईएफएससीए के सहयोग से रोड शो

वित्त वर्ष २०२२-२३ में, प्राधिकरण ने आईएफएससी में परिचालन के लिए चार आईटीएफएस एंटीटियों, अर्थात् क्रेडक्स वेंचर्स आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड, वायना आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड, आरएक्सआईएल ग्लोबल आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड और माइंड आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड को नियामक सैंडबॉक्स के अधीन लाइव लेनदेन करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया।

एंटीटियों ने जागरूकता पैदा करने और मंचों को बढ़ावा देने के लिए, आईएफएससीए और निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के सहयोग से क्रमशः दिल्ली-एनसीआर, अहमदाबाद, चेन्नई और मुंबई में और इन क्षेत्रों के आसपास स्थित रोड शो आयोजित किए। व्यापक व्यासि प्राप्त करने के लिए इन क्षेत्रों को चुना गया।

रोड शो के दौरान आईटीएफएस एंटीटियों ने विशेषताओं को दर्शाया और अपने संबंधित आईटीएफएस मंचों की कार्यक्षमता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में निर्यातकों, आयातकों और वित्तदाताओं सहित अन्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इन प्रतिभागियों को प्राधिकरण द्वारा जारी आईटीएफएस फ्रेमवर्क का अवलोकन भी कराया गया। इसके पश्चात, पैनल चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें आईएफएससीए के वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग और ईपीसी के प्रतिनिधियों सहित प्रतिष्ठित पैनलिस्ट शामिल हुए। पैनल ने अन्य विषयों के साथ-साथ भारत के निर्यात क्षेत्र को सुदृढ़ करने, निर्यात में सहयोग करने के लिए उभरते नियामक ढांचे की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा की।

रोड शो में व्यापार वित्त पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल बनाने में आईटीएफएस मंचों की क्षमता पर प्रकाश डाला गया। भारत की ५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लक्ष्य में इन मंचों के महत्व को भी रेखांकित किया गया। इस बात पर बल दिया गया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात की आवश्यकता होगी। यह देखते हुए कि एमएसएमई भारत के निर्यात में लगभग ४०% का योगदान देता है, आईटीएफएस मंच की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एमएसएमई को पारदर्शी बोली प्रणाली के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों पर वैश्विक वित्तदाताओं से वित्त प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। निर्यात सेवाओं में क्रांति लाने में आईटीएफएस मंचों की क्षमता को महत्व देते हुए, आईएफएससीए ने भारत में निर्यात सेवाओं के लिए इन मंचों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के समान स्थापित करने के अपने दृष्टिकोण को साझा किया।

रोड शो के दौरान आईटीएफएस मंच पर प्रतिभागियों की पर्याप्त भागीदारी और दर्शाई गई गहरी रुचि को ध्यान में रखते हुए, आईएफएससीए निकट भविष्य में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में इसी तरह के रोड शो के आयोजन के लिए आईटीएफएस एंटीटियों से सहयोग करने की मंशा रखता है।

अगले वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

i) आईएफएससी में 'विमानन प्रशिक्षण सिम्युलेशन उपकरणों' की लीज सक्षम बनाना:

आईएफएससी में ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट को लीज पर देने की सुविधा के समान ही प्राधिकरण आईएफएससी में विमानन लीजिंग और विमानन पारिस्थिकी तंत्र को विकसित करने के लिए विमानन संधारणीय तंत्र प्रशिक्षण उपकरण को लीज पर देने का इरादा रखता है। इन उपकरणों में दूसरों के बीच पूर्ण उड़ान सिमुलेटर और उड़ान प्रशिक्षण उपकरण शामिल हैं।

ii) आईएफएससी में पोत ब्रोकिंग को सक्षम करना:

पोत ब्रोकिंग सेवाओं को सक्षम करने का उद्देश्य आईएफएससी में पोत लीजधारी के अनुमेय कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाना है। आईएफएससी में 'पोत लीज फ्रेमवर्क' के अधीन पोत संचालन और वित्तीय लीज कार्यललापों की पहले से ही अनुमति है, और पोत ब्रोकिंग सेवाओं के जुड़ने से शिपिंग उद्योग के लिए पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की सुविधा मिलेगी।

iii) आईएफएससी में जनशक्ति या कार्यालय स्थल या दोनों को अपनी समूह एंटिटियों के बीच साझा करने के लिए विमान लीजदारों को सक्षम करना :

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने २३ फरवरी, २०२३ की राजपत्र अधिसूचना के अधीन एसईजेड नियम, २००६ में नियम २१ख को अंतर्निर्दिष्ट किया। यह नियम आईएफएससी में वायुयान लीजिंग इकाई को प्राधिकरण के अनुमोदन से विमान लीजिंग के उद्देश्य से आईएफएससी में कार्यालय स्थल या जनशक्ति या दोनों अन्य यूनिट का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार, प्राधिकरण शर्तों और प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हुए दिशानिर्देश जारी करना चाहता है जिसके द्वारा आईएफएससी में विमान लीज पर लेने वाला एफसी/एफयू इस सुविधा का लाभ उठा सकता है।

iv) आईएफएससी में धरित कंपनी के लिए फ्रेमवर्क:

यह फ्रेमवर्क कंपनियों, विशेष रूप से विमान और पोत लीजधारी को स्पष्ट समझ प्रदान करेगा कि आईएफएससी में अपनी धरित कंपनी के माध्यम से अपने निवेश और सहायक कंपनियों का प्रबंधन कैसे किया जाए, जिससे व्यवसाय करने में आसानी हो।

v) आईएफएससी में एफसी/एफयू द्वारा प्रबंधन में परिवर्तन के बारे में दिशानिर्देश:

प्राधिकरण इन दिशानिर्देशों को उन शर्तों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को रेखांकित करने के लिए जारी करना चाहता है जो एक ऐसे समझौते जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण में परिवर्तन होता है, के अधीन, एफसी/एफयू को प्रबंधन में कुल शेयर पूंजी के २० प्रतिशत की सीमा से परे या व्यावसायिक निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, ये दिशानिर्देश प्राधिकरण को नए प्रबंधन के समुचित परिश्रम और वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएंगे।

vi) एफसी/एफयू के बारे में हस्तपुस्तिका:

प्राधिकरण वित्त वर्ष २०२३-२४ के अंत तक एफसी/एफयू की हस्तपुस्तिका जारी करने का इच्छुक है। हस्तपुस्तिका का उद्देश्य सभी विद्यमान विनियमों को समेकित करना है और एफसी/एफयू को विवेकपूर्ण दिशानिर्देश और अन्य सामान्य दिशानिर्देशों के संचालन पर विस्तृत निर्देश प्रदान करना है।

vii) आईएफएससी में विमानन संधारणीय तंत्र प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की संभावना को तलाशना:

प्राधिकरण विमानन प्रशिक्षण की लागत को कम करने और भारतीय पायलटों को स्थानीय रूप से प्रशिक्षण में सक्षम करने के उद्देश्य से आईएफएससी में विमानन संधारणीय तंत्र प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करने की संभावना का पता लगाने का इरादा रखता है।



पूँजी बाजार

पूँजी बाजार की भूमिका में बचत जुटाना, निवेश को सुविधाजनक बनाना, जोखिम का प्रबंधन करना, अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास का समर्थन करने के लिए कुशलतापूर्वक पूँजी आवंटित करना शामिल है। पूँजी बाजार बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है। पूँजी बाजार में कई प्रकार की प्रतिभूतियाँ जैसे इक्विटी शेयर, ऋण लिखतें, परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ, निधियों की इकाइयाँ, व्युत्पन्न आदि होती हैं।

आईएफएससी में पूँजी बाजार विभिन्न माध्यमों से भारत में विदेशी पूँजी के प्रवाह को चैनलाइज करने का प्रवेश द्वार बनने की क्षमता रखता है, जिसमें निधि प्रबंधन और आईएफएससी एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के माध्यम से पूँजी जुटाना शामिल है।

आईएफएससी में स्थापित निधियाँ भारत में प्रतिभूति बाजारों में विभिन्न उत्पादों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों और एनआरआई से पूँजी एकत्र कर सकती हैं। इसके अलावा, आईएफएससी में निधि पारिस्थितिकी कुछ क्षेत्रों जैसे स्टार्ट-अप, एसएमई, हरित और संधारणीय वित्तपोषण, भू-संपदा परियोजनाओं, अवसंरचना में निवेश आदि में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भी योगदान दे सकता है।

भारतीय कारपोरेट (बैंक, सीपीएसई आदि सहित) आईएफएससी में स्टोक एक्सचेंजों पर विदेशी मुद्रा बांड और/या मसाला बांड की सूचीबद्धता के माध्यम से भी पूँजी जुटा सकते हैं।

अक्टूबर २०२० से, आईएफएससी ने आईएफएससी में प्रतिभूति बाजार कार्यकलापों से संबंधित निम्नलिखित नियमों को अधिसूचित किया है:

- क) आईएफएससीए (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियम, २०२१
- ख) आईएफएससीए (प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, २०२१
- ग) आईएफएससीए (पूँजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, २०२१
- घ) आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियम, २०२२

बाजार अवसंरचना संस्थान

स्टोक एक्सचेंज, समाशोधन और निक्षेपागार (सामूहिक रूप से बाजार अवसंरचना संस्थान के रूप में संदर्भित) पूंजी बाजार में सबसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं और वे प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता, व्यापार, समाशोधन और निपटान के लिए आवश्यक अवसंरचना प्रदान करते हैं। इसलिए ये बाजार अवसंरचना संस्थान (एमआईआई) आईएफएससी में पूंजी बाजार के समग्र विकास और विनियमन के लिए महत्वपूर्ण संस्थान हैं।

स्टोक एक्सचेंज

३१ मार्च, २०२३ तक, आईएफएससी में दो अंतरराष्ट्रीय स्टोक एक्सचेंज अर्थात् इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (आईएफएससी) लिमिटेड (इंडिया आईएनएक्स) और एनएसई आईएफएससी लिमिटेड (एनएससी आईएफएससी) और बुलियन एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईएफएससी) लिमिटेड (आईआईबीएक्स) परिचालित हैं। वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने एनएसई आईएफएससी को २९ मई, २०२२ से २८ मई, २०२३ की अवधि के लिए और इंडिया आईएनएक्स को २९ दिसंबर, २०२२ से २८ दिसंबर, २०२३ की अवधि के लिए वार्षिक मान्यता का नवीनीकरण किया।

समाशोधन निगम

३१ मार्च, २०२३ तक, आईएफएससी में दो समाशोधन निगम, अर्थात् इंडिया इंटरनेशनल समाशोधन निगम (आईएफएससी) लिमिटेड (इंडिया आईसीसी) और एनएसई आईएफएससी समाशोधन निगम लिमिटेड (एनआईसीसीएल) कार्यरत हैं। प्राधिकरण ने एनआईसीसीएल को २९ मई, २०२२ से २८ मई, २०२३ की अवधि के लिए और भारत आईसीसी को २९ दिसंबर, २०२२ से २८ दिसंबर, २०२३ की अवधि के लिए वार्षिक मान्यता का नवीनीकरण किया।

निक्षेपागार

३१ मार्च, २०२३ तक, इंडिया इंटरनेशनल निक्षेपागार (आईएफएससी) लिमिटेड (आईआईडीआई) आईएफएससी में एकमात्र निक्षेपागार कार्यरत है, जो बुलियन निक्षेपागार रसीद सहित प्रतिभूतियों के लिए अभिलेखपाल के रूप में कार्य करता है।

परिपत्र/दिशानिदेश

भारत में नियुक्त अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से बाजार पहुंच

अक्टूबर २०२० के दौरान, प्राधिकरण ने स्टोक एक्सचेंजों के रजिस्ट्रीकृत ब्रोकर डीलरों को विदेशी अधिकार क्षेत्र में स्थित अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से निवेशकों को बाजार पहुंच प्रदान करने की अनुमति दी थी। हालांकि, बाजार सहभागियों के अभ्यावेदन के आधार पर, आईएफएससी में पूंजी बाजार की गहराई और पहुंच का विस्तार करने और उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) मार्ग के माध्यम से निवासी भारतीय निवेशकों तक पहुंच को सक्षम करने की दृष्टि से, अप्रैल २०२२ में जारी परिपत्र द्वारा प्राधिकरण, ब्रोकर डीलरों को भारत में अधिकृत व्यक्तियों को नियुक्त करने की अनुमति दी।

चलनिधि वृद्धि योजना में संशोधन

प्राधिकरण ने मार्च २०२२ में आईएफएससी में चलनिधि वृद्धि योजना (एलईएस) के लिए दिशानिर्देश जारी किए। आईएफएससी में स्टोक एक्सचेंजों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, प्राधिकरण ने सितंबर २०२२ में इन एलईएस दिशानिर्देशों में संशोधन किया और योजना के वार्षिक अनुमोदन के लिए स्टोक एक्सचेंजों के गवर्निंग बोर्ड को अधिकार प्रदान किया। इसके अलावा, चलनिधि बनाए रखने के लिए स्टोक एक्सचेंजों को ५ वर्ष की अवधि के बाद भी किसी भी प्रतिभूति पर एलईएस शुरू करने की अनुमति दी गई है।

आईएफएससी में बाजार अवसंरचना संस्थानों की समितियाँ

प्राधिकरण ने २८ जून, २०२२ के परिपत्र के अधीन एमआईआई को निम्नलिखित समितियों का गठन करने का आदेश दिया:

I. कार्यात्मक समितियाँ, जिनमें निम्नांकित शामिल हैं:

- i. सदस्य चयन समिति
- ii. निवेशक शिकायत निवारण समिति
- iii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

II. निरीक्षण समितियाँ, जिनमें निम्नांकित शामिल हैं:

- i. प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति
- ii. सलाहकार समिति
- iii. लेखा-परीक्षा समिति
- iv. नियामक निरीक्षण समिति
- v. जोखिम प्रबंधन समिति

प्राधिकरण ने उपर्युक्त समितियों के कार्यों और विस्तृत संरचना को भी निर्दिष्ट किया।

एमआईआई के लिए व्यापार निरंतरता योजना और आपदा पुनर्प्राप्ति स्थल के लिए दिशानिर्देश

परिचालन जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में, आईएफएससी में एमआईआई को डेटा और लेन-देन की अखंडता को बनाए रखने के लिए व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा पुनर्प्राप्ति स्थल (डीआरएस) को स्थापित करने के लिए अनिवार्य किया गया है। डीआरएस के अलावा, शून्य डेटा हानि सुनिश्चित करने के लिए सभी एमआईआई के पास निकटवर्ती साइट (एनएस) होना आवश्यक है। एमआईआई को यह भी सलाह दी गई है कि वे एमआईआई के गवर्निंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीसीपी-डीआर नीति तैयार करें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हों:

- व्यापक परिदृश्य जिन्हें एमआईआई के लिए आपदा के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
- आपदा की स्थिति में पालन की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया
- आपदा से निपटने के लिए एमआईआई के भीतर वृद्धि पदानुक्रम
- घटना के समय से एमआईआई के संचालन की बहाली तक आंतरिक और बाहरी संचार दोनों के लिए स्पष्ट और व्यापक संचार प्रोटोकॉल और प्रक्रियाएं
- डीआर ड्रिल से संबंधित रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में प्रलेखन नीति

सदस्यता अभ्यर्पित करने पर ब्रोकर डीलरों को सुरक्षा जमा राशि वापस करना

ब्रोकर डीलरों के रजिस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण के मामले में, स्टोक एक्सचेंजों को प्राधिकरण द्वारा अभ्यर्पण आवेदन की स्वीकृति की तारीख से बारह महीने के बाद ब्रोकर डीलर की सुरक्षा जमा जारी करने के लिए अनिवार्य किया गया है (यदि ब्रोकर डीलर की ग्राहक ओर से व्यापार में लगा हुआ है)।

हालाँकि, अभ्यर्पण के आवेदन की तारीख से पहले पिछले तीन वर्षों से केवल मालिकाना व्यापार में लगे ब्रोकर डीलरों के मामले में, स्टोक एक्सचेंजों को प्राधिकरण द्वारा अभ्यर्पण आवेदन की स्वीकृति की तारीख से छह माह के बाद सुरक्षा जमा वापस करना होगा।

मासिक विकास रिपोर्ट और मासिक कार्यकलाप रिपोर्ट

आईएफएससी में स्टोक एक्सचेंजों को मासिक आधार पर मासिक विकास रिपोर्ट (एमडीआर) और मासिक गतिविधि रिपोर्ट (एमएआर) जमा करनी होती है। प्राधिकरण ने १४ दिसंबर, २०२२ के परिपत्र के माध्यम से आईएफएससी में लागू आवश्यकताओं के अनुसार प्रारूप को संशोधित किया। स्टोक एक्सचेंजों को जनवरी २०२३ के महीने से प्रत्येक महीने की समाप्ति के १० दिनों के भीतर संशोधित प्रारूप में एमएआर और एमडीआर जमा करना आवश्यक है।

एनएसई आईएफएससी - एसजीएक्स कनेक्ट

भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने २९ जुलाई, २०२२ को एनएसई आईएफएससी-एसजीएक्स कनेक्ट का शुभारंभ किया। शुभारंभ के दौरान, माननीय प्रधान मंत्री ने आईएफएससीए की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा :

"आईएफएससीए न केवल सक्षमकारी बनेगा बल्कि नवाचार को भी बढ़ावा देगा और विकास के अवसरों के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करेगा। आज इसकी शुरुआत गिफ्ट सिटी में एनएसई आईएफएससी - एसजीएक्स कनेक्ट के शुभारंभ के जरिए की जा रही है।"

कनेक्ट का उद्देश्य गिफ्ट आईएफएससी में निफ्टी उत्पादों के लिए एक बड़ा चलनिधि पूल बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय और आईएफएससी प्रतिभागियों को एक साथ लाना है। एसजीएक्स ने गिफ्ट आईएफएससी में एक सहायक कंपनी एसजीएक्स इंडिया कनेक्ट आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड (एसजीएक्स-आईसीआई) की स्थापना की है, जो एसजीएक्स के माध्यम से रूट किए गए ऑर्डर के लिए पास-थ्रू इकाई के रूप में कार्य करती है। एसजीएक्स-आईसीआई प्राधिकरण के पास ट्रेडिंग और सेल्फ समाशोधन सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत है।

एसजीएक्स निफ्टी व्युत्पन्नों में सभी चर्चा-संपन्न बड़े व्यापार (एनएलटी) वर्तमान में कनेक्ट के माध्यम से एनएसई आईएफएससी को रिपोर्ट किए जा रहे हैं। एनएलटी एसजीएक्स पर कुल निफ्टी व्युत्पन्न मात्रा का लगभग १५ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कनेक्ट के पूर्ण पैमाने पर संचालन के संबंध में एनएसई आईएफएससी और एसजीएक्स द्वारा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि निफ्टी भावी अनुबंध ट्रेडिंग को २०२३ की दूसरी तिमाही के अंत तक एसजीएक्स से एनएसई आईएफएससी में लाने का लक्ष्य है।

पूँजी बाजार मध्यस्थ

पूँजी बाजार के सुचारू कामकाज के लिए समग्र पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, आईएफएससी ने आईएफएससी में पूँजी बाजार मध्यस्थों की विभिन्न श्रेणियों जैसे ब्रोकर डीलर, समाशोधन सदस्य, निक्षेपागार प्रतिभागियों, संरक्षक, निवेश बैंकर, डिबेंचर ट्रस्टी, निवेश सलाहकार आदि के लिए नियामक फ्रेमवर्क को सक्षम किया है।

ट्रेडिंग सदस्य

ब्रोकर डीलर/ट्रेडिंग सदस्य ऐसी एंटीटियां हैं जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर अपने स्वयं के खाते के साथ-साथ अपने ग्राहकों की ओर से ट्रेड निष्पादित करती हैं।

सारणी ३.१ - आईएफएससी में ट्रेडिंग सदस्य (३१ मार्च, २०२३ की स्थिति के अनुसार)

स्टॉक एक्सचेंज	व्यापार करने वाले सदस्यों की संख्या
इंडिया आईएनएक्स	५८
एनएसई आईएफएससी	५७

स्रोत: इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएफएससी

समाशोधन सदस्य

समाशोधन सदस्य एक मध्यस्थ होता है जो ब्रोकर-डीलर/ट्रेडिंग सदस्य द्वारा निष्पादित सभी सौदों के समाशोधन और निपटान के लिए जिम्मेदार होता है।

सारणी ३.२ - आईएफएससी के समाशोधन सदस्य (३१ मार्च, २०२३ की स्थिति के अनुसार)

समाशोधन निगम	स्व-समाशोधन सदस्यों की संख्या	ट्रेडिंग सह समाशोधन सदस्यों की संख्या	व्यावसायिक समाशोधन सदस्यों की संख्या
भारत आई.सी.सी	५	९	२
एनआईसीसीएल	७	९	२

स्रोत: भारत आईसीसी और एनआईसीसीएल

निक्षेपागार भागीदार

निक्षेपागार भागीदार (डीपी) मान्यता-प्राप्त निक्षेपागार का भागीदार होता है और निक्षेपागार और निवेशक के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ३१ मार्च, २०२३ तक, प्राधिकरण के पास आठ डीपी रजिस्ट्रीकृत हैं, जिनमें से चार एंटीटियों को वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के दौरान रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया था।

संरक्षक

संरक्षक एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो वित्तीय उत्पादों के संबंध में संरक्षी सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय करता है जिसमें इन वित्तीय उत्पादों को सुरक्षित रखना और प्रासंगिक सेवाएं प्रदान करना शामिल है। ३१ मार्च, २०२३ तक, प्राधिकरण के पास पांच संरक्षक रजिस्ट्रीकृत हैं, जिनमें से एक एंटीटी को वित्त वर्ष २०२२-२३ के दौरान रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है।

डिबेंचर न्यासी

डिबेंचर न्यासी डिबेंचर के किसी भी मुद्दे के संबंध में नियुक्त न्यासी है। यह जारीकर्ता कंपनी की ओर से सुरक्षित आस्ति धारण करके, डिबेंचर धारकों के हित को सुरक्षित करने के उद्देश्य से जारीकर्ता कंपनी और डिबेंचर धारकों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। ३१ मार्च, २०२३ तक, प्राधिकरण के साथ तीन डिबेंचर ट्रस्टी रजिस्ट्रीकृत हैं, जिनमें से दो एंटीटियों को वित्त वर्ष २०२२-२३ के दौरान रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है।

निवेश सलाहकार

निवेश सलाहकार ऐसा व्यक्ति है, जो विचार के लिए, प्रतिभूतियों या निवेश उत्पादों में निवेश से संबंधित ग्राहकों को निवेश सलाह प्रदान करने के व्यवसाय में लगा हुआ है। ३१ मार्च, २०२३ तक, प्राधिकरण के पास छः निवेश सलाहकार रजिस्ट्रीकृत हैं, जिनमें से एक एंटीटी को वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के दौरान रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है।


निवेश बैंकर

प्राधिकरण ने ३ दिसंबर, २०२१ के परिपत्र के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त बैंकिंग इकाई को परिपत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन आईएफएससी में निवेश बैंकिंग कार्यकलापों को करने की अनुमति दी। ३१ मार्च, २०२३ तक, आईएफएससी में निवेश बैंकिंग कार्यकलापों को करने के लिए एक आईबीयू अधिकृत है।


प्रवृत्तियां और लेन-देन

स्टोक एक्सचेंजों में कारोबार

आईएफएससी में स्टोक एक्सचेंजों पर कारोबार (विकल्पों के मामले में प्रीमियम के मूल्य सहित) वित्त वर्ष २०२१-२२ के २१९ बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष २०२२-२३ के दौरान लगभग १०४ प्रतिशत बढ़कर ४४७ बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।



आकृति ३.१: आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों का वर्ष-वार कारोबार (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)



आकृति ३.२ : आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों का अनुबंध-वार कारोबार (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

आईएफएससी एक्सचेंजों पर व्यापार के लिए उपलब्ध व्युत्पन्न

सूचकांक व्युत्पन्न

इंडिया आईएनएक्स पर सबसे लोकप्रिय सूचकांक व्युत्पन्न एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स ५० हैं। एनएसई आईएफएससी चार सूचकांक पर वायदा और विकल्प अनुबंधों में ट्रेडिंग की पेशकश करता है, जो निफ्टी ५० सूचकांक, निफ्टी बैंक सूचकांक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सूचकांक और निफ्टी आईटी सूचकांक हैं।

सूचकांक वायदा: वित्त वर्ष २०२१-२२ की तुलना में वित्त वर्ष २०२२-२३ में सूचकांक वायदा में कारोबार १२४ प्रतिशत बढ़ा है। इसी अवधि के दौरान, अनुबंधों की संख्या में ९४ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सारणी ३.३ - सूचकांक वायदा में अनुबंध और कारोबार की संख्या

वित्तीय वर्ष	अनुबंधों की संख्या		कारोबार (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	
	इंडिया आईएनएक्स	एनएसई आईएफएससी	इंडिया आईएनएक्स	एनएसई आईएफएससी
२०२१-२२	५,५१५,६८१	२,४८८,६९२	९६,४६१	८३,७०७
२०२२-२३	८,१६१,५०१	७,३९७,०७४	१४८,३७४	२५४,९६५

स्रोत: इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएफएससी

सूचकांक वायदा: वित्त वर्ष २०२१-२२ की तुलना में वित्त वर्ष २०२२-२३ में सूचकांक वायदा में कारोबार ३३ प्रतिशत बढ़ा। इसी अवधि के दौरान, कारोबार किए गए अनुबंधों की संख्या में १६ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सारणी ३.४ - सूचकांक विकल्प में अनुबंधों की संख्या और प्रीमियम कारोबार

वित्तीय वर्ष	अनुबंधों की संख्या		प्रीमियम कारोबार (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	
	इंडिया आईएनएक्स	एनएसई आईएफएससी	इंडिया आईएनएक्स	एनएसई आईएफएससी
२०२१-२२	१४५,२९५,०३३	४,७९३,४००	७,१२१	३१०
२०२२-२३	१७३,२९७,३८७	७२४,७७६	९,६९५	१८८

स्रोत: इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएफएससी

पण्य व्युत्पन्न

मान्यता प्राप्त स्टोक एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग के लिए विभिन्न पण्य व्युत्पन्न उपलब्ध हैं जैसा कि नीचे दी गई सारणी में बताया गया है:

सारणी ३.५ - आईएफएससी एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध पण्य व्युत्पन्न

मूल्यवान धातु	सोना चांदी
आधार धातु	कोपर, एल्युमिनियम, लेड, निकल, जिंक
ऊर्जा	ब्रेट कूड ओयल

वित्त वर्ष २०२१-२२ की तुलना में वित्त वर्ष २०२२-२३ में स्वर्ण व्युत्पन्न में कारोबार १६ प्रतिशत बढ़ा है जबकि इसी अवधि के दौरान अनुबंधों की संख्या में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सारणी ३.६ - स्वर्ण व्युत्पन्न में अनुबंधों की संख्या और प्रीमियम कारोबार

वित्तीय वर्ष	अनुबंधों की संख्या		प्रीमियम कारोबार (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	
	इंडिया आईएनएक्स	एनएसई आईएफएससी	इंडिया आईएनएक्स	एनएसई आईएफएससी
२०२१-२२	४४५,८९८	५७,१९९	२६,१९५	१,००५
२०२२-२३	५५२,४३९	-	३१,६३२	-

मुद्रा व्युत्पन्न

नीचे दी गई सारणी में वर्णित मान्यता प्राप्त स्टोक एक्सचेंजों पर व्यापार के लिए विभिन्न मुद्रा व्युत्पन्न उपलब्ध हैं:

सारणी ३.७ - मुद्रा व्युत्पन्न

वैश्विक मुद्रा व्युत्पन्न	यूरो-यूएसडी, जीबीपी-यूएसडी, जेपीवाई-यूएसडी, सीएचएफ-यूएसडी, एयूडी-यूएसडी
रुपया व्युत्पन्न	आईएनआर-यूएसडी, यूएसडी-आईएनआर

वित्त वर्ष २०२२-२३ में मुद्रा व्युत्पन्न में कारोबार में निम्नानुसार कमी आई है:

सारणी ३.८ - मुद्रा व्युत्पन्न में अनुबंधों की संख्या और प्रीमियम कारोबार

वित्तीय वर्ष	अनुबंधों की संख्या		प्रीमियम कारोबार (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	
	इंडिया आईएनएक्स	एनएसई आईएफएससी	इंडिया आईएनएक्स	एनएसई आईएफएससी
२०२१-२२	२१५,८८६	६७,११४	२,८९९	१,७२२
२०२२-२३	१३३,७११	२६,००७	१,६६२	६४५

कुल मिलाकर, वित्तीय वर्ष २०२१-२२ की तुलना में वित्तीय वर्ष २०२२-२३ में आईएफएससी के सभी उत्पादों में स्टोक एक्सचेंजों पर कारोबार में १०४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उसी का अनुबंध वार द्विभाजन निम्नानुसार है:

ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता

३१ मार्च, २०२३ तक, आईएफएससी में मान्यता प्राप्त स्टोक एक्सचेंजों पर सभी ऋण प्रतिभूतियों की संचयी सूचीबद्धता ५०.६ बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वित्त वर्ष २०२२-२३ के दौरान, आईएफएससी में स्टोक एक्सचेंजों पर लगभग ५.३६ बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण प्रतिभूतियां सूचीबद्ध की गई हैं, जिनमें से प्राथमिक सूचीबद्धता १.९ बिलियन अमेरिकी डॉलर की है।



चित्र ३.१ : ३ मार्च, २०२३ को इंडिया एक्जिम बैंक के १ बिलियन अमेरिकी डॉलर, १०-वर्षीय धारणीयता बॉन्ड का सूचीबद्धता समारोह।

सारणी ३.१ - वित्त वर्ष २०२२-२३ में ऋण निर्गमों की सूची

क्रम संख्या	निर्गमकर्ता का नाम	सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
१	आईसीआईसीआई बैंक	१,९५०
२	पावर फाइनेंस निगम लिमिटेड	३००
३	पावर फाइनेंस निगम लिमिटेड (हरित बॉन्ड)	४००
४	आरईसी लिमिटेड	३००
५	आरईसी लिमिटेड (हरित बॉन्ड)	४५०
६	चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी	५६
७	इंडिया एक्जिम बैंक	१,०००
८	एचडीएफसी बैंक	७५०
९	श्रीराम फाइनेंस	१५०
कुल		५,३५६

पक्ष-समर्थन और आउटरीच

आईओएससीओ की वार्षिक बैठक २०२२

आईएफएससीए दिसंबर २०२० से आईओएससीओ का सहयोगी सदस्य है। आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल ने आईओएससीओ के सदस्य के रूप में, १७-१९ अक्टूबर, २०२२ के दौरान मराकेश, मोरक्को में आयोजित आईओएससीओ वार्षिक बैठक २०२२ की विभिन्न बैठकों/कार्यक्रमों में भाग लिया।

आईएफएससीए ने आईओएससीओ की वार्षिक बैठक के अवसर पर सिंगापुर, हांगकांग, अबू धाबी ग्लोबल मार्केट्स, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर और मोरीशस सहित कई क्षेत्राधिकारों के नियामकों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। बैठक का उद्देश्य नियामकों के बीच सहयोग के लिए उनके संबंधित क्षेत्राधिकार और संभावित क्षेत्रों में विकास पर चर्चा करना था।

आईओएससीओ एमएमओयू

आईएफएससीए परामर्श और सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान (एमएमओयू) के संबंध में आईओएससीओ ३ अगस्त २०२२ को बहुपक्षीय समझौता-ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है।

एमएमओयू अपने हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच इस आम समझ का प्रतिनिधित्व करता है कि उन्हें प्रतिभूति बाजारों के संबंध में नियामक प्रवर्तन के उद्देश्य से कैसे परामर्श, सहयोग और जानकारी का आदान-प्रदान करना चाहिए।

एमएमओयू प्रतिभूति नियामकों को सीमा पार धोखाधड़ी और कदाचार, जो वैश्विक बाजारों को और निवेशकों के विश्वास को कमजोर कर सकते हैं, से निपटने के लिए औजार प्रदान करता है। यह आदान-प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता के संबंध में विशिष्ट आवश्यकताएं भी निर्धारित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी घरेलू बैंकिंग गोपनीयता कानून, अवरुद्ध कानून या नियम प्रतिभूति नियामकों को अन्य क्षेत्राधिकारों में अपने समकक्षों के साथ इस जानकारी को साझा करने से नहीं रोकेंगे।

एमएमओयू अन्य विदेशी क्षेत्राधिकारों के संबंध में प्राधिकरण के सीमा पार प्रवर्तन और सीमा पार संपर्क को बढ़ाएगा। आईएफएससीए अब प्रतिभूति कानूनों को लागू करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए १२५ से अधिक क्षेत्राधिकारों के प्रतिभूति बाजारों के नियामकों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में सक्षम होगा। इसके अलावा, एमएमओयू आईएफएससीए की विभिन्न सीमा पार पहलों को लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आईएफएससीए ने अक्टूबर २०२२ के दौरान मराकेश में आयोजित आईओएससीओ की वार्षिक बैठक के दौरान आयोजित एमएमओयू हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया।



चित्र ३.२: आईओएससीओ एमएमओयू हस्ताक्षर समारोह में आईएफएससीए अध्यक्ष श्री इंजेती श्रीनिवास

आईओएससीओ विश्व निवेशक सप्ताह २०२२

विश्व निवेशक सप्ताह ("डब्ल्यूआईडब्ल्यू"), २०२२ निवेशक शिक्षा और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रतिभूति नियामकों की विभिन्न पहलों को उजागर करने के लिए आईओएससीओ द्वारा प्रचारित एक सप्ताह तक चलने वाला वैश्विक अभियान है। आईएफएससीए ने आईओएससीओ के सदस्य के रूप में, १० अक्टूबर, २०२२ से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान सतत वित्त और निवेशक तन्मयता से संबंधित विषय पर विश्व निवेशक सप्ताह २०२२ मनाया। गिफ्ट आईएफएससीए में दो स्टॉक एक्सचेंज, अर्थात् इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएफएससी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। समारोह के हिस्से के रूप में कार्यक्रमों और कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित की गई जिसमें उद्घाटन घंटी बजाओ समारोह, वेबिनार, वर्चुअल सम्मेलन, क्षमता निर्माण कार्यशाला, सोशल मीडिया अभियान, धारणीयता प्रतिज्ञा अभियान और समापन घंटी समारोह शामिल थे। कुछ प्रमुख घटनाओं का विवरण इस प्रकार है:

- क) घंटी बजाओ समारोह का आरंभ: श्री प्रवीण त्रिवेदी, ईडी, आईएफएससीए और श्री वी. बालासुब्रमण्यम, एमडी और सीईओ, इंडिया आईएनएक्स ने आईओएससीओ विश्व निवेशक सप्ताह २०२२ के उत्सव का आरंभ करने के लिए १० अक्टूबर, २०२२ को इंडिया आईएनएक्स में घंटी बजा कर समारोह का आरंभ किया।



चित्र ३.३ : श्री प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक, आईएफएससीए, विश्व निवेशक सप्ताह २०२२ के उद्घाटन घंटी बजाओ समारोह का आरंभ करते हुए

- ख) इंडिया आईएनएक्स के साथ समन्वय में वेबिनार:** इंडिया आईएनएक्स ने ११ अक्टूबर, २०२२ को "गिफ्ट आईएफएससी में वैश्विक स्टोक में भारतीय निवेशकों के लिए अवसर" विषय पर वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार में आईएफएससीए और इंडिया आईएनएक्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वेबिनार के दौरान, आईएफएससी में पूंजी बाजार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और विनियमन के लिए आईएफएससीए द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला गया।
- ग) वर्चुअल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस:** एनएसई आईएफएससी ने १२ अक्टूबर, २०२२ को "संधारणीय निवेश में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों की भूमिका" विषय पर एक वर्चुअल राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन किया। पैनल में आईएफएससीए, शैक्षणिक संस्थानों और वित्तीय सेवा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल थे। चर्चा के दौरान, टिकाऊ वित्त के पैमाने में मजबूत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ईएसजी मानकों और प्रकटीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। चर्चाओं में कार्बन बाजार, सोशल बांड, प्रभाव निधि, वाणिज्यिक पूंजी के पूरक में परोपकारी धन की भूमिका, क्षमता निर्माण आदि जैसे विषय शामिल थे।
- घ) घंटी समापन समारोह:** आईएफएससीए के कार्यकारी निदेशक श्री दीपेश शाह ने आईओएससीओ विश्व निवेशक सप्ताह २०२२ के समापन को चिह्नित करने के लिए समापन घंटी समारोह में भाग लिया। श्री दीपेश शाह ने अपने संबोधन में जीआईएफटी आईएफएससी को संधारणीय वित्त के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आईएफएससीए द्वारा उठाए गए विभिन्न अवसरों और पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने विभिन्न हितधारकों को वित्तीय प्रणाली में विभिन्न क्षेत्रों में ईएसजी के तत्व को शामिल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।



चित्र ३.४ : श्री दीपेश शाह, कार्यकारी निदेशक, आईएफएससीए, आईओएससीओ विश्व निवेशक सप्ताह २०२२ के समापन समारोह में भाग लेते हुए

आईओएससीओ एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समिति (एपीआरसी) की बैठक

एपीआरसी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रतिभूति विनियमन से संबंधित क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आईओएससीओ द्वारा गठित चार क्षेत्रीय समितियों में से एक है। आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल ने २२-२३ फरवरी, २०२३ के दौरान बांग्लादेश में आयोजित आईओएससीओ एपीआरसी बैठक में भाग लिया।

आईओएससीओ प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईएफएससीए ने साइबर तन्मयता, संधारणीय वित्त, फिनटेक, प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग, बाजार अवसररचना फ्रेमवर्क आदि सहित प्रतिभूति बाजारों के विकास और विनियमन में शामिल अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए आईओएससीओ द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

अनुसंधान: कार्यकरण दस्तावेज, अनुसंधान रिपोर्ट, मूल्यांकन और संभावनाएं

स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आईएफएससी कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग और पूंजी संरचना

एमसीए ने आईएफएससी कंपनियों को स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में अपनी शेयर पूंजी जारी करने में सक्षम बनाने के लिए कंपनी अधिनियम २०१३ (सीए-१३) और उसके अधीन बनाए गए नियमों और लेखा मानकों में आवश्यक संशोधनों की जांच करने और सिफारिशें करने के लिए कार्य समूह का गठन किया।

इसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- क) आईएफएससी कंपनियों की पूंजी संरचना को शुरुआत में यूएसडी में स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा (एफसीएफसी) में सक्षम किया जा सकता है। सीए-१३ में संशोधन करके इसे सुविधाजनक बनाया जा सकता है।
- ख) आईएफएससी कंपनियों को अपने बहियां तैयार करनी चाहिए और उनका अनुरक्षण करना चाहिए और उनका अनुरक्षण करना चाहिए और वित्तीय विवरण उसी विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत करना चाहिए। उसी विदेशी मुद्रा का उपयोग सीए-१३ के अधीन विभिन्न फाइलिंग के लिए प्रकटीकरण की मुद्रा के रूप में भी किया जाना चाहिए।
- ग) आईएफएससी कंपनियों द्वारा विभिन्न प्ररूप जमा करने की ऑनलाइन प्रणाली (एमसीए की ई-पोर्टल प्रणाली) में स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में सक्षम किया जा सकता है।
- घ) शुल्क, दंड और जुर्माने से संबंधित उपबंधों के संबंध में सीए-१३ नियमों में आईएनआर के अनेक संदर्भ हैं। कार्य समूह ने पाया कि ऐसे उपबंधों में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, सिफारिश की गई कि ये प्रावधान भारतीय रुपये में जारी रह सकते हैं।
- ङ) सीए-१३ के कुछ उपबंधों की प्रयोज्यता कुछ निश्चित थ्रेशोल्ड/सीमाओं पर निर्भर करती है जिन्हें अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है और ऐसी सीमाएं भारतीय रुपये के संदर्भ में दर्शाई गई हैं। समूह ने सिफारिश की है कि हालांकि सीए-१३ और नियमों में थ्रेशोल्ड/सीमाएं भारतीय रुपये में बनी रह सकती हैं, लेकिन इन सीमाओं की गणना के प्रयोजनों के लिए, आईएफएससी कंपनियों के लिए एफसीएफसी राशि को भारतीय रुपये में बदलने के लिए सामान्य उपबंध की आवश्यकता है।
- च) एकाधिक मुद्राओं में प्ररूप तैयार करने में कठिनाई को ध्यान में रखते हुए; आरंभ में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा, अर्थात् यूएसडी को आईएफएससी कंपनियों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए आधार मुद्रा के रूप में अपनाया जा सकता है।
- छ) मौजूदा आईएफएससी कंपनियां विशेष समाधान के माध्यम से पूंजी पुनर्गठन योजना के शेयरधारकों के अनुमोदन के बाद अपनी शेयर पूंजी को आईएनआर से यूएसडी में परिवर्तित कर सकती हैं, इसके बाद आईएफएससी को सूचित किया जा सकता है और फिर इसे सीए-१३ की धारा ६१ की कठोरता का सामना किए बिना, आरओसी के साथ फाइल किया जा सकता है। एमसीए इस संबंध में आवश्यक कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करेगा।
- ज) इन आईएफएससी कंपनियों का संक्रमण वैकल्पिक रखा जा सकता है। हालांकि, किसी भी विद्यमान आईएफएससी कंपनी को अपनी शेयर पूंजी को एफसीएफसी में परिवर्तित किए बिना कोई और शेयर पूंजी (अधिकार, बोनस आदि सहित) जारी करने की अनुमति नहीं होगी।





निधि प्रबंधन

गिफ्ट आईएफएससी को वैश्विक निधि प्रबंधन उद्योग के लिए एक पसंदीदा क्षेत्राधिकार के रूप में विकसित करने की दृष्टि से, प्राधिकरण ने अप्रैल २०२२ में निधि प्रबंधन विनियम अधिसूचित किए। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित विनियम, आईएफएससी में नवाचार की सुविधा और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देते हैं।

इससे पहले, भारत में निवेश के लिए वैश्विक पूंजी की पूर्लिंग मुख्य रूप से विदेशी वित्तीय क्षेत्राधिकारों में स्थापित निधियों के माध्यम से की जाती थी। अब, प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था द्वारा समर्थित एक सक्षम नियामक फ्रेमवर्क के साथ, और संचालन की कम लागत का लाभ उठाते हुए, गिफ्ट आईएफएससी तेजी से वैश्विक पूंजी की पूर्लिंग के लिए एक पसंदीदा अधिकार क्षेत्र के रूप में उभरा है।

आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियम, २०२२

नियम निधि प्रबंधन एंटीटी(एफएमई) के लिए एकीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रदान करते हैं और उन्हें निधि प्रबंधन कार्यकलापों की मेजबानी करने की अनुमति देते हैं। इन विनियमों में तीन श्रेणियों के अधीन एफएमई के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान है:

i) रजिस्ट्रीकृत एफएमई (खुदरा)

इस श्रेणी के अधीन, एफएमई खुदरा निवेशकों के साथ-साथ गैर-खुदरा निवेशकों को निधि प्रबंधन से संबंधित उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश कर सकते हैं, जैसे खुदरा योजनाएं (एक्सचेंज में ट्रेड की गई निधि सहित), गैर-खुदरा योजनाएं (वैकल्पिक निवेश निधि), उद्यम पूंजी योजनाएं, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं, आदि।

ii) रजिस्ट्रीकृत एफएमई (गैर-खुदरा)

यह श्रेणी उन एफएमई के लिए है जो कम से कम १५०,००० अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाले मान्यता प्राप्त निवेशकों या निवेशकों को धन का प्रबंधन करने या पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने का इरादा रखते हैं। तदनुसार, रजिस्ट्रीकृत एफएमई-रिटेल की तुलना में इस श्रेणी के लिए पात्रता आवश्यकताओं की मांग कम है।

iii) प्राधिकृत एफएमई

लाइट-टच रजिस्ट्रीकरण के साथ एक विशेष श्रेणी ऐसे एफएमई को प्रदान की जाती है जो केवल वेंचर पूंजीगत योजना के माध्यम से स्टार्ट-अप की असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहते हैं और विशेष रूप से मान्यता प्राप्त निवेशकों या कम से कम २५०,००० अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाले निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

एफएमई के लिए तीन रजिस्ट्रीकरण श्रेणियां, उन्हें अनुमत कार्यकलापों की जोखिम क्षमता के आधार पर, उन पर लागू नियामक आवश्यकताओं को भी निर्धारित करती हैं।

एफएमई, खुदरा योजनाओं, गैर-खुदरा योजनाओं, उद्यम पूंजी योजनाओं, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं और निवेश ट्रस्टों के लिए विस्तृत पात्रता और नियामक आवश्यकताओं को नियमों के अधीन निर्धारित किया गया है।

वर्ष के दौरान नीति विकास

१) आईएफएससी में एंजेल निधि के लिए फ्रेमवर्क

एंजेल निधि स्टार्ट-अप और एंजेल निवेशकों के बीच की खाई को पाटते हैं, जो स्टार्ट-अप को सलाह और संसाधन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी की मान्यता में, प्राधिकरण ने आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियम, २०२२ के अधीन ०१ जुलाई, २०२२ के परिपत्र के माध्यम से एंजेल निधि के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है।

बॉक्स ४.१: आईएफएससी में एंजेल निधियों के लिए नियामक फ्रेमवर्क

आईएफएससी में निधि प्रबंधन पारिस्थिकी तंत्र को और अधिक सार्थक बनाने और स्टार्ट-अप में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियम, २०२२ के अधीन जुलाई २०२२ में एंजेल निधि के लिए पृथक फ्रेमवर्क तैयार किया गया।

शुरुआती चरण के स्टार्ट-अप और एंजेल निवेशकों के बीच की खाई को पाटने के लिए एंजेल निधि रखी गई हैं, और निवेशकों को स्टार्ट-अप निवेशों का विविध पोर्टफोलियो बनाने के लिए जहां निवेशकों के पास विवेकाधिकार जारी रहेता है। व्यावसायिक रूप से प्रबंधित मार्ग प्रदान करते हैं।

आईएफएससी में कोई एफएमई हरित चैनल के अधीन प्राधिकरण के साथ स्थापन ज्ञापन संपन्न करके एंजेल निधि का शुभारंभ करने में सक्षम हो जाएगा, अर्थात् आईएफएससीए के साथ स्थापन ज्ञापन संपन्न करने पर निवेशकों द्वारा सदस्यता के लिए योजनाएं तुरंत खोली जा सकती हैं। इन निधियों को मान्यता प्राप्त निवेशकों या ५ वर्षों में कम से कम ४०,००० अमरीकी डालर देने को तैयार निवेशकों से निवेश स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। आईएफएससी में एंजेल निधियों के प्राप्त होने पर इन्हें स्टार्ट-अप के साथ-साथ आईएफएससी में भारत या विदेशी क्षेत्राधिकारों में अन्य विनियमित एंजेल योजनाओं में निवेश करने की अनुमति है।

२) पर्यावरणीय, सामाजिक या शासन (ईएसजी) योजनाओं के लिए एफएमई द्वारा प्रकटीकरण के लिए मापदंड

चूंकि निधि प्रबंधन उद्योग से आशा की जाती है कि वह आईएफएससी में ईएसजी संचालित निवेशों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए एफएमई द्वारा उनके द्वारा शुरू की गई विभिन्न ईएसजी योजनाओं के लिए प्रकटीकरण के विस्तृत मानदंड १८ जनवरी, २०२३ को निर्दिष्ट किए गए। इस उपाय से ईएसजी योजनाओं से संबंधित प्रकटीकरण में धारणीयता, तुलनात्मकता और विश्वसनीयता आने और यह सुनिश्चित करने को बढ़ावा मिलने की आशा है आईएफएससी में ईएसजी योजनाएं उनके लेबल के अनुरूप होंगी। इसके अलावा, ईएसजी योजनाओं की चल रही

निगरानी और प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित फ्रेमवर्क सिद्धांत-आधारित है, और बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। इसके अलावा, विनियामक अपेक्षाओं को निर्धारित करने के लिए, प्राधिकरण ने विस्तृत मार्गदर्शन नोट और उदाहरण भी प्रदान किए हैं।

३) प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह

आईएफएससी में निवेश कोष स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उपाय के रूप में, विशेष रूप से आईएफएससी में अपने परिचालन को स्थापित करने के प्रारंभिक चरणों वाले बाजार सहभागियों को सूचना का प्रसार करने के लिए ९ दिसंबर, २०२२ को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह प्रकाशित किया गया है। संग्रह में अक्सर पूछे जाने वाले १४१ प्रश्न शामिल हैं, जिन्हें ११ खंडों के अधीन संरचित किया गया है और ये आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियम, २०२२ और उसके अधीन जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों के प्रमुख पहलुओं के बारे में विवरण प्रदान करते हैं।

४) गिफ्ट आईएफएससी में एफएमई स्थापित करने के लिए सार्वभौम संपत्ति निधि की सुविधा

सार्वभौम संपत्ति निधि अपने स्वभाव से ही किसी राज्य के हित का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था और उसके नागरिकों को लाभान्वित करते हैं। इस तरह की निधियों को अपनी परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए गिफ्ट आईएफएससी में अपने एफएमई को स्थापित करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए, उनकी विशिष्ट प्रकृति और आधिदेश को देखते हुए पूंजी योगदान (प्रारंभिक और जारी) में कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया गया।

५) गिफ्ट आईएफएससी में पारिवारिक निवेश कोष की स्थापना की सुविधा

अमीर परिवारों के लिए अपने धन का प्रबंधन और संरक्षण करने के लिए पसंदीदा वाहन के रूप में फैमिली ओफिसेज तेजी से उभर रहे हैं। दुनिया भर में, फैमिली ओफिसेज भी स्टार्ट-अप में निवेश के लिए पूंजी के महत्वपूर्ण समूह बन गए हैं। तदनुसार, फैमिली ओफिसेज के स्व-प्रबंधित निवेश कोष को सुकर बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियम, २०२२ में प्रतिष्ठापित किया गया। इस तरह के धन की पूर्लिंग के लिए पसंदीदा क्षेत्राधिकार के रूप में स्थापित करने के अपने प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए गिफ्ट आईएफएससी को, गिफ्ट आईएफएससी में अपने संचालन की स्थापना में फैमिली ओफिसेज के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए परिवार-नियंत्रित एंटीटियों द्वारा, परिवार की भागीदारी, कर्मचारियों के साथ आर्थिक हितों को साझा करने, अतिरिक्त पूर्लिंग वाहनों की स्थापना करने, परिवार के सदस्यों द्वारा घोषणा करने आदि के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए।

६) पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने वाले एफएमई द्वारा ग्राहक निधियों के प्रबंधन के लिए मानदंड

आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियम, २०२२ आईएफएससी में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं को प्रदान करने और रजिस्ट्रीकृत एफएमई (खुदरा और गैर-खुदरा) को अपने ग्राहकों को इन सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति देता है। आईएफएससी में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने वाले एफएमई को आईएफएससी में बैंकिंग इकाई में समर्पित बैंक खाते में ग्राहक निधि स्वीकार करने की अनुमति है। यह तन्यता एफएमई को परिचालन सुविधा प्रदान करती है क्योंकि सभी निवेशों के लिए केवल एक ही बैंक खाते का प्रबंधन करना और उसके रिकॉर्ड को बनाए रखना आवश्यक है। हालाँकि, इस उपबंध ने कुछ प्रकार के संभावित ग्राहकों को एफएमई की पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं का लाभ उठाने से रोक दिया। इसलिए, मार्च २०२३ में हुई अपनी बैठक में प्राधिकरण द्वारा इस उपबंध में संशोधन को स्वीकृति दे दी गई है।

७) पूंजी बाजार उत्पादों और सेवाओं के वितरण के लिए फ्रेमवर्क

प्राधिकरण ने आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करने के अपने अधिकार को आगे बढ़ाते हुए आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, २०२१ के अधीन दिसम्बर २१, २०२२ के परिपत्र द्वारा पूंजी बाजार उत्पादों और सेवाओं के वितरण के लिए नियामक फ्रेमवर्क जारी किया है।

बॉक्स ४.२: पूंजी बाजार उत्पादों और सेवाओं के वितरण के लिए नियामक फ्रेमवर्क

वितरक इन उत्पादों और सेवाओं के खरीदारों के साथ पूंजी बाजार उत्पादों और सेवाओं के प्रदाताओं को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वितरण कार्य का महत्व निवेश निधि उद्योग में और भी अधिक स्पष्ट है क्योंकि दुनिया भर के निधि प्रबंधक आमतौर पर अपने उत्पादों और सेवाओं को व्यापक ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए तीसरे पक्ष के वितरकों की सेवाओं का उपयोग करते हैं।

इसलिए, निधि प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र का और विस्तार करने और आईएफएससी के भीतर कार्यकलापों के एक नए सेट को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से, आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, २०२१ के अधीन वितरण कार्यकलापों के लिए नियामक फ्रेमवर्क निर्दिष्ट किया गया है।

एक बार प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत होने के बाद, इन वितरकों को आईएफएससी से वैश्विक वितरण करने और विभिन्न क्षेत्राधिकारों में ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है।

इसके अलावा, वितरकों के ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए, फ्रेमवर्क विस्तृत आचार संहिता भी प्रदान करता है जिसमें विज्ञापन संहिता और वितरक पर लागू होने वाले अन्य दायित्व शामिल हैं और यह आईएफएससी में उन निर्गमकर्ता और सेवा प्रदाता को चिह्नित करता है जो अपने उत्पादों और सेवाएं के विपणन के लिए वितरकों की सेवाएं का लाभ उठाते हैं।

परिचालन और प्रवृत्तियां

निधि प्रबंधन

३१ मार्च, २०२३ तक, प्राधिकरण के पास ६५ एफएमई रजिस्ट्रीकृत हैं, जिनमें रजिस्ट्रीकृत एफएमई (गैर-खुदरा) श्रेणी में रजिस्ट्रीकरण की सबसे बड़ी संख्या देखी गई है। इन एफएमई ने आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियम, २०२२ के अधीन अनुमत विभिन्न प्रकार की योजनाओं में सामूहिक रूप से १३ बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की प्रतिबद्धताएं जुटाई हैं।

सारणी ४.१ : ३१ मार्च २०२३ को रजिस्ट्रीकृत एफएमई की संख्या

विवरण	संख्या
रजिस्ट्रीकृत एफएमई (खुदरा) की संख्या	४
रजिस्ट्रीकृत एफएमई (गैर-खुदरा) की संख्या	५७
प्राधिकृत एफएमई की संख्या	४
एफएमई की कुल संख्या	६५

सारणी ४.२ : ३१ मार्च, २०२३ को स्वीकृत योजनाओं की संख्या

विवरण	रजिस्ट्रीकृत योजनाओं की संख्या	बढ़ाई गई प्रतिबद्धता (यूएसडी मिलियन में)
उद्यम पूंजी योजनाएं	३	२६०.७५
जिनमें से, एंजेल योजनाओं की संख्या	२	६०.७५
प्रतिबंधित योजनाएं	४७	१२,९७४.२
एआईएफ की श्रेणी I और II	२४	१०,६०७
एआईएफ की श्रेणी III	२३	२३६७.२
आईएफएससी में कुल योजनाएं	५०	१३,२३४.९५

पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं

आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियम, २०२२ प्रदान करता है कि एफएमई जो रजिस्ट्रीकृत (खुदरा) और रजिस्ट्रीकृत (गैर-खुदरा) की श्रेणियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, वे पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं। ९ ऐसे एफएमई हैं जो आईएफएससी में ये सेवाएं प्रदान करते हैं और ४१३.३९ मिलियन अमरीकी डालर की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करते हैं।

पक्ष-समर्थन और आउटरीच



चित्र ४.१: श्री प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक, आईएफएससीए आईवीसीए कॉन्क्लेव २०२३ में फायरसाइड चैट के दौरान

आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल ने आईवीसीए कॉन्क्लेव २०२३ में भाग लिया, और जीआईएफटी आईएफएससी में निधि के अवसरों के बारे में सिंहावलोकन दिया, जिसमें व्यापार करने में आसानी, नवाचारों को सुविधाजनक बनाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अपने निधि प्रबंधन नियमों के अधीन विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला गया।

अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज

"भारत आज सोने और चांदी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बाजार है। लेकिन, क्या यही भारत की एकमात्र पहचान होनी चाहिए? भारत की पहचान भी बाजार निर्माता की होनी चाहिए। आईआईबीएक्स इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह स्वर्ण उद्योग में हमारे प्लेयरों, विशेष रूप से जौहरियों को व्यापार का विस्तार करने में मदद करेगा, उनके लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। वे पारदर्शी तरीके से सीधे बुलियन खरीद सकेंगे, और अंतरराष्ट्रीय मूल्य खोज में भी भाग ले सकेंगे। इसके अलावा, आईआईबीएक्स एक्सचेंज के माध्यम से सीधे सोने में व्यापार करने के अवसर भी प्रदान करेगा। जैसे-जैसे सोने का व्यापार बाजार संगठित होगा, भारत में सोने की मांग भी सोने की कीमतों को प्रभावित और निर्धारित करेगी।"

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आईआईबीएक्स के शुभारंभ के अवसर पर

कीमती धातु उद्योग में सोना सबसे आवश्यक धातुओं में से एक है। यह दुनिया भर में उपभोक्ताओं और निवेशकों के एक विविध समूह द्वारा खरीदा जाता है। सोने की प्रमुख मांग वाले क्षेत्रों में आभूषण, निवेश, केंद्रीय बैंक भंडार और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। सोने के आभूषण सोने की वार्षिक मांग के सबसे बड़े स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि हाल के दशकों में इस प्रवृत्ति में गिरावट आई है, फिर भी यह कुल वैश्विक सोने की मांग का लगभग ५० प्रतिशत है^{१९} वर्षों से, सोने को एक विश्वसनीय, मूर्त और दीर्घकालिक मूल्य के भंडार के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे यह केंद्रीय बैंकों के लिए इसे भंडार के माध्यम के रूप में रखने का एक आकर्षक अवसर बन गया है। प्रौद्योगिकी उद्योग में, प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, सोना अनुप्रयोगों का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम है।

भारत इसके सबसे बड़े बाजारों में से एक है। स्वर्ण उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है जिसकी मांग देश की बढ़ती समृद्धि से प्रेरित है। देश की संस्कृति सोने को बहुत महत्व देती है, जिसे धन, प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है और यह कई रीति-रिवाजों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

वित्त वर्ष २०२२-२३ में भारत में सोने का आयात ३५.०१ अरब अमेरिकी डॉलर था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) की गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष २०२२ के लिए, 'भारतीय सोने की मांग महामारी से पहले के स्तरों की तुलना


^{१९} वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल

में सुदृढ़ रही'। वर्ष २०२२ के लिए आभूषण क्षेत्र में सोने की मांग ६०० टन थी, जो सोने की उच्च और बढ़ती स्थानीय कीमतों के बावजूद, कोविड-१९ महामारी से पहले की १० वर्ष की अवधि के वार्षिक औसत के अनुरूप थी। वर्ष २०२२ में छड़ों और सिक्कों में निवेश १७३ टन था।^{२३}

इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज

अन्य बातों के अलावा नीति आयोग की "ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज गोल्ड मार्केट" (फरवरी २०१८) रिपोर्ट में गिफ्ट आईएफएससी में एक बुलियन एक्सचेंज स्थापित करने की सिफारिश की गई है, जो वैश्विक बाजार सहभागियों के लिए व्यापार के लिए स्थान के विकल्प में एक अतिरिक्त विकल्प हो सकता है और इसके लिए प्राथमिक मध्यस्थ बन सकता है। भारत के सभी सोने के आयात और निर्यात। एक्सचेंज एक जीवंत बाजार बना सकता है जो मूल्य की खोज में मदद करता हो, जिसमें भारत के लिए वैश्विक सोने के बाजार में मूल्य निर्धारक होने की क्षमता हो।

भारत के माननीय वित्त मंत्री ने २०२० में अपने बजट भाषण में आईएफएससी में एक अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की घोषणा की थी। आईएफएससी में वर्तमान बुलियन पारिस्थितिकी का आरेख नीचे दिया गया है:



आईआईबीएक्स की भूमिका

आईएफएससी में बुलियन ट्रेड के लिए पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मंच प्रदान करना

लोकतांत्रिक मूल्य निर्धारण तंत्र

सोना आयात करने के लिए अर्हक जौहरी तक सीधी पहुंच

वित्तीय बाजारों के अन्य खंडों के साथ अपेक्षाकृत अधिक एकीकरण करना

^{२३} गोल्ड डिमांड ट्रेड्स रिपोर्ट, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल

व्यापार के अपेक्षाकृत अधिक अवसर प्रदान करना

अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करना

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य को प्रभावित करना

आईएफएससी में विश्व स्तरीय वोल्टिंग सुविधा प्रदान करना


इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ

इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) का गठन भारत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए एक जीवंत सोने के व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करने के इरादे से किया गया है। आईआईबीएक्स के पीछे का विचार देश के भीतर विभिन्न कीमती धातुओं की कीमत निर्धारित करने के लिए एक पारदर्शी एक्सचेंज मॉडल विकसित करना है, इस प्रकार भारत को मूल्य लेने वाला बनाने के बजाय मूल्य निर्धारक बनाना है। इस कदम की दिशा में, आईआईबीएक्स को चालू कर दिया गया है।

आईआईबीएक्स का ट्रायल रन १८ अप्रैल, २०२२ को शुरू हुआ। आईआईबीएक्स को औपचारिक रूप से भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा २९ जुलाई, २०२२ को शुभारंभ किया गया था। आईआईबीएक्स के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दुनिया। इसलिए, भविष्य में जब हमारी अर्थव्यवस्था आज की तुलना में बहुत बड़ी होगी, तो हमें इसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी क्योंकि यह बढ़ने के लिए बाध्य है। इसके लिए हमें ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है जो हमारी वर्तमान और भविष्य की भूमिकाओं को पूरा कर सकें वैश्विक अर्थव्यवस्था। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज – आईआईबीएक्स इस दिशा में अहम कदम है।"

वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के दौरान, आईआईबीएक्स के माध्यम से २२,४६५,५२९ अमेरिकी डॉलर के कुल मूल्य का कुल मिलाकर ४११ किलोग्राम सोना आयात किया गया।

आईआईबीएक्स पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध उत्पाद



आकृति ५.१. आईआईबीएक्स पर व्यापार के लिए उपलब्ध उत्पाद

उपर्युक्त यूआईजीडी स्वर्ण ९९५ शुद्धता और यूआईजीडी स्वर्ण ९९९ शुद्धता वाले उत्पादों को भी भारत-यूई सेईपीए के अधीन आयात के उद्देश्य से टैरिफरेट कोटा (टीआरक्यू) धारकों तक बढ़ाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं कि भारत-यूई सीईपीए के अधीन निर्दिष्ट यूई के अर्थव्यवस्था मंत्रालय से मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता जैसी शर्तों का विक्रेताओं और खरीददारों द्वारा अनुपालन किया जाता है। डीजीएफटी द्वारा आवंटित पूर्व-अनुमोदित कोटा के अनुसार केवल टीआरक्यू धारक ही आयात कर सकते हैं।

संरचना

एक्सचेंज और समाशोधन निगम

इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) भी बुलियन एक्सचेंज = समाशोधन निगम के रूप में प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत है। आईआईबीएक्स की भूमिका ट्रेडिंग मंच प्रदान करना है जो बुलियन से संबंधित उत्पादों में ट्रेडिंग की पेशकश करता है। समाशोधन निगम के रूप में, आईआईबीएक्स सभी ट्रेडों के समाशोधन और निपटान के लिए उत्तरदायी है।

निक्षेपागार

आईआईडीआईआई (पहले सीडीएसएल आईएफएससी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को बुलियन निक्षेपागार के रूप में नामित किया गया है। आईआईडीआईआई बुलियन एक्सचेंज पर व्यापार के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में बुलियन निक्षेपागार रसीद (बीडीआर) जारी करने के लिए उत्तरदायी है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार है कि वोल्ट प्रबंधक के पास बुलियन निक्षेपागार और वोल्ट प्रबंधक और बुलियन निक्षेपागार के बीच डेटा के प्रणाली-आधारित सामंजस्य के लिए सूचना के एन्क्रिप्टेड ट्रांसमिशन प्रदान करने के लिए प्रणाली, तंत्र और संबंधित आईटी अवसंरचना विद्यमान है।

वोल्टिंग अवसंरचना

आईएफएससी में वोल्टिंग अवसंरचना का लक्ष्य आने वाले वर्षों में बुलियन ट्रेडिंग क्षमता की अपेक्षित वृद्धि को पूरा करना है। तदनुसार, प्राधिकरण ने तीन वोल्ट प्रबंधकों को रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया है, जिनमें से दो रजिस्ट्रीकरण वित्तीय वर्ष २०२२-२३ में प्रदान किए गए हैं। वोल्ट प्रबंधकों की कुल वोल्ट क्षमता ४२० मीट्रिक टन सोना और २२०० मीट्रिक टन चांदी है।

बुलियन बाजार मध्यस्थ

आईएफएससी में विद्यमान स्टोक एक्सचेंजों के ट्रेडिंग सदस्य (टीएम) और समाशोधन सदस्य (सीएम) बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम (आईआईबीएक्स) के सदस्य के रूप में ग्राउंडफाउंडरिंग के लिए पात्र हैं।

बुलियन ट्रेडिंग सदस्य (बुलियन टीएम), बुलियन ट्रेडिंग और समाशोधन सदस्य (बुलियन टीएमसीएम), बुलियन ट्रेडिंग कम सेल्फ समाशोधन सदस्य (बुलियन टीएससीएम) और बुलियन व्यावसायिक समाशोधन सदस्य (बुलियन पीसीएम) की क्षमता में बुलियन बाजार मध्यस्थ के रूप में रजिस्ट्रीकृत एंटिटियों की संख्या ३१ मार्च, २०२३ की स्थिति के अनुसार, नीचे सारणी में दी गई है।

सारणी ५.१: गिफ्ट आईएफएससी पर रजिस्ट्रीकृत बुलियन बाजार मध्यस्थ

बुलियन टीएम	बुलियन टीसीएम	बुलियन टीएससीएम	बुलियन पीसीएम
४	५	१	२

इन एंटिटियों के नाम और विवरण समय-समय पर प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपडेट किए जाते हैं।

अर्हक जौहरी

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ५ जनवरी, २०२२ की अधिसूचना संख्या ४९/२०१५-२०२० के माध्यम से, अन्य बातों के अलावा, निर्दिष्ट किया है कि आईटीसी (एचएस) कोड ७१०८१२०० और ७११८९००० के अधीन सोने के आयात की अनुमति आईआईबीएक्स के माध्यम से आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित अर्हक जौहरी (क्यूजे) द्वारा दी जाएगी।

तदनुसार, क्यूजे की अधिसूचना आईआईबीएक्स के माध्यम से भारत में सोने के आयात के उद्देश्य से सीमित उद्देश्य ट्रेडिंग सदस्य (एलपीटीएम) और ग्राहकों के रूप में की जा रही है। ३१ मार्च, २०२३ तक प्राधिकरण द्वारा ८४ क्यूजे को अधिसूचित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र / दिशानिर्देश

१) एलआरएस रूट के माध्यम से आईआईबीएक्स पर बीडीआर में निवेश पर स्पष्टीकरण

परिपत्र स्पष्ट करता है कि १६ फरवरी, २०२१ को एलआरएस पर आरबीआई के परिपत्र में संदर्भित निवासी व्यक्तियों को एलआरएस रूट के माध्यम से आईआईबीएक्स पर बीडीआर में लेनदेन/निवेश करने की अनुमति नहीं है।

२) आईआईबीएक्स के माध्यम से सोने का आयात करने वाले अर्हक जौहरी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

परिपत्र आईआईबीएक्स के माध्यम से क्यूजे द्वारा सोने के आयात की प्रक्रिया के साथ-साथ क्यूजे के रूप में अधिसूचना के लिए पालन की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है।

३) आईआईबीएक्स पर बुलियन की आपूर्ति के लिए 'अर्हक आपूर्तिकर्ता'

परिपत्र के द्वारा आईएफएससी में 'बिक्री' के सीमित उद्देश्य के लिए, रिमोट एक्सेस मोड के माध्यम से शामिल सहित किसी शाखा या सहायक कंपनी के रूप में कोई प्रतिष्ठान, कार्यालय, या इकाई स्थापित किए बिना पात्र विदेशी आपूर्तिकर्ता एंटिटियों को अर्हक आपूर्तिकर्ताओं के रूप में, जिसमें रिमोट एक्सेस मोड शामिल है, आईआईबीएक्स पर भाग लेने के लिए सक्षम बनाया गया।

४) एमआईआई के लिए व्यापार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा बचाव (डीआर) के लिए दिशानिर्देश

परिपत्र ने आईएफएससी में एमआईआई के लिए बीसीपी और डीआर के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। परिपत्र में निम्नलिखित के लिए दिशानिर्देशों को रेखांकित किया गया है:

- प्राथमिक डेटा केंद्र के साथ डीआरएस/निकट साइट का विन्यास,
- आपदा बचाव ड्रिल/परीक्षण

- बीसीपी - डीआर नीति दस्तावेज

५) आईएफएससी में बुलियन एक्सचेंज के लिए मासिक विकास रिपोर्ट

परिपत्र द्वारा आईएफएससी में बुलियन एक्सचेंज की मासिक विकास रिपोर्ट के लिए प्रारूप प्रदान किया गया, जो निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक माह की समाप्ति से १० दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

६) भारत-यूई सीईपीए के अधीन टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) धारकों को आईआईबीएक्स के माध्यम से यूईजीडी स्वर्ण के आयात के लिए अर्हक जौहरी माना जाएगा।

परिपत्र द्वारा डीजीएफटी द्वारा आवंटित टीआरक्यू के सभी धारकों को भारत-यूई सीईपीए के अधीन सोने के आयात के उद्देश्यों के लिए प्राधिकरण द्वारा 'अर्हक जौहरी' के रूप में अधिसूचित होने के लिए पात्र होने में सक्षम बनाया गया। तदनुसार, टीआरक्यू के ऐसे सभी धारक, जो अन्यथा पात्र नहीं हैं या प्राधिकरण द्वारा क्यूजे के रूप में अधिसूचित हैं, को अलग से बनाई गई श्रेणी 'अर्हक जौहरी- टीआरक्यू' ('क्यूजे-टीआरक्यू') के अधीन क्यूजे के रूप में अधिसूचित करने पर विचार किया जाएगा।

७) आईएफएससी में बुलियन ट्रेडिंग सदस्य और समाशोधन सदस्य

परिपत्र ने आईएफएससीए के तारीख १७ सितंबर, २०२१ के परिपत्र एफ.संख्या ३२९ / आईएफएससीए / बुलियन एमआईआई / २०२१ के पैरा संख्या ३ और ४ में निर्दिष्ट निवल मूल्य और बेस न्यूनतम पूंजी के अनुरक्षण की अवधि को (आईआईबीएक्स की परिचालनात्मकता की तारीख से) आरंभिक छः माह से छः माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात् २८ जुलाई, २०२३ तक बढ़ा दिया।

८) जारी करने की बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम के लिए निवल मूल्य आवश्यकताएँ

परिपत्र का उद्देश्य धीरे-धीरे बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन कारपोरेशन की निवल मूल्य आवश्यकता को बढ़ाना है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन कारपोरेशन का निवल मूल्य ट्रेडिंग मंच में तकनीकी प्रगति को और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्तोलन उत्पादों सहित इसके व्यवसाय की प्रकृति और अपेक्षित वृद्धि को समायोजित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका निवल मूल्य इसके सामने आने वाले जोखिमों से पर्याप्त रूप से निपटने के लिए पर्याप्त होगा।

९) बुलियन एक्सचेंज पर ब्लॉक डील के निष्पादन के लिए दिशानिर्देश

परिपत्र ने बुलियन एक्सचेंज को १०० किलोग्राम सोने की न्यूनतम मात्रा के साथ बड़े ट्रेडों के निष्पादन की सुविधा के लिए पृथक विंडो प्रदान करने की अनुमति दी। परिपत्र ने ब्लॉक डील के लिए फ्रेमवर्क भी प्रदान किया, जिससे केवल गैर-व्यक्तिगत प्रतिभागियों को ब्लॉक डील निष्पादित करने की अनुमति होगी।

अन्य अभिकरणों द्वारा जारी अधिसूचनाएं/परिपत्र

- १) दिनांक ३० अप्रैल, २०२२ की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या २२/२०२२ और दिनांक २० जुलाई, २०२२ की अधिसूचना संख्या ४३/२०२२ और दिनांक १ मई, २०२२ की डीजीएफटी सार्वजनिक सूचना संख्या ०६/२०१५-२०२० और दिनांक २९ अगस्त, २०२२ की सार्वजनिक सूचना संख्या २३/२०१५-२०२० ने नामित अभिकरणों/ नामित बैंकों और अन्य पात्र एंटिटियों द्वारा किए गए आयात के अतिरिक्त क्यूजे को (टैरिफ शीर्ष ७१०८ के अधीन) सीधे आईआईबीएक्स के माध्यम से सोना आयात करने में सक्षम बनाया।

- २) वाणिज्य विभाग ने एसईजेड नियम, २००६ में नियम १९क सम्मिलित करने के लिए दिनांक ०६.०७.२०२२ को अधिसूचना सं. के-४३०१४(१९)/१/२०१८-एसईजेड जारी की, जिसने आईएफएससीए को आईआईबीएक्स पर ट्रेडिंग के लिए बीडीआर बनाने के लिए बुलियन स्टोर करने के लिए अन्य एसईजेड में वॉल्टिंग ईकाईयों को मानद आईएफएससी ईकाई बनाकर आईएफएससी का क्षेत्राधिकार बढ़ाया।
- ३) वाणिज्य विभाग ने १ नवंबर, २०२२ के का. ज्ञा. सं. जे-१६/३/२००७-एसईजेड-खंड V के अधीन भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे (आईसीईजीएटीई) के कार्यान्वयन के लिए प्रायोगिक परीक्षण शुरू करने के उद्देश्य से गिफ्ट एसईजेड को अतिरिक्त साइट के रूप में नामित किया है। इसके बाद, आईएफएससीए ने गिफ्ट एसईजेड में आईसीईजीएटीई के सफल परीक्षण के लिए डीजी (प्रणाली), डीओसी और एसईजेड डीसी के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया।
- ४) आरबीआई के २५ मई, २०२२ के परिपत्र में प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्यूजे द्वारा सोने के आयात पर दिशानिर्देश प्रदान किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-१ बैंकों को विद्यमान विदेश व्यापार नीति और आईएफएससीए अधिनियम के अधीन जारी विनियमों के अनुपालन में अर्हक जौहरी को आईआईबीएक्स के माध्यम से सोने के आयात के लिए ग्यारह दिनों के लिए अग्रिम भुगतान भेजने की अनुमति देने के निर्देश दिए।
- ५) ०७ जून २०२२ को आरबीआई के परिपत्र द्वारा गिफ्ट आईएफएससी में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाओं को आरबीआई से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद आईआईबीएक्स के व्यावसायिक समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई।
- ६) १२ दिसंबर, २०२२ के आरबीआई परिपत्र ने पात्र एंटीटियों को आईएफएससी में मान्यता-प्राप्त एक्सचेंजों पर सोने के मूल्य जोखिम के लिए अपने जोखिम से बचाव करने की अनुमति दी।

माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल का गिफ्ट आईएफएससी का दौरा

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने गिफ्ट आईएफएससी के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने सोने के कारोबार; गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के संचालन तथा गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से आभूषण निर्यातकों के लिए स्वर्ण धातु ऋण की लागत में कमी लाने से संबंधित मुद्दों को समझने के लिए गिफ्ट सिटी में आईआईबीएक्स में विचार विमर्श किया। उन्होंने आभूषण क्षेत्र के प्रतिनिधियों से आईआईबीएक्स के माध्यम से सोने के लिए किफायती कीमतों की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया और यह भी बताया कि कैसे भारत-यूई सीईपीए उनके लिए एक बड़ी संभावना है।



चित्र ५.१: केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की गिफ्ट आईएफएससी में वॉल्ट ईकाई का दौरा

पक्ष-समर्थन और आउटरीच

आईएफएससी में बुलियन पारिस्थितिकी तंत्र की वृद्धि और विकास के लिए आईएफएससीए द्वारा विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम चलाए गए। इनमें वैश्विक और राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी शामिल है जैसे:

- जुलाई, २०२२ में भारत स्वर्ण सम्मेलन, चेन्नई
- अक्टूबर, २०२२ में ग्लोबल प्रेशियस मेटल्स कॉन्फ्रेंस, लिस्बन
- नवम्बर, २०२२ में दुबई प्रेशियस मेटल्स कॉन्फ्रेंस, दुबई

इसके अतिरिक्त, क्यूजे, संभावित क्यूजे, टीआरक्यू धारकों, निर्यातकों और व्यापारिक सदस्यों के लिए कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई, आदि में आईएफएससीए और आईआईबीएक्स द्वारा संयुक्त रूप से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के दौरान, गिफ्ट आईएफएससी में कीमती धातुओं के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में वर्तमान विकास और आईआईबीएक्स के माध्यम से सोने के आयात के लाभों पर प्रकाश डाला गया।



चित्र ५.२: श्री कमलेश शर्मा, महाप्रबंधक, आईएफएससीए १४वें अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण आर्थिक मंच पर

अगले वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

- डीजीएफटी द्वारा यथा-अधिसूचित टीआरक्यू धारकों के लिए आईआईबीएक्स के माध्यम से सोने के आयात का परिचालन।
- भारत भर में विशेष आर्थिक क्षेत्रों या मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्रों के भीतर अन्य स्थानों पर आईएफएससी वॉल्टिंग केंद्रों का संचालन करना।
- भारतीय आईबीयू को आईआईबीएक्स पर ट्रेडिंग सदस्यों के रूप में संचालित करने में सक्षम बनाना।
- आईआईबीएक्स के माध्यम से स्वर्ण लीजिंग/स्वर्ण धातु ऋण सक्षम बनाना
- आईआईबीएक्स पर चांदी का कारोबार।
- आईआईबीएक्स पर विभिन्न धातुओं और वस्तुओं के व्युत्पन्न आरंभ करना।



फिनटेक हब

"२१ वीं सदी में, वित्त और प्रौद्योगिकी एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। और जब तकनीक, विज्ञान और सॉफ्टवेयर की बात आती है तो भारत के पास बहुत भी है और अनुभव भी। आज पूरी दुनिया में रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में ४० फीसदी हिस्सा अकेले भारत का है। आज हम इसमें अग्रणी हैं। फिनटेक के क्षेत्र में भारत की ये ताकत पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच रही है। इसलिए, मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप फिनटेक में नए नवाचार का लक्ष्य रखें। गिफ्ट आईएफएससी फिनटेक की वैश्विक प्रयोगशाला के रूप में उभरा है।"

– माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी

केंद्रीय बजट भाषण २०२१-२२ में, भारत की माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार गिफ्ट आईएफएससी में "विश्व-स्तरीय फिनटेक हब" के विकास का समर्थन करेगी।

प्राधिकरण ने इस दृष्टि के अनुरूप, विश्व स्तर पर फिनटेक के बीच दृश्यता और बुद्धि साझा करने के लिए कार्यनीति तैयार की और सुदृढ़ फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिए प्रगतिशील नियामक फ्रेमवर्क, प्रोत्साहन और अन्य उत्तोलक विकसित किए।

आईएफएससी में फिनटेक एंटीटी के लिए रूपरेखा

गिफ्ट आईएफएससी में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए, फिनटेक और टेकफिन्स के लिए अद्वितीय 'फिनटेक एंटीटी (एफई) नियामक फ्रेमवर्क' प्रदान करने संबंधी परिपत्र दिनांक २७ अप्रैल, २०२२ को जारी किया गया। यह नियामक फ्रेमवर्क आईएफएससी में फिनटेक कार्यकलापों को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए बनाया गया है। यह फ्रेमवर्क आईएफएससी में वित्तीय सेवा बाजार में विचारों के नवाचार और समाधान को बढ़ावा देने में वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधानों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, आईएफएससी में फिनटेक के लिए प्राधिकार/सीमित-उपयोग प्राधिकार प्रदान करता है।

आईएफएससीए के फिनटेक एंटीटी फ्रेमवर्क का सारांश

- १) **प्रयोज्यता** : एफई फ्रेमवर्क सभी पात्र देशीय और विदेशी एंटीटियों पर लागू होता है। यह फिनटेक और टेकफिंस दोनों को महत्व देता है। फिनटेक को वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने वाली एंटीटियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण द्वारा विनियमित वित्तीय सेवाओं में नए व्यापार मॉडल, अनुप्रयोग, प्रक्रिया या उत्पाद होते हैं, जबकि टेकफिन ऐसी एंटीटी हैं जो उन संबद्ध क्षेत्रों/कार्यकलापों में उन्नत या उभरते हुए प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करती हैं जो वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों से संबंधित कार्यकलापों में सहायता प्रदान करते हैं।
- २) **प्राधिकार** : यह योग्य प्रौद्योगिकी कंपनियों को सक्षम बनाता है, जिनके पास तैनात करने योग्य उन्नत/नवीन प्रौद्योगिकी समाधान है, जो सैंडबॉक्स में प्रवेश किए बिना आईएफएससीए से प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं, वित्तीय संस्थानों से संबंधित कार्यकलापों में सहायता और सहयोग प्रदान करता है।
आवेदक (एफएटीएफ शिकायत क्षेत्राधिकार से देशीय या विदेशी) के पास निम्नांकित होना चाहिए:
 - i. नियोजन योग्य समाधान / कार्यशील उत्पाद; और
 - ii. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से कम से कम एक में राजस्व अर्जित करने का ट्रैक रिकॉर्ड।
- ३) **सीमित उपयोग प्राधिकरण (सैंडबॉक्स)** : आईएफएससीए आईएफएससी में फिनटेक विचारों या समाधानों को विकसित करने और परीक्षण करने के लिए सैंडबॉक्स की विभिन्न श्रेणियाँ प्रदान करता है। आईएफएससीए पात्र आवेदकों को समझौता-ज्ञापन या आईएफएससीए और तदनुसूची विदेशी वित्तीय क्षेत्र नियामक के बीच सहयोग के उपबंधों के अनुसार विदेशी नियामक परामर्श तंत्र / फिनटेक पुल भी प्रदान करता है। ऐसा आवेदक जिसने अभी तक उत्पाद के विकास को पूरा नहीं किया है या जिसने 'अवधारणा का प्रमाण' पूरा कर लिया है और लाइव परीक्षण करना चाहता है, उसे सैंडबॉक्स के लिए पात्र माना जा सकता है।

सैंडबॉक्स की श्रेणियाँ

- **आईएफएससीए फिनटेक नियामक सैंडबॉक्स** : वास्तविक नवाचार और वास्तविक ग्राहकों/निवेशकों पर लाइव परीक्षण की आवश्यकता को प्रदर्शित करने वाली संस्थाएं, जो फ्रेमवर्क के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा करती हैं, जिन्होंने सीमित पूर्व परीक्षण किया था, और जो उचित जोखिम प्रबंधन रणनीति और पर्याप्त परीक्षण तत्परता और तैनाती योजना के साथ उपयोगकर्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती हैं, परीक्षण के बाद नियामक सैंडबॉक्स पर आवेदन कर सकती हैं।
- **आईएफएससीए फिनटेक नवाचार सैंडबॉक्स** : फ्रेमवर्क के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली एंटीटियों को आईएफएससीए नवाचार सैंडबॉक्स तक पहुंचने की अनुमति दी जा सकती है जहां फिनटेक लाइव बाजार से अकेले में अपने समाधान का परीक्षण कर सकते हैं। फिनटेक नवाचार सैंडबॉक्स से सफलतापूर्वक बाहर निकलने के बाद आवेदक आईएफएससीए फिनटेक नियामक सैंडबॉक्स के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
- **इंटर ओपरेबल नियामक सैंडबॉक्स (आईओआरएस)** : भारत में प्रवेश चाहने वाले विदेशी फिनटेक पर आईओआरएस के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते कि एंटीटी के पास वित्तीय प्रौद्योगिकी उत्पाद / सेवा हो, जिसका व्यवसाय मॉडल / कार्यकलाप / विशेषताएं एक से अधिक घरेलू वित्तीय क्षेत्र नियामक के दायरे में आती हों।

४) अनुमेय कार्यकलाप

क) वित्तीय सेवाओं से जुड़े अनुमेय फिनटेक क्षेत्रों/कार्यकलापों और वित्तीय उत्पाद, वित्तीय सेवाओं और आईएफएससीए द्वारा विनियमित वित्तीय संस्थानों के संबंध में सहयोगी क्षेत्रों/कार्यकलापों की उदाहरण सूची निम्न आकृति में दी गई है।

बैंकिंग क्षेत्र	पूँजी बाजार और फंड प्रबंधन	बीमा क्षेत्र
प्रेषण और भुगतान	क्राउड फंडिंग	इंश्योरटेक
डिजिटल उधार	व्यक्तिगत वित्त	नवीन प्रौद्योगिकियां बीमा जीवन चक्र के लिए
अभी खरीदें भुगतान करें बाद में	वेल्थ टेक	डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक स्वास्थ्य बीमा कवर
क्राउड लेंडिंग	रोबो एडवाइजरी	इनोवेशन वाणिज्यिक बीमा
डिजिटल बैंक (नव बैंकिंग/चैलेंजर बैंक)	सतत वित्त उत्पाद	बीमा कंपनियों के बीच शेष राशि के निपटान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म
ओपन बैंकिंग	वैकल्पिक व्यापार प्लेटफॉर्म	खुला बीमा
		एंबेडेड बीमा
		साईबर बीमा

आकृति ६.१: अनुमत फिनटेक क्षेत्रों/कार्यकलापों की व्याख्यात्मक सूची

ख) वित्तीय उत्पाद, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों (टेकफिन) के संबंध में सहायता और सहायक कार्यकलापों से संबंधित क्षेत्रों/कार्यकलापों की उदाहरण सूची नीचे दी गई है:



बीएफएसआई क्षेत्राधिकार उत्तोलन के लिए समाधान/सेवाएं

कृत्रिम बुद्धिमत्ता/यांत्रिक प्रज्ञा

वृहत डेटा

बोयोमीट्रिक्स

चैटबोट्स

साइबर सुरक्षा

डिजिटल पहचान/केवाईसी/एएमएल/सीएफटी

संवितरित खाता प्रौद्योगिकी

धोखाधड़ी का पता लगाना/रोकना

वस्तुगत इंटरनेट (आईओटी)

दीर्घायु वित्त

संवर्धित वास्तविकता और / या वर्चुअल वास्तविकता सहित मेटावर्स

परिमाण टेक


वेब ३.०

आकृति ६.२: टेकफिन के संबंध में अनुषंगी कार्यकलापों में सहायता करने वाले संबंधित क्षेत्रों/कार्यकलापों की व्याख्यात्मक सूची

५) यह ढाँचा "फ़ैल फ़ास्ट" के विचार को प्रोत्साहित करता है और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को बढ़ावा देता है। यह गिफ्ट आईएफएससी में विश्व स्तरीय फिनटेक हब की सुविधा के लिए सुदृढ़ नींव तैयार करता है।

एफई फ्रेमवर्क के अधीन पहले पांच फिनटेक एंटीटी प्राधिकार २९ जुलाई, २०२२ को प्रदान किए गए।

एफई फ्रेमवर्क के अधीन प्राधिकरण को १२ क्षेत्राधिकारों (भारत, यूएसए, स्वीडन, फ्रांस, मोरीशस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ताइवान, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और कनाडा) से कुल ६६ आवेदन प्राप्त हुए और वित्तीय वर्ष २०२२-२३ में ३१ नियामक अनुमोदन प्रदान किए गए।



आकृति ६.३ - एफई आवेदकों का उध्वाधर प्रसार

आईएफएससीए फिनटेक प्रोत्साहन योजना, २०२२

आईएफएससीए में विश्व स्तरीय फिनटेक हब की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए, उन्नत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में स्थित लोगों के साथ तुलनीय, आईएफएससीए फिनटेक प्रोत्साहन योजना, २०२२ को ४ फरवरी, २०२२ को राजपत्र में अधिसूचित किया गया, जिससे प्राधिकरण प्रोत्साहन योजना तैयार करने और विशिष्ट अनुदान (अनुदानों) के रूप में फिनटेक कार्यकलापों/एंटिटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पहला भारतीय वित्तीय क्षेत्र नियामक बन गया।

योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निदेश १२ सितंबर, २०२२ को जारी किए गए। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित छः प्रकार के अनुदान प्रदान किए जाते हैं:

१. फिनटेक स्टार्ट-अप अनुदान
२. संकल्पना अनुदान का प्रमाण
३. सैंडबॉक्स अनुदान
४. हरित फिनटेक अनुदान
५. सूचीबद्धता समर्थन अनुदान
६. त्वरकों/सहयोगियों के लिए अनुदान

१४ अक्टूबर, २०२२ को, प्राधिकरण ने आईएफएससीए फिनटेक प्रोत्साहन योजना, २०२२ के अधीन विचार के लिए उपयुक्त आवेदनों के मूल्यांकन और अनुशंसा के लिए आईआईएम अहमदाबाद के प्रो. जोशी जैकब की अध्यक्षता में मूल्यांकन समिति (ईसी) का गठन किया। इस समिति में बेल्जियम इजराइल, स्विटजरलैंड और यूके के चार अंतरराष्ट्रीय सदस्य शामिल हैं, जिन्हें विश्व भर में फिनटेक पारिस्थिकी तंत्र को विकसित और सुदृढ़ करने का व्यापक अनुभव प्राप्त है।

वित्त वर्ष २०२२-२३ में योजना के अधीन मूल्यांकन समिति द्वारा कुल १.१ करोड़ रुपये की राशि के अनुदान के लिए पांच आवेदनों की सिफारिश की गई है।


अंतरसक्रियात्मक नियामक सैंडबॉक्स

वित्तीय धारणीयता और विकास परिषद (एफएसडीसी-एससी) संबंधी उप-समिति के तत्वावधान में फिनटेक संबंधी अंतर-नियामक तकनीकी समूह (फिनटेक संबंधी आईआरटीजी) का गठन फिनटेक संबंधी मुद्दों के बारे में वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के बीच अंतर-नियामक समन्वय किया गया। इस समूह में वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के सदस्यों के अलावा, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

फिनटेक संबंधी आईआरटीजी की संदर्भ शर्तों में वर्ण-संकर उत्पादों/सेवाओं के लिए आईओआरएस के लिए नियामक सैंडबॉक्स में प्रवेश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, आईएफएससीए और पीएफआरडीएआई विभिन्न वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के दायरे में आने वाले वर्ण-संकर उत्पाद/सेवा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा शामिल है।

एक से अधिक वित्तीय क्षेत्र नियामकों के नियामक दायरे में आने वाले अभिनव उत्पादों/सेवाओं के परीक्षण को सुकर बनाने के लिए, फिनटेक पर आईआरटीजी द्वारा आईओआरएस के लिए एसओपी तैयार किया गया। वित्तीय उत्पाद/सेवा प्रदाता जिनके व्यवसाय मॉडल/कार्यकलाप/विशेषताएं एक से अधिक वित्तीय क्षेत्र के नियामक के दायरे में आते हैं, पर आईओआरएस के अधीन परीक्षण के लिए विचार किया जाएगा। इनोवेटर्स को अपने हाइब्रिड उत्पाद के संबंध में विभिन्न नियामकों के साथ संलग्न होने की आवश्यकता को कम करने के लिए, यह सामान्य खिड़की उपलब्ध कराई गई।

एसओपी के अनुसार, वैश्विक महत्वाकांक्षा रखने वाले भारतीय फिनटेक और भारत में प्रवेश के इच्छुक विदेशी फिनटेक के आवेदन प्रस्ताव आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकरण को भेजे जाएंगे, क्योंकि प्राधिकरण ऐसे सभी आवेदनों के लिए प्रमुख नियामक होगा।



पक्ष-समर्थन और आउटरीच

गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड के साथ समझौता-ज्ञापन

जीआईएफटी आईएफएससी में फिनटेक पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने के लिए ७ अप्रैल, २०२२ को आईएफएससीए और गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड के बीच समझौता-ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।

अंतरिक्ष विभाग के साथ समझौता-ज्ञापन


फिनटेक और स्पेसटेक के बीच अभिसरण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए २९ जुलाई, २०२२ को माननीय प्रधान मंत्री की उपस्थिति में आईएफएससीए और इसरो के बीच समझौता-ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। एमओयू के हिस्से के रूप में, अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) फिनटेक या टेकफिंस के तकनीकी मूल्यांकन में मदद करने के लिए विषय विशेषज्ञ प्रदान कर सकता है, और अंतरिक्ष से संबंधित डेटासेट से संबंधित क्षेत्रों में प्राधिकरण द्वारा फिनटेक एंटीटी के रूप में अधिकृत स्पेसटेक को पथ-प्रदर्शन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

समझौता-ज्ञापन के अधीन, आईएफएससीए और अंतरिक्ष विभाग में उभरती हुई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग करने पर सहमति बनी, जिसमें चंद्रमा संबंधी अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष पर्यटन और वित्तीय क्षेत्र के साथ अन्य अभिसरण क्षेत्र शामिल हैं।

आईएफएससीए और एमएएस के बीच फिनटेक सहयोग समझौता

एमएएस और आईएफएससीए के बीच फिनटेक सहयोग समझौते पर १८ सितंबर, २०२२ को श्री लॉरेंस वोंग (उप प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और एमएएस के उपाध्यक्ष) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

‘फिनटेक को-ऑपरेशन एग्रीमेंट’ का उद्देश्य आईएफएससीए नियामक सैंडबॉक्स और एमएएस नियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से वित्तीय सेवाओं में सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि भारत और सिंगापुर दोनों के उद्योग जगत के व्यक्तियों के साथ संभावित सीमा पार परीक्षण सहित नवीन वित्तीय उत्पादों या सेवाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।



इसे "स्तरीय" दृष्टिकोण के माध्यम से लागू किया जाएगा जिसमें परामर्श तंत्र (स्तर-१), जिसके बाद आईएफएससीए नियामक सैंडबॉक्स और/या एमएएस नियामक सैंडबॉक्स (स्तर-२) के लिए आवेदन, और बाद में, यदि अनुमति हो, आईएफएससीए और एमएएस के नियामक सैंडबॉक्स में क्रमशः सीमा पार परीक्षण शामिल है।

वैश्विक सहयोग की आवश्यकता वाले नवीन उपयोग के मामलों में प्राधिकरण और एमएएस द्वारा वैश्विक नियामक सैंडबॉक्स (स्तर-३) में प्रविष्टि लिए जाने की उपयुक्तता के लिए विचार किया जा सकता है। जहां उचित हो, वैश्विक नियामक सैंडबॉक्स बनाने में भाग लेने के लिए अन्य क्षेत्राधिकारों को आमंत्रित किया जा सकता है।

फिनटेक हब के साथ समझौता

गिफ्ट आईएफएससी में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित देशीय फिनटेक हब और निकायों के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए:

१. टी-हब फाउंडेशन- २१ अक्टूबर, २०२२
२. कर्नाटक डिजिटल इकोनोमी मिशन (केडीईएम) - १७ दिसंबर, २०२२
३. आईआईएमके लाइव- २७ मार्च, २०२३

भारत और इजराइल में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए १५ फरवरी, २०२३ को तेल अवीव, इजराइल में स्थित इजराइल फिनटेक सेंटर के साथ समझौता-ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

I-स्पिरिट'२२

I-स्पिरिट'२१ के अनुक्रम में, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ साझेदारी में ग्लोबल हैकथोन (आई-स्पिरिट'२२ नाम दिया गया) आयोजित की गई। कुल तीन स्पिरिट (स्पिरिट ५, ६ और ७) आयोजित किए गए, जिसमें ३१ मार्च, २०२३ तक २२९ आवेदन प्राप्त हुए।

i) सिंप्रिट ०५- नवाचार दिवस

भागीदार- यूके सरकार का फोरेन एंड कोमनवैल्थ डवलपमेंट ऑफिस (एफसीडीओ), और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) प्रा. लिमिटेड

विषय- लॉगैविटी वित्त, संधारणीय वित्त, सीमा-पार लेन-देन

आवेदनों की संख्या - २२

फाइनलिस्ट - १४

ii) सिंप्रिट ०६- रेगटेक कोहोर्ट

भागीदार- विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आरबीआई, सेबी, जीआईएफटी सिटी, डेलोइट, बीएसई, इंडिया आईएनएक्स, येस बैंक, भवन साइबरटेक, क्यूपिटा, सिंप्रिटो और ज़ोन स्टार्टअप।

विषय-वस्तु-नियामक टेक (रेगटेक)

आवेदनों की संख्या - ३३

वर्चुअल पिच के लिए छंटाई - २२

चयनित आवेदक - १७

फाइनलिस्ट/विजेता (कार्यक्रम साझीदार पुरस्कार सहित) - ४

iii) सिंप्रिट ०७-इनोवेट इन ४८ आइडियाथोन

भागीदार- एफआईएस, एमेजोन वेब सर्विस, हेडेग्रा हैश-ग्राफ, नवाचार के लिए विचार

विषय-वस्तु

i. डेटा नवाचार

ii. फिनटेक में ए.आई.

iii. डिजिटल परिसंपत्तियां

आवेदनों की संख्या - १० देशों से १७४

छांटे गए आवेदन- ९ (प्रत्येक विषय-वस्तु में ३)

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) २०२२ में भागीदारी

जियो वर्ल्ड सेंटर, मुंबई में फिनटेक अभिसरण परिषद, भारतीय भुगतान परिषद (पीसीआई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान परिषद (एनपीसीए) द्वारा १९ - २२ सितंबर, २०२२ को "सतत् वैश्विक / समावेशी / हरित वित्तीय विश्व का सृजन" विषय के साथ जीएफएफ २०२२ का आयोजन किया गया। आईएफएससीए ने अपनी फिनटेक पहलों को प्रदर्शित करने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय व्यस्तताएं

सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल (एसएफएफ) २०२२

सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल २०२२ का ७वां संस्करण ३१ अक्टूबर से ५ नवंबर, २०२२ तक सिंगापुर में आयोजित किया गया।

फिनटेक एंटीटी फ्रेमवर्क, फिनटेक प्रोत्साहन योजना, फिनटेक ब्रिज आदि जैसी अग्रणी फिनटेक पहलों की दृश्यता को बढ़ावा देने के लिए आईएफएससीए बूथ स्थापित किया गया।

आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर फिनटेक सप्ताह के हिस्से के रूप में नवाचार प्रयोगशाला क्रोल में भाग लिया, जिसमें सिंगापुर भर में नवाचार प्रयोगशालाओं ने अपने दरवाजे खोले और अपने आने वाले फिनटेक नवाचारों और परियोजनाओं को प्रदर्शित किया।

सिंगापुर फिनटेक सप्ताह के हिस्से के रूप में, प्रतिनिधिमंडल ने वर्ल्ड बैंक एंड बीआईएस इनोवेशन हब रिसेशन एंड कैपिटल मीट्स पोलिसी डायलॉग में भी भाग लिया।

लॉगोवितेक टीएलवी २०२३ सम्मेलन, इजराइल

आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल ने १३ - १४ फरवरी, २०२३ को तेल अवीव, इजराइल में आयोजित दीर्घायु वित्त पर लॉगोवितेक टीएलवी २०२३ सम्मेलन में भाग लिया।

नियामक गोलमेज सम्मेलन और पैनल चर्चाओं में भाग लेने के अलावा, एफई फ्रेमवर्क, फिनटेक प्रोत्साहन योजना, आदि जैसी अग्रणी फिनटेक पहलों की दृश्यता को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन में आईएफएससीए बूथ स्थापित किया गया।

यात्रा के दौरान, द इजराइल फिनटेक सेंटर के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और फिनटेक पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तेल अवीव में वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, बैंक ऑफ इजराइल और इजरायल सिक्योरिटीज अथॉरिटी के साथ बैठकें आयोजित की गईं।

एशियन डिजिटल फाइनेंस फोरम & अवार्ड्स २०२३, श्रीलंका

१९ मार्च, २०२३ को हिल्टन कोलंबो, श्रीलंका में एशियन फिनटेक अकादमी (एएफटीए) द्वारा फिनटेक एसोसिएशन ऑफ श्रीलंका (एएएसएल) के नेतृत्व में "आउटस्टैंडिंग नियू एशियन रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजिकल इन्नोवेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज" को महत्व देते हुए आईएफएससीए को "एशियन डिजिटल फाइनेंस फोरम एंड अवार्ड्स २०२३" प्रदान कर सम्मानित किया गया।



चित्र ६.१: श्री जोसेफ जोशी, सीटीओ, आईएफएससीए आईएफएससीए की ओर से "आउटस्टैंडिंग नियू एशियन रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजिकल इन्नोवेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज" पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन समिति द्वारा निम्नलिखित पर विचार किया गया:

- १) इनोवेटिव फिनटेक एंटीटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
- २) अंतर्निर्मित सैंडबॉक्स निर्माण जो फिनटेक को नवाचार से नियामक सैंडबॉक्स की ओर बढ़ने में मदद करता है।
- ३) बैंकिंग, बीमा और बाजार क्षेत्रों में आई-स्प्रिट ग्लोबल हैकथॉन
- ४) डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक, सस्टेनेबिलिटी, क्वांटमटेक, स्पेसटेक, लॉगिविटी फिनटेक और वेब ३.० जैसे उभरते क्षेत्रों की पहचान करने में नेतृत्व क्षमता।
- ५) फिनटेक के लिए प्रोत्साहन योजनाएं, विशेष रूप से "हरित/सततता" क्षेत्रों पर समर्पित अनुदान/फोकस के साथ।

इसके अतिरिक्त, सीटीओ ने श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और हांगकांग के प्रतिभागियों को फिनटेक एंटीटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और आईएफएससीए की प्रोत्साहन योजना से परिचित कराने के लिए कार्यक्रम में एक व्याख्यान दिया।

अगले वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

"गिफ्ट सिटी से जुड़ी पहल भी 'ईज ओफ टूइंग बिजनेस' और 'ईज ओफ लिविंग' की दिशा में हमारे प्रयासों का हिस्सा है। हमें यह याद रखना होगा कि जीवंत फिनटेक क्षेत्र का अर्थ केवल आसान कारोबारी माहौल, सुधार और नियमन नहीं है। यह विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यावसायिकों को बेहतर जीवन और नए अवसर प्रदान करने का माध्यम भी है।"

- माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी

वित्तीय वर्ष २०२३-२४ के लिए उभरते क्षेत्रों के बारे में I-स्प्रिट योजना बनाई जा रही है। आईएफएससीए फिनटेक प्रोत्साहन योजना, २०२२ के निष्पादन पर निरंतर ध्यान केंद्रित किए जाने की भी योजना है।

बाहरी संगठनों के साथ प्राधिकरण की विद्यमान व्यस्तताओं के अलावा, गिफ्ट आईएफएससी में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए विदेशी नियामकों (फिनटेक पुलों के निर्माण की दिशा में), और फिनटेक हब (देशीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों) और प्रासंगिक हितधारक समूहों के साथ समझौता-ज्ञापनों की योजना बनाई जा रही है।



बीमा

जैसा कि जॉन एलेन पोलोस ने कहा है, यहां अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चितता है और असुरक्षा के साथ कैसे जीना है, यही केवल एकमात्र सुरक्षा है। इस अशांत दुनिया में, व्यक्तियों का जीवन और परिसंपत्ति का मूल्य मृत्यु और विनाश के हाथों खतरे में है। अनिश्चित घटनाओं के कारण व्यवसायों को होने वाली वित्तीय क्षति के प्रति कतिपय सुरक्षा के अभाव से जनित भय बीमा व्यवसाय को विस्तार देता है। बीमा इन आशंकाओं को कुछ लोगों को होने वाले जोखिमों को कई लोगों के साथ साझा करके दूर करने में मदद करता है।

बीमा की अवधारणा नई नहीं है। पहली जीवन बीमा पोलिसियां १८वीं शताब्दी के आरंभिक काल की हैं। जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण के अलावा, बीमा उद्योग भी अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाता है। विशाल वित्तीय संसाधनों के साथ, उनके निवेश संबंधी निर्णयों का भी बाजारों में वित्तीय धारणीयता पर असर पड़ता है।

गिफ्ट आईएफएससी, इस क्षेत्र में अपने अद्वितीय और कार्यनीतिक स्थापन के साथ, बीमा क्षेत्र की घातांकीय वृद्धि के लिए ढेरों अवसर प्रदान करता है। यह भी परिकल्पना है कि निकट भविष्य में, इसे वैश्विक बीमा और पुनर्बीमा केंद्र के रूप में प्रमुखता प्राप्त हो जाए। अपनी स्वयं की बीमा और पुनर्बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने में भारत को आत्म निर्भर बनाने के ध्येय के साथ, आईएफएससीए का उद्देश्य आईएफएससी को ऐसे पुल के रूप में तैयार करना है, जहां भारतीय और विदेशी बीमाकर्ता अनुकूल नियामक नीतियों और फ्रेमवर्क के माध्यम से अन्य न्याधिकारों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं।

नियामक फ्रेमवर्क -

(क) बीमा और पुनर्बीमा क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने और वैश्विक मानकों के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए, प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष २०२१-२२ में आईएफएससी में निम्नलिखित तीन विनियम जारी किए:

- i) आईएफएससीए (बीमा व्यवसाय का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, २०२१
- ii) आईएफएससीए (बीमा मध्यस्थ) विनियम, २०२१
- iii) आईएफएससीए (बीमा वेब त्वरक) विनियम, २०२२

(ख) प्राधिकरण ने, वित्त वर्ष २०२२-२३ में अल्प प्रभावी विनियामक फ्रेमवर्क प्रदान करने और पर्यवेक्षी पहलुओं को सुदृढ़ करने के कदम के रूप में अधिसूचना जारी करने के लिए निम्नलिखित विनियम अनुमोदित किए-

- i) आईएफएससीए (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश), विनियम, २०२२
- ii) आईएफएससीए (प्रीमियम के भुगतान और प्राप्ति का तरीका) विनियम, २०२२
- iii) आईएफएससीए (बीमा उत्पाद और मूल्य निर्धारण) विनियम, २०२२
- iv) आईएफएससीए (नियुक्त बीमांकक) विनियम, २०२२
- v) आईएफएससीए (बीमा अभिलेखों का रखरखाव और अन्वेषण और निरीक्षण के लिए आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करना) विनियम, २०२२
- vi) आईएफएससीए (आईएफएससी बीमा कार्यालयों द्वारा निवेश संबंधी वित्तीय विवरण तैयार करना और प्रस्तुत करना) विनियम, २०२२
- vii) आईएफएससीए (जीवन बीमा व्यवसाय की परिसंपत्तियां, देयताएं और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, २०२३
- viii) आईएफएससीए (सामान्य, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा व्यवसाय की परिसंपत्तियां, देयताएं और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, २०२३
- ix) आईएफएससीए (प्रबंधन नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण और बीमा व्यवसाय बाजार का संचालन) विनियम २०२३
- x) आईएफएससीए (पुनर्बीमा) विनियम, २०२३

(ग) इन नियामक ढांचों की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

- i) आईएफएससीए (प्रीमियम का भुगतान और प्राप्ति की विधि) विनियम, २०२२ को आईएफएससी न्यायाधिकार में बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा ६४भख की प्रयोज्यता के बारे में भारत सरकार के दिनांक ४ जुलाई, २०२२ के एस.ओ. ३०३५(ड) द्वारा उत्कीर्ण के परिणामस्वरूप तैयार किया गया। उक्त धारा के अनुसार, कोई भी बीमाकर्ता भारत में किसी भी बीमा व्यवसाय के संबंध में तब तक कोई जोखिम नहीं उठाएगा जब तक कि देय प्रीमियम इसके द्वारा अग्रिम रूप से प्राप्त नहीं किया गया हो। यह भारतीय बीमा उद्योग को कवर से पूर्व नकदीकरण में सक्षम बनाता है अर्थात् जोखिम लेने से पहले प्रीमियम का अग्रिम भुगतान अनिवार्य है। अब, भारत सरकार द्वारा उत्कीर्ण और इन विनियमों द्वारा यथा-निर्दिष्ट, आईएफएससी बीमा कार्यालय (आईआईओ) अग्रिम प्रीमियम की प्राप्ति के साथ या उसके बिना बीमा जोखिम ग्रहण कर सकते हैं। आईआईओ और बीमाधारक के बीच बीमा का अनुबंध बीमा जोखिम की धारणा का आधार होगा।
- ii) आईएफएससी में बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा २७, २७क, २७ख, २७ग, २७घ और २७ड की प्रयोज्यता के बारे में भारत सरकार द्वारा ४ जुलाई, २०२२ को एस.ओ. ३०३५(ड) के अधीन आईएफएससीए (बीमा कार्यालयों द्वारा निवेश) विनियम, २०२२ को भी उत्कीर्ण के परिणामस्वरूप तैयार किया गया। यह आईआईओ को भारत सहित विदेशी क्षेत्राधिकारों में निवेश करने में सक्षम बनाता है। विनियम, सार्वभौम क्रेडिट रेटिंग (एससीआर) आधारित निवेश सीमाओं की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं और निवेश के बारे में कणिकीय निदेशों को भी दूर करते हैं।

- iii) आईएफएससीए (बीमा उत्पाद और मूल्य निर्धारण) विनियम, २०२२, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना उत्पादों के डिजाइन, मूल्य निर्धारण और विपणन के लिए अल्प प्रभावी और सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण प्रदान करता है। देशीय बाजार में उत्पाद का अनुमोदन प्रयोग करें और बंद करें (यू & एफ) अथवा बंद करें और प्रयोग करें (एफ & यू) के अधीन आते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और व्यापार को आसान बनाना की भावना के साथ, प्राधिकरण ने इन दोनों तरीकों को त्याग दिया है और एक ऐसी व्यवस्था प्रदान की है जो आईआईओ को नियामक के किसी विशेष अनुमोदन की आवश्यकता के बिना अपने मामलों का प्रबंधन करने का उत्तरदायित्व सौंपती है। हालांकि, यहां इस बात पर प्रकाश डालना उचित होगा कि नियामक को अधिकार देने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं, यदि किसी स्थिति में आवश्यक हो तो ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं।
- iv) बीमांकक किसी भी बीमा व्यवसाय के संचालन और लाभप्रदता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईएफएससीए (नियुक्त बीमांकक) विनियम, २०२२ का उद्देश्य उन व्यक्तियों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क निर्धारित करना है जो आईएफएससी बीमा कार्यालयों के लिए 'नियुक्त बीमांकक' की भूमिका निभाने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत हैं। ये विनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति, शक्तियों, कर्तव्यों और दायित्वों से संबंधित पहलुओं के लिए प्रावधान करते हैं। अनिगमित रूप में स्थापित आईआईओ के संचालन को आसान बनाने के लिए, मूल इकाई के नियुक्त बीमांकक को ऐसे आईआईओ के नियुक्त बीमांकक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की अनुमति है।
- v) आईएफएससीए (बीमा अभिलेखों का अनुरक्षण और अन्वेषण और निरीक्षण के लिए आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करना) विनियम, २०२२ का उद्देश्य अन्वेषण और निरीक्षण के उद्देश्यों के लिए आईआईओ और आईआईआईओ द्वारा बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम जानकारी निर्दिष्ट करना है, ताकि अन्वेषण अधिकारी को बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा ३३ के अधीन संतोषजनक ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन करने हेतु सक्षम बनाया जा सके। ये विनियम, बीमा अधिनियम, १९३८ के उपबंधों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ नीति और दावों के अभिलेखों के अनुरक्षण; डेटा, अभिलेख, सूचना आदि का अनुरक्षण; कर्मचारियों के अभिलेखों का अनुरक्षण; और अन्वेषण और सत्यापन की अन्य व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं।
- vi) जहाँ तक आईआईओ के वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति का संबंध है, प्राधिकरण ने नियामक फ्रेमवर्क को और सुदृढ़ करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, आईएफएससीए (आईआईओ के वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति) विनियम, २०२२ को अधिसूचित किया है जो अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय परिणामों की तैयारी और प्रस्तुति के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। जबकि अनिगमित रूप में स्थापित किए गए आईआईओ, अपने वित्तीय विवरणों को अपनी मूल एंटिटी के लिए लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार करेंगे, अनिगमित रूप में स्थापित किए गए आईआईओ के लिए लागू लेखांकन मानक इन विनियमों में निर्दिष्ट हैं। हालांकि, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के प्रति समान दृष्टिकोण की भावना में, सभी आईआईओ चाहे वे निगमित रूप में स्थापित हों या अन्यथा स्थापित हों, के लिए सामान्य प्रारूप निर्दिष्ट किए गए हैं।
- vii) पुनर्बीमा (आरआई) बीमा कारोबारी वातावरण को स्थिर करने में मदद करता है। वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में आरआई कार्यकलापों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वैश्विक बाजार में पुनर्बीमा समाधान के लिए विभिन्न अधिकार क्षेत्र मंच के रूप में विकसित हुए हैं। गिफ्ट आईएफएससी को वैश्विक आरआई हब बनने के लिए,

आरआई प्रतिभागियों के सुदृढ़ पूल की आवश्यकता है, जो अपतटीय बाजारों को क्षमता प्रदान कर सके। आईएफएससीए (पुनर्बीमा) विनियम, २०२३ विनियमन और व्यवसाय प्रथाओं दोनों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क को अपनाता है और बनाए रखता है। ये नियम आईआईओ के पुनर्बीमा कार्यकलापों से संबंधित हैं, और अन्य बातों के साथ साथ आईआईओ द्वारा पुनर्बीमा की आवक और जावक व्यवस्था के निरीक्षण और नियंत्रण के लिए विस्तृत फ्रेमवर्क का प्रावधान करते हैं।

- viii) पर्यवेक्षी दृष्टिकोण से बीमा कंपनियों की शोधन क्षमता का प्रमुख महत्व है। पर्याप्त शोधन क्षमता सुनिश्चित करना पोलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा करता है जो कि विनियामक और पर्यवेक्षी प्रयास का अंतर्निहित विषय है। इस भावना में, प्राधिकरण ने आईएफएससीए (जीवन बीमा व्यवसाय की परिसंपत्तियां, देयताएं और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, २०२३ और आईएफएससीए (सामान्य बीमा पुनर्बीमा व्यवसाय की परिसंपत्तियां, देयताएं और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, २०२३ बनाए। ये विनियम अन्य बातों के साथ साथ आईआईओ द्वारा पूंजी और शोधन क्षमता मार्जिन के अनुरक्षण के लिए नियामक अपेक्षाओं की व्यवस्था करते हैं। अनिगमित रूप में स्थापित आईआईओ, को अपनी पूंजी आवश्यकताओं को मूल देश के नियमों के अनुसार बनाए रखने की अनुमति होगी। निगमित रूप में स्थापित आईआईओ के लिए, इन विनियमों के अधीन पूंजी अपेक्षाएं बनाए रखना अपेक्षित होगा। परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के पहलुओं और स्वीकार्य परिसंपत्तियों के विवरण के लिए प्रारूप, देयताओं की राशि का निर्धारण और स्वीकार्य देयताओं के विवरण, शोधन क्षमता मार्जिन का निर्धारण आदि के लिए अलग-अलग अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं।
- ix) आईएफएससीए (बीमा व्यवसाय का प्रबंधन नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण और बीमा व्यवसाय का बाजार संचालन) विनियम, २०२३ विनियमों का व्यापक सेट है। ये विनियम अन्य बातों के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न और प्रबंधन नियंत्रण, आंतरिक प्रशासनिक नियंत्रण, प्रबंधन के खर्च, कमीशन का भुगतान, व्यवसाय के स्थान, कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग, देशीय या विदेशी एंटीटी से संबंधित गोपनीय जानकारी साझा करना, पोलिसीधारकों को अधिशेष का वितरण, जीवन बीमा पोलिसियों के प्रत्यर्पण और प्रदत्त मूल्यों का अधिग्रहण, वार्षिकी और अन्य लाभों के लिए न्यूनतम सीमा, विज्ञापन, पोलिसीधारकों की सुरक्षा आदि का प्रावधान करते हैं।

प्रवृत्तियां और लेन-देन


गिफ्ट आईएफएससी में वित्तीय सेवाएं/उत्पाद

३१ मार्च, २०२३ तक एंटीटियों का रजिस्ट्रीकरण-

- क) आईएफएससी बीमा कार्यालय (आईआईओ) - प्राधिकरण ने आईएफएससी में व्यापार करने के लिए छः (पुनः)बीमाकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण जारी किया है। भारत के चार (पुनः)बीमाकर्ताओं के अलावा, जिन्होंने पहले ही आईएफएससी में अपना व्यवसाय स्थापित कर लिया है, दो नए (पुनः)बीमाकर्ता, जो विदेशी क्षेत्राधिकार से हैं, नामतः एक्सा फ्रांस आईएआरडी, फ्रांस और एचडीएफसी इंटरनेशनल लाइफ एंड री कंपनी लिमिटेड, दुबई, ने आईएफएससी में अपना शाखा कार्यालय खोला है।
- ख) आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय - प्राधिकरण ने आईएफएससी से व्यवसाय करने के लिए १७ बीमा मध्यस्थों का रजिस्ट्रीकरण जारी किया है। सभी भारत में रजिस्ट्रीकृत बीमा मध्यस्थों के शाखा कार्यालय हैं।
- ग) प्राधिकरण के पास आईआईओ का एक आवेदन और आईआईआईओ के पांच आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

सारणी ७.१: आईएफएससी में परिचालित आईआईओ और आईआईआईओ की संख्या

आईएफएससी में परिचालित आईआईओ और आईआईआईओ की संख्या	वित्त वर्ष २०२०-२१	वित्त वर्ष २०२१-२२	वित्त वर्ष २०२२-२३
आईएफएससी बीमा कार्यालय	४	४	६
आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय	१४	१५	१७
कुल	१८	१९	२३




आकृति ७.१: आईआईआईओ का वर्गीकरण

आईएफएससी में व्यावसायिक लेनदेन:-

(क) आईएफएससी बीमा कार्यालय:-

आईआईओ ने वित्त वर्ष २०२१-२२ में ७२ मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष २०२२-२३ में ८४ मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रीमियम बुक किया। पिछले पांच वर्षों के लिए आईआईओ द्वारा किए गए वित्तीय वर्ष-वार व्यवसाय निम्नानुसार है: -




* वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के लिए डेटा अनंतिम है

आकृति ७.२: आईआईओ द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित व्यवसाय

(ख) आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय:

आईआईआईओ ने वित्त वर्ष २०२१-२२ में २२३ मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष २०२२-२३ में २२७ मिलियन अमेरिकी डॉलर के (पुनः)बीमा प्रीमियम का लेन-देन किया। पिछले पांच वर्षों के लिए आईआईआईओ के वित्तीय वर्षवार लेनदेन निम्नानुसार हैं: -



* वित्त वर्ष २०२२-२३ के लिए डेटा अंतिम है

आकृति ७.३: आईआईआईओ द्वारा किया गया व्यवसायिक लेनदेन

पक्ष-समर्थन और आउटरीच

आईआईएस आयोजनों में भागीदारी

- **२०२२ वैश्विक सेमिनार, क्रोएशिया**

डबरोवनिक, क्रोएशिया में बीमा क्षेत्र की तन्मयता की गुंजती थीम के साथ, आईआईएस ग्लोबल सेमिनार १६-१७ जून २०२२ को आईआईएस सहित ७० देशों के ३५० से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया। एक साथ, पैनलिस्ट और प्रतिभागियों ने पिछले ढाई वर्षों में सामने आई कोविड की अभूतपूर्व चुनौतियों के बाद बीमा क्षेत्र की तन्मयता को मजबूत करने के लिये आवश्यक कदमों पर चर्चा की और विचारों का आदान-प्रदान किया।

- **२०२२ आईआईएस वार्षिक सम्मेलन, चिली**

आईआईएस के वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम, २०२२ वार्षिक सम्मेलन में १०-११ नवंबर को सैंटियागो डे चिली में आईआईएस सहित ६० क्षेत्राधिकारों के ४०० से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

पैनलिस्ट और प्रतिभागी सार्थक बातचीत में लगे रहे, बदलते परिदृश्य और उभरती आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने में बीमा क्षेत्र की भूमिका की खोज की। विविधता, समानता और समावेशन; बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताएँ, व्यापक आर्थिक जोखिम; जलवायु जोखिम और बीमा पूंजी मानक (आईसीएस) मुख्य फोकस थे। जोखिम-आधारित शोधन अक्षमता पर संयुक्त आईआईएस-आईएमएफ कार्यशाला और इसके नवाचार प्रयोगशालाओं के निष्कर्षों पर एक्सेस टू इंश्योरेंस इनिशिएटिव (एआईआई) सत्र भी आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए) के साथ समझौता-ज्ञापन (एमओयू)

आईएफएससीए ने आईएफएससी में बीमा क्षेत्र में क्षमता निर्माण और कुशल प्रतिभा पूल प्रदान करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय बीमा अकादमी के साथ समझौता-ज्ञापन संपन्न किया है।

आईएफएससीए का उद्देश्य सुदृढ़ वैश्विक संबंध विकसित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ क्षेत्रीय/वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मंच के रूप में कार्य करना है। आईएफएससी में बीमा एक उभरता हुआ क्षेत्र है, और एनआईए के साथ समझौता-ज्ञापन बीमा के क्षेत्र में क्षमता विकास में लंबा रास्ता तय करेगा।

एनआईए एक प्रमुख संस्थान है जो बीमा उद्योग को सर्वोत्तम प्रतिभाओं से लैस करने के लिए समर्पित है। एनआईए निरंतर गतिशील बीमा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में बीमा उद्योग में पाठ्यक्रम को विकसित करने और लगातार उन्नयन करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने में सम्मिलित रहा है।

यह समझौता-ज्ञापन आईएफएससी के लिए आवश्यक कुशल जनशक्ति का निर्माण करने का प्रयास करता है। आईएफएससी बीमा एंटीटियों की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देने के साथ, आईएफएससीए ने भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) के साथ भी समझौता-ज्ञापन संपन्न किया था।

अगले वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३ में इंगित किया गया है, भारत आने वाले दशक में सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक के रूप में उभरने के लिए तैयार है। गिफ्ट आईएफएससी में प्रतिस्पर्धात्मक और अनुकूल नियामक वातावरण बीमा बाजार के विकास का समर्थन करने में लंबा रास्ता तय करेगा।

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ़ इंश्योरेंस सुपरवाइज़र्स (आईआईएस) के साथ प्राधिकरण की संबद्धता अर्थात् साझेदारी, पर्यवेक्षी जानकारी तक इसकी पहुँच को बढ़ाती है और पर्यवेक्षकों के बीच बेहतर संचार और सहयोग स्थापित करने में मदद करती है। इस प्रकार, प्राधिकरण और आईआईएस के बीच बहुपक्षीय समझौता-ज्ञापन के सफल समापन की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं।

आईएफएससी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की इच्छुक एंटीटियों के लिए व्यवसाय करने में आसानी के लिए विभिन्न अंतर-नियामक मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर लेने का प्रस्ताव है। चूंकि एंटीटियों को आईएफएससी में अनिगमित रूप में भी स्थापित करने की अनुमति है, इसलिए ऐसी एंटीटियों के निर्बाध परिचालन के लिए उनके मूल नियामकों के साथ समन्वय करना महत्वपूर्ण हो जाता है।



वैश्विक इन-हाउस केंद्र

पिछले दो दशकों में, भारत अत्यधिक कुशल प्रतिभा पूल की उपलब्धता और संचालन की प्रतिस्पर्धी लागत जैसी अपनी अंतर्निहित शक्तियों के कारण वैश्विक इन-हाउस केंद्रों (जीआईसी) के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। अनिवार्य रूप से, जीआईसी अपतटीय केंद्र हैं जो बड़े कारपोरेटों और संगठनों के लिए नामित इन-हाउस कार्य करते हैं।

भारत में वित्तीय क्षेत्रों के जीआईसी ने आरंभ में मूल कंपनियों के लिए अपतटीय बैक-एंड प्रोसेसिंग केंद्रों के रूप में शुरुआत की, जबकि कम लागत वाले प्रतिभा पूल का लाभ उठाकर तकनीकी समाधान पेश किए। जीआईसी ने वर्षों से, वैश्विक स्तर पर रणनीतिक भूमिका निभानी शुरू कर दी है और विश्लेषण, जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी की रोकथाम आदि जैसे क्षेत्रों में उन्नत सेवाओं की पेशकश करने वाले नवाचार केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं।

गिफ्ट आईएफएससी में जीआईसी व्यवसाय को सक्षम करने के लिए, केंद्र सरकार ने आईएफएससीए की सिफारिश पर, वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए आईएफएससीए अधिनियम, २०१९ के अधीन वित्तीय सेवा के रूप में जीआईसी को अधिसूचित किया। इसके बाद, आईएफएससीए ने वैश्विक इन-हाउस केंद्र विनियम, २०२० को अधिसूचित किया, जो आईएफएससी में जीआईसी स्थापित करने के लिए किसी भी वित्तीय सेवा समूह से संबंधित एंटिटियों को अनुमति देता है।

ऐसे अनेक संस्थान हैं जिन्होंने गिफ्ट आईएफएससी में जीआईसी स्थापित किए हैं। इन जीआईसी द्वारा कुल मिला कर २५०० से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलने का अनुमान है। वित्तीय क्षेत्र की प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जिनमें बैंक ऑफ अमेरिका जैसे प्रसिद्ध बैंक, लेखा-परीक्षा और आश्वासन सेवा प्रदाता, और प्रतिभूतियां और पूंजी बाजार फर्म शामिल हैं, ने गिफ्ट आईएफएससी में अपने जीआईसी स्थापित किए हैं।

पक्ष-समर्थन और आउटरीच

आईएफएससीए उद्योग के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है और सरकारी अभिकरणों और गिफ्ट सिटी प्राधिकरणों के साथ सहयोग कर रहा है। इन बड़े कारपोरेटों के लिए जरूरी अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। गिफ्ट आईएफएससी में कार्यालय स्थान, आवागमन सुविधाओं, मनोरंजक सुविधाओं आदि के संदर्भ में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

वित्त वर्ष २०२३-२०२४ के लिए नीतियां और कार्यक्रम

आईएफएससीए के भावी दृष्टिकोण के अनुरूप, गिफ्ट आईएफएससी के भीतर जीआईसी को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों को अभिनिर्धारित किया गया है। जीआईसी और आईटी/आईटीईएस के हब के रूप में जीआईएफटी आईएफएससी के महत्व को स्वीकार करते हुए, इसके विकास को गति देने के लिए विशेषज्ञ समिति की स्थापना की जाएगी।

गिफ्ट सिटी और उसके आसपास जीआईसी के लिए कुशल प्रतिभा पूल की उपलब्धता के बारे में संभावित निवेशकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। कुशल कार्यबल से संबंधित व्यापक और अद्यतन डेटा के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए गुजरात राज्य शिक्षा विभाग और गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड के साथ सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।


गुजरात सरकार के साथ निकट सहयोग से देश में जीआईसी के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में गिफ्ट आईएफएससी को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता और ब्रांडिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आउटरीच का विस्तार करने और संभावित निवेशकों के साथ जुड़ने के लिए, भारत के विभिन्न प्रमुख शहरों में भौतिक रोड शो आयोजित किए जाएंगे, जो पहले से ही जीआईसी अंतरिक्ष में अग्रणी के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं।

इन ठोस प्रयासों का उद्देश्य गिफ्ट आईएफएससी को जीआईसी के लिए पसंदीदा विकल्प के रूप में स्थापित करना है, जो की इसके सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र और कार्यनीतिक अवसर का लाभ उठा सके।



सतत् वित्त वैश्विक परिदृश्य

विश्व स्तर पर, सतत् वित्त सरकारों, नीति निर्माताओं, मानक स्थापित करने वाले निकायों और अन्य हितधारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव (सीबीआई) की रिपोर्ट के अनुसार, २०२२ में कुल ८५८.५ बिलियन अमेरिकी डॉलर के हरित, सामाजिक, सतत् और अन्य लेबल वाले (जीएसएस+) बॉन्ड जारी किए गए, जिससे संचयी योग ३.७ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। रिपोर्ट यह भी इंगित करती है कि एक दशक में पहली बार वर्ष-दर-वर्ष जीएसएस+ वॉल्यूम में गिरावट आई है, लेकिन वैश्विक बॉन्ड बाजार निर्गमन में इसका ५ प्रतिशत योगदान बना रहा।^{२४}



स्रोत: क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव द्वारा ग्लोबल स्टेट ऑफ मार्केट रिपोर्ट २०२२ (३१ दिसंबर, २०२२ की स्थिति के अनुसार डेटा)

आकृति ९.१: २०२२ में हरित, सामाजिक, सतत् और अन्य लेबल वाले (जीएसएस+) बॉन्ड्स की मात्रा

^{२४} क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव द्वारा ग्लोबल स्टेट ऑफ मार्केट रिपोर्ट २०२२

आईएफएससी में सतत् वित्त

".... आज भारत सतत् विकास के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। हमने अपने लिए नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। राष्ट्रीय स्तर पर, हम गतिशक्ति मास्टर प्लान का अनुसरण कर रहे हैं और नवीकरणीय ऊर्जा और ई-गतिशीलता के लिए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारे अभ्यर्पण से अपार संभावनाएं खुलेंगी। मैं चाहता हूँ कि गिफ्ट आईएफएससी सतत् और जलवायु परियोजनाओं के लिए वैश्विक ऋण और इक्विटी पूंजी का प्रवेश द्वार बने।"

- माननीय प्रधानमंत्री, एनएसई आईएफएससी सततता मंच के शुभारंभ के अवसर पर

सीओपी२६ में भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने जलवायु कार्यवाई में भारत के अभूतपूर्व योगदान के रूप में 'पंचामृत' की घोषणा की। इसके अलावा, भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को अद्यतन किया और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और मिशन लाइफ सहित कई पहल शुरू कीं।

भारत के माननीय वित्त मंत्री ने २०२२-२३ में अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था कि "देश में सतत् और जलवायु वित्त के लिए वैश्विक पूंजी की सेवाओं को गिफ्ट सिटी में सुविधा प्रदान की जाएगी"। इस अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और भारत में वैश्विक सतत् पूंजी प्रवाह के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा और फिनटेक में आईएफएससी में सतत् वित्त के विकास पर कार्यनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है।

नीति और विनियमन

प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के दौरान हरित और सतत् परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने के लिए विभिन्न विनियामक और नीतिगत पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- क) आईबीयू द्वारा सतत् ऋण
- ख) निधि प्रबंधन इकाइयों द्वारा सततता प्रकटीकरण
- ग) ईएसजी योजनाओं के लिए फ्रेमवर्क

आईबीयू/एफसी द्वारा सतत् उधारीकरण

प्राधिकरण ने आईबीयू और एफसी द्वारा सतत् उधार को बढ़ावा देने के लिए २६ अप्रैल, २०२२ को 'वित्तीय संस्थानों द्वारा सतत् और सततता-बद्ध उधारीकरण के लिए मार्गदर्शन फ्रेमवर्क' जारी किया। फ्रेमवर्क के मुख्य घटकों को नीचे दर्शाया गया है:

- क) फ्रेमवर्क उन आईबीयू और एफसी/एफयू को अधिदेशित करता है, जो ३१ मार्च, २०२३ तक हरित/सामाजिक/सतत्/सततता-बद्ध ऋण पर बोर्ड-अनुमोदित व्यापक नीति विकसित करने के लिए अनुमत कार्यकलाप के रूप में ऋण देने में कार्यरत हैं। यह फ्रेमवर्क बदले में उधारदाताओं को तदनुसार दीर्घकालिक और अल्पकालिक वित्तपोषण को लेबल करने की अनुमति देगा।
- ख) इसके अलावा, ऐसी एंटिटियों को १ अप्रैल, २०२३ से शुरू होने वाले हरित / सामाजिक / सतत् / सततता-बद्ध उधारीकरण/सुविधाओं के लिए अपने सकल ऋण और अग्रिम का कम से कम ५ प्रतिशत निदेशित करना होगा।
- ग) मार्गदर्शन फ्रेमवर्क इन एंटिटियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखण के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया, रिपोर्टिंग तंत्र और निगरानी प्रक्रिया को फ्रेमवर्क के भीतर शामिल करने का प्रस्ताव देता है।
- घ) फ्रेमवर्क इन एंटिटियों को अर्ध-वार्षिक आधार पर हरित / सामाजिक / सतत् / सततता से जुड़ी श्रेणियों के अधीन ऋण देने के विवरण की रिपोर्ट करने के लिए अधिदेशित करता है।

निधि प्रबंधन एंटिटियों द्वारा सततता प्रकटीकरण

निधि प्रबंधन एंटिटियों (एफएमई) को निवेश निर्णय लेने में सततता से संबंधित जोखिमों और अवसरों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, प्राधिकरण ने आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियम २०२२ में ईएसजी के बारे में अध्याय शामिल किया है। नियमों में बड़े एफएमई (३ बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक एयूएम) को ईएसजी कारकों से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताएं (नीचे वर्णित) के लिए अधिदेशित किया गया है।

सारणी ९.१: ईएसजी कारकों से संबंधित अतिरिक्त आवश्यकताएं

व्यक्तियां	अभ्युक्तियां
शासन	भौतिक सततता से संबंधित जोखिमों और अवसरों के आसपास शासन पर नीति तैयार की जाए।
जोखिम प्रबंधन	यह खुलासा किया जाए कि निधि प्रबंधक भौतिक सततता से संबंधित जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रबंधन कैसे करेगा।
निवेश कार्यनीति	निधि प्रबंधक की निवेश कार्यनीतियों में सततता से संबंधित जोखिमों और अवसरों को फैक्टरिंग करने की प्रक्रिया को स्थापित और प्रकट किया जाए।

ईएसजी योजनाएं

ईएसजी योजनाओं से संबंधित प्रकटीकरणों में निरंतरता, तुलनात्मकता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए, प्राधिकरण ने ईएसजी योजनाओं के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रारंभिक और आवधिक प्रकटीकरण, जारी निगरानी और निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित आवश्यकताएं शामिल हैं।

बॉक्स-९.१: "पर्यावरणीय, सामाजिक या शासन (ईएसजी) योजनाओं के लिए निधि प्रबंधन एंटिटियों द्वारा प्रकटीकरण के फ्रेमवर्क" की मुख्य विशेषताएं

प्रयोज्यता

यह परिपत्र ऐसी खुदरा योजनाओं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ), प्रतिबंधित योजनाओं और उद्यम पूंजी योजनाओं पर लागू होता है, जिनमें 'पर्यावरण', 'सामाजिक', 'ईएसजी', 'हरित', 'सततता' या उनके संयोजन या समान शब्द, उनके नाम में शामिल, या ईएसजी केंद्रित योजनाओं के रूप में खुद का प्रतिनिधित्व या विपणन करते हैं

आरंभिक प्रकटीकरण

एफएमई द्वारा शुरू की गई प्रत्येक ईएसजी योजना के लिए, एफएमई निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

योजना का नाम: ईएसजी योजना का नाम उसके ईएसजी फोकस और उसके ईएसजी-संबंधित निवेश प्रयोजन और निवेश कार्यनीति के अनुरूप होना चाहिए।

निवेश का प्रयोजन: एफएमई को योजना के ईएसजी से संबंधित निवेश उद्देश्यों की प्रकृति और सीमा का पारदर्शी रूप से प्रकटीकरण करना चाहिए, जिसमें योजना द्वारा संबोधित सततता के प्राथमिक घटकों का विवरण शामिल है।

निवेश रणनीति: ईएसजी-संबंधित निवेश रणनीति सहित निवेश कार्यनीति के प्रकार की विस्तृत व्याख्या, जिसे एफएमई आगे बढ़ाने का इरादा रखता है, जो दूसरों के बीच एकीकरण, प्रभाव निवेश, जुड़ाव, कठिन और अन्य उत्सर्जन-गहन क्षेत्रों के लिए संक्रमण की दिशा में हो सकता है।

जोखिम और जोखिम प्रबंधन प्रथाएं: ईएसजी योजना का प्रबंधन करने वाले एफएमई को उन सभी विशिष्ट जोखिमों का खुलासा करना चाहिए जो योजना द्वारा सामना किए गए अन्य सभी भौतिक जोखिमों के अलावा ईएसजी से संबंधित निवेश उद्देश्यों, संबंधित निवेश कार्यनीतियों और प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं

ईएसजी योजनाओं के लिए आवधिक प्रकटीकरण: प्रत्येक ईएसजी योजना के लिए, एफएमई खुदरा योजना के लिए अर्ध-वार्षिक आधार पर और अन्य प्रकार की योजनाओं के लिए वार्षिक आधार पर, योजना के अनुसार, ईएसजी-संबंधित निवेश उद्देश्यों का अनुपालन, ईएसजी-संबंधित प्रदर्शन, निवेश योग्य कोष का वास्तविक अनुपात, प्रमुख निष्कर्ष/आंतरिक ऑडिट के प्रमुख अवलोकन या तीसरे पक्ष के सत्यापन, यदि कोई हो, आदि का खुलासा करेगा।

निगरानी और अनुपालन: एफएमई को खुदरा योजना के लिए अर्ध-वार्षिक आधार पर और अन्य प्रकार की योजनाओं के लिए वार्षिक आधार पर, योजनाओं के बताए गए ईएसजी-संबंधित निवेश उद्देश्यों के साथ उनके अनुपालन का आकलन, ईएसजी-से-जुड़े निष्पादन का किसी भी पूर्व-निर्धारित केपीआई, अपेक्षित परिणाम और अन्य प्रासंगिक कारकों का मूल्यांकन करके मापन करना चाहिए और घोषणा की प्रस्तुति करना चाहिए।


प्राधिकरण द्वारा निर्धारित फ्रेमवर्क सिद्धांत-आधारित है, और बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। भारत और अन्य उभरते बाजारों की संक्रमणकालीन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण द्वारा जारी फ्रेमवर्क निम्नलिखित कार्यनीतियों को सक्षम बनाता है:

- क) **संक्रमण निधि** जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से कठिन और अन्य उत्सर्जन-गहन क्षेत्रों में निवेश के लिए।
- ख) **कार्य निधि** कंपनियों में निवेश के लिए जिसमें निधि प्रबंधक प्रभावी रूप से कंपनियों के साथ उनके ईएसजी स्कोरिंग/प्रोफाइल में सुधार में संलग्न होते हैं।

ईएसजी लेबल वाली ऋण प्रतिभूतियां

३१ मार्च, २०२३ तक, आईएफएससी में मान्यता प्राप्त स्टोक एक्सचेंजों पर सभी ईएसजी लेबल वाली ऋण प्रतिभूतियों की संचयी सूची ९.२८ बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से कुल २ बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण प्रतिभूतियों को वित्त वर्ष २०२२-२३ में सूचीबद्ध किया गया है।

नीचे दिये गए आंकड़े पिछले ३ वर्षों के लिए आईएफएससी एक्सचेंजों पर संचयी ईएसजी लेबल वाली ऋण सूची को दर्शाते हैं।



स्रोत: इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएफएससी

आकृति ९.२: आईएफएससी एक्सचेंजों पर ईएसजी- लेबल वाली ऋण प्रतिभूतियों की संचयी सूचीबद्धता (बिलियन अमेरिकी डॉलर)

सतत् वित्त संबंधी विशेषज्ञ समिति



चित्र ९.१: सतत् वित्त संबंधी विशेषज्ञों की समिति ने अध्यक्ष, आईएफएससीए को रिपोर्ट सौंपी

प्राधिकरण ने सितंबर २०२१ में आईएफएससी में सतत वित्त हब के विकास के लिए दृष्टिकोण की सिफारिश करने और उसी के लिए एक रोड मैप प्रदान करने के लिए 'सतत् वित्त संबंधी विशेषज्ञ समिति' ("विशेषज्ञ समिति") का गठन किया। श्री सी.के. मिश्रा, पूर्व सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने ३ अक्टूबर, २०२२ को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। विशेषज्ञ समिति की प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:

- क) संक्रमण वित्तपोषण:** प्राधिकरण संक्रमण बांड के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश/फ्रेमवर्क जारी करेगा, जिससे कार्बन गहन उद्योगों/क्षेत्रों को क्रमिक संक्रमण के लिए नेट-शून्य की ओर ले जाने हेतु वैश्विक पूंजी जुटाने में सक्षम बनाया जा सकेगा।
- ख) हितधारकों के साथ साझेदारी:** प्राधिकरण वैश्विक जलवायु गठबंधन के निर्माण की दिशा में पहल और कार्यों का नेतृत्व करने के लिए नीति विचारकों, मानक निर्धारक निकायों, उद्योग संघों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी करेगा।
- ग) स्वैच्छिक कार्बन बाजार:** प्राधिकरण स्वैच्छिक कार्बन बाजार का समर्थन करके और आईएफएससी में इसका सृजन करके आईएफएससी की सततता साख को बढ़ा सकता है।
- घ) क्षमता निर्माण**
 - i. ज्ञान अंतर को पाटने और आईएफएससी के भीतर व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल वृद्धि कार्यक्रम बनाने के लिए प्राधिकरण ईएसजी और काउंसिल ओन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू), क्लाइमेट बोनड्स इनिशिएटिव युएनडीपी फाईनेंसियल सेंटर्स फॉर सस्टेनेबिलिटी (एफसी४एस) और ऑक्टस ईएसजी जैसे अन्य और जलवायु जोखिम विशेषज्ञों के साथ जुड़ना होगा।

- ii. प्राधिकरण को प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ नियामकों, नीति निर्माताओं और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को प्रशिक्षित करने में संलग्न होना होगा।
- iii. प्राधिकरण वित्तीय संस्थान के प्रकार के विशिष्ट क्षमता निर्माण के लिए संस्थान-स्तरीय फ्रेमवर्क तैयार करेगा। यह फ्रेमवर्क सततता से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों पर अनिवार्य प्रमाणपत्र/प्रशिक्षण शामिल कर सकता है।

ड) नवाचार, नए उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देना

- i. प्राधिकरण निजी विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए नियामक फ्रेमवर्क और दिशानिर्देशों के माध्यम से नवीन हरित उत्पादों की संरचना और जारी करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- ii. प्राधिकरण आईएफएससी के माध्यम से हरित प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हरित फिनटेक के लिए नियामक सैंडबॉक्स को बढ़ावा देगा।
- iii. प्राधिकरण बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) और विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) से रियायती वित्तपोषण को आकर्षित करके आईएफएससी में मिश्रित वित्त तंत्र की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे निजी और वाणिज्यिक निवेशकों के वित्तीय जोखिम कम होंगे।
- iv. प्राधिकरण एमडीबी के लिए जोखिम साझा करने की सुविधा और आंशिक क्रेडिट गारंटी जैसे उत्पादों की पेशकश करने के लिए एक सक्षम नियामक फ्रेमवर्क तैयार करेगा।
- v. प्राधिकरण आईएफएससी के भीतर इम्पैक्ट निधि की स्थापना को प्रोत्साहित कर सकता है और अपनी पूंजी पर सामाजिक रिटर्न देखने के इच्छुक निवेशकों के लिए दिशानिर्देश बना सकता है।
- vi. प्राधिकरण एमएसएमई क्षेत्र में हरित / सतत् परियोजनाओं के लिए समर्पित ऋण मंच के विकास की सुविधा प्रदान कर सकता है। यह मंच एमएसएमई को आईएफएससी के माध्यम से हरित / सतत् वित्तपोषण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा।
- vii. प्राधिकरण हरित एकीकरण वाहनों (आरईआईटी, इनविट, ईटीएफ) के गठन और विकास की सुविधा प्रदान करेगा और पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए आईएफएससी के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों पर उनकी सूचीबद्धता की सुविधा प्रदान करेगा।

च) सततता रिपोर्टिंग

- i. प्राधिकरण चरणबद्ध तरीके से आईबीयू और एफआई द्वारा जलवायु जोखिम पर विशेष ध्यान देने के साथ गैर-वित्तीय मापदंडों पर रिपोर्टिंग अनिवार्य करेगा। ये प्रकटीकरण प्रारंभ में स्वैच्छिक हो सकते हैं, जिससे अनिवार्य प्रकटीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।
- ii. प्राधिकरण, एंटीटियों द्वारा जलवायु प्रकटीकरण के मानकीकरण की दिशा में प्रयास करेगा।

छ) जी२० के साथ जुड़ाव

प्राधिकरण, भारत सरकार के साथ, भारत की जी२० की अध्यक्षता के तहत, सतत् वित्त और जलवायु कार्यों के क्षेत्रों में कार्य करेगा।

जी२० सतत् वित्त कार्य समूह – ज्ञान भागीदार

आईएफएससीए भारत के जी२० की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय (डीईए, एमओएफ), सतत् वित्त कार्य समूह(एसएफडब्ल्यूजी) के लिए भारत सरकार का देशीय ज्ञान भागीदार है। ज्ञान साझेदार के रूप में, आईएफएससीए अध्यक्षता दस्तावेज के लिए इनपुट, साइड कार्यक्रमों के लिए अवधारणा नोट्स अनुसंधान, प्रमुख प्रदेय वस्तुओं के लिए इनपुट प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। आईएफएससीए ने जी२० इनपुट दस्तावेज – "सतत् वित्त में तेजी लाने और जलवायु और सततता जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए क्षमता निर्माण" में योगदान दिया।

पक्ष-समर्थन और आउटरीच

एफसी४एस

फाइनेंशियल सेंटर फोर सस्टेनेबिलिटी (एफसी४एस) नेटवर्क दुनिया के वित्तीय केंद्रों का एक बढ़ता हुआ समूह है जो यूएनडीपी सचिवालय द्वारा समर्थित है। इसमें ३९ सदस्य हैं और वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं में नियामक, सार्वजनिक-निजी एजेंसियां और बाजार संघ शामिल हैं। एफसी४एस का उद्देश्य वित्तीय केंद्रों को सतत् वित्त की स्थिति का मूल्यांकन करने और स्थानीय संस्थानों को शामिल करने, नीति को सूचित करने और प्रभावित करने और अंततः बाजार परिवर्तन में तेजी लाने के लिए उपकरण और अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम बनाकर सतत् वित्त के विस्तार में तेजी लाना है। आईएफएससीए एफसी४एस नेटवर्क का सदस्य है और उसने २० अक्टूबर, २०२२ को कैसाब्लांका, मोरक्को में आयोजित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लिया। एजीएम के दौरान, एफसी४एस के लिए रोडमैप और कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से सदस्य वित्तीय केंद्रों और एफसी४एस की पहलों की प्रगति और केंद्रित क्षेत्रों पर चर्चा की गई।

आईएफएससीए और ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के बीच समझौता-ज्ञापन

आईएफएससीए और सीईईडब्ल्यू ने सतत वित्त के क्षेत्र में आपसी सहायता और सहयोग के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईएफएससीए और सीईईडब्ल्यू इस विस्तृत समझौता-ज्ञापन के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं, जिसमें अनुसंधान और संयुक्त आयोजन शामिल हैं। सतत् वित्त के व्यापक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाला समझौता-ज्ञापन, सतत् विकास को सक्षम करने के लिए आईएफएससी के माध्यम से जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और वैश्विक पूंजी जुटाने की दिशा में एक कदम है।

अगले वित्तीय वर्ष के लिए नियोजित कार्यकलाप

प्राधिकरण ने स्थायी वित्त के संबंध में अगले वित्त वर्ष के लिए कई पहलों की योजना बनाई है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- i) **संक्रमण वित्त:** वैश्विक तापमान में वृद्धि को १.५ डिग्री सेल्सियस तक सीमित करके जलवायु परिवर्तन से निपटना न केवल पेरिस समझौते को प्राप्त करने के लिए बल्कि एसडीजी के लिए भी अनिवार्य है। इसके लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्यापार करने के तरीके में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। यह उन उद्योगों के लिए विशेष रूप से सच होगा जो कठिन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। हालाँकि, जलवायु कार्रवाई के लिए धन जुटाना अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। कम कार्बन वाले भविष्य की दिशा में व्यवस्थित परिवर्तन के लिए स्टील, सीमेंट, विमानन, तेल और गैस, नौवहन और रसायन जैसे कठिन और उत्सर्जन-गहन क्षेत्रों को वित्तपोषित करने की आवश्यकता है। यह भारत सहित विकासशील देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

प्राधिकरण विभिन्न संक्रमणकालीन वित्त साधनों के माध्यम से विदेशी पूंजी जुटाने के लिए एक नियामक फ्रेमवर्क विकसित करने पर काम कर रहा है, विशेष रूप से इन क्षेत्रों में भारतीय एंटिटियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए।

- ii) **स्वैच्छिक कार्बन बाजार:** स्वैच्छिक कार्बन बाजार विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ रहा है। मैकिन्से के ज्ञान समर्थन के साथ स्केलिंग स्वैच्छिक कार्बन बाजार संबंधी कृतिक बल का अनुमान है कि २०३० में कार्बन क्रेडिट के लिए बाजार ५० बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर हो सकता है। यह देखते हुए कि भारत स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक निर्यातक है, प्राधिकरण आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्बन बाजार सक्षम करने पर विचार कर रहा है।
- iii) **क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्र:** प्राधिकरण संधारणीय वित्त पर क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए प्रासंगिक भागीदारों के साथ काम कर रहा है। लक्ष्य क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत स्तर की रूपरेखा तैयार करना और क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर स्थायी वित्त का समर्थन करने के लिए प्रणालीगत, संस्थागत और व्यक्तिगत स्तरों पर एक कुशल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के विशेषज्ञों के साथ जुड़ना है।
- iv) **नवोन्मेषी उत्पाद:** प्राधिकरण का उद्देश्य सक्षमकारी नियामक पारिस्थितिकी तंत्र पैदा करना, विभिन्न एमडीबी की मदद से जोखिम समाप्ति मेकेनिज्म अवस्थापित करना और मिश्रित वित्त तैयार करना है।





अनुषंगी सेवाएं

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र वित्तीय सेवा फर्मों जैसे बैंकों, पूंजी बाजार एंटिटियों, बीमा फर्मों, निधि प्रबंधकों, फिनटेक फर्मों के साथ-साथ लेखापरीक्षा और लेखाशस्त्र, कराधान, कानूनी, परामर्श और सलाह, आदि के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाली व्यावसायिक सेवा फर्मों के उच्च संकेंद्रण वाले क्षेत्राधिकार हैं। व्यावसायिक सेवा फर्म अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के विकास के लिए सर्वोत्कृष्ट हैं क्योंकि वे वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय सेवाओं की प्रदायगी में सहायता और मदद करते हैं। विश्व स्तर पर, वित्तीय फर्मों और वित्तीय बाजारों की वृद्धि उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक सेवा फर्मों की वृद्धि और एकाग्रता पर आधारित है।

गिफ्ट आईएफएससी में सुदृढ़ वित्तीय सेवा बाजार विकसित करने में व्यावसायिक सेवा फर्मों के निहित महत्व को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने फरवरी २०२१ में आईएफएससी में अनुषंगी सेवाओं को सक्षम करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया।

आईएफएससी में अनुषंगी सेवाओं को सक्षम करने के लिए फ्रेमवर्क

अनुषंगी सेवाओं को ऐसी सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता, मदद, इमदाद या सुदृढ़ीकरण करती हैं या आईएफएससी अधिनियम, २०१९ की धारा ३ के अधीन परिभाषित 'सेवाओं' को इंगित करती हैं या उनसे जुड़ी हैं।

फ्रेमवर्क के अधीन अनुमेय अनुषंगी सेवाएं इस प्रकार हैं:

- i. कानूनी, अनुपालन और सचिवीय
- ii. लेखापरीक्षा, लेखा, बहीखाता और कराधान सेवाएं
- iii. व्यावसायिक और प्रबंधन परामर्श सेवाएं
- iv. प्रशासन, परिसंपत्ति प्रबंधन सहायक सेवाएं और न्यासगत सेवाएं
- v. समय-समय पर आईएफएससी द्वारा अनुमोदित कोई अन्य सेवाएं

निम्नलिखित एंटिटियां सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए पात्र हैं, ताकि आईएफएससी में वित्तीय उत्पाद, वित्तीय सेवाएं और वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों से संबंधित अनुमत सहायक सेवाएं उपलब्ध कराया जा सके:

- आईएफएससी में स्थापित कोई विद्यमान या नई निगमित एंटिटी या
- शाखा या सहायक कंपनी की स्थापना करके कोई भी भारतीय या विदेशी निगमित एंटिटी

एंटिटी को आईएफएससी में किसी कंपनी या किसी सीमित देयता भागीदारी या किसी रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म, उसकी शाखा या आईएफएससीए द्वारा अनुमोदित किसी अन्य रूप में स्थापित किया जा सकता है।

सेवा प्रदाता निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक को अनुमेष सेवाएं प्रदान कर सकते हैं:

- आईएफएससी में स्थापित एंटिटियां
- भारत या विदेशों में आईएफएससी में विभिन्न अनुमत सहायक सेवाओं के लिए विदेशी क्षेत्राधिकारों की एंटिटियां
- भारतीय एंटिटियां जो आईएफएससी या विदेशी अधिकार क्षेत्र में परिचालन खोलने, स्थापित करने या परिचालन करने का प्रस्ताव करती हैं, बशर्ते प्रतिफल मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो।

गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में अनुषंगी सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गिफ्ट आईएफएससी में एक सुदृढ़ व्यावसायिक सेवा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए ऐसी व्यावसायिक सेवाओं में कुशल प्रतिभा पूल की उपलब्धता में भारत के निहित लाभ का लाभ उठाया जा रहा है।

प्रवृत्तियां और लेनदेन

अनुषंगी फ्रेमवर्क के अधीन, आईएफएससीए ने ३१ मार्च, २०२३ तक ४६ एंटिटियों को प्राधिकरण प्रदान किया है, जिनमें से १८ एंटिटियों^{२५} को वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के दौरान प्राधिकरण प्रदान किया गया।

सारणी १०.१: ३१ मार्च, २०२३ तक अनुषंगी सेवा एंटिटियों का कार्यकलाप-वार ब्योरा

क्रम संख्या	मुख्य कार्यकलाप	एंटिटियों की संख्या
१	कानूनी, अनुपालन और सचिवीय	७
२	लेखा परीक्षा, लेखा, बहीखाता पद्धति और कराधान सेवाएं	५
३	व्यावसायिक और प्रबंधन परामर्श सेवाएं	१६
४	प्रशासन, परिसंपत्ति प्रबंधन समर्थन सेवाएं और न्यासगत सेवाएं	१८
	कुल	४६

अनुषंगी सेवाओं का पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से बढ़ रहा है और अग्रणी व्यावसायिक सेवा फर्मों गिफ्ट आईएफएससी में संचालन स्थापित कर रही हैं ताकि आईएफएससी एंटिटियों के साथ-साथ विदेशी ग्राहकों को भी सेवा प्रदान की जा सके।

^{२५} सैद्धांतिक अनुमोदन सहित

पक्ष-समर्थन और आउटरीच

उद्योग की भागीदारी के हिस्से के रूप में, आईएफएससीए ने वैधानिक संगठनों जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ सहयोग किया और आईएफएससीए नियमों और फ्रेमवर्क से परिचित कराने के लिए उनके सदस्यों के साथ बातचीत का आयोजन किया।

इसके अतिरिक्त, अनुषंगी सेवा फर्मों ने बैंकिंग, निधि, बीमा, वायुयान लीजिंग, आदि के क्षेत्रों के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व स्तर पर और भारत के भीतर कई वेबिनार, गोलमेज बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन किया।

अगले वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

- १) गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिक कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट २०२३-२४ में घोषणा की कि अनुषंगी सेवाओं के बारे में वैधानिक उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए आईएफएससीए अधिनियम के अधीन संशोधन लाया जाएगा। तदनुसार, आईएफएससीए आवश्यक अनुसंधान कर रहा है और उपर्युक्त घोषणा को लागू करने के लिए आईएफएससीए अधिनियम में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित करेगा।
- २) वॉयस-ब्रोकिंग और पोत ब्रोकिंग सेवाओं को अनुषंगी सेवा फ्रेमवर्क के अधीन अनुमत अनुषंगी सेवाओं की सूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।





विमान लीजिंग

आईएफएससी में विमान संचालन लीज व्यवसाय को सक्षम करने के लिए, प्राधिकरण ने १९ फरवरी, २०२१ को 'विमान परिचालन लीज के लिए फ्रेमवर्क' जारी किया, जिसमें विमान लीज पर देने वाली एंटीटियों के लिए अनुमेय कार्यकलापों, पात्रता, पूंजी आवश्यकता, रजिस्ट्रीकरण और अन्य अनुपालनों को शामिल किया गया, जिसके बाद उद्योग ने आईएफएससी से पैदा होने वाले व्यावसायिक अवसरों में काफी रुचि दिखाई है।

इसके बाद १८ मई, २०२२ को प्राधिकरण द्वारा नियमित फीडबैक और विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत के आधार पर संशोधित फ्रेमवर्क जारी किया गया, प्राधिकरण ने विमान लीज के अंतर्गत की जा सकने वाले कार्यकलापों के दायरे को और बढ़ा दिया। उक्त फ्रेमवर्क ने आईएफएससी में 'एयरक्राफ्ट ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट' को लीज पर देने में सक्षम बनाया। इसने वित्तीय लीज और/या विमानों और विमानग्राउंड सपोर्ट उपकरण के संचालन और वित्तीय लीज के हाइब्रिड के लिए नियामक आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट किया है। इसके अतिरिक्त, इसने परिसंपत्ति प्रबंधन सहायता सेवाएं प्रदान करने के दायरे को व्यापक बनाया ताकि इसे अलग प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना एंटीटी या इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा लीज पर दी गई परिसंपत्तियों तक विस्तारित किया जा सके।

बॉक्स ११.१: 'विमान लीज के लिए फ्रेमवर्क' की मुख्य विशेषताएं

पात्रता : आईएफएससी में अनुमत कार्यकलापों को करने के लिए लीजदाता बनने के लिए, आवेदक को वित्त कंपनी विनियमों में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इसमें आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट अन्य रूप में कंपनी, एलएलपी, ट्रस्ट के रूप में आईएफएससी में परिचालन स्थापित करना शामिल है।

अनुमेय कार्यकलाप: विमान या विमान ग्राउंड सपोर्ट उपकरण के लिए परिचालन/वित्त लीज, जिसमें विमान लीज के संबंध में बिक्री और लीज बैक, क्रय, नवप्रवर्तन, अंतरण, कार्य आवंटन और ऐसे अन्य समान लेनदेन शामिल हैं; आईएफएससी में लीजधारी या इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के स्वामित्व वाली या लीज पर दी गई परिसंपत्तियों और आईएफएससीए की पूर्व स्वीकृति के साथ किसी भी अन्य संबंधित कार्यकलाप के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन सहायता सेवाएं।

पूंजी की आवश्यकता: आईएफएससी में विमान लीजदाताओं को हर समय न्यूनतम स्वामित्व वाली निधि बनाए रखने की आवश्यकता होती है। परिचालन लीज लेने वाली संस्थाओं और वित्तीय लीज या परिचालन और वित्तीय लीज का हाइब्रिड उपक्रम करने वाली एंटीटियों के लिए न्यूनतम स्वामित्व वाली निधि की आवश्यकता क्रमशः ०.२ मिलियन अमेरिकी डॉलर और ३ मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

विवेकपूर्ण नियम: आईएफएससी में वित्त लीज लेने के इच्छुक एफसी को पूंजी अनुपात, एक्सपोजर सीलिंग और तरलता कवरेज अनुपात जैसे विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करना होगा। हालाँकि, परिचालन लीज लेने की इच्छुक एंटीटियों को इन मानदंडों से छूट दी गई है, बशर्ते उनके पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित विवेकपूर्ण नीति हो और वे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उपयुक्त और उचित आवश्यकता को पूरा करते हों। सभी एंटीटियों को, लीज के प्रकार पर ध्यान दिए बिना, एफसी विनियमों में निर्धारित केवाईसी, एएमएल और कारपोरेट प्रशासन आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

वकालत और आउटरीच

डबलिन में रोड शो का आयोजन

आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल ने १२ से १४ अक्टूबर २०२२ तक डबलिन की अपनी यात्रा के दौरान लीजदाताओं, फाइनेंसरों, सलाहकारों और परामर्शदाताओं के साथ गोलमेज चर्चा और एक-से-एक बैठकें कीं।

एयरलाइन इकोनॉमिक्स कार्यक्रम, दिल्ली

एयरलाइन इकोनॉमिक्स ने अपना पहला विमान लीज पर केंद्रित कार्यक्रम २८ फरवरी-१ मार्च २०२३ को दिल्ली, भारत में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में वैश्विक लीजिंग फर्मों, आईएफएससी लीजिंग कंपनियों, एयरलाइंस और विमान लीजिंग पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य हितधारकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान महाप्रबंधक, आईएफएससीए ने "गिफ्ट आईएफएससी में विमान लीज पर देने के अवसर" पर मुख्य भाषण दिया।

प्रवृत्तियां और लेनदेन

प्रथम विमान लीजिंग एंटीटी को ०६ मई, २०२१ को आईएफएससीए में रजिस्ट्रीकृत किया गया, और पहला विमान १९ अगस्त, २०२१ को एक आईएफएससी एंटीटी द्वारा भारत में एक लीजधारी को लीज पर दिया गया, जो कि गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से विमान लीजिंग सेवाओं को अपतटीय से तटीय बनाने की शुरुआत थी।

३१ मार्च, २०२३ तक, प्राधिकरण के साथ १५ लीजदाता रजिस्ट्रीकृत हैं। इसके अलावा, चार लीजदाताओं को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है और एक आवेदन प्रक्रियाधीन है। ३१ मार्च, २०२३ तक, गिफ्ट आईएफएससी पर आधारित लीजदाताओं ने विमान, इंजन आदि सहित २६ विमानन परिसंपत्तियों को लीज पर दिया है।



विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थान

"मेरा सुझाव है कि हम अपने वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को गैर-वित्तीय महाविद्यालयों के साथ जोड़ें और युवाओं को शिक्षित करें। आखिरकार, यह युवा ही हैं जो आने वाले समय में धनार्जन करेंगे और निवेशक बनेंगे। लोगों का विश्वास जगाने के लिए इन पाठ्यक्रमों में इन्हें गैर-लाभकारी मोड पर चलाया जाना चाहिए। गिफ्ट सिटी निजी प्लेयर्स के प्रदर्शन को देखते हुए इसके लिए अच्छा रोडमैप और आधारभूत नियम तैयार करने पर भी काम कर सकती है। गिफ्ट सिटी में विदेशी विश्वविद्यालयों के संबंध में इस वर्ष के बजट की घोषणा भी इसके लिए लाभप्रद रहेगी।"

– माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी

ऐतिहासिक नीतिगत सुधार में, जो विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लिए गिफ्ट आईएफएससी में अपनी उपस्थिति स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट २०२२-२३ में घोषणा की, "विश्व स्तर के विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थानों को, आईएफएससी के विनियमों को छोड़कर देशीय विनियमों से मुक्त, वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी के लिए उच्च स्तरीय मानव संसाधनों की उपलब्धता की सुविधा के लिए गिफ्ट सिटी में वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित में पाठ्यक्रमों की पेशकश करने की अनुमति दी जाएगी।"

इस नीति की घोषणा का समग्र उद्देश्य गिफ्ट आईएफएससी को अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित करना है जो निर्दिष्ट क्षेत्रों में भारतीय और विदेशी दोनों छात्रों को शैक्षिक सेवाएं प्रदान करता है एवं बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार, निधि प्रबंधन, फिनटेक, दीर्घायु वित्त, संधारणीय वित्त, क्वांटम कम्प्यूटिंग, आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है और वित्तीय, प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में उच्च स्तरीय मानव संसाधनों का पोषण करता है।

केंद्रीय बजट की घोषणा को आगे बढ़ाने में, केंद्र सरकार ने आईएफएससी अधिनियम, २०१९ की धारा ३ की उप-धारा (१) के खंड (ड) के उप-खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक २३ मई, २०२२ की राजपत्र

अधिसूचना द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में विदेशी विश्वविद्यालयों या विदेशी संस्थानों द्वारा वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिक और गणित, 'वित्तीय सेवा' के रूप में पाठ्यक्रमों की पेशकश अधिसूचित की।

प्राधिकरण ने आईएफएससीए (अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन) विनियम, २०२२ को अधिसूचित किया, जो ११ अक्टूबर, २०२२ को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए। सक्षम विनियम विदेशी विश्वविद्यालय और विदेशी शिक्षा संस्थान आईएफएससीए में क्रमशः अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर (आईबीसी) और अपतटीय शिक्षा केंद्र (ओईसी) स्थापित करने के लिए व्यापक और एकीकृत नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं।

बॉक्स १२.१: आईएफएससीए (अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन) विनियम, २०२२ की मुख्य विशेषताएं

१) परिभाषाएं

इंटरनेशनल ब्रांच कैम्पस (आईबीसी) का अर्थ होगा एक विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा एक शाखा के रूप में स्थापित एक परिसर और अपतटीय शिक्षा केंद्र (ओईसी) का अर्थ विदेशी शैक्षिक संस्थान (विदेशी विश्वविद्यालय के अलावा) द्वारा एक शाखा के रूप में स्थापित केंद्र होगा; गिफ्ट आईएफएससीए में स्टैंड एलोन आधार पर, या ऐसे अन्य रूप में, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अनुमेय विषय क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रमों सहित पाठ्यक्रमों को वितरित करने के उद्देश्य से अनुमति दी जा सकती है, जो कि उनके संबंधित गृह क्षेत्राधिकार में प्रासंगिक फ्रेमवर्क के अधीन विधिवत मान्यता प्राप्त हैं और प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत है।

२) अनुमेय विषय क्षेत्र

विदेशी विश्वविद्यालय / शिक्षा संस्थान गिफ्ट आईएफएससीए में वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के विषयों में अनुसंधान कार्यक्रमों सहित पाठ्यक्रम ऑफर कर सकते हैं।

३) पात्रता

- क) यदि आवेदक एक विदेशी विश्वविद्यालय है, तो उसे नवीनतम क्यूएस विश्व विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में शीर्ष ५०० वैश्विक समग्र रैंकिंग और/या विषय रैंकिंग में एक स्थान सुरक्षित करना चाहिए।
- ख) विदेशी शैक्षिक संस्थान के मामले में, आवेदक अपने गृह क्षेत्राधिकार में प्रतिष्ठित संस्थान होना चाहिए।
- ग) आवेदक गिफ्ट आईएफएससीए में प्रस्तावित कार्यकलापों की निरंतरता को स्थापित करने और सुनिश्चित करने के लिए अपनी वित्तीय क्षमता के बारे में प्राधिकरण को संतुष्ट करेगा।
- घ) आवेदक अनुमेय विषय क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रमों सहित पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए उपयुक्त बुनियादी फ्रेमवर्क और सुविधाओं को स्थापित करने का वचन देगा।

४) रजिस्ट्रीकरण

- क) इन विनियमों में निर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करने वाला आवेदक, अनुमेय विषय क्षेत्रों में अनुसंधान

कार्यक्रमों या/और कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रमों सहित पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए रजिस्ट्रीकरण के अनुदान के लिए निर्दिष्ट प्रारूप में प्राधिकरण को आवेदन करेगा।

- ख) प्राप्त आवेदन को मूल्यांकन और सिफारिशों के लिए गिफ्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति को भेजा जाएगा।
- ग) विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के आधार पर, प्राधिकरण अपनी संतुष्टि पर, पहली बार में, सभी अपेक्षित अवसंरचना स्थापित करने, आवश्यक जनशक्ति तैनात करने आदि के लिए आवेदक को सैद्धांतिक रूप से १८० दिनों का समय का अनुमोदन प्रदान कर सकता है।
- घ) प्राधिकरण संतुष्ट होने पर कि आवेदक रजिस्ट्रीकरण के अनुदान के लिए सभी शर्तों को पूरा करता है, शर्तों सहित या रहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

५) पाठ्यक्रम मान्यता

- क) गिफ्ट आईएफएससी में रजिस्ट्रीकृत एंटीटी द्वारा संचालित कोई भी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम मूल एंटीटी द्वारा अपने गृह क्षेत्राधिकार में संचालित पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के साथ सभी तरह से समान होगा और आईबीसी या ओईसी के छात्रों को सीधे मूल एंटीटी द्वारा समान डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा उसी तरह से जैसे वह अपने गृह अधिकार क्षेत्र में उसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के लिए अपने छात्रों को प्रदान करता है।
- ख) गिफ्ट आईएफएससी में संचालित पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के संबंध में जारी की गई डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को वही मान्यता और दर्जा मिलेगा जैसे कि वे मूल एंटीटी द्वारा अपने गृह क्षेत्राधिकार में आयोजित किए गए हों।

६) छात्रों के हितों की रक्षा करना

प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना किसी भी कारण से कोई भी आईबीसी या ओईसी अनुमेय विषय क्षेत्रों में अपने किसी भी अनुमोदित पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को पूर्ण या आंशिक रूप से निलंबित या बंद नहीं करेगा। किसी भी कारण से पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के विघटन या बंद होने की स्थिति में, प्रभावित छात्रों के लिए एक विकल्प प्रदान करने की जिम्मेदारी मूल एंटीटी की होगी, जिसमें इसके द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या कार्यक्रम का पुनर्आवंटन भी शामिल है।

आईएफएससी में आईबीसी या ओईसी की स्थापना के लिए आवेदन पत्र

विदेशी विश्वविद्यालयों और विदेशी शिक्षा संस्थानों को विद्यमान नियमों के अधीन आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए, आईएफएससी ने २३ फरवरी, २०२३ के परिपत्र के माध्यम से आईएफएससी में आईबीसी या ओईसी की स्थापना के लिए आवेदन पत्र जारी किया। आवेदन पत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, भाग-क अपने गृह परिसर में विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान के बारे में जानकारी मांगता है और भाग-ख आईएफएससी में आईबीसी/ओईसी की स्थापना के लिए आवेदक के प्रस्ताव से संबंधित है।

प्रथम सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करना

वित्त वर्ष २०२२-२३ के दौरान, आईएफएससीए को पहला आवेदन डीकिन यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख विश्वविद्यालय है, जिसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग २०२३ में २६६वीं रैंक हासिल की है, जो गिफ्ट आईएफएससी में अपना अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने का इरादा रखता है।

आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी में अपने आईबीसी को संचालित करने और स्थापित करने के लिए मार्च २०२३ में डीकिन विश्वविद्यालय को अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। आरंभ में, विश्वविद्यालय अपनी गिफ्ट आईएफएससी शाखा से दो पाठ्यक्रमों अर्थात मास्टर ऑफ साइबर सिक््योरिटी (प्रोफेशनल) और मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स ऑफर करेगा।

पक्ष-समर्थन और आउटरीच

वित्त वर्ष २०२२-२३ के दौरान, आईएफएससीए ने प्रमुख और प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को गिफ्ट आईएफएससी में अवसरों का प्रदर्शन करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ-साथ भारत में विदेशी मिशनों के साथ सहयोग किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ गोलमेज वार्ता आयोजित की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के कई विश्वविद्यालयों ने गिफ्ट आईएफएससी में आईबीसी स्थापित करने और भारत और विदेशों के छात्रों को नामांकित करने के इस अनूठे अवसर का समन्वेषण करने में गहरी रुचि दिखाई।

सूचना प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी वित्तीय नियामक पारिस्थितिकी तंत्र में विनियमन, पर्यवेक्षण और अभिशासन का अनिवार्य हिस्सा बन गई है। आईएफएससीए मानता है कि आईएफएससी के भीतर संचालन की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने और व्यवसाय करने को आसान बनाने में सुधार करना महत्वपूर्ण है। इस दिशा में, आईएफएससीए ने वित्त वर्ष २०२२-२३ में अनेक पहल की हैं।

आईएफएससीए का पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी (सुपटेक) तंत्र

आईएफएससीए प्राधिकरण के पर्यवेक्षी कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए तंत्र को लागू करने के लिए उपयुक्त सुपटेक समाधान प्रदाता नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। परिकल्पित प्रणाली का उद्देश्य इसकी विनियमित एंटीटियों के बीच प्रशासन, अनुपालन, पर्यवेक्षण और प्रवर्तन के लिए व्यापक फ्रेमवर्क स्थापित करना है। प्राधिकरण के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए प्राथमिक फोकस उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करना और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना है।

आईएफएससीए वेबसाइट

आईएफएससीए वेबसाइट जनता के साथ-साथ विनियमित और अन्य सहायक एंटीटियों के साथ अपने विनियमों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं आदि के माध्यम से सूचना का प्रसार करने के लिए महत्वपूर्ण इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करती है।

आईएफएससीए (वेबसाइट का अनुरक्षण) विनियम, २०२२

नवंबर २०२२ में अधिसूचित आईएफएससीए (वेबसाइट का अनुरक्षण) विनियम, आईएफएससीए के लिए भारत सरकार और अन्य प्रासंगिक अभिकरणों के मानकों और दिशानिर्देशों के अनुरूप अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र के नियामकों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी वेबसाइट विकसित करने के लिए सक्षम फ्रेमवर्क प्रदान करता है।

आईएफएससीए वेबसाइट का नवीनीकरण

स्पेक्ट्रम भर से आगंतुकों के लिए एक उत्कृष्ट डिजिटल अनुभव बनाने के लिए आईएफएससीए की वेबसाइट में सुधार की आवश्यकता है। संशोधित वेबसाइट विनियमित संस्थाएँ (आरई), संभावित व्यवसायों और विदेशी वित्तीय नियामकों की

जरूरतों को पूरा करेगी, अंततः आईएफएससी में उनके व्यवसाय करने को आसान बनाने के लिए सुधार करेगी। इसके लिए, जनवरी २०२३ में "आईएफएससीए वेबसाइट का पुनःअभिकल्पन, विकास और अनुरक्षण" के प्रस्ताव के लिए अनुरोध किया गया।

आवेदन प्रसंस्करण के लिए सिंगल विंडो आईटी-सक्षम प्रणाली का समावेशन

माननीय वित्त मंत्री ने, केंद्रीय बजट २०२३-२४ में, गिफ्ट आईएफएससी में संचालन स्थापित करने की इच्छुक एंटिटियों के आवेदन प्रसंस्करण के लिए सिंगल विंडो आईटी-सक्षम प्रणाली के कार्यान्वयन की घोषणा की। आईएफएससी में व्यापार करने में आसानी के लिए आईएफएससीए की वेबसाइट में इसे शामिल किया जा रहा है।

आईटी अवसंरचना

आईएफएससीए अपने कर्मचारियों को कंप्यूटर, प्रिंटर, टेलीफोन और हाई-स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) कनेक्टिविटी से लैस वर्क स्टेशन प्रदान करता है। आईएफएससीए ने डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, संगठन के भीतर दस्तावेज साझा करने में आसानी के लिए आंतरिक मेल सर्वर का संचालन किया है। आईएफएससीए मुख्यालय में हाई-स्पीड वाई-फाई कनेक्टिविटी है, और मीटिंग रूम निर्बाध संचार के लिए विश्व स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों से लैस हैं।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस)

आईएफएससीए के एचआरएमएस एप्लिकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों की उपस्थिति प्रबंधन, अवकाश प्रबंधन और वेतन पर्ची निर्माण को डिजिटाइज़ करके सामान्य प्रशासन को आसान बनाना है। इस प्रणाली का उपयोग सभी कर्मचारियों के दावों को कागज रहित तरीके से संसाधित करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, इसका उद्देश्य अन्य सभी सामान्य प्रशासनिक कार्यों को इसके दायरे में शामिल करने के लिए प्रणाली का विस्तार करना है।

ई ऑफिस-आईएफएससीए एप्लिकेशन

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से ई ऑफिस-आईएफएससीए एप्लिकेशन, आईएफएससीए की इलेक्ट्रॉनिक फाइल प्रबंधन प्रणाली है। ई-ऑफिस-आईएफएससीए का उद्देश्य सभी विभागों के काम को सरल, उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी बनाना है।

ई ऑफिस एप्लिकेशन फाइल सृजित करने, टिप्पण आलेखन, संदर्भीकरण, पत्राचार एटैचमेंट, अनुमोदनार्थ मसौदा और अंत में फाइलों की आवाजाही और फाइलों और आवतियों की ट्रैकिंग के साथ-साथ आने वाले पत्राचार की स्कैनिंग, रजिस्ट्रीकरण और राउटिंग द्वारा कागजविहीन ऑफिस को सक्षम बनाने में मदद करता है।

साइबर सुरक्षा

आईएफएससीए ने राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएसटी)^{२६} द्वारा विकसित क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए फ्रेमवर्क के अनुरूप कुछ आवश्यक साइबर सुरक्षा अवसंरचना स्थापित की है।

जैसा कि एनआईएसटी फ्रेमवर्क के अधीन प्रस्तावित है, आईएफएससीए द्वारा क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तावित साइबर सुरक्षा नीति में इसकी प्रक्रियाओं, सूचना, नेटवर्क और प्रणालियों से जुड़े साइबर सुरक्षा जोखिम का अभिनिर्धारण, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएँ शामिल हैं:

- i) **अभिनिर्धारित करना:** विशेष आईटी परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध और संरक्षित किया जाता है। सीसीटीवी कैमरों का उपयोग करके परिसंपत्तियों तक भौतिक पहुंच को प्रबंधित और प्रतिबंधित किया जाता है।
- ii) **उपयुक्त नियंत्रणों, औजारों और उपायों को लागू करके परिसंपत्ति की रक्षा करना जैसे:**
 - साइबर सुरक्षा हेतु उपयुक्त उपायों को लागू करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं और तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के साथ अनुबंधों का उपयोग किया जाता है।
 - आपूर्तिकर्ताओं और तीसरे पक्ष के विक्रेताओं का नियमित रूप से ऑडिट करके मूल्यांकन किया जाता है। (आईएफएससीए वेबसाइट का वित्त वर्ष २१-२२ की तीसरी तिमाही में सीईआरटी-इनपैनल में शामिल तीसरे पक्ष के ऑडिटर द्वारा ऑडिट किया गया और इसकी साइबर सुरक्षा स्थिति के लिए इसे सकारात्मक रेटिंग दी गई।)
 - पहचान प्रबंधन, प्रमाणीकरण और अभिगम नियंत्रण को कार्यान्वित किया गया।
 - आईएफएससीए एनआईसी की ईमेल सेवा का उपयोग करता है, जो आईएफएससीए के आधिकारिक ईमेल संचार के लिए एनआईसी के सभी सुरक्षा उपाय प्रयोग में लाती है।
- iii) **पता लगाना:** एंडपॉइंट सुरक्षा एजेंट को परिचालित किया गया है और फ़ायरवॉल तैनात की गई है, जैसे समुचित अनुश्रवण उपकरणों/प्रक्रियाओं का प्रयोग करके, घटनाएं, विसंगतियों और आक्रमणों का पता लगाया जा रहा है।
- iv) **प्रतिक्रिया:** किसी घटना, विसंगति, अथवा आक्रमण का पता लगाने के बाद तत्काल कदम उठाना। घटना को बढ़ने से रोकने, उसके प्रभावों को कम करने और पहचानी गई नई कमजोरियों को दूर करके घटना का समाधान करने के लिए कार्यकलाप किए जाते हैं।
- v) **उबरना:** घटना प्रबंधन, आपदा रिकवरी और व्यापार निरंतरता फ्रेमवर्क के माध्यम से घटना से उबरना।

आईएफएससीए हर समय सुदृढ़ साइबर सुरक्षा स्थिति बनाए रखने के लिए उन्नत तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करते हुए निरंतर सुधार की आवश्यकता को स्वीकार करता है और उसी के लिए प्रयास करता रहेगा।

^{२६} अमेरिकी वाणिज्य विभाग के तहत गैर-नियामक सरकारी एजेंसी





विकासीय कार्यकलाप

"गिफ्ट सिटी वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में सुदृढ़ पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी धन और ज्ञान दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि गिफ्ट सिटी के माध्यम से भारत वैश्विक स्तर पर सेवा क्षेत्र में सुदृढ़पपूर्वक आगे बढ़ रहा है।"

– माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री का गिफ्ट आईएफएससी का दौरा

माननीय प्रधानमंत्री ने २९ जुलाई, २०२२ को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज और एनएसई आईएफएससी-एसजीएक्स कनेक्ट का उद्घाटन करने और आईएफएससीए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखने और अन्य पहलों का शुभारंभ करने के लिए गिफ्ट आईएफएससी का दौरा किया।



चित्र १४.१: अध्यक्ष, आईएफएससीए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री को डिजिटल गैलरी प्रस्तुति देते हुए



चित्र १४.२: माननीय प्रधानमंत्री गिफ्ट आईएफएससी में सभा को संबोधित करते हुए



चित्र १४.३: माननीय प्रधानमंत्री २९ जुलाई २०२२ को गिफ्ट आईएफएससी में विभिन्न पहलों का शुभारंभ करते हुए

बाएं से दाएं: श्री कनुभाई देसाई (वित्त मंत्री, गुजरात), श्री पंकज चौधरी (केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री), श्री भूपेंद्र पटेल (मुख्य मंत्री, गुजरात), श्री नरेंद्र मोदी (भारत के माननीय प्रधानमंत्री), श्रीमती निर्मला सीतारमण (वित्त मंत्री, भारत), डॉ. भागवत कराड (केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री)।

कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने गिफ्ट आईएफएससी के महत्व को स्थानीय कल्याण के लिए वैश्विक पूंजी और वैश्विक कल्याण के लिए स्थानीय उत्पादकता के अद्भुत संयोजन के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गिफ्ट सिटी से जुड़े सभी संस्थान इस बंधन को और सुदृढ़ करने के लिए काम करेंगे क्योंकि आईएफएससी में कई संस्थान हैं जिनकी वैश्विक उपस्थिति है, और स्थानीय सरोकार भी हैं।

वैश्विक पूंजी प्रवाह के प्रवेश द्वार के रूप में आईएफएससी की भूमिका पर जोर देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 'वैश्विक बाजारों के साथ, हम तेजी से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जुड़ रहे हैं और गिफ्ट सिटी भारत को वैश्विक अवसरों से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। जब आप गिफ्ट सिटी के साथ जुड़ते हैं, तो आप पूरी दुनिया के साथ जुड़ जाते हैं।'

भारत के अभिनव आईएफएससी के विजन को प्राप्त करने के आगामी मार्ग पर प्रकाश डालते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि भारत को विमान लीज, पोत वित्तपोषण, कार्बन ट्रेडिंग, डिजिटल मुद्रा और निवेश प्रबंधन के आईपी अधिकारों से लेकर कई वित्तीय नवाचारों की आवश्यकता है। उन्होंने आईएफएससी को इस दिशा में काम करने और अन्य वित्तीय क्षेत्राधिकारों की तुलना में विनियमन और संचालन लागत-प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निदेशित किया। उन्होंने आईएफएससी को विनियमों के मामले में अग्रणी बनने, कानून के शासन के लिए उच्च मानक निर्धारित करने और गिफ्ट आईएफएससी को विश्व के पसंदीदा मध्यस्थता केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

घोषणाएं और महत्वपूर्ण उपलब्धियां

गिफ्ट आईएफएससी में वित्तीय बाजार के विकास से संबंधित पांच एमओयू एक्सचेंजों और आठ महत्वपूर्ण उपलब्धियों सहित निम्नलिखित घोषणाएं की गईं:

- i) आईएफएससीए और निम्नलिखित विदेशी वित्तीय नियामकों के बीच चार समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया:
 - क) सिंगापुर मोनिटरी ओथोरिटी (एमएस), सिंगापुर
 - ख) कमीशन डी सर्विलांस डू सेक्टूर फाइनेंसर (सीएसएसएफ), ग्रैंड डची ओफ लक्ज़मबर्ग
 - ग) फिनन्सिन्सपेक्टियोनेन (एफआई), स्वीडन
 - घ) कतर फाइनेंसियल सेंटर ओथोरिटी (क्यूएफसीए), कतर
 इसके अतिरिक्त, आईएफएससीए और अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के बीच सहयोग समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- ii) गिफ्ट आईएफएससी में न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) द्वारा भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय (आईआरओ) की स्थापना।
- iii) निम्नलिखित तीन विदेशी बैंकों की आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों का उद्घाटन:
 - क) डेउत्शे बैंक
 - ख) जेपी मोर्गन चेस एनए बैंक
 - ग) एमयूएफजी बैंक लिमिटेड
- iv) गिफ्ट आईएफएससी में बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा स्थापित वैश्विक इन-हाउस केंद्र का क्षमता विस्तार
- v) निम्नलिखित चार अंतरराष्ट्रीय ट्रेड वित्त सेवा मंचों (आईटीएफएस) का परिचालन
 - क) आरएक्सआईएल ग्लोबल आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड
 - ख) मिनियंस वेंचर्स आईएफएससी प्राइवेट. लिमिटेड
 - ग) वायना आईएफएससी प्राइवेट. लिमिटेड
 - घ) माइंड सोल्यूशन आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड
- vi) आईएफएससीए फिनटेक एंटीटी फ्रेमवर्क २०२२ के अधीन पांच फिनटेक फर्मों को प्राधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करना।
- vii) गिफ्ट आईएफएससी में संचालन स्थापित करने के लिए १००+ ब्रोकर-डीलरों की ओर से एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (एएनएमआई) और कोमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीपीआई) द्वारा संयुक्त आशय पत्र प्रस्तुत करना।
- viii) इंडिया आईएनएक्स पर भारत की आजादी के ७५वें वर्ष और आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लगभग ५० बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी मूल्य के साथ ७५वीं बॉन्ड लिस्टिंग।
- ix) एनएसई आईएफएससी द्वारा अंतरराष्ट्रीय सततता मंच का शुभारंभ: एंड-टू-एंड सतत उत्पादों के साथ भारत में अपनी तरह की पहली पहल, जिससे एसडीजी और जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत में वैश्विक रूप से पूंजी प्रवाह संभव होगा।



चित्र १४.४: माननीय प्रधानमंत्री एनएसई आईएफएससी-एसजीएक्स कनेक्ट का शुभारंभ करते हुए

बाएं से दाएं - आर: श्री भूपेंद्र पटेल (मुख्यमंत्री, गुजरात), श्री आशीष कुमार चौहान (एमडी और सीईओ, एनएसई), श्री नरेंद्र मोदी (भारत के माननीय प्रधानमंत्री), श्री लोह बून चाई (सीईओ एसजीएक्स), श्रीमती निर्मला सीतारमण (केंद्रीय वित्त मंत्री)

माननीय प्रधानमंत्री ने उपलब्धियों के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा, हमने आज कई महत्वपूर्ण मील के पथर पड़ाव पार किए हैं। ये १३० करोड़ देशवासियों की क्षमता को आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में और अधिक सहायक होंगे।

गिफ्ट सिटी के विजन से देश के सामान्य मानवी की आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। भारत के भविष्य की परिकल्पना गिफ्ट सिटी से जुड़ी है; इसके साथ भारत के स्वर्णिम अतीत के सपने भी जुड़े हुए हैं। गिफ्ट सिटी एक ऐसी जगह बनती जा रही है जहां से नए विचार उभर रहे हैं, धन सृजन हो रहा है और दुनिया भर के सर्वोत्तम माइंड्स यहां सीखने और बढ़ने के लिए आ रहे हैं। यानी एक तरह से गिफ्ट सिटी भी भारत के पुराने आर्थिक गौरव को प्राप्त करने का माध्यम बन रहा है।

- माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी

सिंगापुर के माननीय उपप्रधान मंत्री का गिफ्ट आईएफएससी का दौरा

सिंगापुर के माननीय उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री, श्री लॉरेंस वोंग के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने गिफ्ट आईएफएससी के विकास के लिए भारत और सिंगापुर के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा करने और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण और आईएफएससीए के बीच होने वाले अपनी तरह का पहले फिनटेक सहयोग समझौते का साक्षी बनने के लिए १८ सितंबर, २०२२ को गिफ्ट आईएफएससी का दौरा किया।



चित्र १४.५: गिफ्ट आईएफएससी में सिंगापुर प्रतिनिध मंडल का दौरा



चित्र १४.६: अध्यक्ष, आईएफएससीए सिंगापुर उप प्रधानमंत्री को मोमेंटो प्रदान करते हुए

बाएं से दाएं - श्री लॉरेंस वोंग (माननीय उप प्रधानमंत्री, सिंगापुर), श्री कनुभाई देसाई (गुजरात के वित्त मंत्री), श्री इंजेती श्रीनिवास (अध्यक्ष, आईएफएससीए)

संवाद के दौरान, गिफ्ट आईएफएससीए ने पूंजी बाजार, अंतर-नियामक सहयोग और फिनटेक के क्षेत्रों में सिंगापुर के साथ जारी नियामक और विकासात्मक पहलों और सहयोग पर प्रकाश डाला।

गिफ्ट आईएफएससी में आयोजित ११वीं यू.एस.-भारत वित्तीय नियामक वार्ता (एफआरडी)

११वीं यूएस-भारत वित्तीय नियामक वार्ता (एफआरडी) की मेजबानी भारत सरकार की ओर से ०७ मार्च, २०२३ को आईएफएससीए द्वारा की गई। अमेरिका की ओर से, वार्ता का नेतृत्व सचिव के परामर्शदाता और निदेशक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी द्वारा किया गया। वार्ता में भारत सरकार, आईएफएससीए, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। संवाद के दौरान, गिफ्ट आईएफएससी पर समर्पित सत्र आयोजित किया गया जिसमें दोनों पक्षों ने सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की।



चित्र १४.७: ११वीं भारत-अमेरिका वित्तीय नियामक वार्ता

आईएफएससीए की वैश्विक आउटरीच पहलें

आईएफएससीए की यूनाइटेड किंगडम की यात्रा

गिफ्ट आईएफएससी के विकास में तेजी लाने के लिए अक्टूबर २०२० में आयोजित १०वें भारत-यूके आर्थिक और वित्तीय संवाद (ईएफडी) में स्थापित यूके-भारत कार्यनीतिक सहयोग के तत्वावधान में, आईएफएससीए के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई २०२२ में यूनाइटेड किंगडम लंदन का दौरा किया। यात्रा के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने यूके के अधिकारियों, वित्तीय नियामकों के साथ-साथ उनके वित्तीय सेवा उद्योग के साथ कई मुलाकात कीं। गिफ्ट आईएफएससी में अवसरों के बारे में यूके के वित्तीय सेवा उद्योग को सुग्राही बनाने के लिए अनेक गोलमेज वार्ताएं भी आयोजित की गईं।

यूएसए का दौरा

यात्रा के दौरान, आईएफएससीए के अध्यक्ष के नेतृत्व में आईएफएससीए के प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी ट्रेजरी के अधिकारियों, वित्तीय नियामकों, विश्व बैंक समूह संस्थानों, स्टॉक एक्सचेंजों, उद्योग संघों और अमेरिकी वित्तीय सेवा उद्योग के साथ संवाद किया। बैंकों, निधि उद्योग, विमान लीज पर देने वाली फर्मों आदि के लिए समर्पित गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किए गए।



चित्र १४.८: नैसडैक बाजार साइट, न्यूयॉर्क में आईएफएससीए के प्रतिनिधि



चित्र १४.९: न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आईएफएससीए के प्रतिनिधि

मलेशिया की यात्रा

अध्यक्ष के नेतृत्व में आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल ने ५वें आसियान-भारत व्यापार शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मार्च २०२३ में कुआलालंपुर, मलेशिया का दौरा किया, जिसे मलेशिया में भारत के उच्चायोग के सहयोग से आसियान भारत व्यापार परिषद (एआईबीसी) द्वारा आयोजित किया गया। यात्रा के दौरान, आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल ने द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए मलेशियाई वित्तीय नियामकों यानी सिक्योरिटीज कमीशन मलेशिया और लाबुआन वित्तीय सेवा प्राधिकरण के साथ बैठकें भी कीं। गिफ्ट आईएफएससी में अवसरों से परिचित कराने के लिए मलेशियाई वित्तीय सेवा उद्योग और विश्वविद्यालयों के साथ समर्पित गोलमेज वार्ताएं भी आयोजित की गईं।



चित्र १४.१०: आईएफएससीए के अध्यक्ष कुआलालंपुर, मलेशिया में ५वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण देते हुए

सिंगापुर की यात्रा

कार्यकारी निदेशक, आईएफएससीए ने प्रमुख उच्च शिक्षा कार्यक्रम "गोइंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस २०२२" में भाग लेने के लिए नवंबर २०२२ में सिंगापुर का दौरा किया। सम्मेलन के दौरान, उन्होंने गिफ्ट आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए उभरते अद्वितीय अवसर का परिचय दिया।

आस्ट्रेलिया की यात्रा

कार्यकारी निदेशक, आईएफएससीए ने यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया कॉन्फ्रेंस २०२३ में भाग लेने और ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के लिए गिफ्ट आईएफएससी में उत्पन्न होने वाले अवसरों पर प्रकाश डालने के लिए फरवरी २०२३ में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। यात्रा के दौरान, ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय सेवा उद्योग के साथ गोलमेज वार्ताएं आयोजित की गईं और कुछ प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों का अध्ययन दौरा किया गया।



चित्र १४.११: श्री दीपेश शाह, कार्यकारी निदेशक कैनबरा में यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया सम्मेलन, २०२३ में

माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल की आईएफएससीए की यात्रा



चित्र १४.१२: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री गिफ्ट आईएफएससी के कामकाज की समीक्षा करते हुए

माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ८ अक्टूबर, २०२२ को अपनी यात्रा के दौरान गिफ्ट आईएफएससी के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने गिफ्ट सिटी में बैंकर्स, फंड मैनेजर्स, डेरिवेटिव एक्सचेंज मैनेजमेंट, उड्डयन उद्योग के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न इकाइयों के प्रमुखों के साथ बातचीत की और वाणिज्य एवं उद्योग, डीजीएफटी और एसईजेड के संबद्ध कार्यालयों के साथ उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने गिफ्ट सिटी में इकाइयां लगाने से होने वाले लाभों पर चर्चा की और निर्यात को प्रोत्साहन और विनिर्माण में 'मेक इन इंडिया' सहित अन्य मामलों पर उत्कृष्ट सुझाव प्राप्त किए। उन्होंने यह पता लगाने के भी निर्देश दिए कि क्या स्टार्ट अप इकोसिस्टम गिफ्ट सिटी में उपलब्ध सुविधाओं से लाभान्वित हो सकता है।

मंत्री महोदय ने बैठक के संबंध में ट्वीट में कहा, "आईएफएससी भारत की विकास गाथा से लाभान्वित होने वाले वैश्विक निवेशकों के लिए कारोबार करने की संवर्धित सुगमता के साथ आर्थिक विकास का प्रमुख वाहक होगा।"

प्रमुख आउटरीच और सहभागिता कार्यकलाप

वित्त वर्ष २०२२-२३ के दौरान, भारतीय मिशनों, विदेशी मिशनों, उद्योग संघों, निवेश संवर्धन अभिकरणों और अन्य हितधारकों के सहयोग से निम्नलिखित प्रमुख आउटरीच और सहभागिता कार्यकलाप किए गए।

सारणी १४.१: वित्त वर्ष २०२२-२३ में आईएफएससी के प्रमुख आउटरीच और सहभागिता कार्यकलाप

माह	कार्यकलाप	संक्षिप्त विवरण
अप्रैल २०२२	"द बटरफ्लाई इफेक्ट सीरीज: दक्षिण एशिया में निवेश के अवसर" विषय पर वेबिनार।	गिफ्ट आईएफएससी व्यवसाय के अवसरों पर चर्चा करने के लिए आईएफएससी ने इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से सीपीए ओस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
	आईएफएससी (निधि प्रबंधन) विनियम, २०२२ पर वेबिनार	आईएफएससी ने आईएफएससी (निधि प्रबंधन) विनियम, २०२२ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पीडब्ल्यूसी द्वारा आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
	आईएफएससी (निधि प्रबंधन) विनियम, २०२२ पर वेबिनार।	आईएफएससी ने आईएफएससी (निधि प्रबंधन) विनियम, २०२२ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डेलोइट द्वारा आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
मई २०२२	आईएफएससी में अवसरों पर सीपीएआई कार्यक्रम - भारत को मूल्य निर्धारक केंद्र बनाना।	आईएफएससी ने सीपीएआई (कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के ८वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और प्रतिभागियों को गिफ्ट आईएफएससी परियोजना के बारे में जागरूक किया।
जून २०२२	भारत में समुद्री बीमा पर वेबिनार।	भारत में समुद्री बीमा और जीआईएफटी आईएफएससी में मौजूद अवसरों पर सूचना बाजार द्वारा वर्चुअल वेबिनार का आयोजन किया गया और उसके बाद प्रश्नोत्तरी सत्र हुआ।
	गिफ्ट आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसरों पर वेबिनार।	गिफ्ट आईएफएससी में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय व्यापार अवसरों के बारे में विस्तार से बताने के लिए एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (एएनएमआई) द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया।

माह	कार्यकलाप	संक्षिप्त विवरण
अगस्त २०२२	संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ वेबिनार।	गिफ्ट आईएफएससी में आईएफएससी अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर (आईबीसी) स्थापित करने के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों के अवसरों पर चर्चा करने के लिए वार्शिंगटन डी.सी. में भारतीय मिशन के साथ संयुक्त रूप से वेबिनार आयोजित किया गया।
	‘गिफ्ट आईएफएससी में आईएफएससी ब्रोकिंग फर्म की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कदम’ पर वेबिनार।	एएनएमआई और सीपीआई ने संयुक्त रूप से पूंजी बाजार के अवसरों पर विशेष ध्यान देने के साथ गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में व्यापार के अवसरों को उजागर करने के लिए वेबिनार आयोजित किया।
	"आईएफएससी में पोत लीजिंग फ्रेमवर्क" विषय पर वेबिनार।	पीडब्ल्यूसी ने आईएफएससीए के सहयोग से गिफ्ट आईएफएससी में पोत लीज के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए "आईएफएससीए पोत लीज फ्रेमवर्क २०२२" पर वेबिनार का आयोजन किया।
सितंबर २०२२	गिफ्ट आईएफएससी में निधियों के पुनर्वितरण पर गोलमेज सम्मेलन।	मल्टीपल्स एसेट मैनेजमेंट आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से 'गिफ्ट आईएफएससी में निधियों के पुनर्वितरण' पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोलमेज बैठक के दौरान, विदेशी क्षेत्राधिकार से गिफ्ट आईएफएससी में पुनः निवास के लिए भारत केंद्रित निधियों को आकर्षित करने के लिए आईएफएससीए द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा की गई।
	जीआईएफटी आईएफएससी में निधि उद्योग के बारे में गोलमेज सम्मेलन।	आईएफएससीए ने एपेक्स ग्रुप लिमिटेड द्वारा "भारतीय वैकल्पिक विकास की कहानी का लाभ उठाना और वैश्विक संस्थागत पूंजी की भूमिका" विषय पर आयोजित गोलमेज विचारविमर्श में भाग लिया।
	गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिक अवसरों पर ब्लूमबर्ग एलपी द्वारा आयोजित सम्मेलन।	आईएफएससीए ने प्रमुख वित्तीय सेवा उद्योग की भागीदारी के साथ ब्लूमबर्ग एलपी द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। आयोजन के दौरान, आईएफएससीए ने बैंकिंग, पूंजी बाजार, बीमा, फिनटेक आदि में गिफ्ट आईएफएससी में विभिन्न व्यावसायिक अवसरों के बारे में जानकारी प्रसारित की।

माह	कार्यकलाप	संक्षिप्त विवरण
सितंबर २०२२	१०० अमेरिकी डॉलर बीएयूएम आत्मनिर्भर पीई-वीसी उद्योग के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स' के बारे में सीआईआई शिखर सम्मेलन जारी।	आईएफएससीए ने निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी उद्योग के बढ़ते महत्व पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान, पीई और वीसी निधि के लिए पसंदीदा क्षेत्राधिकार के रूप में गिफ्ट आईएफएससी की भूमिका और महत्व पर भी चर्चा की गई।
	एसोचैम द्वारा आयोजित १९वां अंतरराष्ट्रीय कर सम्मेलन।	आईएफएससीए ने नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित १९वें अंतरराष्ट्रीय कर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान, गिफ्ट आईएफएससी व्यवसाय के अवसरों पर समर्पित सत्र आयोजित किया गया।
	गिफ्ट आईएफएससी में विमानन क्षेत्र के अवसरों पर आईएसएचकेए वैश्विक सम्मेलन।	आईएफएससीए ने नई दिल्ली में आईएसएचकेए वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया, जो 'विमानन भारत - नए क्षितिज, नए अवसर' विषय पर आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान, गिफ्ट आईएफएससी में विमान लीज के अवसरों को वैश्विक लीजदाताओं के सामने प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लिया।
अक्टूबर २०२२	"गिफ्ट आईएफएससी: भारत का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय गेटवे" के बारे में सम्मेलन।	आईएफएससीए ने वित्तीय सेवा उद्योग की भागीदारी के साथ एडलवाइस वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान, आईएफएससीए ने बैंकिंग, पूंजी बाजार, बीमा, फिनटेक आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में गिफ्ट आईएफएससी व्यवसाय के अवसर प्रस्तुत किए।
	आईएफएससी में "पोत लीज के अवसर" के बारे में गोलमेज सम्मेलन	बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और जहाजरानी महानिदेशालय के सहयोग से आईएफएससीए द्वारा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गिफ्ट आईएफएससी में पोत लीजिंग पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए नीति और अन्य कानूनी सक्षमताओं पर चर्चा की गई।

माह	कार्यकलाप	संक्षिप्त विवरण
अक्टूबर २०२२	गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिक अवसरों पर सम्मेलन	आईएफएससीए ने वित्तीय सेवा उद्योग की भागीदारी के साथ आईसीआईसीआई बैंक द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान, आईएफएससीए ने निधि प्रबंधन उद्योग सहित वित्तीय सेवा उद्योग के लिए समग्र अवसर प्रस्तुत किए।
	आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल ने एसआईबीओएस सम्मेलन २०२२ के लिए नीदरलैंड का दौरा किया	आईएफएससीए प्रतिनिधिमंडल ने एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में आयोजित एसआईबीओएस सम्मेलन २०२२ में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान, आईएफएससीए ने "गिफ्ट आईएफएससी में अवसर" विषय के बारे में समर्पित सत्र आयोजित किया और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और फिनटेक के साथ द्विपक्षीय बातचीत की।
	डबलिन, आयरलैंड में आईएफएससीए एयरक्राफ्ट लीजिंग रोड शो	आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी में विमान लीज के अवसरों के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए डबलिन, आयरलैंड में रोड शो आयोजित किया।
	'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, जीआईएफटी सिटी, भारत में अवसर' के बारे में वेबिनार।	आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी में वित्तीय संस्थानों के लिए अवसरों पर चर्चा और प्रकाश डालने के लिए आईसीआई के हांगकांग चैप्टर द्वारा आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
	आईएफएससी में पोत लीज के अवसरों पर वेबिनार।	गिफ्ट आईएफएससी में पोत लीज के अवसरों पर अग्रणी फर्मों के साथ वेबिनार आयोजित किया गया।
नवंबर २०२२	"गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र: भारत के लिए वित्तीय प्रवेश द्वार - वैश्विक संस्थानों के लिए अवसर" विषय पर सम्मेलन।	बैंकों, पूंजी बाजार प्रतिभागियों, विधि फर्मों, निधि प्रबंधकों आदि सहित अमेरिकी वित्तीय सेवा उद्योग के लिए गिफ्ट आईएफएससी अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास और ब्लूमबर्ग एलपी के सहयोग से सम्मेलन आयोजित किया गया।
	"अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, गिफ्ट सिटी में वैश्विक निधि के अवसर" के बारे में गोलमेज़ सम्मेलन।	गिफ्ट आईएफएससी में निधि उद्योग अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित गोलमेज़ सम्मेलन आयोजित किया गया।

माह	कार्यकलाप	संक्षिप्त विवरण
नवंबर २०२२	"भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, गिफ्ट सिटी में बैंकिंग और वैश्विक इन-हाउस केंद्र के अवसर" के बारे में गोलमेज सम्मेलन।	गिफ्ट आईएफएससी में बैंकिंग और जीआईसी अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया।
	गिफ्ट आईएफएससी अवसरों के बारे में अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ गोलमेज वार्ता।	विदेशी विश्वविद्यालयों की पहल के अधीन जीआईएफटी आईएफएससी में अमेरिकी विश्वविद्यालयों के लिए अवसरों पर चर्चा करने के लिए गोलमेज बातचीत का आयोजन किया गया।
	गिफ्ट आईएफएससी में फिनटेक अवसरों पर द इंडस एंटरप्रेन्योर्स (टीआईई-डी.सी.) के सदस्यों के साथ बैठक	गिफ्ट आईएफएससी में विकसित किए जा रहे फिनटेक हब पर टीआईई सदस्यों को जानकारी देने और उन्हें फिनटेक एंटीटी फ्रेमवर्क २०२२ के बारे में शिक्षित करने के लिए गोलमेज बातचीत का आयोजन किया गया।
	गिफ्ट आईएफएससी में "विमान लीज के अवसर" के बारे में गोलमेज सम्मेलन	गिफ्ट आईएफएससी में विमान लीजिंग अवसरों के बारे में गिफ्ट सिटी और आईएफएससीए ने संयुक्त रूप से गोलमेज विचारविमर्श का आयोजन किया।
	"गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिक अवसर" के बारे में गोलमेज सम्मेलन	जर्मन वित्तीय सेवा संस्थाओं के लिए गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिक अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए मुंबई में जर्मन महावाणिज्य दूतावास द्वारा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया।
	"गिफ्ट आईएफएससी में संचालन के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाने वाली रियायतें" के बारे में वेबिनार	गिफ्ट आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए २०+ ऑस्ट्रेलियाई व्यापारियों की भागीदारी के साथ, एसडब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से एसडब्ल्यू इंडिया द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया।
दिसंबर २०२२	ऑस्ट्रेलियाई व्यापार और निवेश आयोग (ओस्ट्रेड) के अधिकारियों के साथ बैठक	आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसर खोलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के अवसरों को उजागर करने के लिए ओस्ट्रेड के अधिकारियों के साथ चर्चा की।

माह	कार्यकलाप	संक्षिप्त विवरण
जनवरी २०२३	आईसीआई- गिफ्ट आईएफएससी में अवसरों के बारे में एक दिवसीय सम्मेलन	गिफ्ट आईएफएससी के बारे में आईएफएससीए की साझेदारी में आईसीआई की डब्ल्यूआईआरसी की अहमदाबाद शाखा द्वारा सीए बंधुओं को सुग्राही बनाने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया।
	गिफ्ट आईएफएससी में अवसरों के बारे में आईसीआईसीआई कार्यक्रम	आईएफएससीए के अधिकारियों ने निधि उद्योग के लिए गिफ्ट आईएफएससी व्यवसाय के अवसरों को प्रदर्शित करने के साथ-साथ वित्तीय सेवा उद्योग के साथ नए ओडीआई नियमों के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा बेंगलुरु में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया।
फरवरी २०२३	बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (एमआईजीए)-विश्व बैंक समूह के साथ बैठक	एमआईजीए के वरिष्ठ अधिकारियों ने क्रेडिट वृद्धि प्रत्याभूति सहित गिफ्ट आईएफएससी से ओफर किए जा रहे एमआईजीए उत्पादों और समाधानों की क्षमता पर चर्चा करने के लिए आईएफएससीए अधिकारियों और आईबीयू के प्रमुखों के साथ बैठक की।
	वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए केपीएमजी-सीएनबीसी बजट विचारविमर्श	केपीएमजी और सीएनबीसी द्वारा गिफ्ट आईएफएससी से संबंधित केंद्रीय बजट घोषणाओं और भविष्य में उत्पन्न होने वाले लाभों और व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा करने के लिए सत्र आयोजित किया गया।
	अनर्स्ट एंड यंग एलएलपी द्वारा केंद्रीय बजट के बाद आयोजित वेबिनार	आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी के लिए की गई केंद्रीय बजट २०२३ घोषणाओं और घोषणाओं से उभरने वाले व्यावसायिक अवसरों पर अनर्स्ट एंड यंग एलएलपी द्वारा आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
	पीई-वीसी सीएफओ एसोसिएशन द्वारा पोस्ट बजट वेबिनार	आईएफएससीए ने गिफ्ट आईएफएससी के लिए की गई केंद्रीय बजट २०२३ घोषणाओं और इन घोषणाओं से पैदा होने वाले व्यावसायिक अवसरों पर पीई-वीसी सीएफओ एसोसिएशन द्वारा आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
	अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्तपोषण सेवा मंच (आईटीएफएस) मुंबई में आयोजित कार्यशाला	आईएफएससीए ने निर्यात संवर्धन परिषदों और आईटीएफएस मंचों के सहयोग से गिफ्ट आईएफएससी में आईटीएफएस मंचों से व्यापार वित्तपोषण सेवाओं का लाभ उठाने के बारे में एमएसएमई समुदाय को संवेदनशील और शिक्षित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया।

माह	कार्यकलाप	संक्षिप्त विवरण
मार्च २०२३	गिफ्ट आईएफएससी में पोत लीजिंग के अवसरों के लिए दुबई में आयोजित गोलमेज बैठका	आईएफएससी ने वैश्विक पोत लीजधारियों और अन्य बाजार सहभागियों को गिफ्ट आईएफएससी में पोत लीज के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए पीडब्ल्यूसी द्वारा आयोजित गोलमेज चर्चा में भाग लिया।
	तेरा पंथ व्यावसायिक फोरम द्वारा आयोजित वैश्विक व्यावसायिक सम्मेलन।	आईएफएससी ने तेरा पंथ व्यावसायिक फोरम द्वारा अहमदाबाद में आयोजित वैश्विक व्यावसायिक सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के व्यावसायिकों के लिए गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिक अवसरों को प्रदर्शित करना था।
	जेपी मार्गन चेज़ द्वारा आयोजित सम्मेलन।	गिफ्ट आईएफएससी में निधि उद्योग के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए जेपी मार्गन चेज़ द्वारा आयोजित सम्मेलन में आईएफएससी ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान, गिफ्ट आईएफएससी में धन के अंतरण के लाभों पर भी चर्चा की गई।
	सेमिनार: आईसीएसआई अहमदाबाद चैप्टर द्वारा आयोजित कंपनी सचिव: वैश्विक व्यवसाय'' ।	आईएफएससी ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लिया। सेमिनार में १०० से अधिक व्यावसायिकों ने भाग लिया और गिफ्ट आईएफएससी में सचिवीय और अनुपालन सेवाओं के अवसरों पर प्रकाश डाला गया।
	२०२३ में अनुषंगी सेवाओं को सक्षम करने के फ्रेमवर्क के लिए आयोजित गोलमेज सम्मेलन।	गिफ्ट आईएफएससी को ग्लोबल अकाउंटेंसी हब बनाने की क्षमता पर चर्चा करने के लिए आईएफएससी द्वारा प्रमुख व्यावसायिक और परामर्श फर्मों के साथ गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया।

खंड - घ



प्राधिकरण के अर्ध-विधायी कार्य

आईएफएससी को भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय सेवा बाजार को विकसित और विनियमित करने के लिए एकीकृत नियामक के रूप में स्थापित किया गया है। प्राधिकरण आईएफएससी में ऐसे सभी कार्यकारी, अर्ध-विधायी और अर्ध-न्यायिक कार्य कर सकता है, जैसा कि भारत में देशीय वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा किया जा रहा है। आईएफएससी अधिनियम, २०१९ की धारा १२ आईएफएससी को आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करने का अधिकार देती है। यह केंद्र सरकार को कुछ वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों की भी सिफारिश कर सकता है जिन्हें आईएफएससी में अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा १३ के अधीन, आईएफएससी उपर्युक्त चार देशीय नियामकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अधीन निर्दिष्ट कुछ कृत्यों के संबंध में कर सकता है, जहाँ तक वे आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों से संबंधित हैं।

प्राधिकरण ने अपनी अर्ध-विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कई क्षेत्रों पर नियमों को अधिसूचित किया है। बैंकिंग, पूंजी बाजार, बीमा की मुख्य कार्यकलापों के अलावा, प्रशासनिक और विविध मामलों पर भी नियम बनाए जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा विनियमित विभिन्न वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए, निम्नलिखित विनियम, अधिसूचनाएं, दिशानिदेश और परिपत्र जारी किए गए हैं:

विनियमों की सूची

सारणी घ.१ - विनियमों की सूची

क्रम संख्या	विनियम	निर्गम की तारीख	उद्देश्य
१	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, २०२२ आईएफएससीए / २०२१-२२/ जीएन / आरईजी०२४	१९/०४/ २०२२	निधि प्रबंधन विनियम आईएफएससीए में निधि प्रबंधन कार्यकलापों के मेजबान को नियंत्रित करने के लिए व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के निजी निवेश निधि, जैसे कि उद्यम पूंजी निधियां, विशेष स्थिति निधियां, हेज निधियां, आदि से लेकर म्यूचुअल निधियां और एक्सचेंज ट्रेडेड निधियां जैसी खुदरा निवेश निधियां शामिल हैं।
२	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) (संशोधन) विनियम, २०२२ आईएफएससीए / २०२२-२३/ जीएन / आरईजी०२५	२९/०६/२०२२	प्राधिकरण ने ये नियम आईएफएससीए बैंकिंग विनियम, २०२० में कुछ परिभाषाओं और उपबंधों को सम्मिलित करने, संशोधित करने, विलोपित करने और प्रतिस्थापित करने के लिए कुछ संशोधन करने के लिए जारी किए हैं।
३	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) (संशोधन) विनियम, २०२२। आईएफएससीए / २०२२-२३/ जीएन / आरईजी०२६	०१/०७/२०२२	प्राधिकरण ने ये नियम आईएफएससीए वित्त कंपनी विनियम, २०२१ में "अनुमत और गैर-प्रमुख कार्यकलापों" का विस्तार करके कुछ उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए कुछ संशोधन करने के लिए जारी किए हैं।
४	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, (अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन) विनियम, २०२२ आईएफएससीए / २०२२-२३/ जीएन / आरईजी०२७	११/१०/२०२२	प्राधिकरण ने ये नियम गिफ्ट आईएफएससीए को अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक केंद्र बनाने के लिए जारी किए हैं, जो निर्दिष्ट विषयों में भारतीय और विदेशी दोनों छात्रों की जरूरतों को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य वित्त, प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में उच्च स्तरीय मानव संसाधन प्रदान करने के लिए बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार, निधि प्रबंधन, फिनटेक, दीर्घायु वित्त, संधारणीय वित्त, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है।
५	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वेबसाइट का रखरखाव) विनियम, २०२२। आईएफएससीए / २०२२-२३/ जीएन / आरईजी०२१	२५/११/२०२२	इन विनियमों का उद्देश्य भारत सरकार और अन्य प्रासंगिक अधिकरणों के मानकों और दिशानिर्देशों के अनुरूप अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र के नियामकों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की वेबसाइट विकसित करने के लिए प्राधिकरण के लिए सक्षम फ्रेमवर्क प्रदान करना है।

क्रम संख्या	विनियम	निर्गम की तारीख	उद्देश्य
६	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा उत्पाद और मूल्य निर्धारण) विनियम, २०२२। आईएफएससीए / २०२२-२३/ जीएन / आरईजी०२९	१२/०१/२०२३	विनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नांकित के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं <ul style="list-style-type: none"> ● बीमा उत्पादों की डिजाइनिंग और मूल्य निर्धारण ● उत्पाद संबंधी जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए पर्याप्त क्षमता प्रदान करने के लिए प्रणाली और नियंत्रण स्थापित करना
७	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय द्वारा निवेश) विनियम, २०२२। आईएफएससीए/२०२२-२३/ जीएन / आरईजी०३०	१२/०१/२०२३	विनियमों का उद्देश्य आईएफएससी बीमा कार्यालय द्वारा परिसंपत्ति के निवेश से संबंधित विनियामक फ्रेमवर्क और प्रक्रियाओं को लागू करना है।
८	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा अभिलेखों का अनुरक्षण और अन्वेषण और निरीक्षण के लिए आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करना) विनियम, २०२२। आईएफएससीए / २०२२-२३/ जीएन / आरईजी०३१	१२/०१/२०२३	इन विनियमों का उद्देश्य बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा ३३ के अधीन अन्वेषण और निरीक्षण के उद्देश्यों के लिए आईआईओ और आईआईआईओ द्वारा बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम जानकारी निर्दिष्ट करना है।
९	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, २०२२। आईएफएससीए / २०२२-२३/ जीएन / आरईजी०२८	१२/०१/२०२३	इन विनियमों का उद्देश्य उन व्यक्तियों के लिए नियामक फ्रेमवर्क निर्धारित करना है जो आईआईओ द्वारा 'नियुक्त बीमांकक' के रूप में भूमिका निभाने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं।
१०	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रीमियम के भुगतान और प्राप्ति का तरीका) विनियम, २०२२। आईएफएससीए / २०२२-२३/ जीएन / आरईजी०३२	१२/०१/२०२३	इन विनियमों का उद्देश्य बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा ६४ ५-ख के अनुसार, आईएफएससी में बीमा कारोबार करने के लिए बीमा पोलिसी के लिए प्रीमियम के भुगतान के तरीके, जोखिम की धारणा, प्रीमियम की प्राप्ति या वापसी और अन्य नियमों और शर्तों को लागू करना है।

क्रम संख्या	विनियम	निर्गम की तारीख	उद्देश्य
११	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों के वित्तीय विवरणों को तैयार करके प्रस्तुत करना) विनियम, २०२२. आईएफएससीए / २०२२-२३/ जीएन / आरईजी०३३	१२/०१/२०२३	इन विनियमों का उद्देश्य आईआईओ के वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति की प्रक्रिया को स्थापित करना है।

अधिसूचनाओं की सूची

सारणी घ.१: अधिसूचनाओं की सूची

क्रम स .	अधिसूचना	प्रकाशन की तारीख	अधिसूचना का उद्देश्य
१	आईएफएससीए / २०२२-२३/ जीएन / ०२३	१२/०४/२०२२	आईएफएससीए अधिनियम, २०१९ की धारा ३(१) (घ) के अधीनआईएफएससी में वित्तीय उत्पादों के रूप में "विमान ग्राउन्ड सपोर्ट उपकरण" को अधिसूचित करना है।
२	३२९/ आईएफएससीए / बुलियन एमआईआई / २०२१-२२	०६/१२/२०२२	अधिसूचना द्वारा इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लिरिंग कारपोरेशन की मान्यता को एक वर्ष के लिए नवीनीकरण करके विस्तार किया गया।
३	आईएफएससीए / २०२२-२३/ जीएन / ०२३	२७/०४/२०२२	आईएफएससी में वित्तीय उत्पाद के रूप में "विमान ग्राउन्ड सपोर्ट उपकरण" को अधिसूचित करने से संबंधित कतिपय संशोधन करने के लिएशुद्धिपत्र जारी किया गया।

प्रमुख परिपत्रों/दिशानिदेशों की सूची

सारणी घ.३: प्रमुख परिपत्रों/दिशानिदेशों की सूची

क्रम सं.	परिपत्र / दिशानिदेश	जारी करने की तारीख	उद्देश्य
1	वित्तीय संस्थानों द्वारा सतत और सततता से जुड़े उधार पर मार्गदर्शन फ्रेमवर्क	२६/०४/२०२२	परिपत्र आईएफएससी में परिचालन करने वाले आईबीयू और एफसी/एफयू को निदेशित करता है, जो आईएफएससी से ऋण देने वाले कार्यकलापों का संचालन करते हैं, ताकि हरित / सामाजिक / सतत / सततता बद्ध उधारी पर व्यापक बोर्ड अनुमोदित नीति विकसित की जा सके।
२	आईएफएससी में फिनटेक एंटीटी के लिए फ्रेमवर्क	२७/०४/२०२२	फ्रेमवर्क आईएफएससी में फिनटेक एंटीटियों के प्राधिकरण के तरीके प्रदान करता है।
३	विमान लीजिंग के लिए फ्रेमवर्क	१८/०५/२०२२	फ्रेमवर्क विमान लीजिंग लेनदेन करने के लिए वित्त कंपनी विनियमों के अधीन 'वित्त कंपनी' या 'वित्त इकाई' के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए एंटीटियों को निर्दिष्ट करता है।
४	आईएफएससी बैंकिंग पुस्तिका में संशोधन और परिवर्धन	०६/०६/२०२२	इन परिपत्रों के माध्यम से पुस्तिका में कतिपय संशोधन/परिवर्धन किए गए हैं। 'बैंकिंग से संबंधित प्रश्न पुच्छा' नामक नया मोड्यूल जोड़ा गया है।
५	आईएफएससी बैंकिंग पुस्तिका सामान्य निदेश-वी ३.० (जीईएन)	०६/०६/२०२२	आईएफएससी बैंकिंग पुस्तिका में बैंकिंग कंपनी (आईएफएससी बैंकिंग विनियमों में "मूल बैंक" के नाम से संदर्भित) की शाखा के रूप में कार्यरत बैंकिंग इकाइयों के लिए प्राधिकरण के निदेश निहित हैं। मोड्यूल आईबीयू के लाइसेंसिंग, 'नियंत्रित' और 'नामित' कार्यों को परिभाषित करने और ऐसे "अनुमोदित/अधिकृत व्यक्तियों" की आवश्यकताओं से संबंधित है जो इस तरह के कार्य कर सकते हैं। सामान्य निदेश बैंकिंग व्यवसाय के लिए व्यापक सिद्धांत भी निर्धारित करते हैं और प्राधिकरण की पर्यवेक्षी शक्तियों, कार्यों और दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
६	आईएफएससी बैंकिंग पुस्तिका कार्य संचालन निदेश- वी ३.०	०६/०६/२०२२	सीओबी निदेशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आईबीयू अपेक्षित आचरण के न्यूनतम मानकों को पूरा करते हैं, विशेष रूप से अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार, समकक्षों और अन्य बाजार सहभागियों के साथ उनके व्यवहार के संबंध में।

क्रम सं.	परिपत्र / दिशानिदेश	जारी करने की तारीख	उद्देश्य
७	आईएफएससीए बैंकिंग पुस्तिका दूरदर्शिता निदेश- वी ३.० (पीआरयू)	०६/०६/२०२२	पीआरयू निदेशों का उद्देश्य कुछ न्यूनतम गैर-मात्रात्मक विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को स्थापित करना है जो संबंधित गृह विनियमों के अधीन बैंकिंग कंपनी की शाखा के रूप में उन पर लागू होने के अलावा, आईएफएससी में शाखाओं के रूप में स्थापित आईबीयू पर भी लागू होंगे। पीआरयू मॉड्यूल आईबीयू पर लागू होने वाले शासन, शासी बोर्ड की जिम्मेदारियों, नीतियों, प्रणालियों और नियंत्रणों के संबंध में विवेकपूर्ण आवश्यकताओं के गुणात्मक पहलुओं को समाहित करते हैं।
८	आईएफएससी में बाजार अवसंरचना संस्थानों की समितियां	२८/०६/२०२२	समितियों का गठन एमआईआई के कामकाज पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वैधानिक समितियों के गठन के संबंध में आईएफएससीए (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, २०२० के अध्याय VI और आईएफएससीए (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियम, २०२१ के अध्याय III के अनुसार किया गया।
९	आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) विनियम, २०२२ के अधीन एंजेल निधि	०१/०७/२०२२	एंजल निवेशकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए, विशेष रूप से प्रारंभिक चरण के निवेश की आवश्यकताओं के अनुरूप एंजल निधियों के लिए रूपरेखा, इस परिपत्र के अधीन निर्दिष्ट की गई है।
१०	आईएफएससीए बैंकिंग पुस्तिका कार्य संचालन निदेश- वी ४.० (सीओबी)	१३/०७/२०२२	सीओबी निदेशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आईबीयू विशेष रूप से अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार, प्रतिपक्षों और अन्य बाजार सहभागियों के साथ उनके व्यवहार के संबंध में अपेक्षित आचरण के न्यूनतम मानकों को पूरा करते हैं। इसमें यह सुनिश्चित करने के निदेश भी शामिल हैं कि आईबीयू आईएफएससी में वित्तीय बाजारों की अखंडता को बढ़ावा देने और बनाए रखने में योगदान करते हैं।
११	पोत लीजिंग के लिए फ्रेमवर्क	१६/०८/२०२२	आईएफएससी में पोत लीजिंग व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने और वित्त कंपनी विनियमों के अधीन एंटिटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया।

क्रम सं.	परिपत्र / दिशानिदेश	जारी करने की तारीख	उद्देश्य
१२	आईएफएससीए (धन शोधन निवारण, आतंकवाद वित्तपोषण प्रतिरोध और अपने ग्राहक को जानें) दिशानिदेश, २०२२ आईएफएससीए / २०२२-२३/ जीएन/जीएल००१	२८/१०/२०२२	आईएफएससीए ने आईएफएससी में सभी विनियमित एंटीटियों के लिए लागू दिशानिदेश जारी किए। दिशानिदेशों में प्रमुख पहलुओं जैसे जोखिम आधारित मूल्यांकन, ग्राहक के उचित परिश्रम, संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग आदि शामिल हैं। दिशानिदेश आईएफएससी में विनियमित एंटीटियों के लिए देशीय वित्तीय नियामकों के अन्य सभी एएमएल-सीएफटी दिशानिदेशों/परिपत्रों का स्थान लेगा।
१३	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, २०२१ के अधीन पूंजी बाजार उत्पादों और सेवाओं के वितरण के लिए फ्रेमवर्क	२१/११/२०२२	पूंजी बाजार उत्पादों और सेवाओं के वितरण में वितरकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया।
१४	बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के लिए व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा रिकवरी (डीआर) के लिए दिशानिदेश	१६/११/२०२२	प्रौद्योगिकी में प्रगति और विभिन्न प्रक्रियाओं के बेहतर स्वचालन को ध्यान में रखते हुए, आईएफएससी में एमआईआई के लिए व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा पुनर्प्राप्ति स्थल (डीआरएस) के लिए रूपरेखा निर्धारित की गई।
१५	बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम के लिए निवल मूल्य निर्धारित करने वाला परिपत्र	०१/०१/२०२३	परिपत्र बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन कोरपोरेशन के लिए निवल मूल्य निर्धारित करता है।
१६	बुलियन एक्सचेंज पर ब्लॉक डील के निष्पादन के लिए दिशानिदेश	०३/०३/२०२३	स्वर्ण में एकल लेनदेन में बड़े ट्रेडों के निष्पादन के लिए तंत्र को सक्षम करने के लिए परिपत्र जारी किया गया था।
१७	‘पोत लीजिंग का फ्रेमवर्क’ शीर्षक वाले परिपत्र में संशोधन	२२/०३/२०२३	परिचालन लीज के अधीन स्वीकार्य कार्यकलापों के रूप में पोतों के रोजगार के लिए यात्रा चार्टर और अन्य वाणिज्यिक लेनदेन को सक्षम करके पोत लीजिंग के फ्रेमवर्क को संशोधित करने के लिए परिपत्र जारी किया गया।

बॉक्स घ.१: आईएफएससीए (धन शोधन निवारण, आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम और अपने ग्राहक को जानें) दिशानिदेश, २०२२

- धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, २००५ के नियम ९ के उप-नियम १४ के साथ पठित आईएफएससीए अधिनियम की धारा १२ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईएफएससीए ने आईएफएससीए (धन शोधन निवारण, आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम और अपने ग्राहक को जानें) दिशानिदेश, २०२२ जारी किए गए हैं। ये दिशानिदेश १ नवंबर, २०२२ को लागू हुए।
- दिशानिदेशों को वित्तीय कार्रवाई कृतिक बल (एफएटीएफ) की सिफारिशों, धन शोधन निवारण अधिनियम, २००२ (पीएमएलए), पीएमएल नियमों और वैश्विक एएमएल-सीओफटी नियामक व्यवस्था में प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार तैयार किया गया है।
- जैसा कि आईएफएससीए एक एकीकृत वित्तीय क्षेत्र नियामक है, यह आवश्यक है कि दिशानिदेश पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा और पेंशन के क्षेत्रों में विभिन्न वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों पर समान रूप से लागू हों। इसलिए, 'सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण' दिशा-निदेशों के अधीन अपनाया गया है।
- व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और विनियमित एंटीटी (आरई) के लिए ग्राहकों के सुचारू आगमन को बढ़ावा देने के लिए, शासकीय वैध दस्तावेज (ओवीडी), नमोनिदेशित निदेशक, आदि के संबंध में पीएमएल नियम, २००५ में संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा, विदेशी नागरिकों के लिए केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री अनिवार्यता से छूट भी प्रदान की गई है।
- दिशानिदेश प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त, मान्यता प्राप्त या रजिस्ट्रीकृत या अधिकृत सभी एंटीटियों पर लागू होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से दिशानिदेशों के खंड १.३.३५ में संदर्भित विनियमित एंटीटी (आरई) कहा जाता है। इन दिशानिदेशों के उपबंध आरई के वित्तीय समूह पर भी लागू होते हैं, जैसा कि दिशानिदेशों के अध्याय-XII में निर्दिष्ट है।
- दिशा-निदेशों का प्राथमिक जोर धन शोधन(एमएल) और आतंकवाद वित्तपोषण (टीएफ) जोखिम की पहचान और मूल्यांकन करने के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) अपनाने के लिए आरई को सक्षम करना है, जिसके लिए आरई व्यवसाय और कुछ प्रकार के ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं, लेनदेन, या वितरण चैनलों आदि के साथ संपर्क या भागीदारी जोखिम की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिशानिदेशों में आरबीए, व्यवसाय जोखिम मूल्यांकन और ग्राहक जोखिम मूल्यांकन के लिए समर्पित अध्याय हैं।
- जोखिम मूल्यांकन के आधार पर, ग्राहकों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम के रूप में तीन जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। वर्गीकरण के आधार पर, प्रासंगिक ग्राहक उचित सावधानी (सीडीडी) उपाय अर्थात्, सरलीकृत या उन्नत सीडीडी उपाय लागू होते हैं।
- दिशानिदेश प्रकृति में व्यापक हैं और अन्य बातों के अलावा आरबीए, सीडीडी, लाभकारी स्वामियों की पहचान और सत्यापन, संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने पर विशेष ध्यान देने पर जोर देते हैं। आसान समझ के लिए और आरई के लिए व्याख्या में अस्पष्टता से बचने के लिए, विभिन्न अध्यायों के अधीन 'मार्गदर्शन नोट' प्रदान किए गए हैं।

पक्ष-समर्थन और आउटरीच

आईएफएससीए और नेशनल लो यूनिवर्सिटी, दिल्ली (एनएलयूडी) के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर

आईएफएससीए और नेशनल लो यूनिवर्सिटी, दिल्ली (एनएलयूडी) के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर

प्राधिकरण और एनएलयूडी के बीच आईएफएससी के प्रासंगिक क्षेत्रों में साक्ष्य-आधारित नीति अनुसंधान करने में सहयोग और उसमें व्यावसायिक कार्यकलापों को नियंत्रित करने वाले नियमों सहित कानूनी फ्रेमवर्क के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

अगले वर्ष २०२३-२४ के लिए प्रमुख नीतियां और कार्यक्रम

गिफ्ट- आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (आईएसी) की स्थापना

केंद्रीय बजट २०२२-२३ में, माननीय वित्त मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय न्यायाशास्त्र के अधीन विवादों के समय पर निपटान के लिए गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की।

प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है आईएफएससी के लिए अपतटीय व्यवसाय को आकर्षित करना और इस तरह इसे एक सुदृढ़ वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाना है जिसमें अन्य प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता हो। एक समकालीन और सुदृढ़ विवाद समाधान केंद्र होने से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र के प्लेयर्स आईएफएससी की ओर आकर्षित होंगे। इसके अनुसरण में, प्राधिकरण ने शोध किए हैं और उन क्षेत्रों को अभिनिर्धारित किया है, जो आईएफएससी में मध्यस्थता करने के लिए कतिपय व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी।

एसईजेड अधिनियम और एसईजेड नियमों के अधीन आईएफएससीए को शक्तियों का प्रत्यायोजन

गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिक कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट २०२३-२४ में घोषणा की कि 'दोहरे विनियमन से बचने के लिए आईएफएससीए को एसईजेड अधिनियम के अधीन शक्तियां सौंपने' के उपाय किए जाएंगे। इसे लागू करने के लिए, प्राधिकरण ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, २००५ के अधीन कुछ विशेष क्षेत्रों की पहचान की है और उनकी मांग की है। इससे आईएफएससी इकाइयों के लिए व्यवसाय करने को आसान बनाना सरल हो जाएगा।

आईएफएससीए अधिनियम के अधीन व्यापक संशोधन करने पर शोध

आईएफएससीए अधिनियम, २०१९ में संशोधन करके भारत में आईएफएससी के लिए व्यापक फ्रेमवर्क बनाने के लिए शोध किया जाएगा। संशोधन के क्षेत्रों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मध्यस्थता, अनुषंगी सेवाएं, परिवर्तनीय पूंजी कंपनियां, नए अधिसूचित वित्तीय उत्पादों पर प्रवर्तन शक्तियां और अधिनियम की धारा १३ के अधीन कवर नहीं की गई वित्तीय सेवाएँ शामिल हैं।

ਖੰਡ – ਭ



निष्पादन मूल्यांकन

आईएफएससीए अधिनियम, २०१९ की धारा १७ (३) आईएफएससीए के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए तंत्र प्रदान करती है। आईएफएससीए से अपेक्षा की जाती है कि वह विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देते हुए प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा करने के लिए निष्पादन समीक्षा समिति, जिसमें प्राधिकरण के कम से कम दो सदस्य शामिल हों, का गठन निम्नांकित को ध्यान में रखते हुए करे कि क्या-

- क. इसने अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कार्य करते समय लागू विधियों के उपबंधों का पालन किया है;
- ख. अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियम पारदर्शिता और शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं; और
- ग. प्राधिकरण अपने कामकाज को होने वाले जोखिमों का प्रबंधन उचित तरीके से कर रहा है।

आईएफएससीए अधिनियम, २०१९ की धारा २८(२)(घ) आईएफएससीए को निष्पादन समीक्षा समिति के संबंध में नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करती है। तदनुसार, आईएफएससीए (निष्पादन समीक्षा समिति) विनियम, २०२२ ("पीआरसी विनियम"), निष्पादन समीक्षा समिति ("पीआरसी") के कामकाज से संबंधित संविधान, दायरा, सूचना साझाकरण और रिपोर्ट देने संबंधी फ्रेमवर्क प्रदान करते हुए २३ मार्च, २०२२ को अधिसूचित किए गए।

इसके बाद, आईएफएससीए ने निम्नलिखित तीन निष्पादन समीक्षा समितियों का गठन किया है:

१. अनुपालन समिति

अनुपालन समिति के दायरे में इस बात की समीक्षा करना शामिल है कि क्या आईएफएससीए ने आईएफएससीए अधिनियम, २०१९ के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कार्य करते समय लागू कानूनों के उपबंधों का अनुपालन किया है।

तदनुसार, उपर्युक्त संदर्भ शर्तों पर, आईएफएससीए द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ निष्पादन समीक्षा समिति का गठन किया गया:

- १) श्री सौरव सिन्हा (सदस्य, आईएफएससीए बोर्ड)
- २) श्री सुजीत प्रसाद (सदस्य, आईएफएससीए बोर्ड)
- ३) श्री बहराम एन. वकील (स्वतंत्र सदस्य)
- ४) श्री जे. रंगनायकुलु (स्वतंत्र सदस्य)

३० नवंबर, २०२२ को हुई बैठक में समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से श्री बहराम एन. वकील को इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया।

२. पारदर्शिता और शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं संबंधी समिति

पीआरसी विनियमों के विनियम ५(२) के संदर्भ में पारदर्शिता और शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं संबंधी समिति के दायरे में, यह आकलन करना अपेक्षित है कि क्या प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम:

- क. हितधारकों के अनुपालन बोझ को कम करते हैं और शासन की पारदर्शिता और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं;
- ख. हितधारकों के लिए निष्पक्ष और गैर-पक्षपातपूर्ण हैं और सरलता से सुलभ हैं;
- ग. स्पष्ट हैं, समझने योग्य हैं और विनियमित एंटीटीओं को विनियमों के अनुपालन के लिए पूर्वानुमेयता और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

तदनुसार, आईएफएससीए द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ निष्पादन समीक्षा समिति का उपर्युक्त संदर्भ शर्तों के साथ, गठन किया गया:

- १) श्री अनंत गोपाल दास (सदस्य, आईएफएससीए बोर्ड)
- २) श्री सुचिन्द्र मिश्रा (सदस्य, आईएफएससीए बोर्ड)
- ३) डॉ. एम. एस. साहू (स्वतंत्र सदस्य)
- ४) श्री एम. वी. नायर (स्वतंत्र सदस्य)

०७ दिसम्बर २०२२ को आयोजित बैठक में समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से डॉ. एम.एस. साहू को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया।

३. जोखिम प्रबंधन समिति

पीआरसी विनियमों के विनियम ६ के संदर्भ में जोखिम प्रबंधन समिति के दायरे में यह आकलन करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या प्राधिकरण उचित तरीके से अपने कामकाज को होने वाले जोखिम का प्रबंधन कर रहा है, और इसका निष्पादन निम्नांकित द्वारा किया जाएगा:

- क. अपने कार्यकलापों के लिए जोखिम निगरानी उपायों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करना;
- ख. यह समीक्षा करना कि क्या जोखिम पहचान उपाय उचित हैं और प्राधिकरण के संचालन की सुरक्षा और सुदृढ़ता सुनिश्चित करते हैं, ऐसा यह सुनिश्चित करते हुए करना कि कतिपय संभावित क्षति को कम किया गया है और जोखिमों को श्रेणीबद्ध किया गया है; और
- ग. निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा करना और किसी प्रकार के उल्लंघन के रिकॉर्ड का अनुरक्षण करना।

तदनुसार, उपर्युक्त संदर्भ शर्तों पर, आईएफएससीए द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ निष्पादन समीक्षा समिति का गठन किया गया:

- १) डॉ. (सुश्री) ममता सूरी (सदस्य, आईएफएससीए प्राधिकरण)
- २) सुश्री सुरभि जैन (सदस्य, आईएफएससीए प्राधिकरण)
- ३) श्री श्रीराम बालासुब्रमण्यम (स्वतंत्र सदस्य)
- ४) श्री जी. श्रीनिवासन (स्वतंत्र सदस्य)

२९ नवंबर २०२२ को हुई बैठक में समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से डॉ. (सुश्री) ममता सूरी को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया।



खंड - च



धन का स्रोत और व्यय के प्रमुख क्षेत्र (वित्त वर्ष २०२२-२३)

सारणी च.१: वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के लिए निधि के स्रोत

निधि के स्रोत - प्राप्तियाँ	रकम (₹ लाख)
वार्षिक शुल्क	१,००२.८७
आवेदन शुल्क	१५०.५२
ब्रोकर कारोबार शुल्क: पूंजी बाजार	९८६.०६
बीमा कार्यालयों से कारोबार आधारित शुल्क	३६.००
सूचीबद्धता शुल्क	१.६५
रजिस्ट्रीकरण शुल्क	१,००९.४७
अन्य शुल्क	७.८५
सरकारी अनुदान	७,३६८.००
आईएफएससीए द्वारा अर्जित नियामक शुल्क पर ब्याज आय	१२०.५६
अन्य विविध आय	१४३.२९
कुल	१०,८२६.२७

सारणी च.२: २०२२-२३ के लिए व्यय के प्रमुख क्षेत्र

व्यय के प्रमुख क्षेत्र - भुगतान	रकम (₹ लाख)
स्थापना व्यय	३,०११.२४
प्रशासनिक व्यय	१,५६७.३१
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद (मुख्यालय भूमि/भवन सहित)	४,०२६.५२
आईएफएससीए के लीज पर लिए गए कार्यालय परिसर के लिए प्रतिभूति जमा	१५.६०
कुल	८,६२०.६७

खंड - छ

संगठनात्मक मामले

प्राधिकरण की संरचना

सारणी छ.१: प्राधिकरण की संरचना

विभाग	प्रभाग
बैंकिंग पर्यवेक्षण	बैंकिंग पर्यवेक्षण
	वित्त कम्पनी विनियमन और पर्यवेक्षण
बैंकिंग विनियमन और विकास	भुगतान और समाधन
	बैंकिंग विनियमन
पूंजी बाजार	कारपोरेट वित्त-इक्विटी, हाइब्रिड और संबद्ध उत्पाद
	कारपोरेट वित्त - ऋण और सतत् वित्त
	बाजार अवसंरचना संस्थान - विनियमन और पर्यवेक्षण
	निवेश निधि - I और नए उत्पाद = सेवाएं
	निवेश निधि - II और विमान लीजिंग -
बीमा	बीमा
धातु और पण्य	बाजार के विकास और विनियमन के लिए कार्यनीतिक अनुसंधान और समन्वयन
	नियामक नीति, जोखिम प्रबंधन और पर्यवेक्षण
	उत्पाद विनियमन
	वोल्ट प्रबंधक और समन्वयन

विभाग	प्रभाग
विकास	वित्तीय बाजार का विकास - I
	वित्तीय बाजार का विकास - II & अंतरराष्ट्रीय मामले
आर्थिक नीति और विश्लेषण	आर्थिक नीति और विश्लेषण
सामान्य प्रशासन	प्रशासन & एचआर
	निक्षेपागार, वित्त और लेखे
आईटी और फिनटेक	आईटी
	फिनटेक
विधिक नीति और विधिक मामले	विधिक नीति
	विधिक मामले
नियामक नीति और नियामक मामले	नियामक सहयोग
	जोखिम आधारित पर्यवेक्षण
	सुपटेक
	एफएटीएफ सेल

प्राधिकरण की बैठकें

सारणी छ.२: वित्तीय वर्ष २०२२-२३ में आयोजित आईएफएससीए प्राधिकरण की बैठकें

क्रम सं.	बैठक	तारीख
१	प्राधिकरण की ग्यारहवीं बैठक	२७ जून, २०२२
२	प्राधिकरण की बारहवीं बैठक	३० सितंबर, २०२२
३	प्राधिकरण की तेरहवीं बैठक	२३ दिसंबर, २०२२
४	प्राधिकरण की चौदहवीं बैठक	२४ मार्च, २०२३

मानव संसाधन

सारणी छ.३: कर्मचारियों का संस्वीकृत और वास्तविक संख्याबल

पद	३१.०३.२०२३ को स्वीकृत पद	३१.०३.२०२३ को वास्तविक संख्या
कार्यकारी निदेशक	६	३
मुख्य महाप्रबंधक	९	०
महाप्रबंधक	१२	६
उप महाप्रबंधक	१५	१४
सहायक महाप्रबंधक	२०	६
प्रबंधक	२६	६
सहायक प्रबंधक	३०	२९
कार्यकारी सहायक / वरिष्ठ कार्यकारी सहायक / कार्यकारी अधीक्षक	२०	०
मल्टी-टार्किंग स्टाफ़ ग्रेड क/ग्रेड ख/ ग्रेड ग*	१०	३
कुल	१४८	६७

*आउटसोर्सिंग के आधार पर संविदात्मक नियुक्तियों के माध्यम से आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा किया जा रहा है

आईएफएससीए को एकीकृत वित्तीय क्षेत्र नियामक प्राधिकरण होने के नाते, पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा, बुलियन, निधि प्रबंधन, फिन्टेक आदि के क्षेत्र में युवा व्यावसायिकों/सलाहकारों/वरिष्ठ सलाहकारों की विशेषज्ञता और कौशल की आवश्यकता होती है। अनुबंध के आधार पर सलाहकारों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राधिकरण ने सलाहकारों को नियुक्त किया है, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में बताया गया है:

सारणी छ.४: ३१ मार्च, २०२३ को आईएफएससीए के सलाहकार

क्रम सं.	पद	संख्या	अभ्युक्ति
१	वरिष्ठ सलाहकार	४	पूर्णकालीन आधार पर
२	सलाहकार ग्रेड १/ग्रेड २	७	पूर्णकालीन आधार पर
३	युवा व्यावसायिक	४	पूर्णकालीन आधार पर
४	सलाहकार	१	अंशकालीन आधार पर

आईएफएससीए उन छात्रों को इंटरनशिप का अवसर प्रदान करता है जो वित्तीय सेवा बाजार में एक व्यावसायिक आजीविका बनाना चाहते हैं। कोई छात्र जो अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, प्रबंधन में कानून या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पांच वर्ष या तीन वर्ष का डिग्री कोर्स कर रहा है और उसने इस तरह के डिग्री कोर्स या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अंतिम वर्ष या चरण पूरा कर लिया है; या अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, प्रबंधन या कानून में पाठ्यक्रम एम.फिल/पीएच.डी. कर रहा है, आईएफएससीए के साथ प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने का पात्र हैं। वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के दौरान, चार छात्रों ने आईएफएससीए में इंटरनशिप की। आईएफएससीए ने वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के नियमन और विकास में शामिल अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। आयोजित प्रशिक्षण एआर कार्यक्रमों और विभिन्न वेबिनार/संगोष्ठियों/बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

प्रशिक्षण कार्यक्रम और वेबिनार

सारणी छ.५: प्रशिक्षण कार्यक्रम और वेबिनार

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम
१	राष्ट्रीय बैंकिंग प्रबंधन संस्थान, पुणे में प्रेरण कार्यक्रम
२	राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान, मुंबई में प्रेरण कार्यक्रम
३	राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे में प्रेरण कार्यक्रम
४	अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद में प्रेरण कार्यक्रम
५	आईओएससीओ और आईएसएसबी द्वारा कारपोरेट जारीकर्ताओं के लिए सतत वित्त प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम
६	आईएफएससीए, पर्यवेक्षक महाविद्यालय, आरबीआई, मुंबई के पर्यवेक्षकों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम
७	फिनटेक, रेग्यु.टेक एंड सुपटेक टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स, पर्यवेक्षक महाविद्यालय, आरबीआई, मुंबई
८	वित्तीय व्युत्पन्नों के बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, एनआईबीएम, पुणे
९	एएलएम और चलनिधि जोखिम का पर्यवेक्षी मूल्यांकन, पर्यवेक्षक महाविद्यालय, आरबीआई प्रशिक्षण, मुंबई
१०	परिचालन जोखिम प्रबंधन और तन्मयता, यूरोमनी
११	परिचालन जोखिम का पर्यवेक्षी मूल्यांकन, पर्यवेक्षक महाविद्यालय, आरबीआई प्रशिक्षण, मुंबई
१२	जलवायु परिवर्तन के वित्तीय जोखिम की पहचान और प्रबंधन, पर्यवेक्षक महाविद्यालय, आरबीआई प्रशिक्षण, मुंबई
१३	वित्तीय धारणीयता अधिदेश को कार्यान्वित करते हुए वृहत विवेकपूर्ण नीति निर्माण, पर्यवेक्षक महाविद्यालय, आरबीआई प्रशिक्षण, मुंबई
१४	एनआईबीएम, पुणे द्वारा ईसीएल व्यवस्था और पूंजी अनुमान के लिए आंतरिक ऋण जोखिम मॉडलिंग
१५	पर्यवेक्षी विश्लेषण में बुनियादी सांख्यिकी और अर्थमिति का उपयोग और अनुप्रयोग, पर्यवेक्षक महाविद्यालय, आरबीआई प्रशिक्षण, मुंबई
१६	अर्थशास्त्र नियमकों और पर्यवेक्षकों का अध्ययन, पर्यवेक्षक महाविद्यालय, आरबीआई, मुंबई
१७	वित्तीय जोखिम और वृहत वित्तीय जोखिम प्रबंधकों के लिए प्रारंभिक चेतावनी तंत्र – पर्यवेक्षक महाविद्यालय, आरबीआई, मुंबई

सूचना का अधिकार

सारणी छ.६: वित्त वर्ष २०२२-२३ के दौरान आरटीआई आवेदनों की स्थिति

प्राप्त हुए अनुरोधों की कुल संख्या	उत्तरित अनुरोधों की कुल संख्या
१८	१८

आईएफएससीए मुख्यालय भवन परियोजना

जैसा कि गिफ्ट आईएफएससी को वास्तव में विश्व स्तर और आधुनिक बुनियादी फ्रेमवर्क के साथ अंतरराष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, प्रस्तावित आईएफएससीए मुख्यालय भवन (इसके बाद आईएफएससीए टॉवर के रूप में संदर्भित) को प्रतिष्ठित संरचना के रूप में डिजाइन और अवधारणाबद्ध किया गया है जो जीआईएफटी आईएफएससी के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में बढ़ती प्रमुखता और स्थिति को दर्शाता है। आईएफएससीए टॉवर को स्मार्ट सिटी अवधारणा के अनुरूप अत्यधिक कुशल और संधारणीय संरचना बनने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे केंद्रीय अंतर्भाग में सेवाओं के साथ अत्यधिक ऊर्जा कुशल और कार्यात्मक मुहार और ३६० डिग्री परिदृश्य के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बेसमेंट के दो स्तर होंगे और भूतल+२६ मंजिलें होंगी। आईएफएससीए टॉवर के वर्ष २०२४ में पूरा होने का प्रस्ताव है और यह नवीन और आत्मनिर्भर भारत के सपनों और आकांक्षाओं का प्रतीक होगा।

आईएफएससीए मुख्यालय भवन की आधारशिला २९ जुलाई, २०२२ को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा रखी गई। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, "मेरा मानना है कि यह भवन अपनी वास्तुकला में भव्य होगा और यह भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के असीमित अवसर भी पैदा करेगा।"

आईएफएससीए में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस २०२२ का आयोजन

२०१४ में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी शुरुआत के बाद, २०१५ से २१ जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) दुनिया भर में मनाया जाता है। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो भारत में उत्पन्न हुआ था। 'योग' शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना और शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, २०२२ का विषय "मानवता के लिए योग" था।

आईएफएससीए ने सामान्य योग प्रोटोकॉल को अपनाने के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, २०२२ मनाया, जो लोगों की भलाई को अधिकतम करने के उद्देश्य से देश में योग के प्रतिपादकों द्वारा डिजाइन किए गए योग अभ्यासों का ४५ मिनट का कार्यक्रम है।



चित्र छ.१: आईएफएससीए में आईडीवाई २०२२ समारोह

आईएफएससीए में 'हर घर तिरंगा' अभियान

'हर घर तिरंगा' आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में भारत की आजादी के ७५वें वर्ष को मनाने के लिए लोगों को अपने घर तिरंगा लाने और इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान आरंभ किया। झंडे के साथ हमारा रिश्ता हमेशा

से व्यक्तिगत से अधिक औपचारिक और संस्थागत रहा है। स्वतंत्रता के ७५वें वर्ष में राष्ट्र के रूप में सामूहिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज को घर लाना इस प्रकार न केवल तिरंगे से व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक है बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। इस पहल के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ावा देना है।

आईएफएससीए ने ७५वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में हर घर तिरंगा अभियान लागू किया। इस पहल के हिस्से के रूप में विनियमित एंटिटियों जैसे एनएसई आईएफएससी, आईबीयू, आईआईबीएक्स और आईएफएससीए के अधिकारियों ने प्रतिभागियों के साथ दो किलोमीटर का वॉकथॉन भी आयोजित किया गया।



आकृति छ.२: आईएफएससीए द्वारा 'हर घर तिरंगा' अभियान के भाग के रूप में आयोजित वॉकथॉन।



आकृति छ.३: आईएफएससीए में 'हर घर तिरंगा' अभियान

पोश अधिनियम

आंतरिक शिकायत समिति

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, २०१३ (पोश अधिनियम) की धारा ४ के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा २७ जुलाई, २०२१ को आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया। आईसीसी के सदस्यों में आंतरिक सदस्यों के साथ एक बाहरी सदस्य और पीठासीन अधिकारी के रूप में वरिष्ठतम महिला अधिकारी को शामिल किया गया।

वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के दौरान कार्यकलाप

वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के दौरान, आईसीसी को कोई शिकायत नहीं मिली है और पिछले वर्षों की कोई भी शिकायत लंबित नहीं है। वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में एक बैठक हुई, इस प्रकार आईसीसी की चार बैठकें हुईं। पोश अधिनियम और आईएफएससीए कर्मचारियों के प्रश्नों के समाधान के तंत्र के बारे में आईएफएससीए के कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए वर्ष के दौरान कई कार्यशालाएँ या जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नए कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम, २०१३ पर बाहरी सदस्य द्वारा भी एक सत्र का आयोजन करवाया गया।







ANNUAL REPORT 2022-23

This report is in conformity with the form prescribed in the International Financial Services Centres Authority (Annual Report and Returns and Statements and Other Particulars) Rules, 2022, notified on February 28, 2022, in the Gazette of India.



Injeti Srinivas
Chairperson




सचिव,
भारत सरकार,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली - 110 001

410/आईएफएससीए/ईपीए/एआर/2021-22
जुलाई 6, 2023

प्रिय महोदय,

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 19(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खंड 3 उप-खंड (i) में, 28 फरवरी, 2022 को अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां तथा विवरण और अन्य विशिष्टियां) नियम, 2022 में निर्धारित किए गए प्रारूप में, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति अद्योषित कर रहा हूँ।

भवदीय,

(इंजेती श्रीनिवास)
संलग्न: उपरोक्तानुसार


The Secretary,
Government of India,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance, North Block,
New Delhi - 110 001

410/IFSCA/EPA/AR/2021-22
July 6, 2023

Dear Sir,

In accordance with the provisions of Section 19(2) of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, I forward herewith a copy of the Annual Report of the International Financial Services Centres Authority for the year ended March 31, 2023, in the format prescribed in the International Financial Services Centres Authority (Annual Report and Returns and Statements and Other Particulars) Rules, 2022, notified on February 28, 2022, in Part II Section 3 Sub-section (i) of the Gazette of India Extraordinary.

Yours faithfully,



(Injeti Srinivas)
Encl.: As above

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

Second & Third Floor, PRAGYA Tower, Block 15, Zone 1, Road 1C, GIFT SEZ, GIFT City,
Gandhinagar-382 355, Gujarat, India. P: +91 79 6180 9800



SECTION-A



STATEMENT OF GOALS & OBJECTIVES

The International Financial Services Centres Authority (IFSCA) was set up by the Government of India on April 27, 2020, as a unified financial regulator under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019. It is headquartered at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City), Gandhinagar in Gujarat.

The main objective of IFSCA (hereinafter referred to as “the Authority”) is to develop and regulate financial services in the International Financial Services Centres (IFSCs) established in India, with a mandate to create a world-class financial ecosystem based on ease of doing business and to provide best in class regulatory system to make IFSCs in India a preferred global destination for international financial services.

As a unified financial regulator, having power to regulate banking, capital market, insurance and pension funds, which in domestic India are being regulated by RBI, SEBI, IRDAI and PFRDA respectively, and other related activities in IFSC, IFSCA adopts a holistic vision towards the development and regulation of financial products, financial services, and financial institutions in IFSCs in India. At present, the GIFT IFSC is the maiden International Financial Services Centre in India.

Vision

To provide world-class regulatory environment and develop IFSCs into leading Global Financial Centres with a primary focus on India's economic development apart from serving as a regional and global financial hub.

Mission

To develop IFSCs into well-diversified and globally competitive financial hubs for international banking, insurance, and capital market activities through a pro-business environment, duly supported by a progressive regulatory architecture, state-of-the-art technology and infrastructure, and talented financial professionals, which serve both the Indian economy and the region as a whole.

Goals & Objectives

1. To facilitate the development of a strong base of international financial services in the country
2. To promote IFSCs as a dominant gateway for international capital flows into and out of India
3. To emerge as a regional and global hub for international financial services
4. To provide a state-of-the-art unified regulatory framework, with robust regulation and supervisory technology aligned with international best practices
5. To develop a strong global connect with leading international financial jurisdictions



CHAIRPERSON'S MESSAGE

The year 2022-23 marked a significant milestone for IFSCA in its journey towards developing GIFT IFSC as a preferred international financial centre. It witnessed several noteworthy achievements including the inauguration of India International Bullion Exchange, the launch of NSE IFSC - SGX Connect and laying the foundation stone of IFSCA headquarters building by the Hon'ble Prime Minister of India.

India is the second largest importer of gold in the world, which accounts for nearly 25% of world production. IIBX will facilitate transparency, efficient price discovery and provide impetus to financialisation of gold in India. This initiative shall empower India to gain its rightful place in global bullion market and serve the global value chain with integrity and quality.

With India's economy projected to become the world's third largest in the foreseeable future, the launch of NSE IFSC - SGX Connect presents a robust pathway for global investors to participate in India's growth story. It will deepen liquidity in derivative markets and create a positive impact on the financial ecosystem in the IFSC. I believe that the Connect has the potential to emerge as a capital corridor for various other products and services in the future.

With the objective to onshore the fund management activities, IFSCA has laid down the regulatory framework aligned with global best practices. During the year, a significant number of fund managers have chosen the IFSC for setting up their new funds across categories such as venture capital, angel, private equity, hedge funds, etc. I am delighted that the global investor community including large pension funds, sovereign funds and other institutional investors have begun their journey in GIFT IFSC. I am confident that IFSC is now well poised to emerge as a global hub for fund management.

In the endeavour to onshore re-insurance business placed with Cross Border Re-insurers across the globe, IFSCA has formulated comprehensive regulatory regime covering operational and supervisory aspects of the (re)insurers established in the IFSC. These principle-based regulations are based on global standards and lay the foundation for attracting (re)insurance business in the IFSC.

In the words of Hon'ble Prime Minister, *"IFSCA will not only become an enabler but will also support innovation and will also act as a catalyst for growth opportunities."* Today, India is one of the leaders in the world in the field of technology, particularly in the area of digital payments. IFSCA's regulatory framework for Fintech provides the start-ups an opportunity to experiment their innovative solutions under the regulatory/innovation sandbox, supported by one of its kind incentive scheme. We have received applications from more than ten jurisdictions and have granted authorisations in more than fifteen areas, with remittances and payments, AI/ ML and RegTech emerging as the top three.



Shri Injeti Srinivas
Chairperson

IFSCA has also taken significant steps in accelerating global sustainable capital flows by creating a conducive regulatory environment, based on international best practices, focused especially on the needs of developing countries. The listing of more than USD 10 billion ESG-labelled debt securities on IFSC exchanges indicates that GIFT IFSC has emerged as a preferred destination for raising sustainable finance. Further, new initiatives such as mandatory sustainable lending by banks and disclosure regime of ESG Funds are aimed at creating a comprehensive suite of products catering to green and sustainable projects. IFSCA intends to play a key role in channelizing funds for India and other emerging economies to meet their net zero ambitions and achieve SDGs by developing the IFSC as a global hub for sustainable finance.

GIFT IFSC has the potential to emerge as a preferred centre for various areas beyond traditional finance to transform into a bustling financial hub. In this direction, IFSCA has enabled the top ranked foreign universities to establish their international branch campus in IFSC. Apart from making available world class education within India, setting up of foreign universities is also expected to be a huge value proposition in terms of reduced costs for students with greater international employment opportunities. This will also lead to greater internationalisation of GIFT IFSC by attracting students from all parts of the world. I am delighted that Deakin University, Australia became the first foreign university to set up its branch campus.

Considering that IFSC is an international financial centre, it is imperative to establish collaborations with international bodies and authorities. IFSCA is a member of IOSCO and IAIS, the global standard setting bodies of the securities market and insurance market respectively. During the year, IFSCA has become a signatory to the IOSCO MMoU enabling it to exchange information with the regulators of more than 125 jurisdictions, and implement various cross-border initiatives. IFSCA has also signed bilateral MoUs with regulators of six jurisdictions for information sharing and bilateral cooperation.

There are several ongoing reforms to establish IFSC as a reputed international financial centre towards achieving the dual mandate of development and regulation of financial services. IFSCA is in the process of implementing robust regulatory and supervisory systems backed by best-in-class technology. The announcements made in the Union Budget 2023-24, such as single window IT system for registrations and delegating powers under the SEZ Act to IFSCA to avoid dual regulations, will be important enablers towards enhancing ease of doing business.

Going forward, I believe the IFSC will emerge as a preferred gateway for global capital flows into and out of the country.

MEMBERS OF THE AUTHORITY (As on 31.03.2023)



Shri Injeti Srinivas
Chairperson



Shri Suchindra Misra
Member



Ms. Surbhi Jain
Member



Shri Saurav Sinha
Member



Shri Sujit Prasad
Member



Shri Ananta Gopal Das
Member



Dr. (Ms.) Mamta Suri
Member

SENIOR MANAGEMENT OF THE AUTHORITY

(As on 31.03.2023)

Name	Designation
Shri Praveen Trivedi	Executive Director
Shri Dipesh Shah	Executive Director
Shri Kumar Raghuraman	General Manager
Shri Supriyo Bhattacharjee	General Manager
Shri Kamlesh Sharma	General Manager
Shri Ashutosh Sharma	General Manager
Shri Joseph Joshy C J	General Manager
Shri Sathyaraj C M	General Manager

CONTENTS

SR. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
A	SECTION A	
	Statement of Goals & Objectives	VII
	Chairperson’s Message	IX
	Members of the Authority	XI
	Senior Management of the Authority	XII
	Contents	XIII
	List of Tables	XIV
	List of Figures	XVI
	List of Boxes	XVII
	List of Images	XVIII
	List of Abbreviations	XX
B	SECTION B: The Year in Review: Overview of the General Economic Environment	
	I. Global Economic Assessment and Outlook	02
	II. Domestic Economic Assessment and Prospects	05
C	SECTION C: Review of Policies, Programmes and Activities of the Authority	
	1. Banking	12
	2. Finance Companies	18
	3. Capital Markets	24
	4. Fund Management	38
	5. International Bullion Exchange	44
	6. Fintech Hub	52
	7. Insurance	64
	8. Global In-House Centres	72
	9. Sustainable Finance	74
	10. Ancillary Services	84
	11. Aircraft Leasing	88
	12. Foreign Universities and Institutions	90

SR. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
	13. Information Technology	94
	14. Developmental Activities	98
D	SECTION D: Quasi-Legislative Functions of the Authority	116
E	SECTION E: Performance Assessment	126
F	SECTION F: Source of Funds and Major areas of Expenditure (FY 2022-23)	130
G	SECTION G: Organisational Matters	132

List of Tables

TABLE NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
	BANKING	
Table 1.1	No. of IBUs	14
Table 1.2	Total Assets in IBUs in USD Mn	14
Table 1.3	No. of employees in all IBUs	14
Table 1.4	Outstanding Over the Counter (OTC) Derivative Contracts	16
	CAPITAL MARKETS	
Table 3.1	Trading Members in IFSC (as on March 31, 2023)	28
Table 3.2	Clearing Members in IFSC (as on March 31, 2023)	28
Table 3.3	No. of Contracts and Turnover in Index Futures	30
Table 3.4	No. of Contracts and Premium Turnover in Index Options	30
Table 3.5	Commodity Derivatives Available for Trading on IFSC Exchanges	31
Table 3.6	No. of Contracts and Premium Turnover in Gold derivatives	31
Table 3.7	Currency Derivatives	31
Table 3.8	No. of Contracts and Premium Turnover in Currency Derivatives	31
Table 3.9	List of debt issuances in FY 2022-23	32

TABLE NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
	FUND MANAGEMENT	
Table 4.1	No. of FMEs registered as on March 31, 2023	42
Table 4.2	No. of schemes approved as on March 31, 2023	42
	INTERNATIONAL BULLION EXCHANGE	
Table 5.1	Registered Bullion Market Intermediaries at GIFT IFSC	48
	INSURANCE	
Table 7.1	Number of IIOs and IIIOs operating in the IFSC	68
	SUSTAINABLE FINANCE	
Table 9.1	Additional requirements related to ESG factors	76
	ANCILLARY SERVICES	
Table 10.1	Activity-wise break up of ancillary services entities as on March 31, 2023	85
	DEVELOPMENTAL ACTIVITIES	
Table 14.1	Key outreach and engagement activities of IFSCA during FY 2022-23	108
	QUASI-LEGISLATIVE FUNCTIONS OF THE AUTHORITY	
Table D.1	List of Regulations	117
Table D.2	List of Notifications	119
Table D.3	List of Major Circulars/Guidelines	120
	SOURCE OF FUNDS AND MAJOR AREAS OF EXPENDITURE (FY 2022-23)	
Table F.1	Sources of Funds for FY 2022-23	130
Table F.2	Major Areas of Expenditure for FY 2022-23	130
	ORGANISATIONAL MATTERS	
Table G.1	Authority Structure	132
Table G.2	IFSC Authority Meetings held in FY 2022-23	133
Table G.3	Sanctioned and Actual strength of employees	134
Table G.4	Consultants at IFSCA as on March 31, 2023	135
Table G.5	Training Programmes and Webinars	135
Table G.6	Status of RTI applications during FY 2022-23	136

List of Figures

FIGURE NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
	BANKING	
Fig 1.1	Outstanding under various credit products (USD Mn)	14
Fig 1.2	Turnover (Volume of Business) in USD Mn	15
Fig 1.3	Investment profile in USD Mn	15
Fig 1.4	Exposure of IBUs in various countries	16
	FINANCE COMPANIES	
Fig 2.1	Growth in Finance Companies in IFSC	21
	CAPITAL MARKETS	
Fig 3.1	Year-wise Turnover of Stock Exchanges in IFSC (in USD Mn)	29
Fig 3.2	Contract-wise Turnover of Stock Exchanges in IFSC (in USD Mn)	30
	INTERNATIONAL BULLION EXCHANGE	
Fig 5.1	Products available for trading on IIBX	46
	FINTECH HUB	
Fig 6.1	Illustrative list of permissible FinTech areas/activities	54
Fig 6.2	Illustrative list of allied areas/activities aiding and assisting activities in relation to TechFin	55
Fig 6.3	Vertical spread of FE applicants	56
	INSURANCE	
Fig 7.1	Classification of IIIOs	68
Fig 7.2	Business underwritten by IIOs	69
Fig 7.3	Business transacted by IIIOs	69
	SUSTAINABLE FINANCE	
Fig 9.1	Volumes of Green, Social, Sustainable and Other Labeled (GSS+) bonds in 2022	74
Fig 9.2	Cumulative Listing of ESG-labelled debt securities on IFSC Exchanges (USD Bn)	78

List of Boxes

BOXE NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
	FINANCE COMPANIES	
Box 2.1	Salient features of IFSCA (Finance Company) (Amendment) Regulations, 2022	19
Box 2.2	Salient features of the ‘Framework for Ship Lease’	20
	FUND MANAGEMENT	
Box 4.1	Regulatory Framework for Angel Funds in IFSC	39
Box 4.2	Regulatory Framework for Distribution of Capital market Products and Services	41
	SUSTAINABLE FINANCE	
Box 9.1	Salient features of “Framework for Disclosures by Fund Management Entities for Environmental, Social or Governance (ESG) Schemes”	77
	AIRCRAFT LEASING	
Box 11.1	Salient features of the ‘Framework for Aircraft Lease’	88
	FOREIGN UNIVERSITIES AND INSTITUTIONS	
Box 12.1	Salient Features of IFSCA (Setting Up and Operation of International Branch Campuses and Offshore Education Centres) Regulations, 2022	91
	QUASI-LEGISLATIVE FUNCTIONS OF THE AUTHORITY	
Box D.1	IFSCA (Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022	123

List of Images

IMAGE NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
	CAPITAL MARKETS	
Image 3.1	Listing Ceremony of India Exim Bank’s USD 1 Bn, 10-year Sustainability Bond on March 3, 2023	32
Image 3.2	Shri Injeti Srinivas, Chairperson, IFSCA at the IOSCO MMoU Signing Ceremony	34
Image 3.3	Shri Praveen Trivedi, Executive Director, IFSCA at the opening bell ceremony of IOSCO WIW 2022	34
Image 3.4	Shri Dipesh Shah, Executive Director, IFSCA participated in the closing bell ceremony of IOSCO WIW 2022.	35
	FUND MANAGEMENT	
Image 4.1	Shri Praveen Trivedi, Executive Director, IFSCA at Fireside Chat during IVCA Conclave 2023	43
	INTERNATIONAL BULLION EXCHANGE	
Image 5.1	Visit of Hon’ble Union Minister of Commerce and Industry to vault facility at GIFT IFSC	50
Image 5.2	Shri Kamlesh Sharma, General Manager, IFSCA at the 14 th International Gold Economic Forum	51
	FINTECH HUB	
Image 6.1	Shri Joseph Joshy, CTO, IFSCA receiving the “Outstanding New Asian Regulatory and Technological Innovation in Financial Services” award on behalf of IFSCA	62
	SUSTAINABLE FINANCE	
Image 9.1	Committee of Experts on Sustainable Finance submits Report to Chairperson, IFSCA	79
	DEVELOPMENTAL ACTIVITIES	
Image14.1	Digital gallery presentation by Chairperson, IFSCA to the Hon’ble Prime Minister of India	99
Image14.2	Hon’ble Prime Minister addressing the gathering at GIFT IFSC	99
Image14.3	Hon’ble Prime Minister launching various initiatives at GIFT IFSC on July 29, 2022	100
Image14.4	Hon’ble Prime Minister launching the NSE IFSC-SGX Connect	102

IMAGE NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
Image14.5	Visit of Singapore delegation to GIFT IFSC	103
Image14.6	Chairperson, IFSCA presenting memento to Deputy Prime Minister, Singapore	103
Image14.7	11 th India - US Financial Regulatory Dialogue	104
Image14.8	IFSCA delegates at Nasdaq Market Site, New York	105
Image14.9	IFSCA delegates at New York Stock Exchange	105
Image14.10	Chairperson, IFSCA delivering the keynote address at the 5 th ASEAN India Business Summit in Kuala Lumpur, Malaysia	106
Image14.11	Shri Dipesh Shah, Executive Director, IFSCA at Universities Australia Conference, 2023 in Canberra	107
Image14.12	Review of GIFT IFSC by Hon'ble Union Minister of Commerce and Industry	107
	ORGANISATIONAL MATTERS	
Image G.1	Celebration of IDY 2022 at IFSCA	137
Image G.2	Walkathon organised by IFSCA as part of 'Har Ghar Tiranga' campaign	138
Image G.3	'Har Ghar Tiranga' campaign at IFSCA	138

Conventions used in this report

- ₹ : Rupees (Rs)
 - Lakh : Hundred thousand
 - Crore : Ten million
 - Million (Mn) : Ten lakh
 - Billion(Bn) : Thousand million/hundred crore
- Differences in total are due to rounding off and sometimes they may not exactly add up to hundred percent.

This report can also be accessed on internet at: <https://www.ifsc.gov.in/>

ABBREVIATIONS

AIF	Alternative Investment Fund
ALM	Asset/Liability Management
AML	Anti Money Laundering
BCP	Business Continuity Plan
BDR	Bullion Depository Receipt
CDD	Customer Due Diligence
CDSL	Central Depository Services (India) Limited
CEPA	Comprehensive Economic Partnership Agreement
CM	Clearing Member
COB	Conduct of Business
CRAR	Capital to Risk-Weighted Assets Ratio
DB	Digital Bank
DEA	Department of Economic Affairs
DGFT	Directorate General of Foreign Trade
DoC	Department of Commerce
DoS	Department of Space
DP	Depository Participant
DR	Disaster Recovery
DRS	Disaster Recovery Site
EMDE	Emerging Market and Developing Economy
EME	Emerging Market Economy
ESG	Environmental, Social or Governance
ETF	Exchange-traded Fund
EXIM Bank	Export-Import Bank of India
FAQs	Frequently Asked Questions
FATF	Financial Action Task Force
FC	Finance Company
FCFC	Freely Convertible Foreign Currency
FCY	Foreign Currency

FDI	Foreign Direct Investment
FE	FinTech Entity
FME	Fund Management Entity
FPI	Foreign Portfolio Investment
FU	Finance Unit
GAO	Global Administrative Office
GDP	Gross Domestic Product
GIC	Global In-house Centre
GNPA	Gross Non-Performing Assets
GRCTC	Global/Regional Corporate Treasury Centre
HRMS	Human Resource Management System
IAC	International Arbitration Centre
IAIS	International Association of Insurance Supervisors
IBC	International Branch Campus
IBU	IFSC Banking Unit
ICC	Internal Complaints Committee
ICEGATE	Indian Customs Electronic Data Interchange Gateway
IDY	International Day of Yoga
IFSC	International Financial Services Centre
IIBH	India International Bullion Holding IFSC Limited
IIBX	India International Bullion Exchange IFSC Limited
IIDI	India International Depository (IFSC) Limited
IIIO	IFSC Insurance Intermediary Office
IIO	IFSC Insurance Office
India ICC	India International Clearing Corporation (IFSC) Limited
IoRS	Interoperable Regulatory Sandbox
IPO	Initial Public Offer
IRTG	Inter-Regulatory Technical Group
ITFS	International Trade Finance Service
LCR	Liquidity Coverage Ratio

LES	Liquidity Enhancement Scheme
LPTM	Limited Purpose Trading Member
LRS	Liberalised Remittance Scheme
MAR	Monthly Activity Report
MCA	Ministry of Corporate Affairs
MCX	Multi Commodity Exchange of India Limited
MDR	Monthly Development Report
MIIs	Market Infrastructure Institutions
ML	Money Laundering
MMoU	Multilateral Memorandum of Understanding
MoCA	Ministry of Civil Aviation
MoF	Ministry of Finance
MoU	Memorandum of Understanding
NBFC	Non-Banking Financial Company
NDB	New Development Bank
NIC	National Informatics Centre
NICCL	NSE IFSC Clearing Corporation Limited
NIST	National Institute of Standards & Technology
NLTs	Negotiated Large Trades
NSDL	National Securities Depository Limited
NSE	National Stock Exchange of India Limited
OEC	Offshore Education Centre
PCM	Professional Clearing member
PMLA	Prevention of Money Laundering Act
PSU	Public Sector Undertaking
QJ	Qualified Jeweller
RBA	Risk-Based Approach
RBI	Reserve Bank of India
RE	Regulated Entity
SAFAL	Ship Acquisition, Financing and Leasing

SCB	Scheduled Commercial Bank
SME	Small and Medium Enterprise
SOP	Standard Operating Procedure
TM	Trading Member
TMCM	Trading and Member Clearing Member
TRQ	Tariff Rate Quota
TSCM	Trading cum Self Clearing Member
UAEGD	UAE Good Delivery
USD	US Dollars
WPI	Wholesale Price Index
YoY	Year-on-Year



SECTION-B

THE YEAR IN REVIEW

(I) Global Economic Assessment and Outlook

2021-22 was the year when the global financial system witnessed a strong rebound after being tested during the COVID-19 pandemic. The global GDP growth rate in 2021-22 was 5.9 per cent compared to negative global growth rate of -3.1 per cent during 2020-21.

A carry-forward of this momentum into the year 2022-23 could have eclipsed the hardships faced by the world during 2020-21. However, fresh outbreaks of the pandemic in China along with geopolitical tensions precipitated by the Ukraine war and consequential supply chain disruptions led to increased price of commodities and energy. Shrinking global output; obstinately higher-than-anticipated inflation; a cost-of-living crisis; and tightening financial conditions, all took a heavy toll on the global economy.

The year 2023 did usher in some rays of hope, especially with China reopening earlier than expected, easing supply chain bottlenecks, and moderated energy and food prices healing elevated inflation levels. Such trends encouraged both industry and households, boosting demand and economic activity. However, barring food and energy, core inflation remained elevated.

Many Central Banks responded with unexpectedly rapid and synchronous monetary policy tightening in a bid to curb high inflation. Market sentiments were assuaged to some extent due to emphatic actions taken by policymakers to contain systemic risks. However, the recent financial sector turmoil, like sudden failures of Silicon Valley Bank and Signature Bank in the United States, and collapse of Credit Suisse, a global systemically important bank in Europe has brought to fore the unintended fallouts of the interplay between tightening of monetary and financial conditions and the buildup in vulnerabilities. What appeared to be isolated events in the US banking sector had significant spill-over effects on many other banks and financial markets. Therefore, anxiety over whether such events were manifestations of deeper, hidden vulnerabilities that could amplify into a system-wide crisis, continued to beleaguer the market.

At the close of the year, inflation remained high, and labour markets remained tight in many economies.

The International Monetary Fund's World Economic Outlook for baseline forecast (assuming that the recent financial sector stresses are contained) estimates a reduction in global economic growth rate from 3.4 per cent in 2022 to 2.8 per cent in 2023, before rising slowly and settling at 3.0 per cent in 2024. This is the lowest medium-term forecast in decades, with growth slowdown expected to be more pronounced in advanced economies (from 2.7 per cent in 2022 to 1.3 per cent in 2023) vis-à-vis emerging market and developing economies (from 4.0 per cent in 2022 to 3.9 per cent in 2023).¹

The Outlook also estimates that in case of further financial sector stress, global growth could fall to about 2.5 per cent in 2023, with growth of advanced economies dipping below 1 per cent. Driven by falling commodity prices, global headline inflation is estimated to fall from 8.7 per cent in 2022 to 7.0 per cent in 2023 but core inflation is likely to decelerate more slowly.²

In such a scenario, any headwinds due to renewed geopolitical tensions, persistent or increasing inflationary pressures, interest rate escalations to curb inflation, or the COVID-19 pandemic rearing its ugly head again, could spell fresh trouble for the global economy. Emerging markets could face further indebtedness. High level of interconnectedness coupled with financial fragmentation due to geopolitical tensions could threaten financial stability adversely affecting liquidity, cost of funds, and consequently profitability.

Policymakers have their task cut out and must tread a narrow path in trying to get inflation back to target while maintaining financial stability. They also need to account for the risks posed by geopolitical tensions. Stronger and focused international cooperation has become imperative to enable countries to mobilise resources required to navigate the challenges facing all countries, both developed and developing.

Financial Markets Performance

Banking Industry

As per BIS Quarterly Review of March 2023, with both inflation and policy measures showing signs of easing early in the year, financial markets were buoyed by the expectations of not only a halt in interest rate hike later during the year, but also a reduction in 2024. Credit spreads between various debt securities diminished due to the perception of default risk being lower. In general, risky assets saw gains due to the market perception that risks were on the decline. Easing inflation and resilient growth translated into a decline in bond yields. The depreciation of US dollar helped further asset appreciation in Emerging Market Economies (EMEs).³

However, with inflation being still high, and labour markets still tight, market sentiments expecting a downward trend in interest rates were out of synchrony with cautious signals relayed by most central banks, who gave no indication that there would be any easing of monetary policy in the short term.

¹ World Economic Outlook, April 2023

² ibid

³ BIS Quarterly Review, March 2023

In early February 2023, however, market participants were compelled to reassess their expectations of policy measures in light of empirical evidence. There was a slight appreciation in the US dollar and some reversal of risky asset gains.

Financial conditions in EMEs followed trends like those in Advance Economies. While bond yields declined, equity markets fluctuated in response to US dollar fluctuations. The sudden end to zero-Covid policy in China did buoy its equity market but failed to revive portfolio flows into the country significantly. Such flows not only stabilized for most other EMEs but even increased for some.

In a complete turnaround from the situation in March 2022, global banks' cross-border claims fell by USD1.4 trillion in Q4 2022, pulled back by lower bank credit and a drop in the market value of banks' derivatives and other residual instruments. There was a decline of 4 per cent in dollar credit to emerging market and developing economies.⁴

The aggregate market value of the top 25 global banks by market capitalisation too declined significantly by 6.7 per cent quarter-on-quarter to USD 3 trillion during Q3 2022. However, high inflation and spill-overs of geopolitical tensions notwithstanding, these top 25 global banks managed to garner encouraging revenue and total assets growth of 15.5 per cent and 5.8 per cent, respectively during 2022.⁵

Capital Markets

The effects of high inflation coupled with tightening of monetary policies, the Ukraine war, and the lingering effects of COVID-19, were felt in the global stock markets which too witnessed significant decline compared to 2021. As per the data published by the World Federation of Exchanges (WFE) for 2022, market capitalisation of stock markets plummeted by 20 per cent equating to reduction of more than 25 trillion US dollars in stock markets worldwide. During the same time, value traded slipped by 10 per cent.⁶

On the positive side, barring commodity derivatives, volumes of exchange-traded derivatives continued to rise, with options witnessing a significant jump, possibly to hedge against market uncertainty.

Global volumes increased about 5 per cent, translating to highest global volumes in the last six years (48.32 Bn trades). The primary market witnessed a decline of about 50 per cent in the number of IPOs resulting in about 65 per cent decline in capital raised through this avenue. Exchange-traded derivative contracts, including both options and futures saw a jump of about 34.4 per cent, the highest level in the last six years. Volumes of equity, currency and ETF derivatives jumped by 48.4 per cent, 48.2 per cent, and 36.9 per cent respectively, while interest rate derivatives volumes increased by 8.5 per cent. Single stock futures, stock index options, stock index futures, currency options, currency futures, commodity options, interest rate futures and ETF options reached their highest level in volumes in the last six years. On the flip side, commodity derivatives volumes (futures and options) declined by 14.5 per cent.⁷

⁴ BIS Statistical Release-April 2023

⁵ Global Data

⁶ World Federation of Exchanges-FY 2022 Market Highlight Report

⁷ *ibid*

Insurance Industry

The future trajectory of the global Insurance industry is expected to be driven by multiple opportunities coupled with novel obstacles. With government aided health and retirement schemes facing funding gaps and/or proving to be inadequate, an increasing number of people are realizing that they are personally responsible for their future health and retirement costs. Similarly, the trend of climate related adverse events and cyber risks, indicate that such events are likely to increase significantly in future. These developments present a host of opportunities for the Insurance industry as more people are seeking stronger protection for their valued possessions, life included, given the ever increasing and divergent threats facing humankind. This protection gap has the potential to bring in revenue of as much as USD 1 trillion more, with gain of billions in profits.

However, the effects of high inflation, tightening of monetary policies, geo-political tensions in Europe, and the lingering effects of COVID-19 pose significant challenge to the insurance industry. While the industry has emerged from high inflation situations earlier, the present challenge seems more difficult. Insurers have to deal not only with lower demand but also with higher claims costs. While the downside risk in respect of unit-linked policies is largely borne by policyholders, the possibility of customers migrating to guaranteed income products need to be accounted for. The industry will also have to grapple with the growing competition from InsurTech market.

Considering the unfavourable geo-political environment, insurers will also have to exercise caution to underwrite political and trade credit insurance risks. These factors will be of major concern especially to trans-national insurance firms and could lead them to refocus on their home markets. Similarly, with climate change induced events and natural catastrophes likely to become more frequent and severe in future, insurers are faced with greater likelihood of higher claim costs.

In such an uncertain scenario, insurers would need to leverage technology and innovate solutions to make their offerings more attractive yet viable. The possibility of public-private partnerships to make insurance accessible to the greater mass would also have to be explored.

(II) Domestic Economic Assessment and Prospects

Gross Domestic Product

The domestic economy, despite subdued global economic outlook, is poised to outdo the general trend in FY 2023-24. Various institutions, including multilateral agencies, predict India as the fastest-growing major economy in forthcoming financial year.

According to the World Bank's April 2023 release, some moderation of growth notwithstanding, the Indian economy has displayed resilience even in the face of challenges prevalent in the global environment and is expected to post stronger growth than many of its peer economies. The World Bank estimates overall growth to be 6.9 per cent for the full year with real GDP growing at 7.7 per cent YoY during the first three quarters of FY 2022-23. On similar lines, the Asian Development Bank has projected a domestic GDP growth of 6.4 per cent in FY 2023-24.

The estimates of the World Bank and the Asian Development Bank are also reflected in domestic estimates. The second advance estimates released by the National Statistical Office (NSO) placed India's real GDP growth at 7.0 per cent in 2022-23. According to the Economic Survey 2022-23, domestic baseline GDP growth in real terms in FY 2024 is estimated to be 6.5 per cent.

The Indian growth projections are premised primarily on sound macroeconomic fundamentals, elevated private investment supported by increased Capex and enabling policy measures taken by the Central Government, increased production catalysed by robust private consumption, strengthening balance sheets of corporates and banks, and well-capitalised public sector banks geared to fuel credit growth.

Inflation

Globally, high inflation proved costly to the economy reeling under the effects of geo-political strife in Europe and resurgence of the pandemic in China resulting in supply-chain disruptions and soaring energy and food markets prices. This prompted monetary policy interventions by most central banks to curb higher-than-expected inflation.

In India, Consumer price inflation (CPI) witnessed a rise till April 2022, peaking at 7.8 per cent, before plateauing out at around 7.0 per cent by August 2022. Thereafter, it witnessed a decline to around 5.7 per cent by December 2022.⁸ It surged again to 6.4 per cent YoY in February 2023 as food inflation rose.⁹

The WPI-based inflation, which had already begun to rise from the lows during the Covid-19 pandemic, has further exacerbated during the FY 2022-23 because of disruption of global supply chains due to the Russia-Ukraine conflict. It witnessed double digit growth between April 2021 and September 2022 and moderated to 1.4 per cent in March 2023 on the back of a fall in international commodity prices and favourable base effects.¹⁰

According to World Bank, although headline inflation is elevated, it is projected to decline to an average of 5.2 per cent in FY 2023-24, amid easing global commodity prices and some moderation in domestic demand.

⁸ Economic Survey

⁹ RBI MPC Report, April 2023

¹⁰ Office of the Economic Adviser

Financial Markets

Banking sector

Over the years, focussed policy measures adopted by the RBI and the Government of India have resulted in a healthier banking system balance sheet both in terms of asset quantity and quality. Consequently, the risk absorption capacity of banks has also improved.

Gross Non-Performing Assets (GNPA) ratio of Scheduled Commercial Banks (SCBs) has declined from 8.2 per cent in March 2020 to a seven year low of 5.0 per cent in September 2022. More encouragingly, Net Non-Performing Assets Ratio (NNPA) has improved to a ten-year low of 1.3 per cent.

With heightened demand for home loans, retail credit has outperformed an already healthy overall credit growth of the SCBs. Significantly, catalysed by growing economic activities, non-food bank credit touched 15.3 per cent in December 2022¹¹, simultaneously mirroring positive expectations for future growth as well.

Compared to FY 2021-22, NBFCs fared better with improved GNPA and capital position (CRAR of 27.4 per cent). Their focus area was in continuity with that during the previous FY, with industrial sector, retail, services and agriculture remaining their biggest credit recipients. In addition, services sector and personal loans also witnessed a robust growth.

Financial inclusion has also received due importance with the Government taking committed steps to enhance concessional institutional credit, as evidenced by initiatives like Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) and production-linked incentive scheme to MSMEs. The services sector too benefitted by a recovery in credit to NBFCs, commercial real estate and trade sector.

Capital Markets

While global capital markets largely suffered the side-effects of geopolitical tensions, high inflation and rising interest rates in the FY 2022-23, domestic capital markets displayed greater resilience during this period.

The primary markets saw brisk activity during April to November 2022, with a rise of 37 per cent in the number of firms opting to list on the Stock Exchanges during this period¹². In Initial Public Offerings (IPOs), the fund mobilisation has reduced vis-à-vis last FY, however, the number of SMEs coming out with public offer and the total amount raised by them has shown a surge¹³.

While the number of issues of debt securities in the primary market rose by 11 per cent during the period, the value of funds raised increased by 5 per cent.

Secondary capital market indices of the Nifty 50 and the S&P BSE Sensex fared better than their peers between April and December 2022, despite experiencing volatility in Foreign Portfolio Investment (FPI) flows. Nifty 50 managed a return of 3.7 per cent during the period. The total assets with FPIs increased by 3.4 per cent at the end of November 2022 compared to November 2021, and net FPI flows became positive by end of December 2022¹⁴.

¹¹ Economic Survey 2022-23

¹² *ibid*

¹³ *ibid*

¹⁴ PIB

Insurance Sector

Insurance penetration of both life and non-life insurance (the ratio of total insurance premiums to GDP in a year) in India was 4.2 per cent in 2021-22 wherein, life insurance penetration accounted for 3.2 per cent, almost double than that of the insurance penetration observed in emerging markets and slightly above the global average. However, since most life insurance products opted by the insured are linked to savings/investment products, the protection or insurance coverage offered by such products is rather small¹⁵.

In the non-life insurance segment, the YoY growth in gross direct premium (within and outside India) stood at 10.8 per cent in the FY 2021-22 with health and motor segments being the key drivers. This was supported primarily by rising per capita income, product innovations, robust distribution channels, and rising financial literacy¹⁶. Net incurred claims of Non-Life Insurers stood at ₹1.4 lakh crore in FY 2021-22. In the Life insurance segment, the YoY growth in premium during the FY 2021-22 was 10.2 per cent. Of the total premium in the life insurance segment, 45.5 per cent was received from new business¹⁷. Benefit payouts in the life insurance sector during FY2021-22 stood at ₹5.02 lakh crore, with 8.3 per cent benefits paid out on death claims¹⁸.

There has been a sharp increase in insurance density (premium to population/per capita) in India. While life insurance density went up from USD 9.1 in 2001-02 to USD 69 in 2021-22, non-life insurance density has gone up from USD 2.4 to USD 22, in the same period.

As per Swiss Re, India, with an estimated market share of 1.9% in total USD premium volumes, is the second largest in all emerging markets.

The year also saw the largest IPO ever in the history of India, with the Central Government diluting its stake in the Life Insurance Corporation (LIC) of India, making it the sixth biggest IPO of 2022 globally.

Fiscal Developments

The fiscal policy in India has been geared towards providing a safety net to the vulnerable, reviving the economy by boosting demand, and addressing certain domestic supply-side constraints through public investments and sustained structural reforms.

The fiscal deficit of the Union Government, which stood at 9.2 per cent of GDP during FY 2020-21, has moderated to 6.7 per cent of GDP in FY 2021-22, with the fiscal target being 6.4 per cent of GDP in FY 2022-23. This gradual decline in the Union government's fiscal deficit as a per cent of GDP, in line with the fiscal glide path envisioned by the government, is a result of careful fiscal management supported by buoyant revenue collection over the last two years.¹⁹

¹⁵ Economic Survey 2022-23

¹⁶ ibid

¹⁷ IRDAI Annual Report 2021-22

¹⁸ ibid

¹⁹ Economic Survey 2022-23

External Sector

India's external sector has been strongly supported by international trade, as evident from an all-time high annual merchandise export of USD 422.0 Bn in FY 2021-22, though the current FY witnessed some slowdown due to side effects of deceleration in global trade.


India's overall exports (Merchandise and Services combined) in FY 2022-23 is estimated to exhibit a growth of 13.84 per cent over FY 2021-22. As India's domestic demand has remained steady amidst the global slump, overall imports in FY 2022-23 is estimated to exhibit a growth of 17.38 per cent over FY 2021-22. Merchandise exports growth for the period FY 2022-23 remain impressive at 6.03 per cent (USD 447.46 Bn) as against FY 2021-22 (USD 422.00 Bn). Services exports remain strong and are projected to grow at 26.79 per cent (USD 322.72 Bn) during FY 2022-23 over FY 2021-22 (USD 254.53 Bn).²⁰

As per RBI, India's current account deficit declined from USD 22.2 Bn (2.7 per cent of GDP) in Q3:2021-22 to USD 18.2 Bn (2.2 per cent of GDP) in Q3:2022-23, contributed by a contraction in merchandise trade deficit combined with robust services and private transfer receipts. Services exports reported a growth of 24.5 per cent on a YoY basis on the back of rising exports of software, business and travel services. Net services receipts increased, both sequentially and on a YoY basis.

Net FDI inflows at USD 21.7 Bn during April-December 2022 were lower in comparison with USD 24.8 Bn during April-December 2021. Portfolio investment recorded a net outflow of USD 3.5 Bn during April-December 2022 as compared with a net outflow of USD 1.6 Bn a year ago. During April-December 2022, there was a depletion of USD 14.7 Bn from the foreign exchange reserves (on a Balance of Payment basis).²¹

²⁰ PIB

²¹ RBI



SECTION-C

BANKING

This section gives a picture of the various measures taken by the Authority towards the regulation of banking and related services and the development of banking ecosystem in IFSC during FY 2022-23.

IFSCA (Banking) (Third Amendment) Regulations, 2022

The IFSCA (Banking) Regulations, 2020, was further amended vide the IFSCA (Banking) (Third Amendment) Regulations, 2022, which was notified on June 30, 2022.

The major changes/additions under the amended Regulations are as under:

- i) In order to enable setting up of Global Administrative Offices (GAO), the terms “Global Administrative Office” or “GAO” and “Group entities” were defined by making necessary additions to sub-Regulation (1) of Regulation 2.
- ii) The definition of a “Parent Bank” in clause (j) of sub-Regulation (1) of Regulation 2 was substituted with a new definition.
- iii) The definitions of a “Representative Office” (RO) and “Support services” were inserted under sub-Regulation (1) of Regulation 2.
- iv) Sub-regulation (9) of Regulation 3 was substituted to the effect that a Parent Bank may set up its RO or GAO in IFSC under a suitable mechanism, subject to such conditions as may be specified by the Authority.

IFSCA Banking Handbook

The handbook was issued on August 13, 2021, (amended on November 12, 2021) and has come into effect from January 01, 2022.

With effect from June 06, 2022, the following major amendments were undertaken in the handbook:

- i) Provision added in the Licensing module (LIBU) of the General Directions (GEN) for issuance of “In-principle approval” by the Authority, in certain circumstances, before issuance of full license.
- ii) A new module named “Raising queries related to Banking” was inserted in the General Directions laying down a structured procedure through which IBUs and other interested parties could raise queries with the Authority and the procedure for dealing with such queries by the Authority.
- iii) The “Providing credit” (PRCR) module of the Conduct of Business (COB) Directions was amended to Clarify the applicability of restrictions under the Banking Regulation Act, 1949 to IBUs of Indian and Foreign Banks
- iv) Guidance was added to the “Prudential Reporting, Disclosures and Supervision” module of the Prudential Directions (PRU) to clarify the requirement about reporting of actual and anticipated breaches.

Later in the year, the COB Directions of IFSCA Banking Handbook was amended with effect from July 13, 2022, and a new module for setting up a Global Administrative Office (GAO) was inserted.

Global Administrative Office

A new category of financial institution, entitled as Global Administrative Office (GAO), was allowed to be set up by an Indian or foreign bank to undertake management, administration, and coordination of overseas branches (including IBU) of the Parent Bank and provide “Support services” for banking activities undertaken within and outside IFSC. Unlike an IBU, the GAO shall not undertake banking business in IFSC. A GAO is permitted to be located in IFSC, but not on the same or contiguous premises as the IBU or the RO, if any, of the applicant bank (unless permitted by the Authority).

A GAO is permitted to undertake following activities:

- i) Manage, administer, or coordinate the operations of their Parent Bank or any of their Group entities either in IFSC or outside IFSC.
- ii) Provide support services to their Parent Bank or any of their Group entities for execution of the permitted activities either in IFSC or outside IFSC.

Under the new GAO framework, State Bank of India has set up Global Administrative Office in GIFT IFSC.

Trends and Transactions

As on March 31, 2023, 20 IBUs were operational. Further, two IBUs, which have been licensed before March 31, 2023 are expected to commence operations during the FY 2023-24.

Table 1.1: No. of IBUs

Particulars	As on Mar 31, 2022	As on Mar 31, 2023
No. of IBUs	15	20

Table 1.2: Total Assets in IBUs in USD Mn

Particulars	Outstanding as on Mar 31, 2022	Outstanding as on Mar 31, 2023
Total Assets	29,380.82	38,286.41

Table 1.3: No. of employees in all IBUs

Particulars	FY 2021-22	FY 2022-23
No. of employees	162	277

Sources of fund raising for IBUs have been interbank and interbranch borrowings, medium term notes, borrowings from multilateral institutions, retail deposits etc. Credit activities of IBUs have been largely concentrated in the areas of trade finance and commercial loans.

Customer Credit of the IFSC Banking ecosystem as on March 31, 2023 stood at USD 23.94 Bn and total asset size of IBUs stood at USD 38.28 Bn.




Fig 1.1: Outstanding under various credit products (USD Mn)

Total customer credit outstanding has increased by 29.47% from USD 18.49 Bn (as on 31.03.2022) to USD 23.94 Bn (as on 31.03.2023). Growth in commercial loans disbursed by the IBUs has been the biggest contributor for this increase in the customer credit outstanding for the IFSC. Increased borrowings by the Indian PSUs from the IBUs in IFSC is another main contributor to this growth.




Fig 1.2: Turnover (Volume of Business) in USD Mn

Volume of business in the IBUs has more than doubled (USD 106.98 Bn during FY21-22 to USD 258.59 Bn during FY 22-23) with interbank/interbranch placements contributing the major share of this growth after a few IBUs were designated as treasury hubs for their parent banks.




Fig 1.3: Investment profile in USD Mn

IBUs were maintaining investment in Treasury bills for compliance with the prudential requirement of LCR maintenance. However, as per the guidelines, IBUs have been permitted to maintain LCR at their parent bank. The same has resulted in reduction of investments at IBUs in IFSC.

Table 1.4: Outstanding Over the Counter (OTC) Derivative Contracts

Derivative Outstanding (USD Mn)	Outstanding as on Mar 31, 2022	Outstanding as on Mar 31, 2023
Non-Deliverable Derivative Contracts (FCY-INR) (including NDF, Fx-Swaps and options)	23478.52	14092.67
FCY-FCY forwards	1673.00	3082.44
FCY-FCY currency swap	1333.63	957.56
FCY-FCY currency option	31.12	606.70
INR Interest rate swap (IRS) (including overnight indexed swaps (OIS)	7293.33	25343.29
FCY Interest rate swap (IRS) (including overnight indexed swaps (OIS))	44413.40	66924.23
Others	1171.94	1.62
Total	79394.94	111008.51

The outstanding derivative contracts at IFSC have increased by 39.81%. A few IBUs have commenced their market operations during the financial year whereas a few have increased their derivative trading portfolio based on their business strategies resulting in the overall increase in the derivative contracts outstanding at IBUs as on 31.03.2023.




Fig 1.4: Exposure of IBUs in various countries

IBUs have highest exposure to entities from India (68.75%) followed by USA (8.24%) and United Kingdom (5.79%). Top five countries constitute 89.96% of the exposure of the IBUs.

Advocacy and Outreach

Visit to Sibos, 2022

Sibos is the global financial services networking event organised by SWIFT. The annual conference and exhibition connects more than 8000 executives from banks, financial institutions and technology companies from across the globe.

A team of IFSCA officials attended Sibos 2022 held at Amsterdam, Netherlands from October 10-13, 2022. The centrepiece of the visit was a presentation entitled “Opportunities in GIFT IFSC: The financial gateway to India”. Over 40 participants attended the presentation to know more about the concept of IFSC and the opportunities for their firms.

Besides the presentation, the team had bilateral interactions with financial institutions across various sectors like banking, market infrastructure, financial technology, etc.

Policies and programmes for the following year

- 1) Issuing the framework for setting up a wholly owned subsidiary model for banking business in IFSC including Digital Banks (DBs). DBs are envisaged to issue deposits, offer loans, and offer the full suite of services that the Banking Regulation Act, 1949 empowers them to. However, DBs are principally expected to utilise internet and other similar online channels to offer their services instead of physical branches.
- 2) Further amendments to the Banking Handbook for permitting activities like issuance of Offshore Derivative Instruments on equities and corporate bonds, provision of Acquisition Finance by IBUs of foreign banks, etc.
- 3) The Authority has created a separate Division of Payment and Settlement Systems under the Department of Banking Regulation and Development to look into the matters concerning authorisation, prescribing policies, and framing guidelines for regulating and supervising all the payment and settlement systems and payment service providers in IFSC. The Division plans to issue the Payment and Settlement Systems Regulations and the Payment Services Regulations and create the necessary framework thereunder for licensing/authorisation of payments related systems and fintechs to be registered in IFSC as a payment system and/or service provider.



FINANCE COMPANIES

Finance Companies/Units (FCs/FUs) play a crucial role in providing non-banking financial intermediary services in the IFSC. These entities are permitted to carry out activities that are similar to those authorised for IBUs, with the exception of raising public deposits. This allows FCs/FUs to complement the services provided by IBUs in the realm of financial services. They are regulated by the IFSCA (Finance Company) Regulations, 2021 (FC Regulations) which outlines specific prudential, corporate governance and minimum owned fund requirements among others for FCs/FUs.

The primary intent of the regulations was to provide the entities to undertake non-banking business as well as to bring entities which were not covered under any specific regulation under the regulatory net. Accordingly, the FC Regulations adopted a combination of entity based and activity-based approach, wherein permissible activities were classified into core, non-core and specialised activities. Entities intending to undertake these activities were subject to different levels of prudential, corporate governance, capital requirements and other norms.

Subsequently, as the regulatory landscape evolved in the IFSC, a need was felt to ease/simplify the FC Regulations. Accordingly, IFSCA (Finance Company) (Amendment) Regulations, 2022, were issued on July 1, 2022.

Box 2.1: Salient features of IFSCA (Finance Company) (Amendment) Regulations, 2022

i) **Reclassification of permissible activities**

In the modified regulations, given the nature of the activities and the applicability of regulations, the erstwhile specialised activities have been included in core activities.

ii) **Registration requirements for FC/FU**

An explanation was added for the purpose of clarity, wherein an entity that has obtained a certificate of registration or authorisation for a specific activity under another framework or regulations, issued or notified by the Authority, shall not be required to seek a fresh registration under the regulations for carrying out the same activity.

iii) **Branch Route for GRCTC**

Global/Regional Corporate Treasury Centres are generally set up by large conglomerates. The entity needs to consolidate its operations so as to gain advantage of funds held at multiple jurisdictions. Further, based on the industry feedback it was felt that such entities would like to take advantage of its parent's balance sheet. Hence, GRCTC, though being a core activity, was enabled to be set up in the branch form.

iv) **Capital Inclusivity**

The concept of capital inclusivity has been introduced for entities undertaking a combination of core and/or non-core activities in line with the principle adopted in other IFSCA regulations. Accordingly, an entity carrying out multiple permissible activities under the FC regulations will have to maintain the higher of the minimum owned funds/net worth as prescribed for each individual activity.

v) **Permit investments by FC/FU undertaking non-core activities**

It permitted FCs/FUs to undertake investment activities for the purpose of liquidity and balance sheet management as part of its normal business operations, even if undertaking non-core activities.

Aircraft Leasing

A revised framework for Aircraft Leasing was issued by the Authority on May 18, 2022. The Framework enabled leasing of ‘Aircraft Ground Support Equipment’ in the IFSC. It also specified regulatory requirements for undertaking financial lease and/or hybrid of operating and financial lease of aircrafts and Aircraft Ground Support Equipment. Further, it broadened the scope of providing asset management support services so as to extend it to assets leased by the entity or by its wholly owned subsidiary without the need for separate authorisation.

Ship Leasing

The ‘Framework for Ship Lease’ was issued by the Authority on August 16, 2022. It is based on the suggestions of the Ship Acquisition, Financing and Leasing (SAFAL) committee report published on October 28, 2021, and the subsequent notification dated January 10, 2022, enabling ship lease as a financial product in IFSC. This Framework was amended in March 22, 2023, based on feedback received from the industry.

Box 2.2: Salient features of the ‘Framework for Ship Lease’

- i) The Framework enables an entity to become a Ship Lessor in IFSC by registering itself as an FC/FU. This enables the entity to undertake operating lease, financial lease, and/or a hybrid of operating and financial lease of ships and/or ocean vessels including engines of ships and ocean vessels.
- ii) A broad definition is adopted for the purpose of identifying an ‘ocean vessel’, which is aligned with the SAFAL report recommendations, and includes ships (i.e. any watercraft, used or capable of being used in navigation by its own propulsion, in, above or under the water), boats, sailing vessels, fishing vessels, submersibles, semi-submersibles, hydrofoils, amphibious craft, Mobile offshore drilling units, inland vessels, and coasting vessel among others but excludes fishing or sailing crafts.
- iii) In addition to leasing activities, a ship lessor in IFSC can also provide asset management support services for assets owned or leased by the entity or any of its group entities in IFSC. Further, in order to enlarge the shipping ecosystem in IFSC, the Framework also enables voyage charter contracts, contracts of affreightments, employment in shipping pools, and other legal commercial transactions related to the employment of ships.
- iv) Ship lessors in IFSC are required to maintain a minimum owned fund of USD 0.2 mn for undertaking operating leases and USD 3 mn for financial leases and/or a hybrid of operating and financial leases.
- v) All ship lessors must comply with KYC, AML, and corporate governance requirements as set out in the FC Regulations, regardless of the type of lease they undertake.

Sustainable and Sustainability Linked Lending

The ‘Guidance Framework for Sustainable and Sustainability linked lending by Financial Institutions’ was issued on April 26, 2022. According to the framework, IBUs and FCs/FUs in the IFSC are required to develop a Board-approved policy, aligned with international principles/frameworks, for green/social/sustainable/sustainability-linked lending by March 31, 2023. Further, from April 1, 2023, IBUs and FCs/FUs that engage in lending as a permitted activity are required to direct at least five per cent of their gross loans and advances towards green/social/sustainable/sustainability-linked sectors/facilities.

ITFS Platforms

The Authority has issued the Framework for setting up of ‘International Trade Financing Services Platform (ITFS) for providing trade finance services at IFSC on July 9, 2021. The ITFS platforms are the first of its kind regulated platforms which provide trade finance services digitally to exporters/importers across the globe at competitive prices via a bidding mechanism. The trade financing services include import factoring, export factoring, reverse factoring, forfaiting, insurance/credit guarantee among others.

Trends and Transactions

The IFSC has been attracting an increasing number of entities interested in setting up Finance Companies (FCs) for various activities, including lending, factoring & forfaiting, leasing of aircrafts, ships among others. This interest is not limited to national entities but also includes large public sector undertakings and international entities.

In FY 2022-23, Certificate of Registration has been granted to 13 FCs for undertaking aircraft operating lease, two FCs for undertaking ship leasing, and four entities to commence their live testing in the regulatory sandbox. Further, provisional registration has been granted to two entities to set up as FCs for undertaking core activities in IFSC. The following figure outlines the growth in the Finance Companies (including Aircraft lease, Ship lease, ITFS entities) registered in IFSC:




Fig 2.1: Growth in Finance Companies in IFSC

In addition to above, IFSCA has granted in-principle approval to two entities to set up as a finance company.

Advocacy and Outreach

Roadshows in collaboration with IFSCA

In the FY 2022-23, the Authority had granted registration to four ITFS entities for operating in the IFSC, namely Kredx Ventures IFSC Pvt. Ltd, Vayana IFSC Pvt. Ltd, RXIL Global IFSC Pvt. Ltd. and Mynd IFSC Pvt. Ltd for undertaking live transactions under the regulatory sandbox.

To generate awareness and promote the platforms, the entities held roadshows in Delhi-NCR, Ahmedabad, Chennai and Mumbai respectively, in collaboration with IFSCA and export promotion councils (EPCs) located in and around these regions. These regions were chosen in order to achieve widespread coverage.

During the roadshows the ITFS entities showcased the features, and demonstrated the functionality of their respective ITFS platforms. The events were attended by exporters, importers and financiers among others. These participants were also provided with an overview of the ITFS Framework issued by the Authority. Subsequently, panel discussions took place, featuring distinguished panelists including representatives from the IFSCA, industry and the EPCs. The panel discussed topics such as strengthening India's export sector, role of evolving regulatory framework for aiding exports among others.

The roadshows highlighted the potential of ITFS platforms in digitising the trade finance ecosystem. The significance of these platforms in India's goal of achieving a 5 trillion USD economy was also underscored. It was emphasised that achieving this target would require nearly 1 trillion USD in exports. Given that MSMEs contribute around 40% of India's exports, the role of the ITFS platform is vital as it enables MSMEs to access finance from global financiers at competitive rates through a transparent bidding mechanism. Recognising the potential of ITFS platforms in revolutionising export services, IFSCA shared its vision to position these platforms akin to Unified Payments Interface (UPI) for export services in India.

Considering the substantial participation and keen interest exhibited by participants on the ITFS platform during the roadshows, IFSCA intends to collaborate with the ITFS entities to host similar roadshows in Southeast Asian region in the near future.

Policies and programmes for the following year

- i) **Enabling lease of 'Aviation training simulation devices' in IFSC:** Similar to the enablement made for the lease of Ground Support Equipment in IFSC, the Authority intends to enable the lease of aviation simulation training devices to develop the aviation leasing and training ecosystem in IFSC. These devices include full flight simulators and flight training devices among others.
- ii) **Enabling Ship broking in IFSC:** Enabling ship broking services is aimed to facilitate the permissible activities of ship lessors in IFSC. Ship operating and financial lease activities are already permitted in IFSC under the 'Framework for Ship Lease', and the addition of ship broking services would facilitate the creation of a complete ecosystem for the shipping industry.
- iii) **Sharing of manpower or office space or both among group entities by Aircraft lessors in IFSC:** The Ministry of Commerce and Industry vide Gazette notification dated February 23, 2023, had inserted rule 21B in the SEZ Rules, 2006. This rule enables aircraft leasing unit in IFSC to utilise the office space or manpower or both of another unit in IFSC for the purpose of aircraft leasing, with the approval of the Authority. Pursuant to the above notification, the Authority intends to issue guidelines specifying the conditions and the process by which an FC/FU undertaking Aircraft Lease in IFSC may avail this facility.
- iv) **Framework for Holding Company in IFSC:** This framework would provide companies, particularly aircraft and ship lessors, with a clear understanding of how to manage their investments and subsidiaries through their holding company in IFSC, thus enabling ease of doing business.
- v) **Guidelines on change of management by FC/FU in IFSC:** The Authority intends to issue these guidelines to outline the conditions and reporting requirements that FCs/FUs need to adhere to for effecting any change in management beyond the threshold of 20 per cent of total share capital or of business decisions under an agreement which results in a change of control. Further, the guidelines would enable the Authority in carrying out due diligence of the new management and promote transparency and accountability in the financial sector.
- vi) **Handbook on FC/FU:** The Authority also intends to issue FC/FU Handbook by the end of the FY 2023-24. The handbook aims to consolidate all the existing regulations and provide detailed directions on the conduct of business, prudential guidelines, and other general guidelines to FCs/FUs.
- vii) **Exploring the possibility of Aviation simulation training institutes to be set up in IFSC:** The Authority intends to explore the possibility of enabling aviation simulation training institutes to set up in IFSC with a view to reduce the cost of aviation training and enable Indian pilots to train locally.

CAPITAL MARKETS

The role of capital market is to mobilise savings, facilitate investment, manage risk, allocate capital efficiently to support economic growth and development. The capital market serves as a crucial bridge between savers and investors. There are several types of securities in capital market such as equity shares, debt instruments, convertible securities, units of funds, derivatives, etc.

The capital market in IFSC has the potential to be the gateway to channelise flow of foreign capital into India through various means, including fund management and raising of capital through listing of securities on IFSC exchanges.

The funds set up in IFSC can pool capital from foreign investors and NRIs for investments into various products in securities markets in India. Further, the fund ecosystem in IFSC can also contribute towards attracting foreign investments in certain sectors such as start-ups, SMEs, green and sustainable financing, real estate projects, infrastructure investments, etc.

The Indian corporates (including banks, CPSEs, etc.) can also raise capital through listing of foreign currency bonds and/ or masala bonds on the stock exchanges in IFSC.

Since October 2020, IFSCA has notified the following regulations relating to securities market activities in the IFSC:

- a) IFSCA (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021
- b) IFSCA (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021
- c) IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021
- d) IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022

The Authority aims to benchmark regulations with the best practices in other jurisdictions and to facilitate ease of doing business in IFSC.

Market Infrastructure Institutions

The stock exchanges, clearing corporations and depositories (collectively referred as market infrastructure institutions) are the most important institutions in the capital markets and they provide the necessary infrastructure for listing, trading, clearing and settlement of securities. These market infrastructure institutions (MIIs) are therefore critical institutions for the overall development and regulation of the capital markets in the IFSC.

Stock Exchanges

As on March 31, 2023, there are two international stock exchanges operational in IFSC namely, India International Exchange (IFSC) Limited (India INX) and NSE IFSC Limited (NSE IFSC) and one bullion exchange, India International Bullion Exchange (IFSC) Limited (IIBX).

During the year, the Authority renewed the annual recognition to NSE IFSC for the period May 29, 2022 to May 28, 2023 and India INX for the period December 29, 2022 to December 28, 2023.

Clearing Corporations

As on March 31, 2023, there are two Clearing Corporations operational in IFSC namely, India International Clearing Corporation (IFSC) Limited (India ICC) and NSE IFSC Clearing Corporation Limited (NICCL). The Authority renewed the annual recognition to NICCL for the period May 29, 2022 to May 28, 2023 and India ICC for the period December 29, 2022 to December 28, 2023.

Depository

As on March 31, 2023, India International Depository (IFSC) Limited (IIDI) is the sole depository functional in IFSC which acts as the record keeper for securities including Bullion Depository Receipts.

Circulars/Guidelines

Market Access through Authorised Persons appointed in India

In October 2020, the Authority had permitted registered broker dealers of the stock exchanges to provide market access to investors through Authorized Persons based in foreign jurisdictions. However, based on the representations from market participants, with a view to expand the depth and reach of the capital markets in IFSC and enable access to resident Indian investors through Liberalized Remittance Scheme (LRS) route, the Authority, vide circular issued in April 2022, permitted the broker dealers to appoint Authorized Persons in India.

Amendment to Liquidity Enhancement Scheme

The Authority issued the guidelines for Liquidity Enhancement Scheme (LES) in IFSC in March 2022. Based on the representations received from stock exchanges in IFSC, the Authority amended these LES guidelines in September 2022, granting the authority to the governing board of stock exchanges for annual approval of the scheme. Further, to maintain liquidity, stock exchanges have been permitted to introduce LES on any security even beyond a period of five years.

Committees at Market Infrastructure Institutions in IFSC

The Authority vide circular dated June 28, 2022, mandated the MIIs to constitute the following committees:

- (a) Functional Committees, comprising:
 - i) Member Selection Committee
 - ii) Investor Grievance Redressal Committee
 - iii) Nomination and Remuneration Committee
- (b) Oversight Committees, comprising:
 - i) Standing Committee on Technology
 - ii) Advisory Committee
 - iii) Audit Committee
 - iv) Regulatory Oversight Committee
 - v) Risk Management Committee

The Authority also specified the functions and detailed composition of the above mentioned Committees.

Guidelines for Business Continuity Plan and Disaster Recovery Site for MIIs

As part of the operational risk management, MIIs in IFSC have been mandated to put in place Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery Site (DRS) to maintain data and transaction integrity. Apart from DRS, all MIIs need to have a Near Site (NS) to ensure zero data loss. MIIs have also been advised to prepare BCP-DR policy approved by the governing board of MIIs which *inter-alia* should include:

- Broad scenarios that would be defined as a disaster for an MII.
- Standard operating procedure to be followed in the event of a disaster.
- Escalation hierarchy within the MII to handle the disaster.
- Clear and comprehensive communication protocols and procedures for both internal and external communications from the time of incident till resumption of operations of the MII.
- Documentation policy on record keeping pertaining to DR drills.

Refund of security deposit to broker dealers on surrender of membership

In case of surrender of registration of broker dealers, the stock exchanges have been mandated to release security deposit of the broker dealer after twelve months from the date of approval of surrender application by the Authority (if the broker dealer is engaged in trading on behalf of clients).

However, in the case of broker dealers engaged only in proprietary trading for the last three years prior to the date of application of surrender, stock exchanges must refund security deposit after six months from the date of approval of surrender application by the Authority.

Monthly Development Report and the Monthly Activity Report

Stock exchanges in IFSC have to submit the Monthly Development Report (MDR) and the Monthly Activity Report (MAR) on a monthly basis. The Authority vide circular dated December 14, 2022, revised the format as per the applicable requirements in IFSC. Stock exchanges are required to submit the MAR and MDR in the revised format within 10 days from the close of each month from January 2023 onwards.

NSE IFSC - SGX Connect

The NSE IFSC-SGX Connect was launched on July 29, 2022, by the Hon'ble Prime Minister of India. During the launch, Hon'ble Prime Minister highlighted role of IFSCA, *"IFSCA will not only become an enabler but will also support innovation and will also act as a catalyst for growth opportunities. This is being started today through the launch of NSE IFSC- SGX Connect in GIFT City."*

The Connect aims to bring together international and IFSC participants to create a bigger liquidity pool for Nifty products in GIFT IFSC. SGX has set up a subsidiary SGX India Connect IFSC Private Limited (SGX-ICI) in GIFT IFSC to act as a pass-through entity for orders routed through SGX. SGX-ICI is registered as a trading and self clearing member with the Authority.

All the Negotiated Large Trades (NLTs) in SGX Nifty derivatives are currently being reported to NSE IFSC via the Connect. NLTs represent approximately 15 per cent of the total Nifty derivatives volume on SGX.

A joint press release by NSE IFSC and SGX, with respect to full scale operation of the Connect, highlighted that the migration of trading of the NIFTY futures contracts from SGX to NSE IFSC is targeted by the end of second quarter of 2023.

Capital Market Intermediaries

To create an overall ecosystem for smooth functioning of capital market, IFSCA has enabled the regulatory framework for various categories of capital market intermediaries in the IFSC such as broker dealers, clearing members, depository participants, custodians, investment bankers, debenture trustees, investment advisors, etc.

Trading Members

Broker dealers/Trading members are entities which execute trades on their own account as well as on behalf of their clients on the recognized stock exchanges in IFSC.

Table 3.1: Trading Members in IFSC (as on March 31, 2023)

Stock Exchanges	No. of Trading Members
India INX	58
NSE IFSC	57

Source: India INX and NSE IFSC

Clearing Members

A clearing member is an intermediary that is responsible for clearing and settlement of all deals executed by a broker dealer/trading member.

Table 3.2: Clearing Members in IFSC (as on March 31, 2023)

Clearing Corporation	No. of Self-Clearing members	No. of Trading Cum Clearing members	No. of Professional Clearing Members
India ICC	5	9	2
NICCL	7	9	2

Source: India ICC and NICCL

Depository Participants

A Depository Participant (DP) is a participant of a recognized depository and acts as an intermediary between the depository and the investor. As on March 31, 2023, there are eight DPs registered with the Authority out of which four entities were granted registration during FY 2022-23.

Custodians

A custodian is a specialized financial institution that carries on the business of providing custodial services in relation to financial products which include safekeeping of such financial products and providing services incidental thereto. As on March 31, 2023, there are five custodians registered with the Authority out of which one entity has been granted registration during FY 2022-23.

Debenture Trustees

A debenture trustee is a trustee appointed in respect of any issue of debentures. It acts as a liaison between the issuer company and debenture holders for the purpose of securing the interest of the debenture holders, by holding the secured property on behalf of the issuer company. As on March 31, 2023, there are three debenture trustees registered with the Authority, out of which two entities have been granted registration during FY 2022-23.

Investment Advisers

An investment adviser is a person, who for consideration, is engaged in the business of providing investment advice to clients relating to investments in securities or investment products. As on March 31, 2023, there are six investment advisers registered with the Authority, out of which one entity has been granted registration during FY 2022-23.

Investment Bankers

The Authority vide circular dated December 3, 2021, permitted a banking unit licensed by the Authority to undertake investment banking activities in IFSC, subject to the conditions mentioned in the circular. As on March 31, 2023, there is one IBU authorized to undertake investment banking activities in the IFSC.

Trends and Transactions

Turnover on Stock Exchanges

The turnover (including value of premium in case of options) on the stock exchanges in IFSC increased to USD 447 Bn during FY 2022-23 compared to USD 219 Bn of FY 2021-22, increasing by approximately 104 per cent.




Fig 3.1: Year-wise Turnover of Stock Exchanges in IFSC (in USD Mn)




Fig 3.2: Contract-wise Turnover of Stock Exchanges in IFSC (in USD Mn)

Derivatives available for trading on IFSC Exchanges

Index Derivatives

The most popular index derivatives on India INX are S&P BSE SENSEX & S&P BSE SENSEX 50. NSE IFSC offers trading in Futures and Options contracts on four Indices which are, NIFTY 50 Index, NIFTY BANK Index, NIFTY FINANCIAL Services Index and NIFTY IT Index.

Index Futures: Turnover in index futures grew by 124 per cent in FY 2022-23 compared to FY 2021-22. During the same period, the number of contracts grew by 94 per cent.

Table 3.3: No. of Contracts and Turnover in Index Futures

Financial Year	No. of Contracts		Turnover (USD Mn)	
	India INX	NSE IFSC	India INX	NSE IFSC
2021-22	5,515,681	2,488,692	96,461	83,707
2022-23	8,161,501	7,397,074	148,374	254,965

Source: India INX and NSE IFSC

Index Options: Turnover in index options grew by 33 per cent in FY 2022-23 compared to FY 2021-22. During the same period, the number of contracts traded grew by 16 per cent.

Table 3.4: No. of Contracts and Premium Turnover in Index Options

Financial Year	No. of Contracts		Premium Turnover (USD Mn)	
	India INX	NSE IFSC	India INX	NSE IFSC
2021-22	145,295,033	4,793,400	7,121	310
2022-23	173,297,387	724,776	9,695	188

Source: India INX and NSE IFSC

Commodity Derivatives

There are various commodity derivatives available for trading on the recognized stock exchanges as mentioned in the table below:

Table 3.5: Commodity Derivatives available for trading on IFSC Exchanges

Precious Metals	Gold, Silver
Base Metals	Copper, Aluminium, Lead, Nickel, Zinc
Energy	Brent Crude Oil

The turnover in gold derivatives has increased by 16 per cent in the FY 2022-23 as compared to FY 2021-22 while the number of contracts has increased by 10 per cent during the same period.

Table 3.6: No. of Contracts and premium turnover in Gold derivatives

Financial Year	No. of Contracts		Premium Turnover (USD Mn)	
	India INX	NSE IFSC	India INX	NSE IFSC
2021-22	445,898	57,199	26,195	1,005
2022-23	552,439	-	31,632	-

Currency Derivatives

There are various currency derivatives available for trading on the recognized stock exchanges as mentioned in the table below:

Table 3.7: Currency Derivatives

Global Currency Derivatives	EUR-USD, GBP-USD, JPY-USD, CHF-USD, AUD-USD
Rupee Derivatives	INR-USD, USD-INR

The turnover in currency derivatives has decreased in the financial year 2022-23 as shown below:

Table 3.8: No. of Contracts and Premium Turnover in Currency Derivatives

Financial Year	No. of Contracts		Premium Turnover (USD Mn)	
	India INX	NSE IFSC	India INX	NSE IFSC
2021-22	215,886	67,114	2,899	1,722
2022-23	133,711	26,007	1,662	645

Overall, the turnover at the stock exchanges across all products in IFSC has increased by 104 per cent in FY 2022-23 from FY 2021-22.

Listing of Debt Securities

As on March 31, 2023, the cumulative listing of all debt securities on the recognised stock exchanges in the IFSC is USD 50.6 Bn. During FY 2022-23, around USD 5.36 Bn of debt securities have been listed on the stock exchanges in IFSC, out of which primary listings are of USD 1.9 Bn.



Image 3.1: Listing Ceremony of India Exim Bank’s USD 1 Bn, 10-year Sustainability Bond on March 3, 2023.

Table 3.9: List of debt issuances in FY 2022-23

S. No.	Name of Issuer	Debt Securities Listed (USD Mn)
1	ICICI Bank	1,950
2	Power Finance Corporation Limited	300
3	Power Finance Corporation Limited (Green Bond)	400
4	REC Limited	300
5	REC Limited (Green Bond)	450
6	Cholamandalam Investment and Finance Company	56
7	India EXIM Bank	1,000
8	HDFC Bank	750
9	Shriram Finance	150
Total		5,356

Advocacy and Outreach

IOSCO Annual Meeting 2022

IFSCA is an associate member of IOSCO with effect from December 2020. As member of IOSCO, the IFSCA delegation participated in the various meetings/ events of the IOSCO Annual Meeting 2022 held in Marrakech, Morocco during October 17-19, 2022.

IFSCA held bilateral meetings on the sidelines of the IOSCO Annual meeting with regulators of several jurisdictions, including Singapore, Hong Kong, Abu Dhabi Global Markets, Dubai International Financial Centre and Mauritius. The purpose of the meeting was to discuss developments at their respective jurisdictions and potential areas for collaborations between the regulators.

IOSCO MMoU

IFSCA has become a signatory to the IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMoU) on August 3, 2022.

The MMoU represents a common understanding among its signatories of how they should consult, cooperate, and exchange information for the purpose of regulatory enforcement regarding securities markets.

The MMoU provides securities regulators with the tools for combating cross-border fraud and misconduct that can weaken global markets and undermine investor confidence. It also sets out specific requirements regarding the confidentiality of the information exchanged and ensures that no domestic banking secrecy laws, blocking laws or regulations will prevent securities regulators from sharing this information with their counterparts in other jurisdictions.

The MMoU would enhance cross-border enforcement and cross-border connect of the Authority with other foreign jurisdictions. IFSCA will now be able to exchange information with the regulators of securities markets of more than 125 jurisdictions for enforcement and ensuring compliance with the securities laws. Further, the MMoU will also play an important role in implementing various cross-border initiatives of IFSCA.

IFSCA participated in the MMoU signing ceremony held during the IOSCO Annual Meeting at Marrakech in October 2022.



Image 3.2: Shri Injeti Srinivas, Chairperson, IFSCA at the IOSCO MMoU Signing Ceremony

IOSCO World Investor Week 2022

World Investor Week (WIW), 2022 is a week-long global campaign promoted by IOSCO to raise awareness about the importance of investor education and protection and to highlight various initiatives of securities regulators. As a member of IOSCO, IFSCA celebrated the World Investor Week 2022 on the theme related to sustainable finance and investor resilience during the week starting from October 10, 2022. The two stock exchanges in GIFT IFSC, namely India INX and NSE IFSC, actively took part in the celebrations. A series of events and activities were organized as part of the celebrations that included opening bell ringing ceremony, webinar, virtual conference, capacity building workshop, social media campaign, sustainability pledge campaign and closing bell ceremony. Details about some of the key events are as follows:

- a) *Opening Bell Ringing Ceremony:* Executive Director, IFSCA and MD & CEO, India INX rang the opening bell at India INX, on October 10, 2022, to commence the celebration of IOSCO World Investor Week 2022.



Image 3.3: Shri Praveen Trivedi, Executive Director, IFSCA at the opening bell ceremony of IOSCO WIW 2022

- b) *Webinar in coordination with India INX:* India INX conducted a webinar on October 11, 2022, on the subject “*Opportunities for Indian Investors in Global Stocks in GIFT IFSC.*” The representatives from IFSCA and India INX participated in the webinar. During the webinar, the various measures taken by IFSCA for development and regulation of capital market ecosystem in the IFSC were highlighted.
- c) *Virtual Round Table Conference:* NSE IFSC organised a virtual round table conference on October 12, 2022 on the subject “*Role of International Financial Centres in Sustainable Investing.*” The panel consisted of representatives from IFSCA, educational institutes and the financial services industry. During the course of discussion, the importance of robust and internationally recognized ESG standards and disclosures in the scaling of sustainable finance was highlighted. The discussions included topics such as carbon markets, social bonds, impact funds, role of philanthropic money in supplementing commercial capital, capacity building etc.
- d) *Closing Bell Ceremony:* Executive Director, IFSCA participated in the closing bell ringing ceremony to mark the closure of the IOSCO World Investor Week 2022. On this occasion, Executive Director, IFSCA highlighted the various opportunities and the initiatives taken by IFSCA towards developing GIFT IFSC as a global hub of sustainable finance. He also encouraged the various stakeholders to incorporate an element of ESG across various verticals in the financial system.



Image 3.4: Shri Dipesh Shah, Executive Director, IFSCA participated in the closing bell ceremony of IOSCO WIW 2022.

IOSCO Asia-Pacific Regional Committee (APRC) Meeting

APRC is one of the four regional committees constituted by IOSCO to focus on regional issues relating to securities regulation in the Asia-Pacific region. The IFSCA Delegation participated in the IOSCO APRC Meeting held in Bangladesh during February 22-23, 2023.

IOSCO Training Programs

IFSCA participated in various training programmes organized by IOSCO for capacity building of officers involved in development and regulation of securities markets, including cyber resilience, sustainable finance, fintech, use of technology in enforcement, market infrastructures, etc.


Research: Working papers, Research reports, Assessment & Prospects

Issuance of share capital of IFSC companies in freely convertible foreign currency

MCA constituted a Working Group to examine and make recommendations on necessary amendments in Companies Act 2013 (CA-13), rules made thereunder and Accounting Standards, for enabling IFSC companies to issue their share capital in freely convertible foreign currency (FCFC).

The key recommendations are as under:

- a) The capital structure of the IFSC companies may be enabled in FCFC, to begin with, in USD. This can be facilitated by amending CA-13.
- b) The IFSC companies should prepare and maintain their books of accounts and present financial statements in the same foreign currency. The same foreign currency should also be used as the currency of disclosures for various filings under CA-13.
- c) The submission of various forms by IFSC companies may be enabled in freely convertible foreign currency in online system (E-portal system of MCA).
- d) There are several references of INR in CA-13 and the Rules issued thereunder with respect to fees, penalties, and fine related provisions. The Working Group observed that there may not be any need to amend such provisions and accordingly, recommended that these provisions can continue in INR.
- e) The applicability of certain provisions of CA-13 depends on certain thresholds/limits which have been defined in the Act and Rules made thereunder and such thresholds are denominated in INR terms. The Group recommends that while thresholds/limits in CA-13 and Rules may continue to be in INR, there is a need to have a general provision requiring conversion of FCFC to INR for IFSC companies, for the purposes of reckoning these thresholds.
- f) Considering the difficulty to develop forms in multiple currencies; to begin with, most used currency internationally, i.e., the USD may be taken as base currency for reporting by IFSC companies.
- g) The existing IFSC companies may convert their share capital from INR to USD by shareholders' approval of the capital restructuring plan through special resolution, followed by intimation to IFSCA and then filing the same with Registrar of Companies, without going through the rigour of section 61 of CA-13. MCA may come out with necessary legal framework in this regard.
- h) The transition of these IFSC companies may be kept optional. However, no existing IFSC Company may be permitted to issue any further share capital (including rights, bonus, etc.) without converting their share capital into FCFC.





FUND MANAGEMENT

With a view to develop GIFT IFSC as a preferred jurisdiction for global fund management industry, the Authority notified the Fund Management Regulations in April 2022. The regulations, based on global best practices, facilitate innovation and promote ease of doing business in IFSC.

Earlier, pooling of global capital for investments into India was predominantly set up through funds in overseas financial jurisdictions. Now, with an enabling regulatory framework in place, supported by a competitive tax regime and the benefit of lower cost of operations, the GIFT IFSC has rapidly emerged as a preferred jurisdiction for pooling of global capital.

The IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022

The regulations provide for unified registration to the Fund Management Entities (FMEs) and permit them to undertake a host of fund management activities. The regulations provide for registration of FMEs under three categories:

i) Registered FME (Retail)

Under this category, FMEs can cater to retail investors as well as non-retail investors by offering a wide array of fund management related products and services, such as retail schemes (including Exchange Traded Funds), non-retail schemes (Alternative Investment Funds), Venture Capital Schemes, Portfolio Management Services, etc.

ii) Registered FME (Non-Retail)

This category is meant for FMEs which intend to manage funds or provide Portfolio Management Services to accredited investors or to investors investing at least USD 150,000. Accordingly, the eligibility requirements for this category are less onerous as compared to Registered FME (Retail).

iii) Authorised FME

A special category with light-touch registration is accorded to such FMEs that intend to invest only in unlisted securities of start-ups through a Venture Capital Scheme, and cater exclusively to accredited investors or to investors investing at least USD 250,000.

The three registration categories for FMEs, based on the risk potential of the activities permitted, also determine the regulatory requirements applicable to them.

The detailed eligibility and regulatory requirements for FMEs, Retail Schemes, Non-Retail Schemes, Venture Capital Schemes, Portfolio Management Services, and Investment Trusts have been prescribed under the regulations.

Policy Developments during the year

1) Framework for Angel Funds in IFSC

Angel Funds bridge the gap between start-ups and angel investors, who are instrumental in providing mentorship, and resources to the start-ups. In recognition of the same, the Authority has issued a framework for Angel Funds vide circular dated July 1, 2022, under the IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022.

Box 4.1: Regulatory Framework for Angel Funds in IFSC

With a view to further supplement the fund management ecosystem in IFSC and promote investments in start-ups, a separate framework for Angel Funds was instituted in July 2022 under IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022.

The Angel Funds are positioned to bridge the gap between early-stage start-ups and angel investors and provide the investors a professionally managed route to create a diversified portfolio of start-up investments, where the investors continue to have discretion over their investment decisions.

An FME in IFSC will be able to launch an Angel Fund by filing a placement memorandum with the Authority under a Green Channel, i.e., the schemes can open for subscription by investors immediately upon filing of the placement memorandum with the IFSCA. These funds are required to accept investments from accredited investors or from investors who are willing to commit at least USD 40,000 over 5 years. The Angel Funds in IFSC are permitted to invest in start-ups as well as other regulated angel schemes in IFSC, India or foreign jurisdictions upon receiving consent from the desirous investors.

2) Norms for Disclosures by FMEs for Environmental, Social or Governance (ESG) Schemes

As fund management industry is expected to play a crucial role in the growth of ESG driven investments in IFSC, detailed norms for disclosures by the FMEs for various ESG-driven schemes launched by them, were specified on January 18, 2023. This measure is expected to

promote consistency, comparability and reliability in disclosures concerning ESG schemes and ensure that ESG schemes in IFSC are true to their label. Further, norms have also been prescribed for ongoing monitoring and performance evaluation of the ESG Schemes. The disclosure norms are principle-based and are largely aligned with international best practices. Moreover, in order to set regulatory expectations, the Authority has also provided detailed guidance notes and illustrations.

3) Compendium of Frequently Asked Questions published on the Authority's Website

As a measure to ease the process of setting up of investment funds in IFSC, a compendium of Frequently Asked Questions (FAQs) has been published on the Authority's website on December 9, 2022, for dissemination of information to the market participants, especially those who are at the initial stages of setting up their operations in IFSC. The compendium comprises of 141 FAQs, which have been structured under 11 sections and provide details regarding salient aspects of the IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022 and various circulars issued thereunder.

4) Facilitating Sovereign Wealth Funds to set up FMEs in GIFT IFSC

Sovereign Wealth Funds by their very nature represent the interest of a State and benefit a country's economy and its citizens. In order to facilitate such funds to set up their FMEs in GIFT IFSC for management of their own assets, a clarification was issued to remove certain difficulties in contributing capital (initial and ongoing) faced by such funds, given their unique nature and mandate.

5) Facilitating setting up of Family Investment Funds in GIFT IFSC

Family offices have been rapidly emerging as a preferred vehicle for wealthy families to manage and preserve their wealth. World over, family offices have also become important pools of capital for investments in start-ups. Accordingly, a framework to facilitate self-managed investment fund of a family office was enshrined in the IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022. In furtherance of its endeavour to position GIFT IFSC as the preferred jurisdiction for pooling of such wealth, certain clarifications concerning participation by family-controlled entities, sharing of economic interest with employees, setting up of additional pooling vehicles, declaration by family members, etc., were issued to remove difficulties faced by the family offices in setting up their operations in GIFT IFSC.

6) Norms for handling of client funds by FMEs providing Portfolio Management Services

The IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022 provide for Portfolio Management Services in IFSC and permit Registered FMEs (Retail and Non-Retail) to offer these services to their clients. The FMEs providing Portfolio Management Services in IFSC are permitted to accept client funds in a dedicated bank account in a Banking Unit in IFSC. This flexibility offers operational convenience to the FME as it is required to manage only a single bank account for all investments and maintain the records thereof. However, this provision deterred certain type of potential clients from availing Portfolio Management Services of FMEs. Therefore, an amendment to this provision has been approved by the Authority in its meeting held in March 2023.

7) Framework for Distribution of Capital Market Products and Services

The Authority, in furtherance of its mandate to develop and regulate financial products, financial services and financial institutions in the IFSC, has issued a regulatory framework for distribution of capital market products and services under IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 vide circular dated December 21, 2022.

Box 4.2: Regulatory Framework for Distribution of Capital market Products and Services

Distributors play a crucial role of connecting the providers of capital market products and services with the buyers of these products and services. The importance of distribution function is even more pronounced in the investment funds industry as world over fund managers generally utilise the services of third-party distributors to market their products and services to a wider clientele.

Therefore, with a view to further expand the fund management ecosystem and facilitate a new set of activities within IFSC, a regulatory framework for distribution activities has been specified under IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021.

Once registered with the Authority, these distributors are permitted to undertake global distribution from IFSC and offer their services to clients in various jurisdictions.

Further, in order to protect the interest of clients of the distributors, the framework also provides for a detailed code of conduct including an advertisement code and other obligations as applicable to a distributor. It also identifies the responsibilities of issuers and service providers in IFSC which avail the services of distributors to market their products and services.

Trends and Transactions

Fund Management

As on March 31, 2023, there are 65 FMEs registered with the Authority, wherein the largest number of registrations have been observed in the Registered FME (Non-Retail) category. These FMEs have collectively raised commitments in excess of USD 13 Bn across different types of schemes permitted under the IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022.

Table 4.1: No. of FMEs registered as on March 31, 2023

Particulars	Numbers
No. of Registered FME (Retail)	4
No. of Registered FME (Non-Retail)	57
No. of Authorised FME	4
Total Number of FMEs	65

Table 4.2: No. of schemes approved as on March 31, 2023

Particulars	No. of Schemes Registered	Commitments Raised (In USD Mn)
Venture Capital Schemes	3	260.75
of which, Angel Schemes	2	60.75
Restricted Schemes	47	12,974.2
Category I & II AIFs	24	10,607
Category III AIFs	23	2367.2
Total Schemes in IFSC	50	13,234.95

Portfolio Management Services

The IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022 provide that FMEs which are registered under the categories of Registered (Retail) and Registered (Non-Retail) may also provide Portfolio Management Services. There are 9 such FMEs which provide these services in IFSC and manage assets worth USD 413.39 Mn.

Advocacy and Outreach



Image 4.1: Shri Praveen Trivedi, Executive Director, IFSCA at Fireside Chat during IVCA Conclave 2023

IFSCA delegation participated in the IVCA Conclave 2023, and gave an overview on opportunities for Funds in GIFT IFSC, highlighting various measures under its Fund Management Regulations towards ease of doing business, facilitating innovations and promoting transparency.

INTERNATIONAL BULLION EXCHANGE

"India is a very big market in the field of gold and silver today. But, should that be the only identity of India? The identity of India should also be that of a market maker. IIBX is an important step in this direction. This will help our players in the gold industry, especially jewellers to expand, paving the way for new opportunities for them. They will be able to buy bullion directly, in a transparent manner, and will also be able to participate in international price discovery. In addition, IIBX will also provide opportunities to trade in gold directly through the exchange. As the gold trading market becomes organized, the demand for gold in India will also impact and determine the gold prices."

- Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, at the launch of IIBX

Gold is one of the most essential metals in the precious metals industry. It is bought by a diverse set of consumers and investors across the globe. The major demand sectors for gold include jewellery, investment, central bank reserves and technology. Gold jewellery represents the largest source of annual demand for gold. Although this trend has declined over recent decades, it still accounts for around 50 per cent of total global gold demand.²² Over the years, gold has been recognised as a reliable, tangible, and long-term store of value, making it an attractive avenue for the Central Banks to hold it as a medium of reserves. Gold also has a wide spectrum of application in the technology industry, majorly in the electronics sector.

India is one of the world's largest gold bar and coin markets. The gold industry is an integral part of the Indian economy with its demand being driven by the country's rising prosperity. The country's culture places a high value on gold, which is regarded as a symbol of wealth, prestige and is an important part of numerous rituals.


²² World Gold Council

Gold imports in India in FY 2022-23 were USD 35.01 Bn. As per the Gold Demand Trends report by the World Gold Council (WGC), for the year 2022, Indian gold demand remained robust compared with longer term pre-pandemic levels. Demand of gold in the jewellery sector for the year 2022 was 600 tonnes which was in line with the annual average over the 10-year period preceding COVID-19 pandemic, despite high and rising local gold prices. The investment in Bars and Coins in the year 2022 was 173 tonnes.²³

India International Bullion Exchange

NITI Aayog report titled ‘Transforming India’s Gold Market’ (February 2018) recommended, among other things, setting up a bullion exchange in GIFT IFSC that can be an additional option in the choice of venue for trade for global market participants and become the primary intermediary for all gold imports and exports of India. The exchange can create a vibrant marketplace that helps in price discovery, with potential for India to become the price setter in the global gold market.

The Hon’ble Union Finance Minister, in her budget speech in 2020, announced the setting up of an International Bullion Exchange at IFSC. The schematic of the current Bullion Ecosystem in IFSC is as below:



Role of IIBX

- Provides transparent electronic trading platform for Bullion trade in IFSC
- Democratic pricing mechanism
- Direct access to Qualified Jeweller to import gold
- Greater integration with other segments of financial markets
- Greater business opportunities

²³ World Gold Council-Gold Demand Trends Report

- Provides access to international markets
- Price influencer in the international market
- Provides world class vaulting facility in IFSC

Launch of India International Bullion Exchange

India International Bullion Exchange (IIBX) has been formed with the intent of developing India as a vibrant gold trading hub, for the national and international market. The idea behind IIBX is to develop a transparent Exchange model to determine the price of various precious metals within the country, thus making India a price setter rather than a price taker. Towards this step, IIBX has been operationalised.

The trial run for IIBX commenced on April 18, 2022. IIBX was formally launched by the Hon’ble Prime Minister of India on July 29, 2022. Highlighting the importance of IIBX, he stated, *"Today India is one of the largest economies of the world. Therefore, in the future when our economy will be much bigger than it is today, we have to prepare for it now as it is bound to grow. For this, we need institutions that can cater to our present and future roles in the global economy. India International Bullion Exchange - IIBX is a step in this direction."*

During the Financial Year 2022-23, a total of 411 kgs of gold was imported through IIBX with a total value of USD 22,465,529.

Products on IIBX




Fig 5.1: Products available for trading on IIBX

The abovementioned UAEGD Gold 995 purity and UAEGD Gold 999 purity products have also been extended to Tariff Rate Quota (TRQ) holders for the purpose of imports under India-UAE CEPA. Suitable and adequate safeguards have been put in place to ensure that the conditions, such as the requirement of Certificate of Origin from UAE’s Ministry of Economy, specified under the India-UAE CEPA are complied with by the sellers and the buyers. Only TRQ holders can import as per the pre-approved quota allotted by the DGFT.

Structure

Exchange and Clearing Corporation

India International Bullion Exchange IFSC Limited (IIBX) is registered with the Authority as a Bullion Exchange & Clearing Corporation. The role of IIBX is to provide trading platform that offers trading in products related to bullion. As a Clearing Corporation, IIBX is responsible for clearing and settlement of all the trades.

Depository

IIDI (previously known as CDSL IFSC Ltd) has been designated as Bullion Depository. IIDI is responsible for the issuance of the Bullion Depository Receipt (BDR) in electronic form for trading on the Bullion Exchange. It is also responsible for ensuring that the vault manager has the systems, mechanism, and related IT infrastructure to provide encrypted transmission of information to the bullion depository and system-based reconciliation of data between the vault manager and bullion depository.

Vaulting Infrastructure

The vaulting infrastructure in IFSC aims to cater to the expected growth of the bullion trading capacity in the years to come. Accordingly, the Authority has granted registration to three Vault Managers, of which two registrations have been granted in financial year 2022-23. The total vaulting capacity of the vault managers is 420 MT of gold and 2200 MT of silver.

Bullion Market Intermediaries

The Trading Members (TMs) and Clearing Members (CMs) from the existing stock exchanges at IFSC are eligible to be grandfathered as members of the Bullion Exchange and Bullion Clearing Corporation (IIBX).

The number of entities registered as Bullion Market Intermediaries in the capacity of Bullion Trading member (Bullion TM), Bullion Trading and Clearing member (Bullion TMCM), Bullion Trading cum Self Clearing Member (Bullion TSCM) and Bullion Professional Clearing member (Bullion PCM) as on March 31, 2023, are given in the table below.

Table 5.1: Registered Bullion Market Intermediaries at GIFT IFSC

Bullion TM	Bullion TCM	Bullion TSCM	Bullion PCM
4	5	1	2

The names and details of these entities are updated on the website of the Authority from time to time.

Qualified Jewellers

The Directorate General of Foreign Trade vide Notification No. 49/2015-2020 dated January 5, 2022, has among other things, specified that import of gold under ITC(HS) Codes 71081200 and 71189000, shall be permitted by Qualified Jewellers (QJs), notified by IFSCA, through IIBX.

Accordingly, notification of QJs is being done as - Limited Purpose Trading Members (LPTM) and Clients, for the purpose of import of gold into India through IIBX. 84 QJs have been notified by the Authority as on March 31, 2023.

Circulars/Guidelines issued by the Authority

i) Clarification on investment in BDR on IIBX through the LRS route

The circular clarified that the resident individuals, as referred to in the RBI circular on LRS dated February 16, 2021, are not permitted to transact/invest in BDR on IIBX through the LRS route.

ii) Standard Operating Procedure for Qualified Jewellers importing gold through IIBX

The circular provided the detailed process to be followed for notification as a QJ along with the process of import of gold by a QJ through IIBX.

iii) ‘Qualified Suppliers’ for supply of bullion on IIBX

The circular enabled eligible overseas supplier entities to participate on IIBX as Qualified Suppliers, including through a remote access mode, for the limited purpose of ‘selling’, without having to set up an establishment, office, or a unit - as a branch or subsidiary at IFSC.

iv) Guidelines for Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery (DR) for MIIs

The circular provided a framework for the BCP and DRS for the MIIs in the IFSC. The circular outlined the guidelines for the following:

- Configuration of DRS/Near Site with Primary Data Centre
- Disaster Recovery Drills/Testing
- BCP – DR Policy Document

v) **Monthly Development Report for the Bullion Exchange in IFSC**

The circular provided the format for the Monthly Development Report of the Bullion Exchange in IFSC, which shall be submitted in the prescribed format, within 10 days from the close of each month, to the Authority.

vi) **Tariff Rate Quota (TRQ) holders under the India-UAE CEPA to be deemed as Qualified Jewellers for import of UAEGD Gold through IIBX**

The circular enabled all the holders of TRQ allotted by DGFT to be eligible to apply for being notified as 'Qualified Jewellers' by the Authority, for the purposes of import of gold under the India-UAE CEPA. Accordingly, all such holders of TRQ, not otherwise eligible or notified as QJs by the Authority, would be considered for notification as QJs under a separately created category 'Qualified Jeweller- TRQ' ('QJ-TRQ')

vii) **Bullion Trading Members and Clearing Members in IFSC**

The circular extended the initial six month period (from the date of operationalization of IIBX) for maintaining the Net Worth and Base Minimum Capital specified in the paragraph 3 and 4 of the IFSCA Circular F.No. 329/IFSCA/Bullion MIIs/2021 dated September 17, 2021, by an additional period of six months i.e., till July 28, 2023.

viii) **Net worth requirements for a Bullion Exchange and a Bullion Clearing Corporation**

The circular prescribed increase in the net worth requirement of the Bullion Exchange and Bullion Clearing Corporation in a gradual manner. This was done to ensure that the net worth of Bullion Exchange and Bullion Clearing Corporation is sufficient to accommodate the technological advancements in trading platforms and, the nature and expected growth of its business including the leveraged products it may offer, and to ensure that its net worth adequately captures the risk it faces.

ix) **Guidelines for execution of block deals on the Bullion Exchange**

The circular permitted the Bullion Exchange to provide a separate window to facilitate the execution of large trades, with a minimum quantity of 100 kgs of gold. The circular also provided the framework for block deals permitting only non-individual participants to execute block deals.

Notifications/Circulars issued by other agencies

- i) The Customs Notification No. 22/2022 dated April 30, 2022 and Notification No. 43/2022 dated July 20, 2022 and DGFT Public Notice No. 06/2015-2020 dated May 1, 2022 and Public Notice No. 23/2015-2020 dated August 29, 2022 enabled the QJs, notified by the Authority, to import gold (under Tariff head- 7108) directly through IIBX, under the India-UAE CEPA, in addition to the import by nominated agencies/nominated banks and other eligible entities.

- ii) Department of Commerce issued notification K-43014(19)/1/2018-SEZ dated July 6, 2022 to insert Rule 19A in the SEZ Rules, 2006 which extended the remit of IFSCA to the vaulting facilities in other SEZs by making them a deemed IFSC unit for storing bullion for creating BDRs for trading on IIBX.
- iii) Department of Commerce (DoC) vide OM J-16/3/2007-SEZ-Vol V dated November 1, 2022, designated GIFT SEZ as an additional site for the purpose of initiating the pilot testing for implementation of Indian Customs Electronic Data Interchange Gateway (ICEGATE). Subsequently, IFSCA actively collaborated with DG(Systems), DoC and SEZ DC for the successful testing of ICEGATE in GIFT SEZ.
- iv) RBI circular dated May 25, 2022, provided guidelines on import of gold by QJs notified by the Authority. RBI gave directions to the Authorised Dealer Category-1 banks to allow the Qualified Jewellers to remit advance payments for eleven days for import of Gold through IIBX in compliance to the extant Foreign Trade Policy and regulations issued under IFSCA Act.
- v) RBI Circular dated June 7, 2022, allowed the branches of Indian banks operating in GIFT IFSC to act as a Professional Clearing Member of IIBX after seeking a No Objection Certificate from the RBI.
- vi) RBI Circular dated December 12, 2022, permitted eligible entities to hedge their exposure to price risk of gold on recognised exchanges in the IFSC.

Visit of Hon'ble Union Minister of Commerce and Industry, Shri Piyush Goyal to GIFT IFSC

Union Minister of Commerce and Industry, Shri Piyush Goyal, reviewed the functioning of GIFT IFSC. He held interactions with IIBX to understand issues with respect to trading of Gold, operationalising the gold spot exchange and reducing the cost of gold metal loans for jewellery exporters through GIFT IFSC. He urged representatives of jewellery sector to discover competitive prices for gold through IIBX, and explained how India-UAE CEPA is a huge window of opportunity for them.



Image 5.1: Visit of Hon'ble Union Minister of Commerce and Industry to Vault facility at GIFT IFSC

Advocacy and Outreach

The various outreach programs were undertaken by IFSCA towards the growth and development of bullion ecosystem in IFSC. These include participation in global and national conferences such as:

- India Gold Conference, Chennai, in July 2022
- Global Precious Metals Conference, Lisbon, in October 2022
- Dubai Precious Metal Conference, Dubai, in November 2022

Further, outreach programmes were conducted at Kolkata, Hyderabad, Jaipur, Chennai, etc., for QJs, prospective QJs, TRQ holders, exporters and trading members. During these programmes, current developments about the precious metals ecosystem at GIFT IFSC and the advantages of importing gold through IIBX were highlighted.



Image 5.2: Shri Kamlesh Sharma, General Manager, IFSCA at the 14th International Gold Economic Forum

Policies and programmes for the following year

- Operationalisation of import of gold through IIBX for the TRQ holders as notified by the DGFT.
- Operationalising the IFSC vaulting centres at other locations within Special Economic Zones or Free Trade Warehousing Zones across India.
- Enabling Indian IBUs to operate as trading members on IIBX.
- Enabling gold leasing/gold metal loans through IIBX.
- Trading of Silver on IIBX.
- Introduction of derivatives of various metals and commodities on IIBX.



FINTECH HUB

"In the 21st century, finance and technology are intertwined with each other. And when it comes to technology, science and software, India also has an edge and experience. Today, 40 percent share in the whole world in real time digital payments belongs to India alone. Today we are the leaders in this. This power of India in the field of FinTech is attracting the whole world. Therefore, I expect all of you to aim for new innovations in FinTech. GIFT IFSC emerges as FinTech's global laboratory."

- Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi

In the Union Budget 2021-22, the Hon'ble Union Minister of Finance of India, Smt. Nirmala Sitharaman announced that the government would support the development of a "World-Class FinTech Hub" at GIFT IFSC.

The Authority, in line with this vision, developed a strategy to create visibility and mindshare among FinTechs globally and develop progressive regulatory frameworks, incentives and other levers towards enabling a robust FinTech Ecosystem.

Framework for FinTech Entity

To augment the FinTech Ecosystem at GIFT IFSC, a circular providing for a unique 'FinTech Entity (FE) Regulatory Framework' for FinTechs and TechFins was issued on April 27, 2022. This regulatory framework is designed to promote and regulate fintech activities in IFSC. Considering the importance of financial technology solutions in promoting innovation in financial services market in IFSC, the framework provides for Authorization/Limited-use Authorization of FinTechs in IFSC.

Summary of the FinTech entity framework of IFSCA

- i) *Applicability:*** The FE Framework is applicable to all eligible domestic and foreign entities. It recognises both FinTechs and TechFins. FinTechs are categorised as entities providing a financial technology solution which results in new business models, applications, process or products in financial services regulated by the Authority whereas TechFins are entities that provide an advanced or emerging technology solution in allied areas/activities which aid and assist activities in relation to financial products, financial services and financial institutions.
- ii) *Authorisation:*** It enables eligible technology companies, having a deployable advanced/innovative technology solution which aids and assists activities in relation to financial products, financial services, financial institutions, to obtain Authorisation from IFSCA without entering Sandbox.

The Applicant (Domestic or Foreign from FATF compliant jurisdiction) must have:

- i. a deployable solution/working product; and
 - ii. a revenue earning track record in at least one of the last three financial years.
- iii) *Limited Use Authorisation (Sandbox):*** IFSCA provides different categories of sandboxes to develop and test fintech ideas or solutions in IFSCs. IFSCA also provides Overseas Regulatory Referral mechanism/FinTech Bridge to the eligible applicants as per the provisions of MoU or collaboration between IFSCA and corresponding overseas financial sector regulator. An applicant who is yet to complete the development of the product or has completed a 'Proof of Concept' and would like to conduct live testing may be considered as eligible for Sandbox.

Categories of Sandboxes

- **IFSCA FinTech Regulatory Sandbox:** The entities, fulfilling the eligibility criteria according to the framework, which exhibit genuine innovation and need for live testing on real customers/investors, had carried out limited prior testing, and provide direct benefit to users with proper risk management strategy, adequate test readiness and deployment plan post testing, can apply to Regulatory Sandbox.
- **IFSCA FinTech Innovation Sandbox:** The entities fulfilling the eligibility criteria according to the framework may be permitted to access the IFSCA Innovation Sandbox where in FinTechs can test their solutions in isolation from the live market. The applicant shall be eligible to apply for IFSCA Fintech Regulatory Sandbox after the successful exit from the FinTech Innovation Sandbox.
- **Interoperable Regulatory Sandbox (IoRS):** Foreign FinTechs seeking entry to India shall be considered for IoRS provided that the entity must have a financial technology product/service whose business models/activities/features fall within the ambit of more than one domestic financial sector regulator.

iv) *Permissible Activities*

- a) An illustrative list of permissible FinTech areas/activities linked to financial services and allied areas/activities aiding and assisting activities in relation to financial product, financial services and financial institutions regulated by IFSCA is given in the figure below:

Banking Sector	Capital Markets and Fund Management	Insurance sector
Remittance and payments	Crowd funding	Insur Tech
Digital lending	Personal finance	Innovative technologies for insurance life cycle
Buy Now Pay Later	Wealth Tech	Digital innovation for global health insurance cover
Crowd Lending	Robo Advisory	Innovation in commercial insurance
Digital Bank (Neo Banking/ Challenger bank)	Sustainable Finance products	Digital platform for settlement of balances between insurance companies
Open banking		Open insurance
	Alternate trading platforms	Embedded insurance
Bank		Cyber insurance

Fig 6.1: Illustrative list of permissible FinTech areas/activities

b) An illustrative list of allied areas/activities aiding and assisting activities in relation to financial product, financial services, and financial institutions (TechFin) is given below:




Fig 6.2: Illustrative list of allied areas/activities aiding and assisting activities in relation to TechFin

- v) The framework encourages the idea of “Fail Fast” and promotes emerging technology areas. It establishes a strong foundation to facilitate a world class FinTech Hub in GIFT IFSC.

The first five FinTech Entity Authorizations under the FE framework were granted on July 29, 2022. The Authority received a total of 66 applications from across 12 jurisdictions (India, USA, Sweden, France, Mauritius, Singapore, Australia, UK, Taiwan, Switzerland, Netherlands, and Canada) under the FE framework, and 31 regulatory approvals were granted in FY 2022-23.




Fig 6.3: Vertical spread of FE applicants

IFSCA FinTech Incentive Scheme, 2022

To promote the establishment of a world class FinTech Hub in IFSC, comparable with those located in advanced international financial centres, IFSCA FinTech Incentive Scheme, 2022 was notified on February 4, 2022 making the Authority the first Indian financial sector regulator to formulate an incentive scheme and provide financial support to fintech activities/entities in the form of specific grant(s).

The guidelines for implementation of the scheme were issued on September 12, 2022. The following six types of Grants are provided under the scheme:

1. FinTech Start-up Grant
2. Proof of Concept Grant
3. Sandbox Grant
4. Green FinTech Grant
5. Listing Support Grant
6. Grant for Accelerators/Cohorts

On October 14, 2022, the Authority constituted an Evaluation Committee (EC) chaired by Prof. Joshy Jacob of IIM Ahmedabad for evaluating and recommending suitable applications for consideration under IFSCA FinTech Incentive Scheme, 2022. The Committee comprises of four international members from Belgium, Israel, Switzerland, and the UK with wide experience in developing and strengthening FinTech ecosystems across the globe.

Five applications have been recommended for grants amounting to a total of ₹1.1 Crores by the Evaluation Committee under the Scheme in FY 2022-23.


Interoperable Regulatory Sandbox

The Inter-Regulatory Technical Group (IRTG) on FinTech was constituted under the aegis of the Sub-Committee of the Financial Stability and Development Council (FSDC-SC) for inter-regulatory co-ordination among the financial sector regulators on FinTech related issues. The group, in addition to the members from financial sector regulators, has representation from the DEA, Ministry of Finance and the Ministry of Electronics and Information Technology.

The terms of reference of the IRTG on FinTech included discussion on issues relating to hybrid products/services falling under the regulatory ambit of different financial sector regulators viz. RBI, SEBI, IRDAI, IFSCA and PFRDA, for admission into the regulatory sandbox and framing of standard operating procedure (SOP) for IoRS for hybrid products/services.

In order to facilitate testing of innovative products/services falling within the regulatory ambit of more than one financial sector regulator, an SOP for IoRS was prepared by the IRTG on FinTech. Financial products/service providers whose business models/activities/features fall within the remit of more than one financial sector regulator, shall be considered for testing under IoRS. To obviate the need of innovators to engage with different regulators regarding their hybrid product, this common window was made available.

As per the SOP, the applications from Indian FinTechs having global ambition and foreign FinTechs seeking entry into India, shall be referred to the Authority, for taking forward the proposals, as the Authority will be the Principal Regulator for all such applications.



Advocacy and Outreach

MoU with Gujarat Venture Finance Limited

An MoU was exchanged between IFSCA and Gujarat Venture Finance Limited on April 7, 2022, to boost the FinTech ecosystem in GIFT IFSC.

MoU with Department of Space


An MoU was exchanged between IFSCA and ISRO in the presence of the Hon’ble Prime Minister on July 29, 2022, to explore possibilities of convergence between FinTech and SpaceTech. As part of the MoU, Department of Space (DoS) may provide subject matter experts to help in the technical evaluation of FinTechs or TechFins and may provide handholding and guidance to SpaceTechs authorized as FinTech Entity by the Authority in areas related to space related datasets.

Under the MoU, IFSCA and DoS agreed to collaborate to facilitate development of the emerging space economy including lunar economy, space tourism, and other convergent areas with the financial sector.

FinTech Co-operation Agreement between IFSCA and MAS

A FinTech Cooperation Agreement between MAS and IFSCA was signed on September 18, 2022, in the presence of Mr Lawrence Wong (Hon’ble Deputy Prime Minister, Minister for Finance and Deputy Chairman of MAS).

The ‘FinTech Co-operation Agreement’ aims to promote cross-border collaboration in financial services through the IFSCA regulatory sandbox and the MAS regulatory sandbox to encourage experimentation of innovative financial products or services, including potential cross border testing with industry players from both India and Singapore.



This would be implemented via a “tiered” approach which includes a referral mechanism (Tier-1) followed by an application to the IFSCA regulatory sandbox and/or MAS regulatory sandbox (Tier-2), and subsequently, if permitted, cross-border testing within the regulatory sandboxes of IFSCA and MAS respectively.

The Authority and MAS will promote novel use cases that require global collaboration and suitable use cases may be considered for Global Regulatory Sandbox (Tier-3). Further, wherever appropriate, relevant participants from other jurisdictions may be invited for participating in the sandbox.

MoUs with FinTech Hubs

MoUs were signed with the following domestic FinTech hubs and bodies to augment the FinTech ecosystem at GIFT IFSC:

- i) T-Hub foundation - October 21, 2022
- ii) Karnataka Digital Economy Mission (KDEM) - December 17, 2022
- iii) IIMK LIVE - March 27, 2023

An MoU was also signed with the Israel FinTech Center based in Tel Aviv, Israel on February 15, 2023, to boost the FinTech ecosystem in India and Israel.

I-Sprint’22

In continuation to I-Sprint’ 21, Global Hackathons (named I-Sprints’22) were conducted in partnership with various organizations to promote innovation. A total of three Sprints (Sprint 5, 6 and 7) were held in which 229 applications were received as on March 31, 2023.

i) Sprint05 - Innovation Day

Partners- UK Government’s Foreign and Commonwealth Development Office (FCDO) and PricewaterhouseCoopers (PwC) Pvt. Ltd

Themes- Longevity Finance, Sustainable Finance, Cross Border Transactions
Number of Applications- 22
Finalists- 14

ii) Sprint06 - RegTech Cohort

Partners- Department of Science and Technology, RBI, SEBI, GIFT City, Deloitte, BSE, India INX, YES Bank, Bahwan CyberTek, Qapita, Sprinto and Zone StartUps.

Theme- Regulatory Tech (RegTech)
Number of Applications- 33
Shortlisted for virtual pitch- 22
Selected Applicants- 17
Finalists/Winners (Including Program Partners’ Prize)- 4

iii) Sprint07 - InnovateIN48 Ideathon

Partners- FIS, Amazon Web Services, Hedera Hash-graph, Ideas to Innovate

Themes i) Data Innovation ii) AI in FinTech iii) Digital Assets
Number of Applications- 174 from 10 Countries
Shortlisted- 9 (3 in each theme)

Participation in Global FinTech Fest (GFF) 2022

The GFF 2022 was held at Jio World Centre, Mumbai by FinTech Convergence Council, Payment Council of India (PCI) and National Payments Corporation of India (NPCI) from September 19 to 22, 2022, with the theme “Creating a Sustainable Financial World- Global/Inclusive/Green”. IFSCA participated in the event to showcase its FinTech initiatives.

International Engagements

Singapore FinTech Festival (SFF) 2022

The 7th edition of the Singapore FinTech Festival 2022 was held in Singapore from October 31 to November 5, 2022.

An IFSCA booth was set up to promote the visibility of its pioneering FinTech initiatives like FinTech Entity Framework, FinTech Incentive Scheme, FinTech Bridges, etc.

IFSCA delegation took part in the Innovation Lab Crawl as part of the Singapore FinTech Week wherein innovation labs across Singapore opened their doors and showcased their up-and-coming FinTech innovations and projects.

As part of the Singapore FinTech Week, the delegation also took part in the World Bank and BIS Innovation Hub Reception, and in the Capital Meets Policy Dialogue.

LongeviTech TLV 2023 Conference, Israel

IFSCA delegation took part in the LongeviTech TLV 2023 Conference on Longevity Finance held on from February 13 to 14, 2023, in Tel Aviv, Israel.

In addition to participating in regulatory roundtables and panel discussions, an IFSCA booth was set up at the Conference to promote the visibility of its pioneering FinTech initiatives like FE framework, FinTech Incentive Scheme, etc.

During the visit, an MoU was signed with the Israel FinTech Center, and meetings were held with the financial sector regulators, Bank of Israel, and the Israeli Securities Authority in Tel Aviv, to promote cooperation on FinTech.

Asian Digital Finance Forum & Awards 2023, Sri Lanka

IFSCA was conferred the recognition of “Outstanding New Asian Regulatory and Technological Innovation in Financial Services” at the “Asian Digital Finance Forum & Awards 2023” organised by Asian FinTech Academy (AFTA) at Hilton Colombo, Sri Lanka on March 19, 2023 under the leadership of FinTech Association of Sri Lanka (FASL).



Image 6.1: Shri Joseph Joshy, CTO, IFSCA receiving the “Outstanding New Asian Regulatory and Technological Innovation in Financial Services” award on behalf of IFSCA

The following parameters were taken into consideration by the Evaluation Committee for the awards:

- i) Innovative FinTech Entity Regulatory Framework
- ii) Built-in sandbox construct that helps FinTechs to pivot from innovation to regulatory sandboxes
- iii) I-Sprint Global Hackathons across banking, insurance and market areas
- iv) Leadership in identifying emerging areas like Distributed Ledger Tech, Sustainability, QuantumTech, SpaceTech, Longevity FinTech and Web 3.0
- v) Incentive schemes for FinTechs especially with dedicated grant/focus on “Green/Sustainability” areas.

In addition, the CTO delivered a talk at the event to acquaint the participants from Sri Lanka, Malaysia, Singapore and Hongkong with the FinTech Entity Regulatory Framework and the Incentive Scheme of IFSCA.

Policies and programmes for the following year

"The initiatives associated with GIFT City are also a part of our efforts towards 'ease of doing business' and 'ease of living'. We have to remember that a vibrant FinTech sector does not mean just an easier business climate, reforms and regulations, it is also a medium of providing a better life and new opportunities to the professionals working in different fields."

- Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi

I-Sprints on emerging areas are being planned for FY 2023-24. It is also planned to maintain the ongoing focus on execution of the IFSCA FinTech Incentive Scheme 2022.

Besides the current engagements of the Authority with external organizations, MoUs are being planned with overseas regulators (towards building FinTech Bridges), and FinTech Hubs (both domestic and international) and relevant stakeholder groups to further the growth of the FinTech ecosystem at GIFT IFSC.



INSURANCE

As John Allen Paulos rightly said, “Uncertainty is the only certainty there is, and knowing how to live with insecurity is the only security”. In a turbulent world, the value of life and property of individuals stands threatened at the hands of death and destruction. Businesses fear expansion in the absence of any security against financial losses due to uncertain events. Insurance helps overcome these fears by sharing over many the risks that accrue to a few.

The concept of insurance isn’t new. The first life insurance policy goes back to early 18th century. Apart from the risk management view, insurance industry also plays a crucial determining role in the economy. With huge financial resources at disposal, their investment decisions have bearing on financial stability in the markets.

GIFT IFSC, with its unique and strategic placement in the region, bears plethora of opportunities to add to the exponential growth of insurance sector. In the near future, it is envisaged to gain prominence as a global insurance and re-insurance hub. With the objective of making India Atma Nirbhar (self-reliant) in meeting its own insurance and re-insurance needs, IFSCA aims to make IFSC as a bridge where Indian and foreign insurers can have access to other jurisdictions through conducive regulatory policies and framework.

Regulatory Framework

- (a) To facilitate the growth of insurance & re-insurance sector and to provide best in class regulatory framework that is at par with global standards, the Authority had issued the following three regulations in IFSC in the FY 2021-22:
 - i) IFSCA (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021
 - ii) IFSCA (Insurance Intermediary) Regulations, 2021
 - iii) IFSCA (Insurance Web Aggregator) Regulations, 2022

- (b) As a step forward to provide light touch regulatory framework and to strengthen the supervisory aspects, the following regulations were approved for notification by the Authority in the FY 2022-23
- i) IFSCA (Investment by IFSC Insurance Office) Regulations, 2022
 - ii) IFSCA (Manner of Payment and Receipt of Premium) Regulations, 2022
 - iii) IFSCA (Insurance Products and Pricing) Regulations, 2022
 - iv) IFSCA (Appointed Actuary) Regulations, 2022
 - v) IFSCA (Maintenance of Insurance Records and Submission of Requisite Information for Investigation and Inspection) Regulations, 2022
 - vi) IFSCA (Preparation & Presentation of Financial Statements of Investment by IFSC Insurance Offices) Regulations, 2022
 - vii) IFSCA (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Life Insurance business) Regulations, 2023
 - viii) IFSCA (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of General, Health and Re-insurance business) Regulations, 2023
 - ix) IFSCA (Management Control, Administrative Control and Market Conduct of insurance business) Regulations, 2023
 - x) IFSCA (Re-insurance) Regulations, 2023
- (c) Important features of these regulatory frameworks are as under –
- i) IFSCA (Manner of Payment and Receipt of Premium) Regulations, 2022 were framed consequent to the carve-out provided by GoI vide S.O. 3035(E) dated July 4, 2022, on applicability of section 64VB of the Insurance Act, 1938 in the IFSC jurisdiction. As per the said section, no insurer shall assume any risk in India in respect of any insurance business until the premium payable is received by it in advance. This makes Indian insurance industry cash before cover i.e., upfront payment of premium before assumption of risk is a must. Now, consequent to the carve-out by GoI and as specified by these regulations, IFSC Insurance Offices (IIOs) may assume the insurance risk with or without receipt of premium in advance. The contract of insurance between IIO and the insured will be the base for assumption of insurance risk.
 - ii) IFSCA (Investment by IFSC Insurance Offices) Regulations, 2022 were also framed consequent to the carve-out provided by GoI vide S.O. 3035(E) dated July 4, 2022, on applicability of sections 27, 27A, 27B, 27C, 27D and 27E of the Insurance Act, 1938 in the IFSC. This enables IIOs to make investments in foreign jurisdictions, including India. The regulations also introduce the concept of Sovereign Credit Rating (SCR) based investment limits and do away with granular prescriptions on investments.

- iii) IFSCA (Insurance Products and Pricing) Regulations, 2022 provide for light - touch and principle - based approach for designing, pricing, and marketing of product without prior approval of the Authority. Product approvals in the domestic market fall either under Use & File (U&F) or File & Use (F&U). In the spirit of international competitiveness and ease of doing business, the Authority has done away with both these mechanisms and has provided a regime which entrusts the IIOs with the responsibility to manage their affairs on their own without need for any specific approval of the regulator. However, it may be pertinent to highlight here that adequate safeguards have also been put in place to empower the regulator to step in if the situation warrants.
- iv) Actuaries play a crucial role in the operation and profitability of any insurance business. The IFSCA (Appointed Actuary) Regulations, 2022 aim to lay down the regulatory framework for the persons who are authorised to perform the role and discharge the functions of 'Appointed Actuary' for the IFSC Insurance Offices. These regulations, *inter-alia*, provide for aspects related to appointments, powers, duties and obligations of Appointed Actuary. To ease operations for IIOs set up in an unincorporated form, Appointed Actuary of the parent entity is permitted to be eligible for appointment as the Appointed Actuary of such IIOs.
- v) IFSCA (Maintenance of Insurance Records and Submission of Requisite Information for Investigation and Inspection) Regulations, 2022 aim to specify minimum information that is required to be maintained by the IIO and IIIO, for the purposes of investigation and inspection, so as to enable the investigating officer to discharge his/her functions satisfactorily, under section 33 of the Insurance Act, 1938. These regulations, *inter-alia*, provide for maintenance of policy and claims records, maintenance of data, records, information etc. as per the provisions of the Insurance Act, 1938; maintenance of records of employees; and checks and other verifications.
- vi) To further strengthen the regulatory framework and promote ease of doing business so far as preparation & presentation of financial statements of IIOs is concerned, the Authority has notified IFSCA (Preparation & Presentation of Financial Statements of IIOs) Regulations, 2022 that focus on aspects of preparation & presentation of financial results in line with international best practices and principles. While IIOs that are set up in an unincorporated form, shall prepare their financial statements in accordance with the accounting standards applicable to its parent entity, accounting standards applicable to IIOs that are set up in an incorporated form are specified in these Regulations. However, in the spirit of uniform approach towards presentation of financial statements, common formats have been specified for all IIOs, whether set up in an incorporated form or otherwise.
- vii) Reinsurance (RI) helps in stabilising insurance business environment. Considering the importance of RI activities in a financial ecosystem, various jurisdictions have evolved as platforms for reinsurance solutions in the global market. For GIFT IFSC to become a global RI Hub, it needs a robust pool of RI participants, who can offer capacity to

offshore markets. The IFSCA (Re-insurance) Regulations, 2023 adopt and keep pace with international benchmarks with respect to both regulation and business practices. These regulations deal with re-insurance activities of the IIOs, and *inter-alia* provide for detailed framework for oversight and control of inward and outward arrangement of reinsurance by the IIOs.

- viii) Solvency of insurance companies is of prime importance from a supervisory perspective. Ensuring adequate solvency safeguards the interests of the policyholders which is the underlying theme of regulatory and supervisory effort. In this spirit, the Authority came out with the IFSCA (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Life Insurance business) Regulations, 2023 and IFSCA (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of General Insurance and Re-insurance business) Regulations, 2023. These regulations, *inter-alia*, provide for the regulatory requirements towards maintenance of capital and solvency margins by IIOs for transacting insurance business in the IFSC. The IIOs that are set up in an unincorporated form, shall be allowed to maintain their capital requirements in accordance with the home country regulations. For IIOs in an incorporated form, capital requirements shall be maintained under these regulations. Separate schedules have also been added to cover the aspects of valuation of assets and format for statement of admissible assets, determination of amount of liabilities and statement of admissible liabilities, determination of solvency margin, etc.
- ix) IFSCA (Management Control, Administrative Control and Market Conduct of insurance business) Regulations, 2023 is a comprehensive set of regulations. These regulations *inter-alia* provide for change in shareholding pattern and management control, internal administrative controls, expenses of management, payment of commissions, places of business, outsourcing of activities, sharing of confidential information concerning domestic or foreign entity, distribution of surplus to policyholders, acquisition of surrender and paid-up values of life insurance policies, minimum limits for annuities and other benefits, advertisements, policyholders' protection, etc.

Trends and Transactions

Financial Services/ Products at GIFT IFSC:

Registration of entities as on March 31, 2023

- a) IFSC Insurance Offices (IIOs) - The Authority has issued registration to six (re)insurers to transact business in the IFSC. In addition to the four (re)insurers from India, that had already established their place of business in the IFSC, two new (re)insurers, both from foreign jurisdictions, namely Axa France IARD, France and HDFC International Life & Re Co. Ltd., Dubai, have opened their branch office in the IFSC.
- b) IFSC Insurance Intermediary Offices – The Authority has issued registration to 17 insurance brokers to transact business from the IFSC. All are branch offices of insurance brokers registered in India.
- c) One application of IIO and five applications of IIIIO are under process with the Authority.

Table 7.1: Number of IIOs and IIIIOs operating in the IFSC.

Particulars	FY 2020-21	FY 2021-22	FY 2022-23
IFSC Insurance Offices	4	4	6
IFSC Insurance Intermediary offices	14	15	17
Total	18	19	23





Fig 7.1: Classification of IIIIOs

Business Transactions at the IFSC:

(a) IFSC Insurance Office: -

In the FY 2022-23 the IIOs had booked premium of USD 84 Mn as compared to USD 72 Mn in FY 2021-22. The financial year- wise business underwritten by the IIOs for previous five years is as under: -




*Data for FY 2022-23 is Provisional

Fig. 7.2: Business underwritten by IIOs.

(b) IFSC Insurance Intermediary Office:

In the FY 2022-23 the IIIOs had transacted (re)insurance premium of USD 227 Mn, as compared to USD 223 Mn in FY 2021-22. The financial year wise transactions of IIIOs for the previous five years are as under: -



*Data for FY 2022-23 is Provisional

Fig 7.3: Business transacted by IIIOs.

Advocacy & Outreach

Participation at IAIS events

- 2022 Global Seminar at Croatia

With the resonant theme of insurance sector resilience, the IAIS Global Seminar was held with participation of over 350 participants from 70 countries, including IFSCA at Dubrovnik, Croatia, from June 16 to 17, 2022. Together, panelists and participants engaged and exchanged views on the steps needed to strengthen insurance sector resilience following the unprecedented challenges of Covid faced in the past two and a half years.

- 2022 IAIS Annual Conference at Chile

The IAIS' annual flagship event, the 2022 Annual Conference had over 400 participants from 60 jurisdictions, including IFSCA, at Santiago de Chile during November 10–11, 2022.

Panelists and participants engaged in rich conversations, exploring the changing landscape and the role of insurance sector in meeting emerging economic and social challenges. Diversity, equity and inclusion; changing consumer preferences; macroeconomic risks; climate risk and Insurance Capital Standard (ICS) were the key areas. A joint IAIS- IMF workshop on risk-based solvency and an Access to Insurance Initiative (A2ii) session on the conclusions from its innovation labs were also held.

Memorandum of Understanding (MoU) with National Insurance Academy (NIA)

IFSCA, with an objective of capacity building and providing skilled talent pool in the insurance sector in IFSC, has entered into an MoU with the National Insurance Academy.

IFSCA aims to develop a strong global connect and focus on the needs of the Indian economy as well as to serve as an international financial platform at regional/global level. Insurance is an emerging sector at IFSC, and the MoU with NIA would go a long way in capacity development in the field of insurance.

NIA is a premier institution devoted to equipping the insurance industry with the best of talents. NIA has been involved in devising and continuously upgrading the curriculum and imparting training to the insurance industry in India.

This MoU endeavours to build required skilled manpower for IFSC. With the focus to address the need of IFSC Insurance entities, IFSCA had also executed an MoU with Insurance Institute of India (III).

Policies and programmes for the following year

As pointed out in the Economic Survey 2022-23, India is poised to emerge as one of the fastest-growing insurance markets in the coming decade. The competitive and conducive regulatory environment at GIFT IFSC will go a long way in supporting the growth of the insurance market.

Partnerships, such as the Authority's association with the International Association of Insurance Supervisors (IAIS), enhance its access to supervisory information and help to establish better communication and cooperation amongst supervisors. Thus, expedited efforts are being made towards the successful conclusion of the Multilateral MoU between the Authority and the IAIS.

Various inter - regulatory issues are proposed to be taken up on priority basis to aid ease of doing business for entities wishing to set up presence in the IFSC. Since entities are allowed to be set up in an unincorporated form also in the IFSC, coordinating with the parent regulator of such units becomes crucial for their seamless operations.



GLOBAL IN-HOUSE CENTRES

In the last two decades, India has emerged as a leading hub for Global In-house Centres (GICs) owing to its inherent strengths such as availability of highly skilled talent pool and competitive cost of operations. Essentially, GICs are offshore centres that perform designated in-house functions for large corporates and organizations.

Financial Sector GICs in India initially started as offshore back-end processing centres for the parent companies offering technological solutions by leveraging low-cost talent pool. Over the years, GICs have started playing a strategic role at global level and have evolved as innovation centres offering advanced services in areas such as analytics, risk management, fraud prevention, etc.

To enable the GIC business in GIFT IFSC, the Central Government, on the recommendation of IFSCA, notified GICs as a financial service under the IFSCA Act, 2019 to provide services relating to financial products and financial services. Subsequently, IFSCA notified the Global In-House Centres Regulations, 2020 which permitted entities belonging to any financial services group to set up a GIC in the IFSC.

There are multiple institutions that have established GICs in the GIFT-IFSC. These GICs are expected to have a combined employment strength of over 2500. Major MNCs from the financial sector, including renowned banks like Bank of America, auditing and assurance service providers, and securities and capital market firms, have established their GICs in GIFT IFSC.

Advocacy and Outreach

IFSCA has been actively engaging with the industry and collaborating with government agencies and GIFT City authorities. Continuous efforts have been made to provide the necessary infrastructure required by these large corporates. Notable advancements have been made in GIFT IFSC in terms of office space, commuting facilities, recreational amenities, etc.

Policies and programmes for the following year

In line with IFSCA's vision for the future, several initiatives have been identified to promote GICs within GIFT IFSC. Recognising the significance of GIFT IFSC as a hub for GIC and IT/ITeS, an expert committee will be established to spearhead its development.

Efforts will be made to raise awareness among potential investors about the availability of skilled talent pool for GICs in and around GIFT City. Collaboration with the State Education Department of Gujarat and GIFT City Company Limited will be prioritised to ensure the provision of comprehensive and up-to-date data pertaining to the skilled workforce.

In close collaboration with the Government of Gujarat, awareness and branding events will be organized to promote GIFT-IFSC as a premier destination for GICs in the country. To expand outreach and engage with potential investors, physical roadshows will be conducted across various prominent cities in India that have already established themselves as leaders in the GIC space.


These concerted efforts aim to position GIFT IFSC as a preferred choice for GICs, leveraging its robust ecosystem and strategic advantages.



SUSTAINABLE FINANCE

Global Scenario

Globally, sustainable finance is emerging as one of the most important areas for governments, policy makers, standard setting bodies and other stakeholders. As per a report by Climate Bonds Initiative (CBI), a total of USD 858.5 Bn Green, Social, Sustainable, and other labelled (GSS+) bonds were issued in 2022, bringing the cumulative total to USD 3.7 trillion. The report also indicates that while GSS+ volumes dropped YoY for the first time in a decade, its five per cent contribution to global bond market issuance was maintained.²⁴



Source: Global State of Market Report by Climate Bond Initiative 2022 (data as on December 31, 2022)

Fig 9.1: Volumes of Green, Social, Sustainable and Other Labelled (GSS+) bonds in 2022

²⁴ Global State of Market Report 2022 by Climate Bond Initiative

Sustainable Finance at IFSC

"... today India is leading the world in the field of sustainable development. We have set a target of net zero carbon emissions for ourselves. At the national level, we are pursuing the GatiShakti Master Plan and setting new records for renewable energy and e-mobility. Internationally, India is leading the International Solar Alliance. This is one area in which our dedication will open up immense possibilities. I want GIFT IFSC to be a gateway to global debt and equity capital for sustainable and climate projects."

**- Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi
at the launch of NSE IFSC International Sustainability platform**

The Hon'ble Prime Minister of India at COP26 announced 'Panchamrits' which will be an unprecedented contribution of India to climate action. Further, the GoI updated its Nationally Determined Contribution (NDC) and launched several initiatives including National Hydrogen Mission and Mission LiFE.

The Hon'ble Union Finance Minister, in her budget speech in 2022-23 mentioned that *"services for global capital for sustainable & climate finance in the country will be facilitated in the GIFT City"*. Keeping this mandate in mind, the Authority is strategically focused on the development of sustainable finance at IFSC across capital markets, banking, insurance and fintech with the aim to develop the necessary eco-system and act as a gateway for global sustainable capital flows into India.

Policy and Regulations

The Authority, during F.Y. 2022-23, has taken various regulatory and policy initiatives to mobilise finance towards green and sustainable projects, including the following:

- a) Sustainable lending by IBUs
- b) Sustainability Disclosures by Fund Management Entities
- c) Framework for ESG Schemes

Sustainable Lending by IBUs/FCs

The Authority issued a 'Guidance Framework for Sustainable and Sustainability linked lending by Financial Institutions' on April 26, 2022, to promote sustainable lending by IBUs and FCs. The core components of the framework are highlighted below:

- a) The framework mandates IBUs and FCs/FUs, who engage in lending as a permitted activity, to develop a comprehensive board-approved policy on green/social/sustainable/sustainability-linked lending by March 31, 2023. This

framework will in turn allow lenders to label long- term and short- term financing accordingly.

- b) Further, such entities shall have at least 5 per cent of their gross loans and advances directed towards green/social/sustainable/sustainability-linked sectors/facilities, starting from April 1, 2023.
- c) The guidance framework proposes these entities to incorporate assessment process, reporting mechanisms, and monitoring process within the framework, for alignment with international standards.
- d) The framework mandates these entities to report the details of lending under green/social/sustainable/sustainability-linked categories on a half-yearly basis.

Sustainability Disclosures by Fund Management Entities

To encourage Fund Management Entities (FMEs) to incorporate sustainability-related risks and opportunities in investment decision making, the Authority has included a chapter on ESG in IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022. The regulations mandate large FMEs (AUM above USD 3 Bn) to have additional requirements (mentioned below) related to ESG factors.

Table 9.1: Additional requirements related to ESG factors.

Particulars	Remarks
Governance	Establish policy on governance around material sustainability-related risks and opportunities.
Risk management	Disclose how the fund manager identifies, assesses, and manages material sustainability-related risks.
Investment Strategy	Establish and disclose the process of factoring sustainability-related risks and opportunities into fund manager’s investment strategies.

ESG Schemes

To promote consistency, comparability and reliability in disclosures concerning ESG schemes, the Authority has issued the framework for ESG schemes which *inter-alia* covers requirements relating to initial and periodic disclosures, ongoing monitoring, and performance evaluation.

Box 9.1: Salient features of “Framework for Disclosures by Fund Management Entities for Environmental, Social or Governance (ESG) Schemes”

Applicability

The circular is applicable to such retail schemes, exchange traded funds (ETFs), restricted schemes and venture capital schemes, which have terms, such as ‘Environment’, ‘Social’, ‘ESG’, ‘Green’, ‘Sustainability’ or any combination thereof or similar terms, incorporated in their names, or represent or market themselves as ESG focused schemes.

Initial disclosures

For every ESG scheme launched by an FME, the FME shall ensure the following:

Name of the Scheme: The name of an ESG scheme should be reflective of its ESG focus and consistent with its ESG-related investment objectives and investment strategy.

Investment Objective: FME should transparently disclose the nature and extent of the scheme’s ESG-related investment objectives, including details of the primary components of sustainability addressed by the scheme.

Investment Strategy: Detailed explanation of type of investment strategy, including ESG-related investment strategy, that FME intends to pursue which amongst others may be towards Integration, Impact Investing, Engagement, Transition for hard-to-abate and other emission-intensive sectors, etc.

Risks and Risk Management Practices: FME managing an ESG scheme should disclose all the specific risks that arise on account of the scheme’s pursuit of ESG-related investment objectives, related investment strategies and processes in addition to all the other material risks faced by the scheme.

Periodic Disclosures for ESG Schemes: For every ESG scheme, the FME shall disclose on a half-yearly basis for a retail scheme and on annual basis for other types of schemes, the compliance with the stated ESG-related investment objectives of the scheme, ESG-related performance, actual proportion of the investable corpus/assets under management invested as per the stated ESG-related investment objectives, Key findings/Major observations of Internal audits or third-party validation, if any, etc.

Monitoring and Compliance: The FME should undertake, on a half-yearly basis for a retail scheme and on annual basis for other types of schemes, assessment of their compliance with the stated ESG-related investment objectives of the schemes, measurement of the ESG-related performance of the scheme by evaluating any pre-determined KPIs, expected outcomes and other relevant factors and submit a declaration.


The framework prescribed by the Authority is principle-based, and largely aligned with international best practices. Considering the transition needs of India and other emerging markets, the framework issued by the Authority enables strategies such as:

- a) **Transition Funds** for investing in hard-to-abate and other emission-intensive sectors with the objective of reducing GHG emissions.
- b) **Engagement Funds** for investing in companies wherein the fund manager effectively engages with companies to improve their ESG scoring/profile.

ESG Labelled Debt Securities

As on March 31, 2023, the cumulative listing of all the ESG labelled debt securities on the recognised stock exchanges in the IFSC is USD 9.28 Bn, out of which debt securities totalling to USD 2 Bn have been listed in FY 2022-23.

The figure below depicts cumulative ESG labelled debt listings on the IFSC exchanges for the last 3 years.



Source: India INX and NSE IFSC

Fig 9.2: Cumulative Listing of ESG-labelled debt securities on IFSC Exchanges (USD Bn)

Expert Committee on Sustainable Finance



Image 9.1: Committee of Experts on Sustainable Finance submits Report to Chairperson, IFSCA

The Authority constituted a ‘Committee of Experts on Sustainable Finance’ (“Expert Committee”), in September 2021, to recommend approach towards development of Sustainable Finance Hub at IFSC and provide a road map for the same. The Committee, chaired by Shri C.K. Mishra, Former Secretary to Government of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, has submitted its final report on October 3, 2022. The key recommendations of the Expert Committee include:

- a) *Transition Financing:*** The Authority to issue specific guidelines/framework for transition bonds, enabling carbon intensive industries/sectors to raise global capital for gradual transition towards net-zero.
- b) *Partnership with stakeholders:*** The Authority to lead initiatives and actions towards creation of a global climate alliance by partnering with policy thinktanks, standard setting bodies, industry associations and academic institutions among others.
- c) *Voluntary Carbon Markets:*** The Authority can bolster IFSC’s sustainability credentials by championing the voluntary carbon market and creating it in IFSC.
- d) *Capacity Building***
 - i) The Authority to engage with ESG and climate risk experts like Council on Energy, Environment and Water (CEEW), Climate Bonds Initiative, UNDP Financial Centres for Sustainability (FC4S) and auctus ESG among others for creating skill enhancement programs to bridge the knowledge gap and enhance professional capacity within the IFSC.

- ii) The Authority to engage with relevant international organisations to train regulators, policymakers, and key managerial personnel of systemically important financial institutions.
- iii) The Authority to create an institutional-level framework for capacity building specific to the type of financial institution. This framework can incorporate mandatory certifications/trainings on key areas related to sustainability.

e) Promote Innovation, New Products and Services

- i) The Authority to facilitate the structuring and issuance of innovative green products through regulatory framework and guidelines to attract private foreign capital.
- ii) The Authority to promote regulatory sandbox for Green FinTech in order to boost investments in green technology through IFSC.
- iii) The Authority to facilitate blended finance mechanism at IFSC by attracting concessional financing from multilateral development banks (MDBs) and development finance institutions (DFIs), thereby reducing the financial risks of private and commercial investors.
- iv) The Authority to create an enabling regulatory framework for MDBs to offer products like Risk Sharing Facilities and Partial Credit Guarantees.
- v) The Authority could encourage setting up of impact funds within IFSC and can create guidelines for investors looking to see a social return on their capital.
- vi) The Authority could facilitate development of a dedicated lending platform for green/sustainable projects in the MSME sector. The platform will provide opportunity to MSMEs to avail green/sustainable financing through IFSC.
- vii) The Authority to facilitate formation and development of green aggregation vehicles (REITs, InvITs, ETF) and facilitate their listing on stock exchanges within IFSC to encourage capital flows.

f) Sustainability Reporting

- i) The Authority to mandate reporting on non-financial parameters, with a special focus on climate risk by IBUs and FIs in a phased manner. These disclosures may be voluntary initially, paving the way for mandatory disclosures.
- ii) The Authority to strive towards standardisation of climate disclosures by entities.

g) G20 Engagement

The Authority to engage with GoI on the subject of India's presidency of G20 in the areas of sustainable finance and climate actions.

G20 Sustainable Finance Working Group - Knowledge Partner

IFSCA is the domestic knowledge partner of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance (DEA, MoF), GoI for Sustainable Finance Working Group (SFWG) as part of India's G20 Presidency. As a knowledge partner, IFSCA is responsible for providing inputs for presidency papers, concept notes for the side events, research, and inputs for the key deliverables amongst other things. IFSCA contributed to the G20 input paper - *"Building capacities to accelerate sustainable finance and manage climate and sustainability risks"*.

Advocacy and Outreach

FC4S

The Financial Centres for Sustainability (FC4S) Network is a growing collective of the world's financial centres which is supported by UNDP Secretariat. It consists of 39 members and the entities representing financial centres include regulators, public-private agencies, and market associations. The objective of FC4S is to accelerate the expansion of sustainable finance by enabling financial centres to evaluate the state of sustainable finance and to provide the tools and insights to engage local institutions, inform and influence policy, and ultimately accelerate market transformation.

IFSCA is a member of the FC4S Network and participated in the Annual General Meeting (AGM) held on October 20, 2022, in Casablanca, Morocco. During the AGM, the progress and focus areas of member financial centres and initiatives of FC4S were discussed with the objective to design the roadmap and action plan for FC4S.

MoU between IFSCA and the Council on Energy, Environment and Water (CEEW)

IFSCA and the CEEW have signed an MoU for mutual assistance and cooperation in the area of sustainable finance. IFSCA and CEEW are collaborating through this wide-ranging MoU, which includes research and joint convenings. The MoU, focusing on broad areas of sustainable finance, is a step towards achieving climate goals and mobilising global capital, through IFSCA, for enabling sustainable development.

Policies and programmes for the following year

The Authority has planned several initiatives for the next FY with respect to sustainable finance, including the following:

- i) **Transition Finance:*** Tackling climate change by limiting the global temperature rise to 1.5 degree Celsius is fundamental not just for achieving Paris agreement but also SDGs. This requires fundamental change in the way business is being done across all sectors of the economy. This will be particularly true for the industries which fall under hard-to-abate sectors. However, mobilisation of funds towards climate action has been restricted to certain sectors of the economy. There is a need to finance hard-to-abate and emission-intensive sectors such as steel, cement, aviation, oil and gas, shipping, and chemicals for an orderly transition towards a low-carbon future. This is very significant for developing countries, including India.

The Authority is working on developing a regulatory framework for mobilising foreign capital through various transition finance instruments, particularly addressing the needs of Indian entities in these sectors.

- ii) **Voluntary Carbon Markets:*** The voluntary carbon market is rapidly growing globally. The Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets, with knowledge support from McKinsey, estimates that the market for carbon credits could be worth upward of USD 50 Bn in 2030. Considering that India is one of the largest exporters of voluntary carbon credits, the Authority is considering enabling international voluntary carbon markets at IFSC.
- iii) **Centre of Excellence for capacity building:*** The Authority is working with relevant partners to setup Centre of Excellence for capacity building on sustainable finance. The goal is to create institutional level framework for capacity building and engage with experts from international institutions, academia, and other stakeholders for building a skilled ecosystem at systemic, institutional, and individual levels to support sustainable finance both regionally and globally.
- iv) **Innovative Products:*** The Authority aims to create enabling regulatory ecosystem, to put in place de-risking mechanisms and blended finance with the help from various MDBs.





ANCILLARY SERVICES

International Financial Centres are jurisdictions with high concentration of both financial services firms such as Banks, Capital Market entities, Insurance firms, Fund Managers, Fintech firms as well as professional services firms providing services in fields of Audit and Accountancy, Taxation, Legal, Consulting and Advisory services etc. Professional services firms are quintessential for the development of an international financial centre as they aid and assist the delivery of financial services by financial institutions. Globally, the growth of financial firms and financial markets are predicated on the growth and concentration of high-quality professional services firms.

Considering the inherent importance of professional services firms in developing a robust financial services market in GIFT IFSC, the Authority in February 2021 issued the framework for enabling Ancillary Services at IFSC.

Framework for enabling Ancillary services at IFSC

Ancillary Services are defined as services which directly or indirectly aid, help, assist or strengthen or are attendant upon or connected with 'services' as defined under section 3 of IFSCA Act, 2019.

The permissible ancillary services under the framework are as follows:

- i) Legal, Compliance and Secretarial
- ii) Auditing, Accounting, Book-keeping and Taxation Services
- iii) Professional & Management Consulting Services
- iv) Administration, Assets Management Support Services and Trusteeship Services
- v) Any other services as approved by IFSCA from time to time

The following entities are eligible to act as a service provider so as to provide permissible ancillary services pertaining to activities in relation to financial products, financial services and financial institutions in the IFSC:

- i) Any existing or newly incorporated entity set up in the IFSC
- ii) Any Indian or foreign incorporated entity by establishing a branch or a subsidiary

The entity may be set up in the IFSC in the form of a company or a limited liability partnership or a registered partnership firm, branch thereof or any other form as may be approved by the IFSCA.

Service providers can provide permissible services to any one or more of the following:

- i) Entities set up in IFSC
- ii) Entities from foreign jurisdictions for various permissible ancillary services in IFSCs in India or overseas
- iii) Indian entities who propose to open, set up or carry out operations in IFSCs or foreign jurisdiction, provided consideration is received in freely convertible foreign currency

Ancillary services are playing a significant role in creating employment opportunities for professionals in GIFT IFSC. More importantly, India’s inherent advantage in the availability of skilled talent pool across such professional services is being leveraged to create a robust professional services ecosystem in GIFT IFSC.

Trends and Transactions

Under the Ancillary Framework, IFSCA has granted authorisation to 46 entities as on March 31, 2023, out of which 18 entities²⁵ were granted Authorisation during Financial Year 2022-23.

Table 10.1: Activity-wise break up of ancillary services entities as on March 31, 2023

S. No.	Core Activity	No. of Authorised Entities
1	Legal, Compliance and Secretarial	7
2	Auditing, Accounting, Bookkeeping and Taxation Services	5
3	Professional & Management Consulting Services	16
4	Administration, Asset Management Support Services and Trusteeship Services	18
	Total	46

The ancillary services ecosystem is rapidly growing with leading professional services firms setting up operations in GIFT IFSC to provide services to IFSC entities as well as overseas clients.

²⁵ Including in-principle approval

Advocacy and Outreach

As part of industry engagement, IFSCA collaborated with statutory organisations such as Institute of Chartered Accountants of India and Institute of Company Secretaries of India and organised interactions with their members with a view to acquaint them with IFSCA regulations and frameworks.

Additionally, Ancillary services firms organised several webinars, roundtables, and conferences globally and within India to create awareness about opportunities, in areas of Banking, Funds, Insurance, Aircraft Leasing, etc.

Policies and programmes for the following year

- i) To enhance the business activities in GIFT IFSC, the Hon'ble Finance Minister in the Union Budget 2023-24 announced that amendment will be carried out under the IFSCA Act for incorporating statutory provision on ancillary services. Accordingly, IFSCA is carrying out necessary research and will propose required amendments in IFSCA Act to implement the above announcement.
- ii) The Voice-broking and Ship-broking services are proposed to be included in the list of permissible ancillary services under the Ancillary services framework.





AIRCRAFT LEASING

To enable the aircraft operating lease business in IFSC, the Authority issued 'Framework for Aircraft Operating Leases' on February 19, 2021, covering permissible activities, eligibility, capital requirement, registration and other compliances, for the aircraft leasing entities, post which the industry has shown great interest in the business opportunities emanating from IFSC.

Subsequently on May 18, 2022, a revised framework was issued by the Authority based on the regular feedback and interactions with various stakeholders, the Authority further widened the scope of the activities that could be undertaken under aircraft lease. The said Framework enabled leasing of 'Aircraft Ground Support Equipment' in the IFSC. It also specified regulatory requirements for undertaking financial lease and/or hybrid of operating and financial lease of aircrafts and Aircraft Ground Support Equipment. Further, it broadened the scope of providing asset management support services so as to extend it to assets leased by the entity or by its wholly owned subsidiary without the need for separate authorisation.

Box 11.1: Salient features of the 'Framework for Aircraft Lease'

Eligibility: To become a Lessor for undertaking permissible activities in IFSCs, the applicant must meet the eligibility criteria outlined in the Finance Company Regulations. This includes setting up operations in IFSC in the form of a Company, LLP, Trust, or any other form specified by the IFSCA.

Permissible Activity: Operating/Finance lease for an aircraft or an aircraft ground support equipment including the sale and lease back, purchase, novation, transfer, assignment and any such other similar transactions in relation to aircraft lease; Asset management support services for assets owned or leased out by the Lessor or by its wholly owned subsidiary in IFSC and any other related activity with the prior approval of IFSCA.

Capital Requirement: Aircraft lessors in IFSC are required to maintain minimum own funds at all times. The minimum owned fund requirement for entities undertaking operating lease and for those undertaking financial lease or hybrid of operating and financial lease are USD 0.2 million and USD 3 million respectively.

Prudential regulations: FCs intending to undertake finance lease in IFSCs must comply with prudential norms such as capital ratio, exposure ceiling, and liquidity coverage ratio. However, entities intending to undertake operating lease are exempt from these norms, provided they have a Board approved prudential policy and meet the fit and proper requirement set out by the Authority. All entities, regardless of the type of lease, must comply with KYC, AML, and corporate governance requirements as set out in the FC Regulations.

Advocacy and Outreach

Roadshow organised in Dublin

IFSCA delegation held roundtable discussions and one to one meetings with lessors, financiers, consultants and counsels during their visit to Dublin from October 12 to 14, 2022.

Airline Economic Event, Delhi

Airline Economics organised its first aircraft leasing focused event from February 28 to March 1, 2023 in Delhi, India. Event was attended by global leasing firms, IFSC leasing companies, airlines and other stakeholders in aviation leasing ecosystem. During the event, General Manager, IFSCA, delivered the keynote address on “Opportunities for Aircraft leasing at GIFT IFSC”.

Trends and Transactions

The first Aircraft leasing entity was registered with IFSCA on May 06, 2021, and the first aircraft was leased by an IFSC entity to a lessee in India on August 19, 2021, marking the beginning of onshoring the offshore aircraft leasing services through GIFT IFSC.

As on March 31, 2023, there are 15 lessors registered with the Authority. Further, four lessors have been granted in-principle approval and one application is under process. As on March 31, 2023, the lessors based at GIFT IFSC have leased 26 aviation assets including aircraft, engines, etc.



FOREIGN UNIVERSITIES AND INSTITUTIONS

"I suggest that we tie-up our financial ecosystem with non-finance colleges and the youth should be educated. After all, it is the youth who will become the earners and investors in the times to come. To inculcate the confidence of the people in these courses, they should be run on not-for-profit mode. GIFT City can also work on preparing a good roadmap and ground rules for this by looking at the performance of private players. This year's budget announcement regarding foreign universities in GIFT City will also benefit it."

- Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi

In a landmark policy reform that will pave the way for Foreign Universities & Institutions to establish their presence in GIFT IFSC, the Hon'ble Union Minister of Finance in the Union Budget 2022-23 announced, *"World Class Foreign Universities and Institutions will be allowed in the GIFT City to offer courses in Financial Management, FinTech, Science, Technology, Engineering and Mathematics, free from domestic regulations, except those by the IFSCA to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology"*.

The overall objective of this policy announcement is to develop GIFT IFSC as an international educational centre catering to both Indian and foreign students in specified disciplines, encourage research in areas of Banking, Insurance, Capital Market, Funds Management, FinTech, Longevity Finance, Sustainable Finance, Quantum Computing, etc. and nurture high-end human resources in finance, technology, and related fields.

In furtherance of the Union Budget announcement, Central Government in exercise of the powers conferred by sub-clause (xiv) of clause (e) of sub-section (1) of section 3 of the IFSCA Act, 2019 notified "courses offered in Financial Management, FinTech, Science, Technology, Engineering and

Mathematics by Foreign Universities or Foreign Institutions in International Financial Services Centres, as 'Financial Service' vide Gazette Notification dated May 23, 2022.

The Authority notified IFSCA (Setting Up and Operation of International Branch Campuses and Offshore Education Centres) Regulations, 2022 which were published in the Gazette of India on October 11, 2022. The enabling regulations provide a comprehensive and unified regulatory framework for a Foreign University and Foreign Education Institution to establish International Branch Campus (IBC) and Offshore Education Centre (OEC) in IFSC respectively.

Box 12.1: Salient Features of IFSCA (Setting Up and Operation of International Branch Campuses and Offshore Education Centres) Regulations, 2022

i) Definitions

International Branch Campus (IBC) shall mean a campus set up as a branch by a Foreign University, and Offshore Education Centre (OEC) shall mean a centre set up as a branch by a Foreign Educational Institution (other than a Foreign University); In GIFT IFSC on stand-alone basis, or in such other form as may be permitted by the Authority for the purpose of delivering courses including research programmes in the permissible subject areas, that are duly accredited under the relevant framework in their respective home jurisdiction, and is registered with the Authority.

ii) Permissible Subject Areas

Foreign University/Education Institution can offer courses including research programmes in the disciplines of Financial Management, FinTech, Science, Technology, Engineering and Mathematics in GIFT IFSC.

iii) Eligibility

- a) In case the Applicant is a Foreign University, it should have secured a position within top 500 in global overall ranking and/or subject ranking in the latest QS World Universities ranking.
- b) In the case of Foreign Educational Institution, the Applicant should be a reputed Institution in its home jurisdiction.
- c) The Applicant shall satisfy the Authority about its financial capability to establish and ensure the continuity of the proposed activities in GIFT IFSC.
- d) The Applicant shall undertake to put in place suitable infrastructure and facilities to conduct the courses including research programmes in the permissible subject areas.

iv) Registration

- a) An Applicant satisfying the eligibility conditions specified in these regulations, shall apply to the Authority, in the specified format, for the grant of registration to

conduct the courses including research programmes or/and executive education programmes in the permissible subject areas.

- b) An application received shall be referred to the Committee of Experts constituted by the GIFT Company Limited for appraisal and recommendations.
- c) Based on the recommendations of the Committee of Experts, the Authority may upon its satisfaction, at first instance, grant in-principle approval to the Applicant giving it 180 days' time to set up all required infrastructure, engage necessary manpower, etc.
- d) The Authority on being satisfied that the applicant fulfils all the conditions for the grant of registration, may issue a Certificate of Registration.

v) *Course Recognition*

- a) Any course or programme conducted by a registered entity in the GIFT IFSC shall be identical in all respects with the course or programme conducted by the Parent Entity in its home jurisdiction and identical degree, diploma or certificate shall be conferred upon the students of the IBC or OEC directly by the Parent Entity in the same manner as it confers to its students for the same course or programme in its home jurisdiction.
- b) The degree, diploma or certificate issued with respect to courses or programmes conducted in the GIFT IFSC shall enjoy the same recognition and status as if they were conducted by the Parent Entity in its home jurisdiction.

vi) *Safeguarding the interest of Students*

No IBC or OEC shall wholly or partially discontinue, suspend, or close any of its approved courses or programmes in the permissible subject areas for any reason without the prior written approval of the Authority. In the eventuality of disruption or discontinuation of a course or programme for any reason, it shall be the responsibility of the Parent Entity to provide an alternative to the affected students, including reallocation to the course or programme conducted by it.

Application Form for setting up of IBC or OEC in the IFSC

To enable Foreign Universities and Foreign Education Institutions to apply under the extant regulations, IFSCA vide circular dated February 23, 2023, issued the Application Form for setting up of IBC or OEC in the IFSC. The Application Form has been divided into two parts, Part A seeks information regarding the Foreign University/Institution in its home campus and Part-B relates to the applicant's proposal for establishing IBC/OEC in IFSC.

Grant of 1st In-principle Approval

During FY 2022-23, IFSCA received the first application from Deakin University, a leading University from Australia, which has secured 266th rank in QS World University Ranking 2023, intending to set up its International Branch Campus at GIFT IFSC.

IFSCA granted in-principle approval to the Deakin University in March 2023 to operate and establish its IBC in GIFT IFSC. To begin with, the University will offer two courses from their GIFT IFSC branch i.e., Master of Cyber Security (Professional) and Master of Business Analytics.

Advocacy and Outreach

During FY 2022-23, IFSCA collaborated with Indian Missions abroad as well as Foreign Missions in India to showcase opportunities in GIFT IFSC to leading & reputed foreign universities and institutions. Roundtable interactions were held with leading Universities from United States, United Kingdom, and Australia. Several universities from the US, UK and Australia indicated keen interest to explore this unique opportunity of setting up an IBC in GIFT IFSC and enrol students from India and abroad.

INFORMATION TECHNOLOGY

Technology has become an indispensable part of regulation, supervision, and governance in the financial regulatory ecosystem. IFSCA recognises that the technology is the key in increasing transparency and efficiency in operations and in improving the ease of doing business in IFSC and thus has taken a number of initiatives in the FY 2022-23.

IFSCA's Supervisory Technology (SupTech) System

IFSCA is in the process of appointing a suitable SupTech Solution Provider to implement the system to facilitate the supervisory functioning of the Authority. The envisioned system aims to establish a comprehensive framework for administration, compliance, supervision, and enforcement amongst its regulated entities. The primary focus is to incorporate advanced technology and adhere to global best practices in order to achieve the Authority's objectives effectively.

IFSCA Website

The IFSCA website acts as an important interface with the public as well as the regulated entities and other ancillaries to disseminate information through its regulations, circulars, notifications, etc.

IFSCA (Maintenance of Website) Regulations, 2022

IFSCA (Maintenance of Website) Regulations, notified in November 2022, provide an enabling framework for IFSCA to develop a best-in-class website, comparable to those of other international financial sector regulators, while conforming to the standards and guidelines of Government of India and other relevant agencies.

Revamp of IFSCA Website

The revamp of IFSCA's website is needed in order to create an outstanding digital experience for visitors from across the spectrum. The revamped website shall cater to the needs of regulated entities (REs), prospective businesses and foreign financial regulators, ultimately improving their ease of doing business in IFSC. Towards this end, a request for proposal for "Re-Design, Development and Maintenance of IFSCA Website" was floated in January 2023.

Incorporation of Single Window IT-enabled system for Application Processing

The Hon'ble Union Minister of Finance, in the Union Budget 2023-24, announced the implementation of a single window IT-enabled system for processing of registration applications of entities desirous of setting up operations in GIFT IFSC. The same is being incorporated in IFSCA's website for improving the ease of doing business in IFSC.

IT Infrastructure

IFSCA provides workstations equipped with computers, printers, telephones, and high-speed Local Area Network (LAN) connectivity to its employees. IFSCA has operationalised an internal mail server for ease of document sharing within the organisation, while ensuring data security. IFSCA Headquarters has high-speed Wi-Fi connectivity, and the meeting rooms are equipped with world-class video conferencing devices for seamless communication.

Human Resource Management System (HRMS)

The HRMS application of IFSCA is aimed at easing the general administration through digitising employees' attendance management, leave management, and pay slip generation. This system will be used for processing the claims of all the employees in a paperless manner. Further, the objective is to scale the system to include all other general administrative functions within its ambit.

eOffice-IFSCA application

The eOffice-IFSCA application, from the National Informatics Centre (NIC), is IFSCA's electronic file management system. The objective of eOffice-IFSCA is to achieve simplified, responsive, effective, and transparent working of all departments.

The eOffice application helps to enable a less-paper office by scanning, registering, and routing the inward correspondences along with creation of file, noting, referencing, correspondence attachment, draft for approvals and finally movement and tracking of files as well as receipts.

Cybersecurity

IFSCA has put in place certain necessary cyber security infrastructure in line with the Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity developed by National Institute of Standards & Technology (NIST).²⁶

As proposed under the NIST framework, the cyber security policy proposed to be implemented by IFSCA includes the following processes to identify, assess, and manage cyber security risk associated with its processes, information, networks, and systems:

- i) Identify:* Critical IT assets are inventoried and protected. Physical access to assets is managed and restricted using CCTV cameras.
- ii) Protect assets by deploying suitable controls, tools, and measures such as:*
 - Contracts with suppliers and third-party vendors are used to implement appropriate measures for cybersecurity.
 - Suppliers and third-party vendors are routinely assessed using audits. (IFSCA website was audited by a CERT-In empaneled 3rd party auditor in Q3 of FY21-22 and accorded a positive rating for its cybersecurity posture).
 - Implemented Identity Management, Authentication and Access Control.
 - IFSCA uses NIC's email service, which extends all NIC's safeguards to IFSCA's official email communication.
- iii) Detect:* Incidents, anomalies and attacks are being detected using appropriate monitoring tools/processes such as endpoint security agent has been made operational and firewall has been deployed.
- iv) Respond:* By taking immediate steps after identification of the incident, anomaly, or attack, activities are performed to prevent expansion of an event, mitigate its effects, and resolve the incident by patching the newly identified vulnerabilities.
- v) Recover:* from incident through incident management, disaster recovery and business continuity framework.

IFSCA acknowledges the need for continuous improvement, incorporating advanced technologies and best practices to always maintain a robust cybersecurity posture and shall endeavor for the same.

²⁶ A non-regulatory government agency under the U.S. Department of Commerce.



DEVELOPMENTAL ACTIVITIES

"GIFT City is making a strong mark as a hub of commerce and technology. GIFT City celebrates both wealth and wisdom. I am glad to see that through GIFT City, India is striding ahead strongly in the services sector globally."

- Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi

Visit of the Hon'ble Prime Minister to GIFT IFSC

The Hon'ble Prime Minister visited GIFT IFSC on July 29, 2022, to inaugurate the India International Bullion Exchange and NSE IFSC-SGX Connect and lay the foundation stone for IFSCA headquarters building along with the launch of other initiatives.



Image 14.1: Digital gallery presentation by Chairperson, IFSCA to the Hon'ble Prime Minister of India



Image 14.2: Hon'ble Prime Minister addressing the gathering at GIFT IFSC



Image 14.3: Hon'ble Prime Minister launching various initiatives at GIFT IFSC on July 29, 2022

L – R: Shri Kanubhai Desai (Minister of Finance, Gujarat), Shri Pankaj Chaudhary (Union Minister of State for Finance), Shri Bhupendra Patel (Chief Minister, Gujarat), Shri Narendra Modi (Hon'ble Prime Minister of India), Smt. Nirmala Sitharaman (Minister of Finance, India), Dr. Bhagwat Karad (Union Minister of State for Finance).

During the event, Hon'ble Prime Minister highlighted the importance of GIFT IFSC as a wonderful combination of global capital for local welfare and local productivity for global welfare. He exuded confidence that all the institutions associated with GIFT City will work to further strengthen this bond as there are many institutions in IFSC which have global footprints, and have local connections.

Emphasising the role of IFSC as a gateway of global capital flows, Hon'ble Prime Minister stated, *'with global markets, we are rapidly integrating with global supply chains and GIFT City is an important gateway to connect India with global opportunities. When you integrate with GIFT City, you will integrate with the whole world.'*

Highlighting the way ahead for achieving the vision of India's maiden IFSC, Hon'ble Prime Minister emphasised that India needs many financial innovations from aircraft leasing, ship financing, carbon trading, digital currency, and IP rights to investment management. He guided IFSCA to work in this direction and make regulation and operation cost-competitive in comparison to other financial jurisdictions. He further motivated IFSCA to turn into a leader in terms of regulations, set high standards for rule of law, and develop GIFT IFSC as the preferred arbitration centre for the world.

Announcements and Key Milestones

The following announcements, including five MoU Exchanges and eight key milestones, pertaining to the development of financial market in GIFT IFSC were made:

- i) Four MoUs were exchanged between IFSCA and the following overseas financial regulators:
 - a) Monetary Authority of Singapore (MAS), Singapore
 - b) Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Grand Duchy of Luxembourg
 - c) Finansinspektionen (FI), Sweden
 - d) Qatar Financial Centre Authority (QFCA), Qatar

In addition, a Cooperation MoU was signed between IFSCA and Department of Space, GoI.
- ii) Setting up of Indian Regional Office (IRO) by New Development Bank (NDB) in GIFT IFSC.
- iii) Inauguration of IFSC Banking Units of the following three Foreign Banks:
 - a) Deutsche Bank
 - b) JP Morgan Chase NA Bank
 - c) MUFG Bank Ltd.
- iv) Capacity expansion of Global In-house Centre set up by Bank of America in GIFT IFSC
- v) Operationalisation of the following four International Trade Finance Services (ITFS) Platforms:
 - a) RXIL Global IFSC Pvt. Ltd.
 - b) Minions Ventures IFSC Pvt. Ltd.
 - c) Vayana IFSC Pvt. Ltd
 - d) Mynd Solutions IFSC Pvt. Ltd.
- vi) Grant of Authorisation Certificates to five FinTech firms under IFSCA FinTech Entity Framework 2022.
- vii) Submission of a joint letter of intent by Association of National Exchanges Members of India (ANMI) and Commodity Participants Association of India (CPAI) on behalf of 100+ Broker-Dealers for setting up operations in GIFT IFSC.
- viii) 75th Bond listing on India INX with a cumulative value of approx. USD 50 Bn to commemorate 75th year of India's independence and Azadi ka Amrit Mahotsav.
- ix) Launch of International Sustainability Platform by NSE IFSC: A first of its kind initiative in India with end-to-end sustainable products which will enable global capital flows into India to meet SDGs and Climate change goals.



Image 14.4: Hon'ble Prime Minister launching the NSE IFSC-SGX Connect

L – R: Shri Bhopendra Patel (Chief Minister, Gujarat), Shri Ashish Kumar Chauhan (MD & CEO, NSE), Shri Narendra Modi (Hon'ble Prime Minister of India), Mr Loh Boon Chye (CEO SGX), Smt. Nirmala Sitharaman (Minister of Finance, India)

The Hon'ble Prime Minister highlighted the importance of these developments and said, 'we have crossed several important milestones today. These will further help in connecting the potential of 130 crore countrymen to the modern global economy'.

Hon'ble Prime minister underlined his vision for GIFT City in the following words:

"The aspirations of the common man of the country are linked to the vision of GIFT City. The vision of India's future is associated with the GIFT City; the dreams of India's golden past are also associated with it. Gift City is turning into a place from where new ideas are emerging, wealth creation is happening, and the best minds of the world are coming here to learn and grow. That is, in a way, GIFT City is also becoming a medium of achieving the old economic glory of India."

- Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi

Visit of Hon'ble Deputy Prime Minister of Singapore to GIFT IFSC

A high-level delegation led by Hon'ble Deputy Prime Minister and Minister for Finance, Singapore, Mr. Lawrence Wong visited GIFT IFSC on September 18, 2022, to discuss ongoing collaboration between India and Singapore for development of GIFT IFSC and witness the exchange of first of its kind FinTech Cooperation Agreement between Monetary Authority of Singapore and IFSCA.



Image 14.5: Visit of Singapore delegation to GIFT IFSC



Image 14.6: Chairperson, IFSCA presenting memento to Deputy Prime Minister, Singapore

L to R - Mr Lawrence Wong (Hon'ble Deputy Prime Minister, Singapore), Mr Kanubhai Desai (Minister of Finance of Gujarat) and Mr Injeti Srinivas (Chairperson, IFSCA)

During the interaction, IFSCA highlighted its ongoing regulatory and developmental initiatives and collaborations with Singapore in the areas of capital markets, inter-regulatory cooperation and fintech.

11th U.S.-India Financial Regulatory Dialogue (FRD) held in GIFT IFSC

The 11th U.S.-India Financial Regulatory Dialogue (FRD) was hosted by IFSCA on March 7, 2023, on behalf of GoI. From the US side, the dialogue was led by Counsellor to the Secretary and Director, International Financial Markets, Department of Treasury. Senior officials from GoI, IFSCA, RBI, SEBI, IRDAI and PFRDA also participated in the dialogue. During the dialogue, a dedicated session was held on GIFT IFSC wherein both sides discussed potential areas of collaboration.



Image 14.7: 11th India - US Financial Regulatory Dialogue

Global Outreach Initiatives of IFSCA

Visit to United Kingdom

Under the aegis of UK-India strategic collaboration which was established at the 10th India-UK Economic and Financial Dialogue (EFD) held in October 2020 to accelerate the development of GIFT IFSC, a delegation led by the Chairperson, IFSCA visited London, in July 2022. During the visit, the delegation held several engagements with UK officials, financial regulators as well as their financial services industry. Several roundtable interactions were also organised to acquaint the UK financial services industry with the opportunities at GIFT IFSC.

Visit to USA

During the visit, IFSCA delegation, led by Chairperson, IFSCA, held dialogue with US Treasury officials, financial regulators, World Bank Group institutions, stock exchanges, industry associations and US financial services industry. Dedicated roundtables were also organised for banks, funds industry, aircraft leasing firms, etc.



Image 14.8: IFSCA delegates at Nasdaq Market Site, New York



Image 14.9: IFSCA delegates at the New York Stock Exchange

Visit to Malaysia

IFSCA delegation led by the Chairperson visited Kuala Lumpur, Malaysia in March 2023, to participate in the 5th ASEAN-India Business Summit, which was organised by ASEAN India Business Council (AIBC) in collaboration with the High Commission of India in Malaysia. During the visit, the IFSCA delegation also held meetings with Malaysian financial regulators i.e. Securities Commission Malaysia and Labuan Financial Services Authority to explore potential areas of bilateral collaboration. Dedicated roundtable interactions with Malaysian financial services industry and universities were also held to acquaint them with opportunities at GIFT IFSC.



Image 14.10: Chairperson, IFSCA delivering the keynote address at the 5th ASEAN India Business Summit in Kuala Lumpur, Malaysia

Visit to Singapore

Executive Director, IFSCA visited Singapore in November 2022 to participate in their flagship higher education event “Going Global Conference 2022”. During the conference, he highlighted the emerging opportunity for foreign universities to set up International Branch Campus at GIFT IFSC.

Visit to Australia

Executive Director, IFSCA visited Australia in February 2023 to participate in the Universities Australia Conference 2023 and highlight the opportunities arising in GIFT IFSC for Australian Universities. During the visit, roundtable interactions were held with Australian financial services industry and study tours were made to some of the leading Australian Universities.



Image 14.11: Shri Dipesh Shah, Executive Director, IFSCA at Universities Australia Conference, 2023 in Canberra

Hon'ble Union Minister of Commerce and Industry, Shri Piyush Goyal's visit to IFSCA



Image 14.12: Review of GIFT IFSC by Hon'ble Union Minister of Commerce and Industry

Hon'ble Union Minister of Commerce and Industry, Shri Piyush Goyal, reviewed the functioning of GIFT IFSC during his visit on October 8, 2022. He interacted with various heads of units in GIFT city comprising bankers, fund managers, derivative exchange management, aviation industry representatives among others and heard their issues with allied offices of Commerce and Industry, DGFT and SEZ among others.

He discussed benefits of setting up units in GIFT City and received suggestions including those on exports promotion and 'Make in India' in manufacturing. Further, he issued directions to explore whether the Start up ecosystem can benefit from the facilities available at GIFT city.

"IFSC will be a key driver of economic growth with enhanced Ease of Doing Business for global investors who will gain from the India growth story", the Minister tweeted on the meeting.

Key outreach and engagement activities

During FY 2022-23, following major outreach and engagement activities were carried out in collaboration with the Indian missions, foreign missions, industry associations, investment promotion agencies and other stakeholders.

Table 14.1: Key outreach and engagement activities of IFSCA during FY 2022-23

Month	Activity	Brief Description
April 2022	Webinar on the theme “The Butterfly Effect series: Investment opportunities in South Asia”	IFSCA participated in the webinar organised by CPA Australia in collaboration with Invest India to discuss GIFT IFSC business opportunities.
	Webinar on IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022	IFSCA participated in a webinar organised by PwC to create awareness about IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022.
	Webinar on IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022	IFSCA participated in a webinar organised by Deloitte to create awareness about IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022.
May 2022	CPAI Event on Opportunities in IFSC - Making India a Price Discovery Centre	IFSCA participated in 8 th International Convention of CPAI (Commodity Participants Association of India) to apprise the participants about the opportunities in GIFT IFSC.
June 2022	Webinar on Marine Insurance in India	Virtual webinar organised by Informa Markets on Marine Insurance in India and opportunities present in GIFT-IFSC followed by a Q&A session.
	Webinar on International Trading opportunities at GIFT IFSC	Webinar was organised by Association of National Exchanges Members of India (ANMI) to elaborate on the growing international trading opportunities in GIFT-IFSC.

Month	Activity	Brief Description
August 2022	Webinar with leading Universities from United States of America	A webinar was organised jointly with the Indian Mission in Washington D.C. to discuss opportunities for US Universities to set up IFSC International Branch Campus (IBC) in GIFT IFSC
	Webinar on 'Important steps for setting up IFSC Broking firm in GIFT IFSC'	ANMI and CPAI jointly organised a webinar to highlight the business opportunities in India's maiden IFSC in GIFT City with special focus on Capital Market opportunities.
	Webinar on theme 'Ship Leasing Framework in IFSC'	IFSCA participated in a webinar organised by PwC on 'Ship Leasing Framework' to create awareness about ship leasing opportunities in GIFT IFSC
September 2022	Roundtable on Redomiciling of Funds in GIFT IFSC	A roundtable was organised in collaboration with Multiples Asset Management IFSC Pvt. Ltd. on 'Redomiciling of funds in GIFT IFSC'. During the roundtable, discussions were held on the measures undertaken by IFSCA for attracting India centric funds to redomicile in GIFT IFSC from overseas jurisdiction.
	Roundtable on Funds Industry in GIFT IFSC	IFSCA participated in the roundtable interaction organised by the Apex Group Ltd. on the theme –“Leveraging the Indian Alternative Growth Story and the role of Global Institutional capital”.
	Conference organised by Bloomberg LP on business opportunities in GIFT IFSC	IFSCA participated in a conference organised by Bloomberg LP with participation from leading financial services industry. During the event, IFSCA disseminated information on various business opportunities in GIFT IFSC across Banking, Capital Markets, Insurance, FinTech, etc.

Month	Activity	Brief Description
September 2022	CII Summit on 'Building blocks for a US\$100B AUM Aatmanirbhar PE&VC industry'	IFSCA participated in summit organised by Confederation of Indian Industry (CII) to discuss and deliberate on the growing importance of Private Equity & Venture Capital Industry. During the event, role and significance of GIFT IFSC as a preferred jurisdiction for PE and VC funds was also discussed.
	19 th International Tax Conference organised by ASSOCHAM	IFSCA participated in the 19 th International Tax Conference organised by ASSOCHAM in New Delhi. During the conference, a dedicated session was held on GIFT IFSC business opportunities.
	ISHKA Global event on Aviation Sector opportunities in GIFT IFSC	IFSCA attended the Ishka Global Conference in New Delhi, which was organised on the theme 'Aviation India - New Horizons, New Opportunities'. During the conference, Aircraft leasing opportunities in GIFT IFSC were presented to global lessors, who participated in the event in large numbers.
October 2022	Conference on "GIFT IFSC: The International Financial Gateway of India."	IFSCA participated in a conference organised by Edelweiss Wealth Management with participation from the financial services industry. During the event, IFSCA presented GIFT IFSC business opportunities across various verticals including Banking, Capital Markets, Insurance, FinTech, etc.
	Roundtable on "Ship Leasing Opportunities" in IFSC	Roundtable was organised by IFSCA with support of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways and the Directorate General of Shipping. Policy and other legal enablements for developing ship leasing ecosystem in GIFT IFSC were discussed.

Month	Activity	Brief Description
October 2022	Conference on business opportunities in GIFT IFSC	IFSCA participated in a conference organised by ICICI Bank with participation from the financial services industry. During the event, IFSCA presented the overall opportunities for the financial services industry including fund management industry.
	IFSCA delegation's visit to Netherlands for SIBOS Conference 2022	An IFSCA delegation participated in the Sibos Conference 2022 held in Amsterdam, Netherlands. During the conference, IFSCA organised a dedicated session on the theme "Opportunities at GIFT IFSC" and held bilateral interactions with various international financial institutions and FinTechs.
	IFSCA Aircraft Leasing Roadshow at Dublin, Ireland	IFSCA held roadshows in Dublin, Ireland to disseminate information regarding Aircraft leasing opportunities in GIFT IFSC.
	Webinar on 'Opportunities at the International Financial Services Centre, GIFT City, India'	IFSCA participated in a webinar organised by Hongkong Chapter of ICAI to discuss and highlight the opportunities for financial institutions at GIFT IFSC.
	Webinar on Ship Leasing Opportunities in IFSC	A webinar was organised with leading firms on the ship leasing opportunities in GIFT-IFSC.
November 2022	Conference on "International Financial Services Centre at GIFT City: financial Gateway to India – opportunities for Global institutions"	A Conference was organised in collaboration with Indian Consulate in New York and Bloomberg LP to showcase GIFT IFSC opportunities to the US Financial Services Industry including Banks, Capital Market participants, Law Firms, Fund Managers, etc.
	Roundtable interaction on "Opportunities for Global Funds at International Financial Services Centre, GIFT City"	A dedicated Roundtable on Funds was organised to create awareness about Funds Industry opportunities in GIFT IFSC.

Month	Activity	Brief Description
November 2022	Roundtable interaction on “Banking and Global In-House Centre opportunities at India’s International Financial Services Centre, GIFT City”	A dedicated Roundtable was organised to create awareness about Banking and GIC opportunities in GIFT IFSC.
	Roundtable interaction with US Universities on GIFT IFSC Opportunities	A roundtable interaction was organised to discuss opportunities for US Universities in GIFT IFSC.
	Meeting with members of The Indus Entrepreneurs (TiE- D.C.) on FinTech Opportunities in GIFT IFSC	A roundtable interaction was organised to brief TiE members on the FinTech Hub being developed in GIFT IFSC and educate them on the FinTech Entity Framework 2022.
	Roundtable on “Aircraft Leasing Opportunities” in GIFT IFSC	Roundtable interaction was organised jointly by GIFT City and IFSCA on the aircraft leasing opportunities in GIFT IFSC.
	Roundtable conference on “Business opportunities in GIFT IFSC”	Roundtable conference was organised by German Consulate General in Mumbai to showcase business opportunities in GIFT IFSC for German financial services entities.
	Webinar on “Concessions provided to foreign universities to operate in GIFT IFSC”	Webinar organised by SW India in association with SW Australia, with participation of 20+ Australian universities to disseminate information on setting up of International Branch Campus in GIFT IFSC.
December 2022	Meeting with officials from Australian Trade and Investment Commission (Austrade)	IFSCA held discussions with Austrade officials to highlight opportunities for Australian Universities to open International Branch Campuses in GIFT IFSC

Month	Activity	Brief Description
January 2023	ICAI - One Day Conference on Opportunities in GIFT IFSC	Conference was organised by Ahmedabad Branch of WIRC of ICAI in partnership with IFSCA to educate and sensitise CA fraternity regarding GIFT IFSC business regulations and opportunities.
	ICICI Event on GIFT IFSC opportunities	IFSCA officials participated in a two-day event organised by ICICI Bank in Bengaluru to showcase GIFT IFSC business opportunities for funds industry as well as discuss the impact of new ODI regulations with the financial services industry.
February 2023	Meeting with Multi-lateral Investment Guarantee Agency (MIGA) -World Bank Group	Senior officials of MIGA held a meeting with IFSCA officials and heads of IBU's to discuss the potential of MIGA products and solutions being offered from GIFT IFSC including Credit Enhancement Guarantee.
	KPMG-CNBC Budget discussion for the Financial Services sector	A session was organised by KPMG and CNBC to discuss the GIFT IFSC related Union Budget announcements and the future benefits and business opportunities.
	Post Union Budget Webinar by Ernst & Young LLP	IFSCA participated in a webinar organised by Ernst & Young on the Union Budget 2023 announcements related to GIFT IFSC and the business opportunities emerging from the announcements.
	Post Budget Webinar by PE-VC CFO Association	IFSCA participated in a webinar organised by PE-VC CFO Association on the Union Budget 2023 announcements made for GIFT IFSC and business opportunities emerging from the announcements.
	International Trade Financing Services Platform (ITFS) Workshop held in Mumbai	IFSCA in collaboration with Export Promotion Councils and ITFS platforms, conducted a workshop to sensitise and educate the MSME community regarding benefits of availing trading financing services from ITFS platforms in GIFT IFSC.

Month	Activity	Brief Description
March 2023	Roundtable for Ship Leasing Opportunities in GIFT IFSC held in Dubai	IFSCA participated virtually in a roundtable interaction organised by PwC to showcase Ship leasing opportunities in GIFT IFSC to global ship lessors and other market participants.
	Global Professional Conference organised by TeraPanth Professional Forum.	IFSCA participated in the Global Professional Conference organised in Ahmedabad by TeraPanth Professional Forum. The conference was aimed at showcasing the business opportunities in GIFT IFSC for professionals across the globe.
	Conference organised by JP Morgan Chase	IFSCA participated in a conference organised by JP Morgan Chase to showcase Funds Industry opportunities in GIFT IFSC. During the conference, benefits for relocation of funds to GIFT IFSC were also discussed.
	Seminar on, "The Company Secretary: A Global Profession" by ICSI Ahmedabad Chapter	IFSCA participated in a seminar organised by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI). The seminar was attended by more than 100 professionals and the opportunities for the secretarial and compliance services in GIFT IFSC were highlighted.
	Roundtable organised for Framework for enabling Ancillary services in 2023	A roundtable was organised by the IFSCA with leading professional and consultancy firms to discuss the potential for GIFT IFSC to become a Global Accountancy Hub.

SECTION-D



QUASI-LEGISLATIVE FUNCTIONS OF THE AUTHORITY

IFSCA has been established as a unified regulator to develop and regulate the financial services market in the IFSCs in India. The Authority can perform all such executive, quasi-legislative and quasi-judicial functions in IFSCs, as are being performed by the domestic financial sector regulators in India. Section 12 of the IFSCA Act, 2019 empowers IFSCA to develop and regulate financial products, financial services, and financial institutions in an IFSC. It can also recommend to the Central Government certain financial products, financial services, and financial institutions which may be permitted in an IFSC. Further, under section 13 of the Act, IFSCA can exercise all powers exercisable by the aforesaid four domestic regulators with respect to certain Acts specified under the First Schedule of the Act in so far as they relate to financial products, financial services, and financial institutions in the IFSCs.

The Authority while exercising its quasi-legislative powers has notified regulations on multiple areas. Apart from the core activities of banking, capital markets and insurance, the regulations have also been framed on administrative and miscellaneous matters. To give effect to the functioning of various financial products and financial services regulated by the Authority, the following regulations, notifications, guidelines, and circulars have been issued:

List of Regulations

Table D.1: List of Regulations

Sr. No	Regulations	Date of Issue	Objectives
1	IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022. IFSCA/2021-22/GN/REG024	19/04/2022	The Fund Management Regulations provide a comprehensive framework governing a host of fund management activities in IFSC, ranging from various types of private investment funds, such as venture capital funds, special situations funds, hedge funds, etc. to retail investment funds, such as mutual funds and exchange traded funds.
2	IFSCA (Banking) (Amendment) Regulations, 2022. IFSCA/2022-23/GN/REG025	29/06/2022	The Authority has issued these regulations to make certain amendments to insert, modify, omit and to substitute certain definitions and provisions in the IFSCA Banking Regulations, 2020.
3	IFSCA (Finance Company) (Amendment) Regulations, 2022. IFSCA/2022-23/GN/REG026	01/07/2022	The Authority has issued these regulations to make certain amendments to insert certain provisions by expanding the “Permitted and Non-Core Activities” in the IFSCA (Finance Company) Regulations, 2021.
4	IFSCA (Setting up and Operation of International Branch Campuses and Offshore Education Centres) Regulations, 2022 IFSCA/2022-23/GN/REG027	11/10/2022	The Authority has issued these regulations to make GIFT IFSC an international educational centre, catering to both Indian and foreign students in the specified disciplines. Additionally, it aims to encourage research in Banking, Insurance, Capital Market, Funds Management, FinTech, Longevity Finance, Sustainable Finance, Quantum Computing, etc., to provide high-end human resources in finance, technology, and related fields.
5	IFSCA (Maintenance of Website) Regulations, 2022. IFSCA/2022-23/GN/REG021	25/11/2022	These regulations aim to provide an enabling framework for the Authority to develop a best-in-class website, comparable to those of other international financial sector regulators, while conforming to the standards and guidelines of the Government of India and other relevant agencies.

Sr. No	Regulations	Date of Issue	Objectives
6	IFSCA (Insurance Products and Pricing) Regulations, 2022. IFSCA/2022-23/GN/REG029	12/01/2023	<p>The regulations <i>inter-alia</i> provide framework for:</p> <ul style="list-style-type: none"> designing and pricing of insurance products put in place systems and controls to provide adequate capacity to identify and mitigate product related risks
7	IFSCA (Investment by International Financial Service Centre Insurance Office) Regulations, 2022. IFSCA/2022-23/GN/REG030	12/01/2023	The regulations aim to put in place the regulatory framework and processes related to investment of assets by an IFSC Insurance Office.
8	IFSCA (Maintenance of Insurance Records and Submission of Requisite Information for Investigation and Inspection) Regulations, 2022. IFSCA/2022-23/GN/REG031	12/01/2023	The objective of these regulations is to specify minimum information that is required to be maintained by an IIO and IIIO, for the purposes of investigation and inspection, under section 33 of the Insurance Act, 1938.
9	IFSCA (Appointed Actuary) Regulations, 2022. IFSCA/2022-23/GN/REG028	12/01/2023	These regulations aim to lay down the regulatory framework for the persons who are engaged by the IIOs to perform the roles and discharge the functions of 'Appointed Actuary'.
10	IFSCA (Manner of Payment and Receipt of Premium) Regulations, 2022. IFSCA/2022-23/GN/REG032	12/01/2023	The objective of these regulations is to put in place the manner of payment of premium for insurance policy, assumption of risk, receipt or refund of premium and other terms and conditions, in accordance with Section 64 VB of the Insurance Act, 1938, for carrying on the insurance business in IFSC.

Sr. No	Regulations	Date of Issue	Objectives
11	IFSCA (Preparation and Presentation of Financial Statements of International Financial Service Centre Insurance Offices) Regulations, 2022. IFSCA/2022-23/GN/REG033	12/01/2023	These regulations aim to put in place the process of preparation and presentation of financial statements of the IIOs.

List of Notifications

Table D.2: List of Notifications

Sr. No	Notifications	Date of Publication	Purpose of Notification
1	IFSCA/2022-23/GN/023	12/04/2022	To notify "Aircraft Ground Support Equipment" as a financial product in IFSC u/s 3(1) (d) of IFSCA Act, 2019.
2	329/IFSCA/Bullion MIIs/2021-22	06/12/2022	The notification extended renewal of recognition to India International Bullion Exchange and Bullion Clearing Corporation for one year.
3	IFSCA/2022-23/GN/023	27/04/2022	The corrigendum was issued to make certain modifications in the notification related to notifying "Aircraft Ground Support Equipment" as a financial product in IFSC.

List of Major Circulars/Guidelines

Table D.3: List of Major Circulars/Guidelines

Sr. No	Circulars/Guidelines	Date of Issue	Objectives
1	Guidance framework on Sustainable and Sustainability linked lending by financial institutions	26/04/2022	The circular directs the IBUs and FCs/FUs operating in the IFSC, undertaking lending activities from IFSC, to develop a comprehensive board approved policy on green/social/sustainable/sustainability-linked lending.
2	Framework for FinTech Entity in IFSCs	27/04/2022	The framework provides for manner of authorisation of fintech entities in IFSC.
3	Framework for Aircraft Lease	18/05/2022	The framework specifies the entities to get registered under Finance Company Regulations as a 'Finance Company' or a 'Finance Unit' for undertaking aircraft lease transactions.
4	Amendments and additions to IFSCA Banking Handbook	06/06/2022	Through these circulars, certain amendments /additions have been carried out in the Handbook. A new module 'Raising queries pertaining to Banking' has been added.
5	The IFSCA Banking Handbook General Directions-V 3.0 (GEN)	06/06/2022	<p>The IFSCA Banking Handbook contains the directions of the Authority to the Banking Units operating as branch of a Banking Company (also referred to as 'parent bank' in the IFSCA Banking Regulations).</p> <p>The GEN directions deal with licensing of IBUs, defining 'controlled' and 'designated' functions and the requirements from 'approved/ authorised individuals' who can carry out such functions. The GEN directions also lay out the broad principles for banking business and provide information about the Authority's supervisory powers, functions, and approach.</p>
6	The IFSCA Banking Handbook Conduct of Business Directions- V 3.0	06/06/2022	The COB directions are aimed at ensuring that IBUs meet the minimum standards of conduct expected, particularly with regard to the treatment of their clients, their dealings with counterparties and other market participants.

Sr. No	Circulars/Guidelines	Date of Issue	Objectives
7	The IFSCA Banking Handbook Prudential Directions-V 3.0 (PRU)	06/06/2022	The PRU directions are aimed at establishing certain minimum non-quantitative prudential requirements that shall be applicable to the IBUs set up as branches in IFSC, in addition to those applicable on them as a branch of the Banking Company under the respective Home Regulations. The PRU modules cover the qualitative aspects of prudential requirements in respect of governance, governing board responsibilities, policies, systems, and controls to be made applicable to IBUs.
8	Committees at Market Infrastructure Institutions (MIIs) in IFSC	28/06/2022	The committees were constituted as per Chapter VI of IFSCA (Bullion Exchange) Regulations, 2020 and Chapter III of IFSCA (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 with respect to constitution of various statutory committees in order to ensure effective oversight of the functioning of MIIs.
9	Angel Funds under IFSCA (Fund Management) Regulations, 2022	01/07/2022	In recognition of the crucial role played by angel investors, a framework for Angel Funds, specifically attuned to the requirements of early-stage investing is specified under this circular.
10	IFSCA Banking Handbook Conduct of Business Directions-V 4.0	13/07/2022	The COB directions are aimed at ensuring that IBUs meet the minimum standards of conduct expected, particularly with regard to the treatment of their clients, their dealings with counterparties and other market participants. It also includes directions to ensure that the IBUs contribute to fostering and maintaining the integrity of financial markets in the IFSC.
11	Framework for Ship Leasing	16/08/2022	The framework was issued in order to facilitate the Ship Leasing business in IFSC and registration of entities under Finance Company Regulations.

Sr. No	Circulars/Guidelines	Date of Issue	Objectives
12	IFSCA (Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022 IFSCA/2022-23/GN/GL001	28/10/2022	IFSCA issued the guidelines applicable for all the regulated entities in IFSC. The guidelines cover major aspects such as risk-based assessment, customer due diligence, reporting of suspicious transactions, etc. The guidelines will supersede all the other AML-CFT guidelines/circulars of the domestic financial regulators for regulated entities in IFSC.
13	Framework for distribution of Capital Market Products and Services under IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021	21/11/2022	The framework was issued in recognition of the crucial role played by the distributors in distribution of capital market products and services.
14	Guidelines for Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery (DR) for Market Infrastructure institutions (MIIs)	16/11/2022	Considering the advancement in technology and improved automation of various processes, a framework for BCP and DR for the MIIs in IFSC was prescribed.
15	Circular prescribing net worth for bullion exchange and bullion clearing corporation	01/01/2023	The circular prescribes net worth for bullion exchange and bullion clearing corporation.
16	Guidelines for execution of block deals on the Bullion Exchange	03/03/2023	The circular was issued to enable a mechanism for execution of large trades in gold in a single transaction.
17	Amendment to the Circular titled 'Framework for Ship Leasing'	22/03/2023	The circular was issued for modifying the framework for ship leasing by <i>inter-alia</i> enabling voyage charter and other commercial transactions for employment of ships, as permissible activities under operating lease.

Box D.1: IFSCA (Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022

- IFSCA (Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022 have been issued by IFSCA in exercise of powers conferred by Section 12 of the IFSCA Act, 2019 read with sub-rule 14 of rule 9 of Prevention of Money Laundering (Maintenance of Record) Rules, 2005. The guidelines came into effect from October 31, 2022.
- The Guidelines have been framed in accordance with Financial Action Task Force (FATF) Recommendations, Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA), PML Rules and the best practices prevailing in the global AML-CFT regulatory regime.
- As IFSCA is a unified financial sector regulator, it is imperative that the Guidelines are uniformly applicable to various financial services and financial institutions in the areas of capital market, banking, insurance, and pension, among others. Therefore, a 'principle-based approach' is adopted under the Guidelines.
- To promote ease of doing business and smooth onboarding of customers for regulated entities (REs), amendments in respect of Official Valid Document (OVD), Designated Director, etc., have been carried out in PML Rules, 2005. Further, exemption from the Central KYC Registry requirement for foreign nationals has also been provided.
- The Guidelines are applicable to all the entities licensed, recognised or registered or authorised by the Authority, collectively called Regulated Entities. The provisions of these Guidelines are also applicable to a financial group of the RE, to such extent as specified in Chapter-XII of the Guidelines.
- The primary thrust of the Guidelines is to enable an RE to adopt Risk-Based Approach (RBA) to identify and assess the Money Laundering (ML) and Terrorist Financing (TF) risks to which the RE is exposed, depending upon its nature of business and exposure to or involvement with certain types of clients, countries or geographic areas, products, services, transactions, or delivery channels, etc. The Guidelines have dedicated chapters for RBA, Business Risk Assessment and Customer Risk Assessment.
- Based on the risk assessment, the customers will be categorised into three risk categories as low, medium, and high-risk. Based on the categorisation, the relevant Customer Due Diligence (CDD) measures i.e., either simplified or enhanced CDD measures are applicable.
- The Guidelines are comprehensive in nature and emphasise special focus on RBA, CDD, identifying and verifying the beneficial owners, reporting suspicious transactions among other things. For easier understanding and to avoid ambiguity in interpretation for REs, 'Guidance Notes' are provided under different chapters.

Advocacy and Outreach

MoU between IFSCA and National Law University, Delhi

The International Financial Services Centres Authority and National Law University, Delhi have signed a Memorandum of Understanding (MoU) for cooperation and collaboration in conducting evidence-based policy research into the relevant areas of IFSCs and legal framework including the regulations governing the business activities therein.

Policies and programmes for the following year

Setting up of International Arbitration Centre (IAC) in GIFT IFSC

In the Union Budget 2022-23, Hon'ble Finance Minister announced setting up of an International Arbitration Centre in GIFT City for timely settlement of disputes under international jurisprudence.

As one of the main objectives of the Authority is to bring offshore business to IFSC and thereby make it a globally competitive financial centre, having a contemporary and robust dispute resolution centre will attract international financial sector players towards IFSC. In pursuance of the same, the Authority has undertaken research and identified areas which would require certain dispensations for conducting arbitration in IFSC.

Delegation of Powers under SEZ Act and SEZ Rules to IFSCA

To enhance business activities in GIFT IFSC, Hon'ble Finance Minister, in the Union Budget 2023-24, announced that measures will be taken for 'delegating powers under the SEZ Act to IFSCA to avoid dual regulation'. Towards this end, the Authority has identified and sought certain carve outs under the Special Economic Zones Act, 2005. This would enhance the ease of doing business for the IFSC Units.

Research on carrying out comprehensive amendments under IFSCA Act

Research will be carried out to create an overarching framework for IFSCs in India through amendment in the IFSCA Act, 2019. The areas of amendment *inter-alia* include Arbitration, Ancillary Services, Variable Capital Companies, enforcement powers on newly notified financial products and financial services not covered under section 13 of the Act.

SECTION-E



PERFORMANCE ASSESSMENT

Section 17(3) of the IFSCA Act, 2019 provides the mechanism to review the performance of IFSCA. IFSCA is required to constitute a Performance Review Committee, consisting of at least two members of the Authority to review the functioning of the Authority, specifically on whether-

- a. it has adhered to the provisions of the applicable laws while exercising powers or performing functions under the Act;
- b. the regulations made by the Authority to give effect to the provisions of the Act promote transparency and best practices of governance; and
- c. the Authority is managing risks to its functioning in a reasonable manner.

Section 28(2)(d) of the IFSCA Act, 2019 provides IFSCA the powers to make regulations in respect of Performance Review Committee. Accordingly, IFSCA (Performance Review Committee) Regulations, 2022 ("PRC Regulations"), were notified on March 23, 2022 providing the framework for constitution, scope, information sharing and reporting relating to functioning of Performance Review Committee ("PRC").

Subsequently, IFSCA has constituted the following three Performance Review Committees:

1. Committee on Compliance

The scope of the committee on Compliance is to review whether IFSCA has complied with the provisions of the applicable laws while exercising powers or performing functions under the IFSCA Act, 2019.

Accordingly, with the abovementioned terms of reference, a Performance Review Committee was constituted by IFSCA with the following members:

- i) Shri Saurav Sinha (Member of IFSCA Board)
- ii) Shri Sujit Prasad (Member of IFSCA Board)
- iii) Shri Bahram N. Vakil (Independent member)
- iv) Shri J. Ranganayakulu (Independent member)

In the meeting held on November 30, 2022, the members of the Committee unanimously nominated Shri Bahram N. Vakil as the Chairperson of this Committee.

2. Committee on Transparency and Best Practices of Governance

The scope of the Committee on Transparency and Best Practices of Governance in terms of Regulation 5(2) of the PRC Regulations, requires the Committee to assess whether the regulations made by the Authority:

- a) reduce compliance burden of stakeholders and promote transparency and best practices of governance;
- b) are fair and non-discriminatory to the stakeholders and easily accessible;
- c) are clear, understandable and provide regulated entities with the predictability and necessary guidance to comply with regulations.

Accordingly, with the abovementioned terms of reference, a Performance Review Committee was constituted by IFSCA with the following members:

- i) Shri Ananta Gopal Das (Member of IFSCA Board)
- ii) Shri Suchindra Misra (Member of IFSCA Board)
- iii) Dr. M. S. Sahoo (Independent member)
- iv) Shri M. V. Nair (Independent member)

In the meeting held on December 7, 2022, the members of the Committee unanimously nominated Dr. M. S. Sahoo as the Chairperson of the Committee.

3. Committee on Risk Management

The scope of the Committee on Risk Management in terms of Regulation 6 of the PRC Regulations, requires the Committee to assess whether the Authority is managing risk to its functioning in a reasonable manner, and it shall be performed by:

- a) reviewing the adequacy and effectiveness of the risk monitoring measures for its activities;
- b) reviewing whether the risk identification measures are appropriate and assure the safety and soundness of the operations of the Authority while ensuring that any possible harm is mitigated and risks are categorised; and
- c) reviewing the monitoring and evaluation process and maintenance of record of any breach.

Accordingly, with the above mentioned terms of reference, a Performance Review Committee was constituted by IFSCA with the following members:

- i) Dr. (Ms.) Mamta Suri (Member of IFSCA Authority)
- ii) Ms. Surbhi Jain (Member of IFSCA Authority)
- iii) Shri Sriram Balasubramanyam (Independent member)
- iv) Shri G. Srinivasan (Independent member)

In the meeting held on November 29, 2022, the members of the Committee unanimously nominated Dr. (Ms.) Mamta Suri as the Chairperson of the Committee.



SECTION-F

SOURCE OF FUNDS AND MAJOR AREAS OF EXPENDITURE (FY 2022-23)

Table F.1: Sources of Funds for FY 2022-23

Sources of Fund – Receipts	Amount (INR Lakhs)
Annual Fees	1002.87
Application Fees	150.52
Broker Turnover Fees: Capital Markets	986.06
Turnover based fee from Insurance Offices	36.00
Listing Fees	1.65
Registration Fees	1009.47
Other Fees	7.85
Government Grants	7,368.00
Interest income on regulatory fee earned by IFSCA	120.56
Other Miscellaneous Income	143.29
Total	10,826.27

Table F.2: Major Areas of Expenditure for FY 2022-23

Major Areas of Expenditure – Payments	Amount (INR Lakhs)
Establishment Expenses	3,011.24
Administrative Expenses	1,567.31
Purchase of Fixed Assets (including payment made for Headquarter Land/Building)	4,026.52
Security Deposit for leased office premises of IFSCA	15.60
Total	8,620.67

SECTION-G

ORGANISATIONAL MATTERS

Authority Structure

Table G.1: Authority Structure

Department	Divisions
Banking Supervision	Banking Supervision
	Finance Company Regulation and Supervision
Banking Regulation and Development	Payment and Settlement
	Banking Regulation
Capital Markets	Corporate Finance – Equity, Hybrid, and related products
	Corporate Finance – Debt and Sustainable Finance
	Market Infrastructure Institutions – Regulation and Supervision
	Investment Funds - I and New Products & Services
	Investment Funds - II and Aircraft Leasing
Insurance	Insurance
Metals and Commodities	Strategic Research and Co-ordination for Market Development & Regulation
	Regulatory Policy, Risk Management, and Supervision
	Product Regulation
	Vault Managers and Co-ordination

Department	Divisions
Development	Development of Financial Market – I
	Development of Financial Market – II & International Affairs
Economic Policy and Analysis	Economic Policy and Analysis
General Administration	Administration & HR
	Treasury, Finance and Accounts
IT and Fintech	IT
	Fintech
Legal Policy and Legal Affairs	Legal Policy
	Legal Affairs
Regulatory Policy and Regulatory Affairs	Regulatory Cooperation
	Risk Based Supervision
	SupTech
	FATF Cell

Authority Meetings

Table G.2: IFSC Authority Meetings held in FY 2022-23

Sr. No.	Divisions	Date
1	Eleventh Authority meeting	June 27, 2022
2	Twelfth Authority meeting	September 30, 2022
3	Thirteenth Authority meeting	December 23, 2022
4	Fourteenth Authority meeting	March 24, 2023

Human Resources

Table G.3: Sanctioned and Actual strength of employees

Position	Sanctioned strength as on 31.03.2023	Actual strength as on 31.03.2023
Executive Director	6	3
Chief General Manager	9	0
General Manager	12	6
Deputy General Manager	15	14
Assistant General Manager	20	6
Manager	26	6
Assistant Manager	30	29
Executive Assistant/Senior Executive Assistant/ Executive Superintendent	20	0
Multi-Tasking Staff Grade A/ Grade B/Grade C*	10	3
Total	148	67

*Requirements are being met partially through contractual appointments on outsourcing basis

Being a unified financial sector regulatory Authority, IFSCA requires the expertise and skill set of Young Professionals/Consultants/Sr. Consultants in the fields of Capital Market, Banking, Insurance, Bullion, Funds Management, FinTech, etc. In accordance with the guidelines for engagement of consultants on a contractual basis, the Authority has engaged the consultants as mentioned in the table below:

Table G.4: Consultants at IFSCA as on March 31, 2023

Sr. No.	Position	Number	Remarks
1	Sr. Consultants	4	Full time basis
2	Consultants Grade1/Grade2	7	Full time basis
3	Young Professionals	4	Full time basis
4	Adviser	1	Part-time basis

IFSCA provides an opportunity for internship to students who wish to pursue a professional career in the financial services market. A student who is pursuing a five-year or three-year degree course in law or post-graduate course in Economics, Commerce, Finance, Management and has completed the penultimate year or stage of such degree course or post-graduation course; or a student pursuing M. Phil/Ph.D. course in Economics, Commerce, Finance, Management or Law, is eligible to join as an intern with IFSCA. During FY 2022-23, four students interned at IFSCA.

IFSCA organised training programmes for capacity building of officers involved in regulation and development of financial products, financial services, and financial institutions. The details of the training programmes and various webinars/seminars/meetings organised are as follows:

Training Programmes and Webinars

Table G.5: Training Programmes and Webinars

Sr. No.	Name of Programme
1	Induction Programme at National Institute of Bank Management, Pune
2	Induction Programme at National Institute of Securities Market, Mumbai
3	Induction Programme at National Insurance Academy, Pune
4	Induction Programme at Arun Jaitley National Institute of Financial Management, Faridabad
5	Capacity Building Program on Sustainable Finance Disclosure Requirements for Corporate Issuers by IOSCO and ISSB
6	Refreshers Programme for supervisors of IFSCs, College of Supervisors, RBI, Mumbai

Sr. No.	Name of Programme
7	Fintech, Reg Tech & Sup Tech Technological Foundations and Building Blocks, College of Supervisors, RBI, Mumbai
8	Online Training programme on financial derivatives, NIBM, Pune
9	Supervisory Evaluation of ALM and Liquidity Risk, College of Supervisors, RBI, Mumbai
10	Operational Risk Management and Resilience, Euromoney
11	Supervisory evaluation of operational risk, College of Supervisors, RBI, Mumbai
12	Identify and managing financial risk of climate change, College of Supervisors, RBI, Mumbai
13	Macroprudential Policy formulation-implementing financial stability mandate, College of Supervisors, RBI, Mumbai
14	Internal Credit risk Modelling for ECL provisioning and capital estimation by NIBM, Pune
15	Use and Application of Basic Statistics & Econometrics in Supervisory Analysis, College of Supervisors, RBI, Mumbai
16	Study of Economics Regulators and Supervisors, College of Supervisors, RBI, Mumbai
17	Early Warning Mechanism for managers of Financial Risk and Macro-Financial Risk, College of Supervisors, RBI, Mumbai

Right to Information

Table G.6: Status of RTI applications during FY 2022-23

Total number of RTI requests received	Total number of RTI requests replied
18	18

IFSCA Headquarters Building Project

As GIFT IFSC is being developed as an international jurisdiction with truly world class & modern infrastructure, the proposed IFSCA Headquarters building (herein after referred to as IFSCA Tower) has been designed and conceptualised as an iconic structure which is reflective of the growing prominence and stature of GIFT IFSC as a leading International Financial Centre. The IFSCA Tower has been designed to become a highly efficient and sustainable structure in line with the Smart City concept. It has been designed to have a highly energy efficient and functional façade and 360-degree view with services at central core. It will have two levels of basement and G+26 floors. Proposed to be completed in the year 2024, IFSCA Tower will symbolise the dreams and aspirations of a new and Aatma Nirbhar Bharat.

The foundation stone of the IFSCA Headquarters Building was laid by the Hon'ble Prime Minister of India on July 29, 2022. The Hon'ble Prime Minister on the occasion remarked, *"I believe this building is going to be grand in its architecture and it will also create unlimited opportunities to make India an economic superpower."*

IFSCA Celebrates International Yoga Day 2022

The International Day of Yoga (IDY) is being celebrated across the world annually on June 21 since 2015, following its inception in the United Nations General Assembly in 2014. Yoga is an ancient physical, mental, and spiritual practice that originated in India. The word 'yoga' derives from Sanskrit and means to join or to unite, symbolising the union of body and consciousness. The theme of IDY 2022 was "Yoga for Humanity."

IFSCA celebrated the IDY 2022 with the adoption of Common Yoga Protocol which is a 45-minute sequence of Yoga exercises designed by Yoga exponents in the country with the objective of maximising the well-being of the people.



Image G.1: Celebration of IDY 2022 at IFSCA

'Har Ghar Tiranga' Campaign at IFSCA

'Har Ghar Tiranga' is a campaign under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav to encourage people to bring the Tiranga home and to hoist it to mark the 75th year of India's independence. Our relationship with the flag has always been more formal and institutional than personal. Bringing

the flag home collectively as a nation in the 75th year of independence thus becomes symbolic of not only an act of personal connection to the Tiranga but also an embodiment of our commitment to nation-building. The idea behind the initiative is to invoke the feeling of patriotism in the hearts of the people and to promote awareness about the Indian National Flag.

IFSCA implemented the Har Ghar Tiranga Campaign as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav to mark the 75th Independence Day. Two kilometers walkathon with participants from regulated entities namely NSE IFSC, IBUs, IIBX and officers of IFSCA was also conducted as part of this initiative.



Image G.2: Walkathon organised by IFSCA as part of 'Har Ghar Tiranga' campaign



Image G.3: 'Har Ghar Tiranga' campaign at IFSCA

PoSH Act

Internal Complaints Committee

An Internal Complaints Committee (ICC) was constituted on July 27, 2021, by the Competent Authority in compliance with Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (PoSH Act). The members of ICC include an External Member, along with Internal Members and the senior-most lady officer as the Presiding Officer.

Activities during Financial Year 2022-23

During the Financial Year 2022-23, the ICC has not received any complaint. The ICC had four meetings, one in each quarter, during the year. Awareness programmes were also conducted for sensitising IFSCA employees regarding the POSH Act and the mechanisms available for resolution of any complaints. A session was also conducted by the External Member on the PoSH Act for the new employees.





अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
वार्षिक रिपोर्ट २०२२-२३

वार्षिक रिपोर्ट टीम

नितिन जैन, उप महाप्रबंधक

अमित प्रजापति, उप महाप्रबंधक

वैभव सत्तावन, सहायक प्रबंधक

कनिका सिंह, सहायक प्रबंधक



अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

द्वितीय और तृतीय तल, प्रज्ञा टावर, ब्लॉक १५, जोन १, रोड १सी, गिफ्ट एसईजेड,
गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात - ३८२ ३५५
वेबसाइट: <https://www.ifsca.gov.in/>

International Financial Services Centres Authority

2nd & 3rd Floor, PRAGYA Tower, Block 15, Zone 1,
Road 1C, GIFT SEZ, GIFT City, Gandhinagar, Gujarat - 382 355

Website: <https://www.ifsca.gov.in/>